समिति शाखा (दो) सं. 500

लोक सभा

अनुसूचित जनजाति (वन अधिकारों की मान्यता) विधेयक, 2005 संबंधी संयुक्त समिति

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन

(23 मई 2006 को लोक सभा को प्रस्तुत किया गया)

(23 मई 2006 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया)

ARRIDS
2802 (LIII)
14.12.06

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मई, 2006/वैशाख 1928 (शक)

मूल्य : 150 रुपये

अनुसूचित जनजाति (वन अधिकारों की मान्यता) विधेयक, 2005 संबंधी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन का शुद्धि पत्र

पृष्ठ/पैरा	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़ें
(vii) पैरा 23	अंतिम	खंड (2) छः	खंड (2) (छः)
(viii) पैरा 24	2	बोलडर	गोलाश्म
(viii) पैरा 25	नीचे से 3	उपखंड (ज) के अधीन विद्यमान खंड 2(1) के स्थान पर	मूल खंड 2(ढ) के पश्चात उपखंड 2 (ण) के अधीन
(xv)	8	सामान्य सिफारिश	सामान्य सिफारिशें
(xv)	60	अधिनियम	अधिनियमन
1	2	समिति द्वारा रिपोर्ट किये गये रूप में	समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में
1	पंक्ति 2 के बाद पढ़ें '2005 का विधेयक संख्यांक 158 ख'		
6	नीचे से 3	व्यैष्टियों	व्यष्टियों
15	10	श्री बाबू राव मिडियम	एडवोकेट पी.सतीदेवी
32	3	संघों/संगठनों/व्यक्तियों आदि..........की सूची	उन संघों/संगठनों/व्यक्तियों आदि की सूची जिनसे ज्ञापन प्राप्त हुये
34	9	कम्पलीटेड	कम्पलेक्स
50	1	'गोपनीय' का लोप करें	
52	1	-तदेव-	
55	1	-तदेव-	
57	1	-तदेव-	
61	1	-तदेव-	
67	1	-तदेव-	
71	1	-तदेव-	
72 पैरा 3	3	नकारा किया:	नकारा
72 पैरा 4	अंतिम	अभ्यारण्य	अभयारण्य
75	1	'गोपनीय' का लोप करें	
77	1	-तदेव-	
81	1	-तदेव-	
84	नीचे से 3	पारिस्थितिकीय	पारिस्थिकी विज्ञान
92	1	'गोपनीय' का लोप करें	
96	1	-तदेव-	

विषय-सूची

पृष्ठ

संयुक्त समिति की रचना .... (iii)

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन .... (v)

संयुक्त समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित विधेयक 1

परिशिष्ट

—एक. विधेयक को संदर्भ के लिए संयुक्त समिति को सौंपने हेतु लोक सभा में प्रस्ताव 15

—दो. राज्य सभा में प्रस्ताव 17

—तीन. सभा में यथा पुरःस्थापित विधेयक 18

—चार. एसोसिएशनों/संगठनों/गैर-सरकारी संगठनों/व्यक्तियों आदि की सूची जिनके ज्ञापन संयुक्त समिति को प्राप्त हुए 32

—पांच. साक्षियों की सूची, जिन्होंने संयुक्त समिति के सम्मुख मौखिक साक्ष्य दिया 44

—छः. संयुक्त समिति की बैठकों के कार्यवाही सारांश 47

अनुसूचित जनजाति (वन अधिकारों की मान्यता) विधेयक, 2005 संबंधी संयुक्त समिति

समिति की रचना

श्री वी. किशोर चन्द्र एस. देव — सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री शिंगाडा दामोदर बारकू
3. श्री महावीर भगोरा
4. श्री सी.के. चन्द्रप्पन
5. श्री गिरिधर गमांग
6. डा. पी.पी. कोया
7. श्री ए. कृष्णास्वामी
8. श्री शैलेन्द्र कुमार
9. श्री राजेश कुमार मांझी
10. श्री बाबू लाल मरांडी
11. श्री मधुसूदन मिस्त्री
12. श्री हेमलाल मुर्मू
13. श्री जुएल ओराम
14. श्री बाजू बन रियान
15. श्री नन्द कुमार साय

@16. श्री बाबू राव मिडियम

17. श्री सुग्रीव सिंह
18. श्री राजेश वर्मा
19. श्री रवि प्रकाश वर्मा
20. श्री पी.आर. किन्डिया

राज्य सभा

21. श्री रिशांग कीशिंग
22. डा. राधाकान्त नायक
23. श्रीमती वृंदा कारत
24. श्री देवदास आपटे
25. श्री रावुला चन्द्रशेखर रेड्डी
26. श्री एन. जोती
27. श्री मंगनी लाल मंडल

@श्रीमती पी. सतीदेवी के त्यागपत्र देने के कारण 21.2.2006 से नियुक्त।

28. श्री नन्द किशोर यादव
29. **
30. **

सचिवालय

1. श्री आर. सी. आहूजा - संयुक्त सचिव
2. श्री आर. के. बजाज - उप सचिव
3. श्री जे. के. जेना - अवर सचिव
4. श्री जे. वी. जी. रेड्डी - अवर सचिव
5. श्री के. आर. नरेन्द्र बाबू - समिति अधिकारी
6. श्री डी. के. अरोड़ा - वरिष्ठ समिति सहायक

जनजातीय कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधि

सुश्री मीना गुप्ता - सचिव

श्री राजीव कुमार - संयुक्त सचिव

विधि एवं न्याय मंत्रालय के प्रतिनिधि
(विधायी विभाग)

श्री एन. के. नम्बूदरी - संयुक्त सचिव एवं विधायी परामर्शदाता

श्री एस. श्रीनिवास - सहायक विधायी परामर्शदाता

** 3 अप्रैल, 2006 से राज्य सभा से सेवानिवृत्त होने पर सर्वश्री मूलचंद मीणा और वीरभद्र सिंह समिति के सदस्य नहीं रहे।

अनुसूचित जनजाति (वन अधिकारों की मान्यता) विधेयक, 2005
संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन

मैं, संयुक्त समिति का सभापति, अनुसूचित जनजाति (वन अधिकारों की मान्यता) विधेयक*, 2005, जिसे समिति को सौंपा गया था, के संबंध में समिति द्वारा प्राधिकृत किए जाने पर उसकी ओर से यह प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं। समिति द्वारा यथा संशोधित विधेयक इस प्रतिवेदन के साथ संलग्न है।

2. यह विधेयक 13 दिसम्बर, 2005 को लोक सभा में पुरःस्थापित किया गया था। इस विधेयक को संसद की दोनों सभाओं की संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव जनजातीय कार्य मंत्री श्री पी॰ आर॰ किंडिया द्वारा 21 दिसम्बर, 2005 को लोक सभा में पेश किया गया था और सभा द्वारा उसे स्वीकार किया गया था *(परिशिष्ट एक)*।

3. उक्त प्रस्ताव पर राज्य सभा ने 23 दिसम्बर, 2005 को अपनी सहमति दी *(परिशिष्ट दो)।*

4. राज्य सभा का संदेश दिनांक 26 दिसम्बर, 2005 के लोक सभा बुलेटिन-भाग दो में प्रकाशित किया गया था।

5. समिति की कुल 14 बैठकें हुईं।

6. समिति ने 16.01.2006 को हुई अपनी पहली बैठक में इस विधेयक के विभिन्न उपबंधों पर सामान्य विचार-विमर्श किया तथा समिति के समक्ष इस कार्य के महत्व और इसे शीघ्र किये जाने की आवश्यकता को नोट किया। समिति ने संदर्भाधीन विधेयक और इसे अधिनियमित किए जाने की आवश्यकता के संबंध में जनजातीय कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधियों से जानकारी भी प्राप्त की। इस संवेदनशील मुद्दे, जिस पर बारीकी से एवं व्यापक रूप से अध्ययन किया जाना अपेक्षित है, पर विचार करते हुए समिति ने निर्णय किया कि इस विधेयक के विभिन्न उपबंधों पर विशेषज्ञों, संगठनों, संस्थाओं, गैर-सरकारी संगठनों एवं आम जनता से ज्ञापन आमंत्रित करने के लिए सभी राष्ट्रीय दैनिक समाचारपत्रों एवं अन्य प्रमुख समाचारपत्रों में प्रेस विज्ञप्ति जारी की जाए। समिति ने यह भी निर्णय किया कि प्रेस विज्ञप्ति की विषय वस्तु का आकाशवाणी और दूरदर्शन के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए। सभापति महोदय ने सदस्यों से उन संगठनों/व्यक्तियों के नाम, जिनसे ज्ञापन आमंत्रित किये जा सकते हैं, सुझाने के साथ-साथ लिखित रूप में अपने-अपने विचार एवं सुझाव देने का भी अनुरोध किया।

7. तद्नुसार राष्ट्रीय दैनिक समाचारपत्रों एवं क्षेत्रीय समाचारपत्रों में एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई जिसमें ज्ञापन आमंत्रित किए गए थे और समिति के समक्ष मौखिक साक्ष्य देने के लिए भी अनुरोध किया गया था। इसका आकाशवाणी एवं दूरदर्शन के माध्यम से भी व्यापक प्रचार किया गया।

8. समिति के निर्णयानुसार इस विधेयक के विभिन्न उपबंधों पर सुझावों/टिप्पणियों सहित ज्ञापन भेजने के लिए सभी राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को पत्र भी भेजे गए थे।

9. समिति ने 27 जनवरी, 2006 को हुई अपनी दूसरी बैठक में इस विधेयक के विभिन्न उपबंधों पर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के प्रतिनिधियों के विचार सुने। समिति ने इच्छा व्यक्त की कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को उन विभिन्न दिशानिर्देशों/परिपत्रों/निदेशों इत्यादि की प्रतियां भेजे जो मंत्रालय द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अधीन जारी किए गए हैं।

10. समिति ने 7 फरवरी, 2006 को हुई अपनी तीसरी बैठक में इस विधेयक के विभिन्न उपबंधों पर (एक) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय; (दो) ग्रामीण विकास मंत्रालय (भूमि संसाधन विभाग) और (तीन) पंचायती राज मंत्रालय के प्रतिनिधियों के विचार सुने।

---

*दिनांक 13.12.2005 के भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-दो, खंड-2 में प्रकाशित।

11. समिति का प्रतिवेदन बजट सत्र, 2006 के दूसरे सप्ताह के अंतिम दिन तक प्रस्तुत किया जाना था। चूंकि समिति को साक्ष्य लेने तथा विधेयक पर विचार करने का कार्य पूरा करना था, अत: समिति ने निर्णय किया कि प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए सभा से समय बढ़ाने हेतु अनुरोध किया जाए। समिति को प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए बजट सत्र, 2006 के अंतिम दिन तक का समय दिया गया। समिति ने इच्छा व्यक्त की कि वह विधेयक के विभिन्न खंडों पर विभिन्न संगठनों, संस्थाओं के प्रतिनिधियों एवं आम जनता के विचार जानने के लिए देश के विभिन्न स्थानों का तत्स्थानिक अध्ययन दौरा करेगी। तथापि समयाभाव के कारण समिति तत्स्थानिक अध्ययन दौरा नहीं कर सकी।

12. 13 दिसम्बर, 2005 को लोक सभा में यथा पुर:स्थापित विधेयक संलग्न है *(परिशिष्ट तीन)*।

13. समिति को इस विधेयक के विभिन्न उपबंधों पर विभिन्न संस्थाओं/संगठनों/गैर-सरकारी संगठनों/विशेषज्ञों एवं व्यक्तियों आदि से टिप्पणियों/सुझावों सहित कुल 109 ज्ञापन प्राप्त हुए *(परिशिष्ट चार)*।

14. समिति ने दिनांक 3.3.2006, 9.3.2006, 10.3.2006, 23.3.2006, 24.3.2006, 17.4.2006, 18.4.2006 और 19.4.2006 को हुई अपनी बैठकों में विभिन्न संगठनों/संस्थाओं/गैर-सरकारी संगठनों/विशेषज्ञों/व्यक्तियों आदि के मौखिक साक्ष्य लिए। जिन संगठनों/संस्थाओं/गैर-सरकारी संगठनों आदि ने समिति के समक्ष मौखिक साक्ष्य दिए उनकी सूची संलग्न है *(परिशिष्ट पांच)*।

15. समिति ने 8 और 9 मई, 2006 को हुई अपनी बैठकों में समिति के सदस्यों द्वारा सुझाए गए संशोधनों के आधार पर विधेयक के उपबंधों पर खंडवार विचार किया।

16. समिति ने 19.5.2006 को हुई अपनी बैठक में समिति ने अपने प्रारूप प्रतिवेदन पर विचार किया तथा उसे स्वीकार किया और समिति की ओर से सभापति को प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया। समिति ने यह भी निश्चय किया कि (एक) समिति के समक्ष दिए गए साक्ष्य को संसद की दोनों सभाओं के पटल पर रखा जाए (दो) विभिन्न स्रोतों से प्राप्त ज्ञापनों की दो-दो प्रतियां, प्रतिवेदन के संसद में प्रस्तुत कर दिए जाने के पश्चात्, संसद सदस्यों के संदर्भ के लिए संसदीय ग्रंथालय में रखी जाएं।

17. विधेयक में प्रस्तावित मुख्य परिवर्तनों के संबंध में समिति की टिप्पणियां अनुवर्ती पैराओं में दी गई हैं।

खंड 2 (क) (परिभाषाएं)

18. खंड 2 (क) पर विचार करते हुए, समिति ने महसूस किया कि इस अधिनियम के अधीन मान्य और निहित किसी भी वन अधिकार से संबंधित किसी विवाद के बारे में निर्णय लेने की प्राधिकारी ग्राम सभा होगी, न कि कोई अन्य प्राधिकरण। तद्नुसार समिति ने अध्याय चार के तहत ग्राम सभा की शक्तियों और कार्यों को पुन: परिभाषित किया और खंड 4 (7) को लोप करने का निर्णय भी लिया। परिणामस्वरूप, समिति ने महसूस किया कि खंड 4 (7) के लोप के बाद सक्षम प्राधिकारी की परिभाषा की कोई आवश्यकता नहीं है। अत: समिति खंड 2 (क) का लोप करने की सिफारिश करती है।

खंड 2 (क) — (सामुदायिक वन संसाधन की परिभाषा के संबंध में नया उपबंध)

19. समिति नोट करती है कि 3 (ञ) में प्रयुक्त "सामुदायिक वन संसाधन" पद को विधेयक में या संसद के किसी अन्य अधिनियम में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। समिति महसूस करती है कि ऐसे अधिकारों के संबंध में किसी अस्पष्टता से बचने के लिए उन संपूर्ण संसाधनों के स्पेक्ट्रम के लिए मानदंड को परिभाषित करना आवश्यक है जो सामुदायिक वन संसाधनों की परिभाषा के अंतर्गत आएंगे। अत: समिति ने निर्णय लिया कि 'सामुदायिक वन संसाधन' के संबंध में एक नई परिभाषा जोड़ी जाए। तद्नुसार खंड 2 (क) के अधीन एक नई परिभाषा जोड़ी गई है।

खंड 2 (ख)—('मुख्य क्षेत्र' के स्थान पर 'संकटग्रस्त वन्य जीव आवास' की नई परिभाषा)

20. समिति महसूस करती है कि "मुख्य क्षेत्र" शब्दों का वर्तमान में वन और पर्यावरण मंत्रालय द्वारा बिना किसी सांविधिक आधार के प्रबंधन की एक संकल्पना के तौर पर उपयोग किया जा रहा है। समिति महसूस करती है कि किसी क्षेत्र को "मुख्य क्षेत्र" के तौर पर घोषित करने की प्रक्रिया में स्थल सापेक्ष खुली प्रक्रिया की आवश्यकता है जिसमें सभी हितधारकों और बहु विषयक विशेषज्ञों (विशेषकर वैज्ञानिक और पारंपरिक ज्ञानधारक) की सहभागिता हो और जो मुख्यत: स्थानीय सामुदायिक प्रतिनिधियों को शामिल करके लोकतांत्रिक तंत्रों के माध्यम से की जानी चाहिए। समिति यह भी महसूस करती है कि "मुख्य क्षेत्रों" से स्वत: पुनर्स्थापन की व्यवस्था करने के बजाए यह निर्णय लेने के लिए स्पष्ट, प्रभावी और स्वच्छ प्रक्रिया होनी चाहिए कि उचित सुरक्षा प्रदान करने के लिए ऐसा पुनर्स्थापन कब नितांत आवश्यक है और यह कैसे किया जाना है। विधेयक में "मुख्य क्षेत्र" की वर्तमान परिभाषा में इन बातों का ध्यान नहीं रखा गया है। इसलिए समिति ने निर्णय लिया कि खंड 2 (ख) के अधीन मुख्य क्षेत्र की परिभाषा का लोप कर दिया जाए और खंड 2 (ख) के अधीन "संकटग्रस्त वन्य जीव आवास" की एक नई परिभाषा उपबंधित की जाए। तदनुसार संकटग्रस्त वन्य जीव आवास की परिभाषा को खंड 2 (ख) के अधीन जोड़ा गया।

खंड 2 (ग)

21. समिति के समक्ष साक्ष्य के दौरान कई संगठनों के प्रतिनिधियों ने सूचित किया कि वन में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों की बड़ी संख्या न केवल वन में रहती हैं बल्कि वह वन भूमि से लगे क्षेत्र में भी रहती हैं जो मुख्यत: अपनी वास्तविक आजीविका आवश्यकताओं के लिए वन पर आश्रित हैं । तथापि, वन में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों की वर्तमान परिभाषा में अनुसूचित जनजातियों के वे समुदाय शामिल नहीं किए गए हैं जो वन भूमि से सटे क्षेत्रों में रहते हैं । इस प्रकार, उनके अधिकारों को मान्यता देने और अधिकारों को उनमें निहित करने के लिए अपने दावों से वंचित रह जाएंगे जिससे उनकी आजीविका को खतरा उत्पन्न हो जाएगा। समिति महसूस करती है कि 'वन में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों' की परिभाषा को ऐसी अनुसूचित जनजातियों को शामिल करने के लिए व्यापक बनाए जाने की आवश्यकता है जो वन भूमि से सटे क्षेत्र में रहती हैं ताकि आजीविका के उनके अधिकारों और अन्य अधिकारों की रक्षा की जा सके। तद्नुसार खंड 2 (ग) की परिभाषा को संशोधित किया गया है।

खंड 2 (घ)

22. समिति ने यह महसूस किया है कि वन भूमि पद अस्पष्ट है और इसे परिभाषा का हिस्सा नहीं होना चाहिए। इसलिए समिति महसूस करती है कि 'किसी वन क्षेत्र के भीतर आने वाली' शब्दों के स्थान पर 'वन के रूप में रिकार्ड या अधिसूचित की गई' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएं। तद्नुसार खण्ड में संशोधन किया गया है।

खंड 2 (छ)

23. खंड 2 (छ) पर विचार करते हुए समिति ने महसूस किया है कि पाड़ा, टोला या अन्य पारंपरिक ग्राम संस्थाओं तथा अन्य निर्वाचित ग्राम समितियों, महिलाओं की पूर्ण तथा निर्बाध भागीदारी सहित, को भी परिभाषा में जोड़ा जाए ताकि इसे और स्पष्ट बनाया जा सके। समिति ने यह भी महसूस किया है कि ग्राम सभा से संबंधित व्याख्या को जोड़कर और अधिक वर्गीकृत करने की आवश्यकता है क्योंकि यह पंचायत अनुसूचित क्षेत्र का विस्तार, अधिनियम, 1996 के प्रावधानों में सम्मिलित क्षेत्रों पर भी लागू होती है और इसे अन्य पंचायतों पर भी लागू होना चाहिए। तदनुसार खंड (2) छ: को व्याख्या सहित संशोधित किया गया है।

खंड 2 (झ)

24. लघु वनोत्पाद की परिभाषा पर विचार करते हुए समिति ने यह आवश्यक महसूस किया कि परिभाषा को और अधिक व्यापक बनाने के लिए इसके अंतर्गत स्टोन, स्लेट और बोलडर, मछली, खरपतवार और अन्य सहित जल स्रोतों से प्राप्त अन्य उत्पादों और जलावन को भी शामिल किया जाना चाहिए। तद्नुसार खंड 2 (झ) को संशोधित किया गया है।

नया उप खंड 2(ठ) (अन्य पारंपरिक रूप से वन में रहने वालों के संबंध में नई परिभाषा)

25. समिति नोट करती है कि विधेयक के उपबंधों में केवल वन में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों को मान्यता देने और उनमें निहित करना आशयित है। तथापि, समिति को साक्ष्य के दौरान सूचित किया गया कि अनुसूचित जनजातियों के अलावा बड़ी संख्या में अन्य लोग भी पीढ़ी दर पीढ़ी पारंपरिक रूप से वन में अथवा वन या वन भूमि के समीप रहते आ रहे हैं और अपनी वास्तविक आजीविका के लिए मुख्यत: वन संसाधन या वन भूमि पर निर्भर करते हैं। इन लोगों ने भी सदियों से अन्याय झेला है क्योंकि ये प्राचीन काल से वन भूमि पर रहे हैं। उनके अधिकारों को मान्यता नहीं दिए जाने पर न केवल उनकी आजीविका खतरे में पड़ जाएगी बल्कि उन्हें वन से बेदखल होना पड़ेगा। समिति यह भी नोट करती है कि इन लोगों ने भी वन में अनुसूचित जनजातियों के साथ सौहार्दपूर्ण जीवन गुजारा है। समिति यह भी नोट करती है कि कई मामलों में गैर-अनुसूचित जनजाति वर्ग के वनों में रहने वालों को सरकार द्वारा अधिक खाद्य पदार्थ का उत्पादन करने जैसी नीति को बढ़ावा देने के लिए या विकास परियोजनाओं द्वारा हुई विस्थापना के कारण पुनर्वास द्वारा वन भूमि पर बसाया गया है। समिति यह भी महसूस करती है कि अनुसूचित जनजातियों और गैर-अनुसूचित जनजातियों का वर्गीकरण स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ही किया गया है। चूंकि इस विधेयक का प्रयोजन सदियों से हुए अन्याय को मिटाना है, इसलिए वन में रह रहे गैर-अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों के अधिकारों को भी मान्यता दी जानी चाहिए और उनमें अधिकार निहित किए जाने चाहिए।

अत: समिति ने 'अन्य पारंपरिक वनवासियों' को विशिष्ट शर्तों के अधीन शामिल करने के लिए विधेयक में एक नई परिभाषा शामिल करने का निर्णय किया है। तदनुरूप उप खंड (ज) के अधीन विद्यमान खंड 2(1) के स्थान पर नई परिभाषा अंतर्स्थापित की गई है और इसके परिणामस्वरूप होने वाले परिवर्तनों को विधेयक के सभी संबंधित खंडों में शामिल कर दिया गया है।

विद्यमान खंड 2 (ण) (एक), (दो), (तीन) और (चार) 2 (त) (एक), (दो) और (तीन) के रूप में पुनर्संख्यांकित

26. इस खंड पर विचार करते हुए, समिति ने पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार) अधिनियम, 1996 की धारा 4 के खण्ड (ख) में दी गई ग्राम की परिभाषा इस अधिनियम के उद्देश्यों के लिए गैर-अधिसूचित क्षेत्रों पर भी लागू होगी, को और स्पष्ट करने के लिए "प्रश्न के अंतर्गत क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र है या नहीं इसको दृष्टिगत किए बिना" शब्द जोड़ने और मूल खण्ड 2(ण), (दो) को लोप करने की आवश्यकता है। तदनुसार पुन: संख्यांकित खण्ड 2(ट) का संशोधन किया गया है।

मूल खण्ड 2 (त) का खण्ड 2 (थ) के रूप में पुन: संख्यांकन खण्ड 3 (झ) (मूल खण्ड 3)

27. खण्ड 3 पर विचार करते हुए, समिति ने यह महसूस किया है कि इस संबंध में किसी अस्पष्टता से बचने के लिए अध्याय दो के अंतर्गत दिए जा रहे वन अधिकारों में सभी वन भूमि पर ऐसे अधिकार शामिल होंगे और ऐसे अधिकार अन्य परंपरागत रूप से वनों में रहने वाले लोगों पर भी लागू होने चाहिए। तदनुसार मूल खंड 3 में संशोधन किया गया है और इसे खण्ड 3(1) के रूप में पुन: संख्यांकित किया गया है।

खंड 3 (क)

28. खंड 3(1) के रूप में पुनर्संख्यांकित खंड 3(क) के अंत में "अथवा अन्य परंपरागत वनवासी" शब्द आनुषंगिक बदलाव के रूप में जोड़े गये हैं।

खंड 3(ख)

29. समिति नोट करती है कि खंड 3(ख) निस्तार के रूप में सामुदायिक अधिकार से केवल उन लोगों को, जो तत्कालीन राजाओं के राज्यों, जमींदारी या ऐसे अन्य मध्यवर्ती शासनों में प्रवृत्त थे, प्रतिबंधित करता है। परंतु समिति नोट करती है कि निस्तार अधिकार के स्वरूप एवं सीमा में जमींदारी या ऐसे मध्यवर्ती शासनों के दौरान व्यापक बदलाव आया है। अत: समिति ऐसे सभी सामुदायिक अधिकारों, जो वास्तविक, आजीविका जरूरतों, जो राजाओं के राज्यों, जमींदारी या ऐसे मध्यवर्ती शासनों के दौरान नहीं होती थीं लेकिन वन भूमि में होती हैं; को पूरा करते हैं, को शामिल करने के लिए निस्तार जैसे सामुदायिक अधिकारों के अर्थ का दायरा बढ़ाने की जरूरत महसूस करती है। तद्नुरूप खंड 3(1) (ख) के रूप में पुनर्संख्यांकित खंड 3(ख) में संशोधन किया गया है।

खंड 3(ग)

30. समिति नोट करती है कि इस समय पहुंच के स्वामित्व अधिकार में संग्रहण परिवहन और लघु वनोत्पाद के विक्रय के अधिकार शामिल नहीं हैं। इसके अतिरिक्त इस उपबंध में यह विनिर्दिष्ट नहीं है कि लघु वनोत्पाद में वे शामिल नहीं हो सकते थे जो पारंपरिक रूप से गांव की सीमा के अंदर या बाहर संग्रहित किए जाते रहे हैं। समिति ने महसूस किया है कि इन्हें लघु वनोत्पाद तक पहुंच के स्वामित्व अधिकारों में शामिल किया जाना चाहिए। तद्नुरूप खंड 3 (1) (ग) के रूप में पुनर्संख्यांकित खंड 3(ग) में संशोधन किया गया है।

खंड 3(घ)

31. खंड 3 (घ) पर विचार करते समय समिति ने महसूस किया है कि उपयोग या हकदारी के अन्य सामुदायिक अधिकारों में मछली एवं अन्य जलोत्पादों को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए। इस उपबंध में प्रयुक्त स्थापित और घुमक्कड़ के बीच किसी प्रकार की अस्पष्टता से बचने के लिए समिति ने महसूस किया कि 'और' शब्द के स्थान पर 'या' शब्द प्रतिस्थापित किया जाए। तद्नुरूप खंड 3(1)(घ) के रूप में पुनर्संख्यांकित खंड 3(घ) में संशोधन किया गया है।

खंड 3(1) (ज) [मूल खंड 3 (ज) एवं (झ) को मिलाकर 3 (ज) बनाया गया]

32. खंड 3 (ज) पर विचार करते समय समिति ने महसूस किया है कि इन अधिकारों को और अधिक व्यापक एवं स्पष्ट बनाने के लिए सभी वन ग्रामों, पुराने बसे हुए और असर्वेक्षित ग्रामों, चाहे वे अभिलेखित, अधिसूचित हो या नहीं, को राजस्व ग्राम में सम्मिलित करने हेतु उनके अर्थ के दायरे और अधिक बढ़ाए जाने और स्पष्ट किए जाने की आवश्यकता है। तद्नुरूप खंड 3(ज) में संशोधन किया गया है। खंड 3 (ज) में किए गए संशोधन को देखते हुए समिति ने निर्णय किया कि खंड 3 (झ) अनावश्यक हो गया है अत: इसका लोप कर दिया जाए। तद्नुरूप खंड 3(झ) का लोप कर दिया गया।

खंड 3(1) (झ) [मूल खंड 3(ञ) का 3 (झ) के रूप में पुनर्संख्यांकन]

33. समिति नोट करती है कि वर्तमान उपबंध में समुदाय सामुदायिक वन संसाधनों संबंधी अधिकार में उपयोग का अधिकार और प्राधिकार सम्मिलित नहीं है। समिति ने यह भी महसूस किया है कि वन वासियों के शोषण को रोकने के लिए उनके अधिकारों में अन्य बातों के अतिरिक्त सभी उत्पाद तथा लाभ जैसी इमारती लकड़ी सम्मिलित किए जाने की जरूरत है। खनिज पदार्थों, पर्यावरणीय तथा सांस्कृतिक सेवाएं शामिल होंगी। अत: समिति ने इस खंड में तदनुरूप संशोधन करने का निर्णय किया है। तदनुरूप खंड 3 (ञ) में संशोधन करें और इसे 3(1) (झ) के रूप में पुनर्संख्यांकित किया गया।

खंड 3(1) (ञ) - मूल खंड 3 (ट)

34. समिति ने यह महसूस किया है कि रूढ़िजन्य विधि के निर्वचन में किसी अस्पष्टता को समाप्त करने के लिए "किसी राज्य का कानून" के स्थान पर "किसी राज्य की संबंधित जनजातियों का कानून" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएं। तदनुरूप, मूलखंड 3 (ठ) में संशोधन कर इसे 3 (ट) के रूप में पुनर्संख्यांकित किया गया है।

नया खंड 3 (1) (ठ)

35. समिति यह भी महसूस करती है कि वनवासी समुदायों को शोषणकारी ताकतों के साथ-साथ औषधि-निर्माता कंपनियों जैसी संस्थाओं द्वारा आनुवांशिकीय सामग्री के उपयोग से जुड़े निर्बंधों से बचाया जाना चाहिए। समिति का विचार है कि जैविकीय विविधता अधिनियम, 2002 के अंतर्गत ऐसी सुरक्षा पर्याप्त रूप से प्रदान नहीं की गई है। अत: समिति महसूस करती है कि इस अधिनियम के उपबंधों के माध्यम से भी ऐसी सुरक्षा सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है। अत: समिति ने इस संबंध में उपयुक्त उपबंध शामिल करने का निर्णय किया। तद्नुरूप एक नया खंड 3 (1) (ठ) जोड़ा गया है।

नया खंड 3 (1) (ड)

36. इस खंड पर विचार करते समय समिति ने महसूस किया कि वनवासी समुदायों की आजीविका एवं मर्यादा के लिए विस्थापन सबसे बड़ी चुनौती है। पूरे देश में अधिकारों के निराकरण एवं अधिकांशत: बिना किसी पुनर्वासन व्यवस्था के विस्थापन एवं बेदखली की प्रक्रिया चल रही है। समिति ने महसूस किया कि ऐसे विस्थापित लोगों के अधिकारों को मान्यता देने के लिए इस विधेयक में उपबंध किया जाना चाहिए। समिति महसूस करती है कि इस प्रकार विस्थापित हुए लोगों को स्व-स्थाने पुनर्वास एवं वैकल्पिक भूमि का अधिकार होना चाहिए। अत: समिति ने इस संबंध में उपयुक्त उपबंध सम्मिलित करने का निर्णय लिया। तद्नुसार एक नये खंड 3 (1), (ड) का उपबंध किया गया है।

नया खंड 3 (2)

37. समिति ने महसूस किया है कि किसी अन्य पारंपरिक अधिकार में ऐसे जनजातीय परिवारों के अधिभोगाधीन भूमि अथवा उन्हें वन विभाग द्वारा पट्टे पर दी गई भूमि और बाद में वन विभाग अथवा अन्य अभिकरणों द्वारा वृक्षारोपण अथवा इसी प्रकार के किन्हीं अन्य प्रयोजनों से वापस ली गई भूमि का अधिकार भी शामिल किया जाना चाहिए। समिति ने इसके लिए एक नया उपबंध शामिल करने का निर्णय लिया है। तद्नुसार एक नए खंड 3 (2) का उपबंध किया गया है।

नए खंड 3 (3), 3 (4) एवं 3(5)

38. समिति ने यह भी महसूस किया कि भोजन, फाइबर, शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार और विद्यालयों, अस्पतालों, सड़कों इत्यादि जैसी सुविधाओं के विकास संबंधी आवश्यकताओं हेतु वन भूमि के अंतरण जिसमें वृक्षों को गिराना भी शामिल हो सकता है लेकिन यह प्रति परियोजना 75 वृक्ष से अधिक हो, के लिए उपबंध भी होना चाहिए। समिति ने यह महसूस किया है कि विकास परियोजनाओं के लिए वन भूमि के विपथन की अनुमति केवल तभी दी जानी चाहिए जब प्रत्येक ऐसे मामले में उस प्रयोजनार्थ एक हैक्टेयर से कम भूमि की आवश्यकता हो और विकास परियोजना को स्वीकृति देने हेतु ग्राम सभा ने सिफारिश की है। समिति ने यह भी महसूस किया कि पारंपरिक अधिकार के मामले में महिला मुखिया वाली गृहस्थियों और विधवाओं हेतु विशेष उपबंध सहित अनुसूचित जनजाति की महिला सदस्यों को समान अधिकार होंगे। समिति ने विधेयक में उपयुक्त उपबंध शामिल करने का निर्णय लिया। तद्नुरूप, नए खंडों 3 (3), 3 (4) और 3 (5) का उपबंध किया गया है।

खंड 4 (1) और (2) [मूल खंड 4 (1)]

39. इस खंड पर विचार करते समय समिति ने नोट किया कि उचित क्षतिपूर्ति के साथ पुनर्स्थापित करने के उपबंध के साथ अनंतिम आधार पर अधिकार देने के समर्थन में कोई सुरक्षोपाय नहीं है। समिति नोट करती है कि बाघ परियोजना के संदर्भ में पुनर्स्थापना की प्रक्रिया विगत 30 वर्षों में असंतोषजनक रही है। समिति यह भी नोट करती है कि राज्य सरकारों ने धन के अभाव में उचित पुनर्स्थापना और पुनर्वास करने में कठिनाई व्यक्त की है। 'कोर एरिया' की परिभाषा एक प्रशासनिक मसला है इसलिए समिति ने पहले निर्णय लिया था कि पर्याप्त सुरक्षोपाय अपनाते हुए इसके स्थान पर "क्रिटिकल वाइल्डलाइफ हैबिटैट" की और व्यापक परिभाषा स्थापित की जा सकती है। समिति ने महसूस किया है कि वन्य जीव संरक्षण के लिए अक्षुण्ण क्षेत्रों का सृजन करने के प्रयोजन से इस अधिनियम के अधीन "क्रिटिकल वाइल्डलाइफ हैबिटैट" में मान्य अधिकारों को आशोधित किया जाए तथा वन अधिकार धारकों के अधिकारों और सेटलमेंट को अक्षुण्ण रखते हुए निस्तारित किया जाए। इस प्रकार के आशोधन अधिनियम में यथाविनिर्दिष्ट मान्यता व अधिकारों को प्रदान करने की प्रक्रिया के पूरा होने जैसी शर्तों के अध्यधीन होंगे व सभी अधिकार धारकों की सहमति और क्षेत्र से परिचित निष्पक्ष पारिस्थितिकी तथा सामाजिक वैज्ञानिकों की सलाह से होंगे। अग्रिम पुनर्वास या वैकल्पिक पैकेज तैयार करने में सह-अस्तित्व के विकल्प पर पूर्ण विचार और ऐसे पैकेज के संबंध में ग्राम सभा तथा संबंधित व्यक्ति की सहमति। समिति ने यह भी महसूस किया है कि इस तरह का निपटारा तब तक नहीं होना चाहिए जब तक कि पुनर्वास स्थल पर जिस पैकेज का वायदा किया गया था उसके अनुसार सभी सुविधाएं व भूमि आवंटन उपलब्ध न कराया गया हो। यदि वे पुनर्वास से संतुष्ट नहीं हैं तो उन्हें अपने मूल आवास पर वापस जाने का अधिकार होना चाहिए। समिति ने इस संबंध में इस अधिनियम में उपयुक्त उपबंध शामिल करने का निर्णय लिया है। समिति ने यह भी महसूस किया है कि अध्याय के शीर्षक में भी संशोधन किए जाने की आवश्यकता है और यह इच्छा प्रकट की है कि इसे इस तरह से पढ़ा जाए जैसे "मान्यता, पुनर्वास व वन संबंधी अधिकारों को प्रदान करना तथा संबंधित मामले"। तद्नुसार, मूल खंड को इसके दो परंतुकों के साथ नए खंडों 4(1) (क) व (ख) और 4(2) क से ज के दो परंतुकों सहित प्रतिस्थापित किए गए हैं।

खंड 4(3) [मूल खंड 4(2)]

40. समिति नोट करती है कि अधिकारों को मान्यता देने के लिए विधेयक में अंतिम तिथि अथात् 25 अक्तूबर, 1980 को इस तथ्य के सिवाय कि इसे स्वीकृति दी गई थी, कोई विधिक आधार नहीं है। यह वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की पारित होने की तिथि है। ऐसी अंतिम तिथि ऐसे अनेक लोगों के अधिकार छीन लेगी जिन्होंने इस अवधि के दौरान प्रवास किया, विस्थापित हुए अथवा अपने मूल स्थानों को छोड़कर अन्य स्थानों में बस गए हैं। साथ ही इससे वन में रहने वालों को अपने अधिकारों के दावे सिद्ध करना अत्यंत कठिन होगा। समिति यह भी नोट करती है कि इस अवधि के दौरान 10 लाख हैक्टेयर भूमि खान, उद्योग और विकास संबंधी गैर-वानिकी परियोजनाओं के लिए अंतरित की गई है। विद्यमान निर्धारित अंतिम तारीख से वन में रहने वाले लाखों लोग बेदखल होंगे और अपनी जीविका के लिए वन और वन भूमि पर निर्भर हैं, इन लोगों को अधिकारों से वंचित किया जाएगा। समिति ने महसूस किया कि निर्धारित अंतिम तारीख इस विधेयक की भावनाओं और उद्देश्यों के विरुद्ध जाएगी क्योंकि इसका उद्देश्य वन में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों और वन में रहने वाले अन्य लोगों के साथ सदियों से हो रहे अन्याय को समाप्त करना है। उक्त समस्याओं के समाधान के लिए समिति ने अंतिम तिथि को बदलकर 13 दिसम्बर, 2005 करने का निर्णय किया है जो कि विधेयक के लोक सभा में पुर:स्थापित किए जाने की तिथि है। अत: इसे तद्नुसार खंड 4 (2) में संशोधन किया गया है और इसे 4(3) के रूप में पुनर्संख्यांकित किया गया है।

खंड 4(4) मूल खंड 4(3)

41. समिति ने महसूस किया है कि मूल खंड 4(3) का विस्तार किया जाए ताकि मूल खंड 4(5) (दो) में उल्लिखित प्रावधानों को इसमें शामिल किया जा सके। यह भी शामिल किया जाए कि, "प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी के अभाव में आनुवांशिक

अधिकार परिजन को अंतरित होगा'' ताकि इसे स्पष्ट और व्यापक बनाया जा सके। तद्नुसार खण्ड 4(3) में संशोधन किया गया है और खंड 4(4) के रूप में पुनर्संख्यांकित किया गया है। खंड 4(5) (दो) का तद्नुसार विलय कर दिया गया है।

खंड 4(5) [मूल खंड 4(4)]

42. इस खंड पर विचार करते हुए समिति का मत है कि वन भूमि के लिए वनों में रहने वाले अपात्र तब तक बेदखल नहीं किए जाएंगे जब तक कि मान्यता और सत्यापन प्रक्रिया विहित रूप से पूरी नहीं की जाती है। तद्नुसार 'जैसा अन्यथा उपबंधित है' शब्दों का विलोपन नहीं हो जाता है और खंड का संशोधन तथा खंड 4(5) को पुनर्संख्यांकित नहीं कर दिया जाता है।

खंड 4(6) [मूल खंड 4(5) (एक)]

43. इस खंड पर विचार करते हुए समिति ने महसूस किया कि 2.5 हैक्टेयर भूमि की अधिकतम सीमा नहीं होनी चाहिए जैसाकि इस खंड में किया गया है। समिति महसूस करती है कि यह अधिकतम सीमा औचित्यपूर्ण नहीं है, क्योंकि अधिकतम सीमा से यह माना जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति व्यष्टिक स्थापित खेती कर रहा है जबकि जनजातीय क्षेत्र में भूमि उपयोग प्रणाली में व्यापक विविधता है। इसके अतिरिक्त अधिकतम सीमा में भूमि की गुणवत्ता और उत्पादकता को ध्यान में नहीं रखा जाता है। समिति यह भी नोट करती है कि विधेयक में भूमि के वितरण का उपबंध नहीं है अपितु इसमें केवल 'जहां है जैसा' के आधार पर अधिकारों को मान्यता देने का उपबंध है। यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि वन में रहने वालों के अधिकारों को नियमित करने में कितनी वन्य भूमि अंतर्ग्रस्त है यह ठीक-ठीक बता पाने के लिए सरकार के पास उपयुक्त प्राक्कलन नहीं है। तद्नुरूप पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा उपलब्ध की गई जानकारी के अनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार अतिक्रमण में कुल भूमि, 1980 से पूर्व और 1980 के पश्चात् अर्ह सहित 1.343 एमएचए है जो कि देश में अभिलिखित 77.47 एमएचए भूमि का मात्र 1.73 प्रतिशत है। इसके मद्देनजर समित ने महसूस किया कि 2.5 हैक्टेयर की अधिकतम सीमा हटा दी जाए और इससे किसी व्यक्ति या परिवार या समुदाय के अधिकार में वास्तविक अधिभोग तक सीमित किया जाए तथा ''वन में रहने वाली अनुसूचित जातियों के प्रति एकांगी कुटुम्ब'' शब्दों का लोप किया जाए। तद्नुरूप खंड 4(5) (i) में संशोधन किया गया है और 4(6) के रूप में पुनर्संख्यांकित किया गया है।

खंड 4(7) [मूल खंड 4(6) और 4(6) (i)]

44. समिति ने बिना किसी उपांतर के खंड 4(6) के साथ उपखंड 4(6)(i) का विलय करने का निर्णय लिया है। तद्नुरूप खंड 4(6) में संशोधन किया गया है तथा उसे खंड 4(7) के रूप में पुनर्संख्यांकित किया गया है।

खंड 4(6)(ii) (मूल खंड)

45. समिति ने महसूस किया कि आसपास के वन के संरक्षा और संरक्षण, पुनर्जनन के संबंध में वन में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों को प्रदत्त उत्तरदायित्व और प्राधिकार का लोप किया जाए। तद्नुरूप 4(6)(ii) का लोप कर दिया गया है।

मूल खंड 4(7)

46. समिति महसूस करती है कि चूंकि ग्राम सभा में खंड (7) के अधीन इस अधिनियम के अधीन मान्यताप्राप्त और निहित किसी भी वन अधिकार के संबंध में किसी भी विवाद का निर्णय करने के लिए सभी प्राधिकार निहित करने का निर्णय लिया गया है। विद्यमान खंड 4(7) के परंतुकों को अप्रयोज्य समझा गया है। अतएव, समिति ने मौजूदा खंड 4(7) का लोप करने का निर्णय लिया। तद्नुरूप, मूल खंड 4(7) का लोप कर दिया गया है।

नया खंड 4(8)

47. खंड (3) (ङ) के अंतर्गत अधिकार के दावों के संबंध में समिति का यह मत है कि परम्परागत सीमाएं अथवा उस समुदाय की सीमा के भीतर किसी भी भूमि के उपयोग का निर्णय करने और कृषि परिवर्तन करने का आंशिक एवं पूर्ण अधिकार उस समुदाय का होगा। तद्नुरूप एक नया खंड 4(8) का उपबंध किया गया है।

खंड 4(9) [मूल खंड 4(8)]

48. इस खंड पर विचार करते हुए समिति ने महसूस किया है कि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत प्रदत्त वन अधिकार प्रक्रिया संबंधी आवश्यकताओं जैसे विल्लंगमों से मुक्त होंगे, जिसके अंतर्गत वन भूमि के विचलन के लिए वर्तमान शुद्ध मूल्य और प्रतिकारात्मक वन रोपण भी सम्मिलित है "इस वर्तमान अधिनियम में विनिर्दिष्ट है, को छोड़कर" जोड़ा जाए। तद्नुरूप मूल खंड 4(8) में संशोधन किया गया है और इसे खंड 4(9) के रूप में पुनर्संख्यांकित किया गया है।

नया खंड 4(10)

49. समिति ने महसूस किया कि नया खंड 4(10) जोड़े जाने की आवश्यकता है जिससे कि वन अधिकारों में वनों में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों और पारंपरिक रूप से वनों में रहने वाले अन्य निवासियों को भूमि का अधिकार सम्मिलित किया जा सके जो यह साबित कर सकें कि राज्य के विकासात्मक हस्तक्षेप के कारण उन्हें भूमि मुआवजे के बिना अपने आवास और कृषि स्थान से हटना पड़ा था और जहां इस भूमि को जिस प्रयोजन के लिए अर्जित किया गया था, पांच वर्ष की अवधि के अंदर उसके लिए उपयोग नहीं किया गया है। तद्नुरूप नया उपखंड 4(10) जोड़ा गया है।

खंड 5

50. इस खंड पर विचार करते हुए समिति ने नोट किया कि खंड के उपबंधों में वन, वन्य जीव, जैव विविधता इत्यादि की संरक्षा और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 तथा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 इत्यादि के उपबंधों के हनन के किसी भी कार्यकलाप को रोकने के लिए वन अधिकारों के धारकों को इस खंड के उपबंधों द्वारा कतिपय उपबंध द्वारा कतिपय उत्तरदायित्व दिये गये थे। तथापि समिति ने महसूस किया है कि ये कर्तव्य ग्राम सभा और ग्राम स्तरीय संस्थाओं को सौंपे जाने चाहिए और सरकार का यह भी कर्तव्य होना चाहिए कि वह वन में रहने वालों के अधिकारों की संरक्षा करें और उनको शोषण से बचाए और विस्थापन की स्थिति में पर्याप्त मुआवजा दे। समिति ने यह भी निर्णय किया है कि जहां संविधान की अनुसूची छह प्रवृत्त है भूमि अर्जन के संबंध में इस अधिनियम पर अधिभावी होंगे। समिति ने यह भी महसूस किया कि वन में रहने वालों को सभी प्रकार के अन्वेषण, दोहन और प्राकृतिक संसाधनों से मिलने वाले लाभों से वंचित नहीं करना चाहिए और इस तरह के क्रियाकलापों के कारण होने वाले नुकसान के लिए सरकार से पर्याप्त मुआवजा मिलना चाहिए। इसके मद्देनजर समिति ने निर्णय लिया है कि विद्यमान खंड 5(ख) के स्थान पर इस संबंध में उपयुक्त उपबंध प्रतिस्थापित किए जाने चाहिए। तद्नुरूप खंड 5(1) और 5(क) से (छ) और 5(2)(3) और (4) और (5) जोड़े गए हैं।

खंड 6

51. समिति ने महसूस किया है कि ग्राम सभा को अधिकार के अवधारण और मान्यता हेतु प्राथमिक प्राधिकारी बनाया जाना चाहिए क्योंकि यह पूरी तरह से सार्वजनिक लोक और खुला मंच है जहां किसी भी निर्णय को खुलेआम किया जाता है और जिनको चुनौती दी जा सकती है। ऐसे मंच पर भ्रष्टाचार की गुंजाइश कम होती है। ग्राम सभा ऐसे लोगों को एक साथ लाती है जिन्हें वास्तविक स्थिति का सर्वाधिक ज्ञान होता है। ग्राम सभा के निर्णय से व्यथित किसी भी अधिकार धारक को ग्राम सभा के संकल्प की तारीख से 60 दिन के भीतर उपखंड स्तर की समिति को आवेदन करना

चाहिए। उपखंड स्तर की समिति 60 दिन के भीतर ऐसी अर्जी पर ग्राम सभा को परामर्शक प्रकृति की सिफारिश करेगी। ग्राम सभा उपखंड स्तर की समिति की सिफारिश पर विचार करेगी तथा 90 दिन के भीतर उस पर निर्णय लेगी। ग्राम सभा के निर्णय से व्यथित संभावित अधिकारधारी उपखंड स्तर की समिति की सिफारिश के आधार पर ग्राम सभा के निर्णय से 60 दिन के भीतर जिला स्तर की समिति को अपील कर सकता है। जिला स्तर की समिति अर्जी पर विचार करेगी तथा व्यथित व्यक्ति को सुने जाने का अवसर देने की सुरक्षा के साथ याचिका का निपटान करेगी। उपखंड स्तर की समिति तथा जिला स्तर की समिति तथा राज्य स्तर की मॉनीटरिंग समिति में कम से कम आधे सदस्य वनवासी अनुसूचित जनजातियों से होंगे, जिसके लिए समितियों में निर्वाचित प्रतिनिधियों तथा शोषित समुदायों का उपबंध होगा तथा गैर सरकारी सदस्यों में से एक-तिहाई सदस्य महिलाएं होंगी। इन समितियों की अध्यक्षता राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा की जाएगी।

52. समिति महसूस करती है कि इन समितियों द्वारा किए जाने वाले कृत्यों तथा अनुपालन किए जाने वाली पद्धतियों को अधिनियम में विनिर्दिष्ट किया जाएगा तथा केवल विहित किए जाने वाले नियमों पर ही नहीं छोड़ा जाएगा। समिति ने यह भी महसूस किया है कि साझे परंपरागत वन क्षेत्र की सभाओं को परिभाषित करने अथवा दो अथवा अधिक ग्राम सभाओं के बीच विवादों यदि कोई हो तो, को सुलझाने तथा एक विनिर्दिष्ट समयावधि के भीतर ऐसे विवादों को सुलझाने में उपखंड स्तर की समिति की भूमिका के लिए भी उपबंध किए जाने चाहिए। इस अधिनियम के अंतर्गत किसी अधिकार के दावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में स्वीकार किए जा सकने वाले विस्तृत मानदंडों को भी उपबंधों में विनिर्दिष्ट किया जाना चाहिए ताकि इस संबंध में किसी भी अस्पष्टता अथवा गलत निर्वचन से बचा जा सके। तदनुसार खंड 6(1) से (9) के स्थान पर खंड 6(1) से (12) के अंतर्गत नए उपबंध प्रतिस्थापित किए गए हैं।

खंड 7 (मूल)

53. समिति ने नोट किया है कि विधान का उद्देश्य वनवासियों के साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय को समाप्त करने के लिए उनके व्यापक पारंपरिक अधिकारों को मान्यता प्रदान करना है। अत: इस अधिनियम के किसी उपबंध के उल्लंघन के लिए अर्थदंड और वन अधिकारों के निलंबन के दांडिक उपबंधों को समिति द्वारा अत्यंत कठोर और अनुपयुक्त माना गया है। समिति ने महसूस किया है कि ऐसे दांडिक उपबंध तथाकथित उल्लंघन के लिए वनवासियों पर कार्यवाही करने के लिए प्राधिकारियों को समर्थ बनाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें परिहार्य परेशानियां होती हैं। अत: समिति ने निर्णय लिया है कि इन उपबंधों का लोप किया जाए। तदनुसार, खंड 7 का लोप किया गया है।

नया खंड 7

54. समिति ने महसूस किया है कि ग्राम सभा किसी भी समय इस अधिनियम के अधीन ग्राम सभा के अधिकार क्षेत्र में आने वाले मामलों पर विचार करने के लिए महिलाओं के प्रतिनिधित्व के साथ केवल ग्राम सभा के सदस्यों से ही मिल कर बनी एक या उससे अधिक समितियां अथवा अन्य संस्थाएं गठित कर सकती है तथा ग्राम सभा को कोई कार्यवाही करने की सिफारिश कर सकती है बशर्ते कि ऐसी समितियों अथवा संस्थाओं की शक्तियां पूर्णत: परामर्शी प्रकृति की हों। तदनुसार विद्यमान खंड 6 के पश्चात् एक परंतुक के साथ नए खंड 7 का उपबंध किया गया है।

नया खंड 8

55. समिति ने नोट किया है कि पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा 1990 में जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार "राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ऐसे व्यक्तियों को वैकल्पिक आर्थिक आधार" उपलब्ध कराएंगे जिनका व्यवसाय नियमितीकरण के लिए अपात्र पाया गया है। गरीबों के लिए जीविका सुनिश्चित करने के लिए सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि लोगों के विस्थापन को रोका जाए। तथापि, अंतिम तारीख और प्रक्रिया की विफलता के कारण अनेक गैर-अनुसूचित जनजाति के वनाश्रित लोगों को विधि के अधीन अपात्र घोषित किया जा सकता है।

समिति ने महसूस किया है कि ऐसे सभी लोगों की पहचान ऐसे लोगों में से की जाए जिन्होंने व्यवसायिक उद्देश्यों के लिए अथवा आदिवासी भूमि पर कब्जा करके वनों में प्रवेश किया है तथा ऐसे सभी व्यक्तियों को वनों के आसपास वन-रोपण अथवा अन्य वन आधारित क्रियाकलापों में रोजगार तथा वन संसाधनों तक पहुंच के माध्यम से उसी स्थान पर पुनर्वास के लिए विचार किया जाए। अत: समिति ने महसूस किया है कि विधेयक में इस संबंध में एक उपबंध किया जाए। तदनुसार, नया खंड 7 के पश्चात एक नया खंड 8 अंत:स्थापित किया गया है।

मूल खंड 8, 9, 10, 11 और 12 को खंड 9, 10, 11, 12 और 13 के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जाना

नया खंड 14 (मूल खंड 13)

56. समिति ने यह महसूस किया है कि इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले निदेश इस विधि के उपबंधों से संगत होंगे तथा उनके परिणामस्वरूप इस अधिनियम के अधीन मान्यताप्राप्त किसी भी अधिकार को कम अथवा निराकृत नहीं किया जाएगा। अत: समिति ने उपयुक्त उपबंध बनाने का निर्णय लिया है। तदनुसार खंड 14 के अधीन परंतुक जोड़ा गया है।

खंड 15 (मूल खंड 14)

57. समिति ने महसूस किया है कि यह आवश्यक है कि यदि इस अधिनियम के उपबंधों का तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों अथवा किसी न्यायालय द्वारा जारी किसी डिक्री, विनिर्णय, पंचाट अथवा आदेश पर अध्यारोही प्रभाव होना चाहिए अथवा इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन के मामले में, इस अधिनियम के उपबंध अभिभावी होंगे। तदनुसार, मूल खंड 14 में संशोधन किया गया है तथा उसे खंड 15 के रूप में पुनर्संख्यांकित किया गया है।

खंड 16 (मूल खंड 15)

58. इस खंड पर विचार करते समय, समिति ने इस बात को ध्यान में रखा है कि इस खंड के अधीन बनाए जाने वाले नियम पूर्व प्रकाशनों के अध्यधीन हों ताकि राजपत्र में उनके अंतिम रूप से प्रकाशन से पूर्व इसमें रूचि लेने वाले तथा प्रभावित पक्षों की राय को जाना जा सके। समिति की यह राय भी है कि वह रीति, जिससे धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन वन अधिकारों का प्रयोग किया जाना है तथा उसके लिए पद्धति तथा धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन वन अधिकारों की मान्यता और सत्यापन की रीति का अवधारण करने के लिए नियमों के निर्धारण से संबंधित मामलों का लोप किया जाना चाहिए। विधेयक में समर्थकारी उपबंधों की तर्ज पर खंड 16 का मसौदा पुन: तैयार किया गया है, तदनुसार खंड 16 का संशोधन किया गया है।

59. समिति ने यह निर्णय भी लिया है कि विधेयक पूरे नाम, उद्देशियका तथा नाम में उपयुक्त रीति से पारिणामिक संशोधन किए जाएं। तदनुसार, आवश्यक संशोधन किए गए हैं।

सामान्य सिफारिश

संविधान की नौवीं अनुसूची में इसके अधिनियम के पश्चात विधेयक को सही स्थान पर रखना

60. समिति ने यह नोट किया है कि यह विधेयक हमारे समाज के कुछ सबसे कमजोर और सर्वाधिक सीमांत समुदायों और विशेषकर अनुसूचित जनजातियों के एक बड़े भाग के प्रति सदियों से हो रहे अन्याय को दूर करने का तात्कालिक उपाय है। समिति ने यह भी नोट किया है कि पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के आलोक में न्यायालयों ने बहुत सारे आदेश जारी किए हैं जिसमें भू उपाधि के विनियमन पर रोक और अधिकारों की मान्यताप्राप्ति की प्रक्रिया को पूरी होने से रोकना शामिल है। ऐसे समय में मुकदमेबाजी के आधार पर और अधिक विलंब करना अनुसूचित जनजातियों और परंपरागत ढंग से वनों में रहने वाले अन्य लोगों के साथ और अधिक अन्याय करने जैसा होगा और इससे और ज्यादा

पलायन बढ़ेगा। चूंकि इस कानून का आशय संविधान के अनुच्छेद 39(क), 39(ख) और 46 में वर्णित निदेशक सिद्धांतों के अन्तर्गत संवैधानिक आदेश और अनुच्छेद 48क के अंतर्गत राज्यों के आदेश को पूरा करना है अतएव इसे अनुच्छेद 31ख में उपलब्ध संरक्षण मिलना चाहिए। अत: समिति पुरजोर सिफारिश करती है कि इस विधेयक के अधिनियमन के पश्चात इसे संविधान की नौवीं अनुसूची में रखा जाए जिससे कि इस विधि के उपबंधों का सुचारू और त्वरित क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।

वन उत्पाद मूल्य आयोग का गठन करना

61. समिति यह भी सिफारिश करती है कि इस अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए अभिहित सरकारी या नोडल एजेंसी सभी वन उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने और वन में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक रूप से वन में रहने वालों को बिचौलियों और व्यापारियों से बचाने के लिए एक वन उत्पाद मूल्य आयोग का गठन करें।

पुनर्वास पैकेज

62. समिति यह जानकर चिंतित है कि इस अधिनियम के अधीन गैर-अनुसूचित क्षेत्रों में स्थित वन भूमि अभी भी सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण के लिए खुली हुई हैं। या तो संवैधानिक संशोधन के जरिए ऐसे सभी गैर-अनुसूचित क्षेत्रों को भी अधिग्रहण से छूट के लिए कोई आवरण दिया जाना चाहिए अथवा कम से कम भविष्य में ऐसे अधिग्रहण के प्रस्तावों अथवा राज्य द्वारा ऐसे अधिकारों में कटौती के लिए निम्नलिखित सिद्धान्तों को अपनाया जाना चाहिए:—

(एक) वृहत्त परियोजनाओं के प्रस्तावों जिसमें वन अधिकारों का अधिग्रहण शामिल है, का परियोजना की वांछनीयता और औचित्य के लिहाज से समग्र आकलन किया जाना चाहिए। ऐसी परियोजनाओं के सामाजिक आकलन की प्रक्रिया को भी बाध्यकारी बनाया जाना चाहिए जिसमें संभावित 'सार्वजनिक उद्देश्यों' की जांच और परीक्षण भी शामिल हों। किसी अन्य विकल्प के जरिए जिससे कि इस अधिनियम के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त अधिकारों में कमी अथवा कटौती न हो, की भी तलाश की जानी चाहिए।

(दो) क्षतिपूर्ति का निर्धारण करते समय चालू बाजार दरों पर प्रतिस्थापन मूल्य के साथ कम से कम पैंतीस प्रतिशत पोषण का मूल सिद्धांत अनिवार्यत: अपनाया जाना चाहिए। अन्य वन अधिकारों की कमी के लिए क्षतिपूर्ति का निर्धारण करते समय भी संबंधित सिद्धांतों को अपनाया जाना चाहिए। सुचारू और प्रभावी पुनर्वास के लिए भौगोलिक निरंतरता, सांस्कृतिक साम्यता और त्वरित स्वीकार्यता का सिद्धांत भी पुनर्वास इकाईयों और स्थलों का चुनाव और योजना बनाते हुए ध्यान में रखना चाहिए। लघुतर वन उत्पादों का संकलन, साझा संपत्ति संसाधन जैसे वन अधिकारों में कटौती नहीं की जानी चाहिए बल्कि इन्हें प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए। जीविका की हानि, अवसरों की हानि और सामान्य सुविधाएं जैसे जल निकास तक पहुंच अथवा सड़क अथवा पशुओं इत्यादि के लिए नांद आदि की क्षतिपूर्ति की जानी चाहिए। अभी घर अथवा आवास का अर्जन किया गया है तो परियोजना प्रभावित व्यक्तियों द्वारा पूर्व स्वीकृत बेहतर आवास उपलब्ध कराया जाना चाहिए। अगर वृहद परियोजनाओं के लिए वन अधिकारों का अर्जन किया गया है तो प्रत्येक अधिकार छीने गये व्यक्ति के परिवार को काम मिलने का पूर्व कानूनी समझौता भूमि के 15 प्रतिशत के बराबर फ्री शेयर की सुविधा या अन्य हकदारियां जो वांछित हैं, मिलनी चाहिए। अधिकार धारकों के बीच में से पर्याप्त प्रशिक्षित व्यक्तियों की उपलब्धता अधिकारों में कटौती की पूर्व शर्त होनी चाहिए। इसका अर्थ यह है कि प्रस्तावक द्वारा प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध करायी जानी चाहिए लेकिन केवल उन्हें जो प्रथम चरण में ही इसे स्वेच्छया स्वीकार करें। सिंचाई परियोजनाओं के मामले में क्षतिपूर्ति की पूर्व शर्त नवसिंचित भूमि की समान मात्रा में उपलब्धता होनी चाहिए। जहां तक भूमि का

संबंध है, अधिकार धारकों द्वारा अनुमोदित जगह पर भूमि के बदले भूमि मिलनी चाहिए। समुदायों विशेषकर अनुसूचित जातियों को एक संपूर्ण एकक के रूप में पुनर्वास के लिए आश्वस्त किया जाना चाहिए न कि पुनर्वास प्रक्रिया के दौरान उन्हें टुकड़ों में बांट दिया जाना चाहिए। कतिपय परियोजनाओं जैसे विद्युत अथवा सिंचाई के लिए जल परियोजनाओं से मिलने वाला विशिष्ट लाभ उन अधिकार धारकों को निःशुल्क उपलब्ध कराया जाना चाहिए जिनके अधिकारों में ऐसी परियोजनाओं के लिए कटौती की गयी है। अगर ऐसी शर्तों को पूर्व में भी अनुमोदित करके कानून आश्वस्त कर दिया जाए और अगर इन्हें वास्तविक पुनर्वास के कम से कम दो वर्ष पूर्व ही उपलब्ध करा दिया जाए, तभी किसी प्रकार के वन अधिकारों में कटौती पर विचार किया जाए।

(तीन) जहां लोग स्थानान्तरण के लिए तैयार नहीं हों, वहां यह अवश्य मान लेना चाहिए कि या तो दिए जाने वाले पैकेज में अथवा कार्यान्वयन की प्रक्रिया में या समुदायों तक पहुंच में कमी है।

(चार) पहला नीतिगत विकल्प यह होना चाहिए कि वनों में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों तथा परंपरा से रहने वाले वन-वासियों को विस्थापन और उन्हें उनकी भूमि और आजीविका से वंचित होने से बचाया जाए। अगली प्राथमिकता ऐसी प्रौद्योगिकी और परियोजना जिसमें ज्यादा विस्थापन विकल्प की अपेक्षा न्यूनतम विस्थापन हो, को ही स्वीकृति मिलनी चाहिए चाहे इनकी लागत ज्यादा हो और लाभ कम।

(पांच) वनों में रहने वाली सभी अनुसूचित जनजातियों तथा परम्परा से रहने वाले वन-वासियों को आई एल ओ 107 सम्मेलन और पूर्व सूचना सहमति की नीति के कठोर अनुपालन के अनुसार ही पुनर्वासित किया जाना चाहिए।

संयुक्त समिति यह सिफारिश करती है कि विधेयक यथासंशोधित पारित किया जाए।

वी॰ किशोर चन्द्र एस॰ देव,
सभापति,
अनुसूचित जनजाति
(वन अधिकारों की मान्यता) विधेयक, 2005
संबंधी संयुक्त समिति।

नई दिल्ली
19 मई, 2006
29 वैशाख, 1928 (शक)

11. समिति का प्रतिवेदन बजट सत्र, 2006 के दूसरे सप्ताह के अंतिम दिन तक प्रस्तुत किया जाना था। चूंकि समिति को साक्ष्य लेने तथा विधेयक पर विचार करने का कार्य पूरा करना था, अत: समिति ने निर्णय किया कि प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए सभा से समय बढ़ाने हेतु अनुरोध किया जाए। समिति को प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए बजट सत्र, 2006 के अंतिम दिन तक का समय दिया गया। समिति ने इच्छा व्यक्त की कि वह विधेयक के विभिन्न खंडों पर विभिन्न संगठनों, संस्थाओं के प्रतिनिधियों एवं आम जनता के विचार जानने के लिए देश के विभिन्न स्थानों का तत्स्थानिक अध्ययन दौरा करेगी। तथापि समयाभाव के कारण समिति तत्स्थानिक अध्ययन दौरा नहीं कर सकी।

12. 13 दिसम्बर, 2005 को लोक सभा में यथा पुर:स्थापित विधेयक संलग्न है *(परिशिष्ट तीन)*।

13. समिति को इस विधेयक के विभिन्न उपबंधों पर विभिन्न संस्थाओं/संगठनों/गैर-सरकारी संगठनों/विशेषज्ञों एवं व्यक्तियों आदि से टिप्पणियों/सुझावों सहित कुल 109 ज्ञापन प्राप्त हुए *(परिशिष्ट चार)*।

14. समिति ने दिनांक 3.3.2006, 9.3.2006, 10.3.2006, 23.3.2006, 24.3.2006, 17.4.2006, 18.4.2006 और 19.4.2006 को हुई अपनी बैठकों में विभिन्न संगठनों/संस्थाओं/गैर-सरकारी संगठनों/विशेषज्ञों/व्यक्तियों आदि के मौखिक साक्ष्य लिए। जिन संगठनों/संस्थाओं/गैर-सरकारी संगठनों आदि ने समिति के समक्ष मौखिक साक्ष्य दिए उनकी सूची संलग्न है *(परिशिष्ट पांच)*।

15. समिति ने 8 और 9 मई, 2006 को हुई अपनी बैठकों में समिति के सदस्यों द्वारा सुझाए गए संशोधनों के आधार पर विधेयक के उपबंधों पर खंडवार विचार किया।

16. समिति ने 19.5.2006 को हुई अपनी बैठक में समिति ने अपने प्रारूप प्रतिवेदन पर विचार किया तथा उसे स्वीकार किया और समिति की ओर से सभापति को प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया। समिति ने यह भी निश्चय किया कि (एक) समिति के समक्ष दिए गए साक्ष्य को संसद की दोनों सभाओं के पटल पर रखा जाए (दो) विभिन्न स्रोतों से प्राप्त ज्ञापनों की दो-दो प्रतियां, प्रतिवेदन के संसद में प्रस्तुत कर दिए जाने के पश्चात्, संसद सदस्यों के संदर्भ के लिए संसदीय ग्रंथालय में रखी जाएं।

17. विधेयक में प्रस्तावित मुख्य परिवर्तनों के संबंध में समिति की टिप्पणियां अनुवर्ती पैराओं में दी गई हैं।

खंड 2 (क) (परिभाषाएं)

18. खंड 2 (क) पर विचार करते हुए, समिति ने महसूस किया कि इस अधिनियम के अधीन मान्य और निहित किसी भी वन अधिकार से संबंधित किसी विवाद के बारे में निर्णय लेने की प्राधिकारी ग्राम सभा होगी, न कि कोई अन्य प्राधिकरण। तदनुसार समिति ने अध्याय चार के तहत ग्राम सभा की शक्तियों और कार्यों को पुन: परिभाषित किया और खंड 4 (7) को लोप करने का निर्णय भी लिया। परिणामस्वरूप, समिति ने महसूस किया कि खंड 4 (7) के लोप के बाद सक्षम प्राधिकारी की परिभाषा की कोई आवश्यकता नहीं है। अत: समिति खंड 2 (क) का लोप करने की सिफारिश करती है।

खंड 2 (क) — (सामुदायिक वन संसाधन की परिभाषा के संबंध में नया उपबंध)

19. समिति नोट करती है कि 3 (ञ) में प्रयुक्त "सामुदायिक वन संसाधन" पद को विधेयक में या संसद के किसी अन्य अधिनियम में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। समिति महसूस करती है कि ऐसे अधिकारों के संबंध में किसी अस्पष्टता से बचने के लिए उन संपूर्ण संसाधनों के स्पेक्ट्रम के लिए मानदंड को परिभाषित करना आवश्यक है जो सामुदायिक वन संसाधनों की परिभाषा के अंतर्गत आएंगे। अत: समिति ने निर्णय लिया कि 'सामुदायिक वन संसाधन' के संबंध में एक नई परिभाषा जोड़ी जाए। तद्नुसार खंड 2 (क) के अधीन एक नई परिभाषा जोड़ी गई है।

खंड 2 (ख)—('मुख्य क्षेत्र' के स्थान पर 'संकटग्रस्त वन्य जीव आवास' की नई परिभाषा)

20. समिति महसूस करती है कि "मुख्य क्षेत्र" शब्दों का वर्तमान में वन और पर्यावरण मंत्रालय द्वारा बिना किसी सांविधिक आधार के प्रबंधन की एक संकल्पना के तौर पर उपयोग किया जा रहा है। समिति महसूस करती है कि किसी क्षेत्र को "मुख्य क्षेत्र" के तौर पर घोषित करने की प्रक्रिया में स्थल सापेक्ष खुली प्रक्रिया की आवश्यकता है जिसमें सभी हितधारकों और बहु विषयक विशेषज्ञों (विशेषकर वैज्ञानिक और पारंपरिक ज्ञानधारक) की सहभागिता हो और जो मुख्यत: स्थानीय सामुदायिक प्रतिनिधियों को शामिल करके लोकतांत्रिक तंत्रों के माध्यम से की जानी चाहिए। समिति यह भी महसूस करती है कि "मुख्य क्षेत्रों" से स्वत: पुनर्स्थापन की व्यवस्था करने के बजाए यह निर्णय लेने के लिए स्पष्ट, प्रभावी और स्वच्छ प्रक्रिया होनी चाहिए कि उचित सुरक्षा प्रदान करने के लिए ऐसा पुनर्स्थापन कब नितांत आवश्यक है और यह कैसे किया जाना है। विधेयक में "मुख्य क्षेत्र" की वर्तमान परिभाषा में इन बातों का ध्यान नहीं रखा गया है। इसलिए समिति ने निर्णय लिया कि खंड 2 (ख) के अधीन मुख्य क्षेत्र की परिभाषा का लोप कर दिया जाए और खंड 2 (ख) के अधीन "संकटग्रस्त वन्य जीव आवास" की एक नई परिभाषा उपबंधित की जाए। तदनुसार संकटग्रस्त वन्य जीव आवास की परिभाषा को खंड 2 (ख) के अधीन जोड़ा गया।

खंड 2 (ग)

21. समिति के समक्ष साक्ष्य के दौरान कई संगठनों के प्रतिनिधियों ने सूचित किया कि वन में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों की बड़ी संख्या न केवल वन में रहती हैं बल्कि वह वन भूमि से लगे क्षेत्र में भी रहती हैं जो मुख्यत: अपनी वास्तविक आजीविका आवश्यकताओं के लिए वन पर आश्रित हैं । तथापि, वन में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों की वर्तमान परिभाषा में अनुसूचित जनजातियों के वे समुदाय शामिल नहीं किए गए हैं जो वन भूमि से सटे क्षेत्रों में रहते हैं । इस प्रकार, उनके अधिकारों को मान्यता देने और अधिकारों को उनमें निहित करने के लिए अपने दावों से वंचित रह जाएंगे जिससे उनकी आजीविका को खतरा उत्पन्न हो जाएगा। समिति महसूस करती है कि 'वन में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों' की परिभाषा को ऐसी अनुसूचित जनजातियों को शामिल करने के लिए व्यापक बनाए जाने की आवश्यकता है जो वन भूमि से सटे क्षेत्र में रहती हैं ताकि आजीविका के उनके अधिकारों और अन्य अधिकारों की रक्षा की जा सके। तदनुसार खंड 2 (ग) की परिभाषा को संशोधित किया गया है।

खंड 2 (घ)

22. समिति ने यह महसूस किया है कि वन भूमि पद अस्पष्ट है और इसे परिभाषा का हिस्सा नहीं होना चाहिए। इसलिए समिति महसूस करती है कि 'किसी वन क्षेत्र के भीतर आने वाली' शब्दों के स्थान पर 'वन के रूप में रिकार्ड या अधिसूचित की गई' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएं। तदनुसार खण्ड में संशोधन किया गया है।

खंड 2 (छ)

23. खंड 2 (छ) पर विचार करते हुए समिति ने महसूस किया है कि पाड़ा, टोला या अन्य पारंपरिक ग्राम संस्थाओं तथा अन्य निर्वाचित ग्राम समितियों, महिलाओं की पूर्ण तथा निर्बाध भागीदारी सहित, को भी परिभाषा में जोड़ा जाए ताकि इसे और स्पष्ट बनाया जा सके। समिति ने यह भी महसूस किया है कि ग्राम सभा से संबंधित व्याख्या को जोड़कर और अधिक वर्गीकृत करने की आवश्यकता है क्योंकि यह पंचायत अनुसूचित क्षेत्र का विस्तार, अधिनियम, 1996 के प्रावधानों में सम्मिलित क्षेत्रों पर भी लागू होती है और इसे अन्य पंचायतों पर भी लागू होना चाहिए। तदनुसार खंड (2) छ: को व्याख्या सहित संशोधित किया गया है।

खंड 2 (झ)

24. लघु वनोत्पाद की परिभाषा पर विचार करते हुए समिति ने यह आवश्यक महसूस किया कि परिभाषा को और अधिक व्यापक बनाने के लिए इसके अंतर्गत स्टोन, स्लेट और बोलडर, मछली, खरपतवार और अन्य सहित जल स्रोतों से प्राप्त अन्य उत्पादों और जलावन को भी शामिल किया जाना चाहिए। तदनुसार खंड 2 (झ) को संशोधित किया गया है।

नया उप खंड 2(ठ) (अन्य पारंपरिक रूप से वन में रहने वालों के संबंध में नई परिभाषा)

25. समिति नोट करती है कि विधेयक के उपबंधों में केवल वन में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों को मान्यता देने और उनमें निहित करना आशयित है। तथापि, समिति को साक्ष्य के दौरान सूचित किया गया कि अनुसूचित जनजातियों के अलावा बड़ी संख्या में अन्य लोग भी पीढ़ी दर पीढ़ी पारंपरिक रूप से वन में अथवा वन या वन भूमि के समीप रहते आ रहे हैं और अपनी वास्तविक आजीविका के लिए मुख्यत: वन संसाधन या वन भूमि पर निर्भर करते हैं। इन लोगों ने भी सदियों से अन्याय झेला है क्योंकि ये प्राचीन काल से वन भूमि पर रहे हैं। उनके अधिकारों को मान्यता नहीं दिए जाने पर न केवल उनकी आजीविका खतरे में पड़ जाएगी बल्कि उन्हें वन से बेदखल होना पड़ेगा। समिति यह भी नोट करती है कि इन लोगों ने भी वन में अनुसूचित जनजातियों के साथ सौहार्दपूर्ण जीवन गुजारा है। समिति यह भी नोट करती है कि कई मामलों में गैर-अनुसूचित जनजाति वर्ग के वनों में रहने वालों को सरकार द्वारा अधिक खाद्य पदार्थ का उत्पादन करने जैसी नीति को बढ़ावा देने के लिए या विकास परियोजनाओं द्वारा हुई विस्थापना के कारण पुनर्वास द्वारा वन भूमि पर बसाया गया है। समिति यह भी महसूस करती है कि अनुसूचित जनजातियों और गैर-अनुसूचित जनजातियों का वर्गीकरण स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ही किया गया है। चूंकि इस विधेयक का प्रयोजन सदियों से हुए अन्याय को मिटाना है, इसलिए वन में रह रहे गैर-अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों के अधिकारों को भी मान्यता दी जानी चाहिए और उनमें अधिकार निहित किए जाने चाहिए।

अत: समिति ने 'अन्य पारंपरिक वनवासियों' को विशिष्ट शर्तों के अधीन शामिल करने के लिए विधेयक में एक नई परिभाषा शामिल करने का निर्णय किया है। तदनुरूप उप खंड (ज) के अधीन विद्यमान खंड 2(1) के स्थान पर नई परिभाषा अंतर्स्थापित की गई है और इसके परिणामस्वरूप होने वाले परिवर्तनों को विधेयक के सभी संबंधित खंडों में शामिल कर दिया गया है।

विद्यमान खंड 2 (ण) (एक), (दो), (तीन) और (चार) 2 (त) (एक), (दो) और (तीन) के रूप में पुनर्संख्यांकित

26. इस खंड पर विचार करते हुए, समिति ने पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार) अधिनियम, 1996 की धारा 4 के खण्ड (ख) में दी गई ग्राम की परिभाषा इस अधिनियम के उद्देश्यों के लिए गैर-अधिसूचित क्षेत्रों पर भी लागू होगी, को और स्पष्ट करने के लिए "प्रश्न के अंतर्गत क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र है या नहीं इसको दृष्टिगत किए बिना" शब्द जोड़ने और मूल खण्ड 2(ण), (दो) को लोप करने की आवश्यकता है। तदनुसार पुन: संख्यांकित खण्ड 2(ट) का संशोधन किया गया है।

मूल खण्ड 2 (त) का खण्ड 2 (थ) के रूप में पुन: संख्यांकन खण्ड 3 (झ) (मूल खण्ड 3)

27. खण्ड 3 पर विचार करते हुए, समिति ने यह महसूस किया है कि इस संबंध में किसी अस्पष्टता से बचने के लिए अध्याय दो के अंतर्गत दिए जा रहे वन अधिकारों में सभी वन भूमि पर ऐसे अधिकार शामिल होंगे और ऐसे अधिकार अन्य परंपरागत रूप से वनों में रहने वाले लोगों पर भी लागू होने चाहिए। तदनुसार मूल खंड 3 में संशोधन किया गया है और इसे खण्ड 3(1) के रूप में पुन: संख्यांकित किया गया है।

खंड 3 (क)

28. खंड 3(1) के रूप में पुनर्संख्यांकित खंड 3(क) के अंत में "अथवा अन्य परंपरागत वनवासी" शब्द आनुषंगिक बदलाव के रूप में जोड़े गये हैं।

खंड 3(ख)

29. समिति नोट करती है कि खंड 3(ख) निस्तार के रूप में सामुदायिक अधिकार से केवल उन लोगों को, जो तत्कालीन राजाओं के राज्यों, जमींदारी या ऐसे अन्य मध्यवर्ती शासनों में प्रवृत्त थे, प्रतिबंधित करता है। परंतु समिति नोट करती है कि निस्तार अधिकार के स्वरूप एवं सीमा में जमींदारी या ऐसे मध्यवर्ती शासनों के दौरान व्यापक बदलाव आया है। अत: समिति ऐसे सभी सामुदायिक अधिकारों, जो वास्तविक, आजीविका जरूरतों, जो राजाओं के राज्यों, जमींदारी या ऐसे मध्यवर्ती शासनों के दौरान नहीं होती थीं लेकिन वन भूमि में होती हैं; को पूरा करते हैं, को शामिल करने के लिए निस्तार जैसे सामुदायिक अधिकारों के अर्थ का दायरा बढ़ाने की जरूरत महसूस करती है। तद्नुरूप खंड 3(1) (ख) के रूप में पुनर्संख्यांकित खंड 3(ख) में संशोधन किया गया है।

खंड 3(ग)

30. समिति नोट करती है कि इस समय पहुंच के स्वामित्व अधिकार में संग्रहण परिवहन और लघु वनोत्पाद के विक्रय के अधिकार शामिल नहीं हैं। इसके अतिरिक्त इस उपबंध में यह विनिर्दिष्ट नहीं है कि लघु वनोत्पाद में वे शामिल नहीं हो सकते थे जो पारंपरिक रूप से गांव की सीमा के अंदर या बाहर संग्रहित किए जाते रहे हैं। समिति ने महसूस किया है कि इन्हें लघु वनोत्पाद तक पहुंच के स्वामित्व अधिकारों में शामिल किया जाना चाहिए। तद्नुरूप खंड 3 (1) (ग) के रूप में पुनर्संख्यांकित खंड 3(ग) में संशोधन किया गया है।

खंड 3(घ)

31. खंड 3 (घ) पर विचार करते समय समिति ने महसूस किया है कि उपयोग या हकदारी के अन्य सामुदायिक अधिकारों में मछली एवं अन्य जलोत्पादों को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए। इस उपबंध में प्रयुक्त स्थापित और घुमक्कड़ के बीच किसी प्रकार की अस्पष्टता से बचने के लिए समिति ने महसूस किया कि 'और' शब्द के स्थान पर 'या' शब्द प्रतिस्थापित किया जाए। तद्नुरूप खंड 3(1)(घ) के रूप में पुनर्संख्यांकित खंड 3(घ) में संशोधन किया गया है।

खंड 3(1) (ज) [मूल खंड 3 (ज) एवं (झ) को मिलाकर 3 (ज) बनाया गया]

32. खंड 3 (ज) पर विचार करते समय समिति ने महसूस किया है कि इन अधिकारों को और अधिक व्यापक एवं स्पष्ट बनाने के लिए सभी वन ग्रामों, पुराने बसे हुए और असर्वेक्षित ग्रामों, चाहे वे अभिलेखित, अधिसूचित हो या नहीं, को राजस्व ग्राम में सम्मिलित करने हेतु उनके अर्थ के दायरे और अधिक बढ़ाए जाने और स्पष्ट किए जाने की आवश्यकता है। तद्नुरूप खंड 3(ज) में संशोधन किया गया है। खंड 3 (ज) में किए गए संशोधन को देखते हुए समिति ने निर्णय किया कि खंड 3 (झ) अनावश्यक हो गया है अत: इसका लोप कर दिया जाए। तद्नुरूप खंड 3(झ) का लोप कर दिया गया।

खंड 3(1) (झ) [मूल खंड 3(ञ) का 3 (झ) के रूप में पुनर्संख्यांकन]

33. समिति नोट करती है कि वर्तमान उपबंध में समुदाय सामुदायिक वन संसाधनों संबंधी अधिकार में उपयोग का अधिकार और प्राधिकार सम्मिलित नहीं है। समिति ने यह भी महसूस किया है कि वन वासियों के शोषण को रोकने के लिए उनके अधिकारों में अन्य बातों के अतिरिक्त सभी उत्पाद तथा लाभ जैसी इमारती लकड़ी सम्मिलित किए जाने की जरूरत है। खनिज पदार्थों, पर्यावरणीय तथा सांस्कृतिक सेवाएं शामिल होंगी। अत: समिति ने इस खंड में तदनुरूप संशोधन करने का निर्णय किया है। तदनुरूप खंड 3 (ञ) में संशोधन करें और इसे 3(1) (झ) के रूप में पुनर्संख्यांकित किया गया।

खंड 3(1) (ञ) - मूल खंड 3 (ट)

34. समिति ने यह महसूस किया है कि रूढ़िजन्य विधि के निर्वचन में किसी अस्पष्टता को समाप्त करने के लिए "किसी राज्य का कानून" के स्थान पर "किसी राज्य की संबंधित जनजातियों का कानून" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएं। तदनुरूप, मूलखंड 3 (ठ) में संशोधन कर इसे 3 (ट) के रूप में पुनर्संख्यांकित किया गया है।

नया खंड 3 (1) (ठ)

35. समिति यह भी महसूस करती है कि वनवासी समुदायों को शोषणकारी ताकतों के साथ-साथ औषधि-निर्माता कंपनियों जैसी संस्थाओं द्वारा आनुवांशिकीय सामग्री के उपयोग से जुड़े निर्बंधों से बचाया जाना चाहिए। समिति का विचार है कि जैविकीय विविधता अधिनियम, 2002 के अंतर्गत ऐसी सुरक्षा पर्याप्त रूप से प्रदान नहीं की गई है। अत: समिति महसूस करती है कि इस अधिनियम के उपबंधों के माध्यम से भी ऐसी सुरक्षा सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है। अत: समिति ने इस संबंध में उपयुक्त उपबंध शामिल करने का निर्णय किया। तद्नुरूप एक नया खंड 3 (1) (ठ) जोड़ा गया है।

नया खंड 3 (1) (ड)

36. इस खंड पर विचार करते समय समिति ने महसूस किया कि वनवासी समुदायों की आजीविका एवं मर्यादा के लिए विस्थापन सबसे बड़ी चुनौती है। पूरे देश में अधिकारों के निराकरण एवं अधिकांशत: बिना किसी पुनर्वासन व्यवस्था के विस्थापन एवं बेदखली की प्रक्रिया चल रही है। समिति ने महसूस किया कि ऐसे विस्थापित लोगों के अधिकारों को मान्यता देने के लिए इस विधेयक में उपबंध किया जाना चाहिए। समिति महसूस करती है कि इस प्रकार विस्थापित हुए लोगों को स्व-स्थाने पुनर्वास एवं वैकल्पिक भूमि का अधिकार होना चाहिए। अत: समिति ने इस संबंध में उपयुक्त उपबंध सम्मिलित करने का निर्णय लिया। तद्नुसार एक नये खंड 3 (1), (ड) का उपबंध किया गया है।

नया खंड 3 (2)

37. समिति ने महसूस किया है कि किसी अन्य पारंपरिक अधिकार में ऐसे जनजातीय परिवारों के अधिभोगाधीन भूमि अथवा उन्हें वन विभाग द्वारा पट्टे पर दी गई भूमि और बाद में वन विभाग अथवा अन्य अभिकरणों द्वारा वृक्षारोपण अथवा इसी प्रकार के किन्हीं अन्य प्रयोजनों से वापस ली गई भूमि का अधिकार भी शामिल किया जाना चाहिए। समिति ने इसके लिए एक नया उपबंध शामिल करने का निर्णय लिया है। तद्नुसार एक नए खंड 3 (2) का उपबंध किया गया है।

नए खंड 3 (3), 3 (4) एवं 3(5)

38. समिति ने यह भी महसूस किया कि भोजन, फाइबर, शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार और विद्यालयों, अस्पतालों, सड़कों इत्यादि जैसी सुविधाओं के विकास संबंधी आवश्यकताओं हेतु वन भूमि के अंतरण जिसमें वृक्षों को गिराना भी शामिल हो सकता है लेकिन यह प्रति परियोजना 75 वृक्ष से अधिक हो, के लिए उपबंध भी होना चाहिए। समिति ने यह महसूस किया है कि विकास परियोजनाओं के लिए वन भूमि के विपथन की अनुमति केवल तभी दी जानी चाहिए जब प्रत्येक ऐसे मामले में उस प्रयोजनार्थ एक हैक्टेयर से कम भूमि की आवश्यकता हो और विकास परियोजना को स्वीकृति देने हेतु ग्राम सभा ने सिफारिश की है। समिति ने यह भी महसूस किया कि पारंपरिक अधिकार के मामले में महिला मुखिया वाली गृहस्थियों और विधवाओं हेतु विशेष उपबंध सहित अनुसूचित जनजाति की महिला सदस्यों को समान अधिकार होंगे। समिति ने विधेयक में उपयुक्त उपबंध शामिल करने का निर्णय लिया। तद्नुरूप, नए खंडों 3 (3), 3 (4) और 3 (5) का उपबंध किया गया है।

खंड 4 (1) और (2) [मूल खंड 4 (1)]

39. इस खंड पर विचार करते समय समिति ने नोट किया कि उचित क्षतिपूर्ति के साथ पुनर्स्थापित करने के उपबंध के साथ अनंतिम आधार पर अधिकार देने के समर्थन में कोई सुरक्षोपाय नहीं है। समिति नोट करती है कि बाघ परियोजना के संदर्भ में पुनर्स्थापना की प्रक्रिया विगत 30 वर्षों में असंतोषजनक रही है। समिति यह भी नोट करती है कि राज्य सरकारों ने धन के अभाव में उचित पुनर्स्थापना और पुनर्वास करने में कठिनाई व्यक्त की है। 'कोर एरिया' की परिभाषा एक प्रशासनिक मसला है इसलिए समिति ने पहले निर्णय लिया था कि पर्याप्त सुरक्षोपाय अपनाते हुए इसके स्थान पर "क्रिटिकल वाइल्डलाइफ हैबिटैट" की और व्यापक परिभाषा स्थापित की जा सकती है। समिति ने महसूस किया है कि वन्य जीव संरक्षण के लिए अक्षुण्ण क्षेत्रों का सृजन करने के प्रयोजन से इस अधिनियम के अधीन "क्रिटिकल वाइल्डलाइफ हैबिटैट" में मान्य अधिकारों को आशोधित किया जाए तथा वन अधिकार धारकों के अधिकारों और सेटलमेंट को अक्षुण्ण रखते हुए निस्तारित किया जाए। इस प्रकार के आशोधन अधिनियम में यथाविनिर्दिष्ट मान्यता व अधिकारों को प्रदान करने की प्रक्रिया के पूरा होने जैसी शर्तों के अध्यधीन होंगे व सभी अधिकार धारकों की सहमति और क्षेत्र से परिचित निष्पक्ष पारिस्थितिकी तथा सामाजिक वैज्ञानिकों की सलाह से होंगे। अग्रिम पुनर्वास या वैकल्पिक पैकेज तैयार करने में सह-अस्तित्व के विकल्प पर पूर्ण विचार और ऐसे पैकेज के संबंध में ग्राम सभा तथा संबंधित व्यक्ति की सहमति। समिति ने यह भी महसूस किया है कि इस तरह का निपटारा तब तक नहीं होना चाहिए जब तक कि पुनर्वास स्थल पर जिस पैकेज का वायदा किया गया था उसके अनुसार सभी सुविधाएं व भूमि आवंटन उपलब्ध न कराया गया हो। यदि वे पुनर्वास से संतुष्ट नहीं हैं तो उन्हें अपने मूल आवास पर वापस जाने का अधिकार होना चाहिए। समिति ने इस संबंध में इस अधिनियम में उपयुक्त उपबंध शामिल करने का निर्णय लिया है। समिति ने यह भी महसूस किया है कि अध्याय के शीर्षक में भी संशोधन किए जाने की आवश्यकता है और यह इच्छा प्रकट की है कि इसे इस तरह से पढ़ा जाए जैसे "मान्यता, पुनर्वास व वन संबंधी अधिकारों को प्रदान करना तथा संबंधित मामले"। तद्नुसार, मूल खंड को इसके दो परंतुकों के साथ नए खंडों 4(1) (क) व (ख) और 4(2) क से ज के दो परंतुकों सहित प्रतिस्थापित किए गए हैं।

खंड 4(3) [मूल खंड 4(2)]

40. समिति नोट करती है कि अधिकारों को मान्यता देने के लिए विधेयक में अंतिम तिथि अथात् 25 अक्तूबर, 1980 को इस तथ्य के सिवाय कि इसे स्वीकृति दी गई थी, कोई विधिक आधार नहीं है। यह वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की पारित होने की तिथि है। ऐसी अंतिम तिथि ऐसे अनेक लोगों के अधिकार छीन लेगी जिन्होंने इस अवधि के दौरान प्रवास किया, विस्थापित हुए अथवा अपने मूल स्थानों को छोड़कर अन्य स्थानों में बस गए हैं। साथ ही इससे वन में रहने वालों को अपने अधिकारों के दावे सिद्ध करना अत्यंत कठिन होगा। समिति यह भी नोट करती है कि इस अवधि के दौरान 10 लाख हैक्टेयर भूमि खान, उद्योग और विकास संबंधी गैर-वानिकी परियोजनाओं के लिए अंतरित की गई है। विद्यमान निर्धारित अंतिम तारीख से वन में रहने वाले लाखों लोग बेदखल होंगे और अपनी जीविका के लिए वन और वन भूमि पर निर्भर हैं, इन लोगों को अधिकारों से वंचित किया जाएगा। समिति ने महसूस किया कि निर्धारित अंतिम तारीख इस विधेयक की भावनाओं और उद्देश्यों के विरुद्ध जाएगी क्योंकि इसका उद्देश्य वन में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों और वन में रहने वाले अन्य लोगों के साथ सदियों से हो रहे अन्याय को समाप्त करना है। उक्त समस्याओं के समाधान के लिए समिति ने अंतिम तिथि को बदलकर 13 दिसम्बर, 2005 करने का निर्णय किया है जो कि विधेयक के लोक सभा में पुर:स्थापित किए जाने की तिथि है। अत: इसे तद्नुसार खंड 4 (2) में संशोधन किया गया है और इसे 4(3) के रूप में पुनर्संख्यांकित किया गया है।

खंड 4(4) मूल खंड 4(3)

41. समिति ने महसूस किया है कि मूल खंड 4(3) का विस्तार किया जाए ताकि मूल खंड 4(5) (दो) में उल्लिखित प्रावधानों को इसमें शामिल किया जा सके। यह भी शामिल किया जाए कि, "प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी के अभाव में आनुवांशिक

नया खंड 4(8)

47. खंड (3) (ङ) के अंतर्गत अधिकार के दावों के संबंध में समिति का यह मत है कि परम्परागत सीमाएं अथवा उस समुदाय की सीमा के भीतर किसी भी भूमि के उपयोग का निर्णय करने और कृषि परिवर्तन करने का आंशिक एवं पूर्ण अधिकार उस समुदाय का होगा। तद्नुरूप एक नया खंड 4(8) का उपबंध किया गया है।

खंड 4(9) [मूल खंड 4(8)]

48. इस खंड पर विचार करते हुए समिति ने महसूस किया है कि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत प्रदत्त वन अधिकार प्रक्रिया संबंधी आवश्यकताओं जैसे विल्लंगमों से मुक्त होंगे, जिसके अंतर्गत वन भूमि के विचलन के लिए वर्तमान शुद्ध मूल्य और प्रतिकारात्मक वन रोपण भी सम्मिलित है "इस वर्तमान अधिनियम में विनिर्दिष्ट है, को छोड़कर" जोड़ा जाए। तद्नुरूप मूल खंड 4(8) में संशोधन किया गया है और इसे खंड 4(9) के रूप में पुनर्संख्यांकित किया गया है।

नया खंड 4(10)

49. समिति ने महसूस किया कि नया खंड 4(10) जोड़े जाने की आवश्यकता है जिससे कि वन अधिकारों में वनों में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों और पारंपरिक रूप से वनों में रहने वाले अन्य निवासियों को भूमि का अधिकार सम्मिलित किया जा सके जो यह साबित कर सकें कि राज्य के विकासात्मक हस्तक्षेप के कारण उन्हें भूमि मुआवजे के बिना अपने आवास और कृषि स्थान से हटना पड़ा था और जहां इस भूमि को जिस प्रयोजन के लिए अर्जित किया गया था, पांच वर्ष की अवधि के अंदर उसके लिए उपयोग नहीं किया गया है। तद्नुरूप नया उपखंड 4(10) जोड़ा गया है।

खंड 5

50. इस खंड पर विचार करते हुए समिति ने नोट किया कि खंड के उपबंधों में वन, वन्य जीव, जैव विविधता इत्यादि की संरक्षा और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 तथा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 इत्यादि के उपबंधों के हनन के किसी भी कार्यकलाप को रोकने के लिए वन अधिकारों के धारकों को इस खंड के उपबंधों द्वारा कतिपय उपबंध द्वारा कतिपय उत्तरदायित्व दिये गये थे। तथापि समिति ने महसूस किया है कि ये कर्तव्य ग्राम सभा और ग्राम स्तरीय संस्थाओं को सौंपे जाने चाहिए और सरकार का यह भी कर्तव्य होना चाहिए कि वह वन में रहने वालों के अधिकारों की संरक्षा करें और उनको शोषण से बचाए और विस्थापन की स्थिति में पर्याप्त मुआवजा दे। समिति ने यह भी निर्णय किया है कि जहां संविधान की अनुसूची छह प्रवृत्त है भूमि अर्जन के संबंध में इस अधिनियम पर अधिभावी होंगे। समिति ने यह भी महसूस किया कि वन में रहने वालों को सभी प्रकार के अन्वेषण, दोहन और प्राकृतिक संसाधनों से मिलने वाले लाभों से वंचित नहीं करना चाहिए और इस तरह के क्रियाकलापों के कारण होने वाले नुकसान के लिए सरकार से पर्याप्त मुआवजा मिलना चाहिए। इसके मद्देनजर समिति ने निर्णय लिया है कि विद्यमान खंड 5(ख) के स्थान पर इस संबंध में उपयुक्त उपबंध प्रतिस्थापित किए जाने चाहिए। तद्नुरूप खंड 5(1) और 5(क) से (छ) और 5(2)(3) और (4) और (5) जोड़े गए हैं।

खंड 6

51. समिति ने महसूस किया है कि ग्राम सभा को अधिकार के अवधारण और मान्यता हेतु प्राथमिक प्राधिकारी बनाया जाना चाहिए क्योंकि यह पूरी तरह से सार्वजनिक लोक और खुला मंच है जहां किसी भी निर्णय को खुलेआम किया जाता है और जिनको चुनौती दी जा सकती है। ऐसे मंच पर भ्रष्टाचार की गुंजाइश कम होती है। ग्राम सभा ऐसे लोगों को एक साथ लाती है जिन्हें वास्तविक स्थिति का सर्वाधिक ज्ञान होता है। ग्राम सभा के निर्णय से व्यथित किसी भी अधिकार धारक को ग्राम सभा के संकल्प की तारीख से 60 दिन के भीतर उपखंड स्तर की समिति को आवेदन करना

चाहिए। उपखंड स्तर की समिति 60 दिन के भीतर ऐसी अर्जी पर ग्राम सभा को परामर्शक प्रकृति की सिफारिश करेगी। ग्राम सभा उपखंड स्तर की समिति की सिफारिश पर विचार करेगी तथा 90 दिन के भीतर उस पर निर्णय लेगी। ग्राम सभा के निर्णय से व्यथित संभावित अधिकारधारी उपखंड स्तर की समिति की सिफारिश के आधार पर ग्राम सभा के निर्णय से 60 दिन के भीतर जिला स्तर की समिति को अपील कर सकता है। जिला स्तर की समिति अर्जी पर विचार करेगी तथा व्यथित व्यक्ति को सुने जाने का अवसर देने की सुरक्षा के साथ याचिका का निपटान करेगी। उपखंड स्तर की समिति तथा जिला स्तर की समिति तथा राज्य स्तर की मॉनीटरिंग समिति में कम से कम आधे सदस्य वनवासी अनुसूचित जनजातियों से होंगे, जिसके लिए समितियों में निर्वाचित प्रतिनिधियों तथा शोषित समुदायों का उपबंध होगा तथा गैर सरकारी सदस्यों में से एक-तिहाई सदस्य महिलाएं होंगी। इन समितियों की अध्यक्षता राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा की जाएगी।

52. समिति महसूस करती है कि इन समितियों द्वारा किए जाने वाले कृत्यों तथा अनुपालन किए जाने वाली पद्धतियों को अधिनियम में विनिर्दिष्ट किया जाएगा तथा केवल विहित किए जाने वाले नियमों पर ही नहीं छोड़ा जाएगा। समिति ने यह भी महसूस किया है कि साझे परंपरागत वन क्षेत्र की सभाओं को परिभाषित करने अथवा दो अथवा अधिक ग्राम सभाओं के बीच विवादों यदि कोई हो तो, को सुलझाने तथा एक विनिर्दिष्ट समयावधि के भीतर ऐसे विवादों को सुलझाने में उपखंड स्तर की समिति की भूमिका के लिए भी उपबंध किए जाने चाहिए। इस अधिनियम के अंतर्गत किसी अधिकार के दावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में स्वीकार किए जा सकने वाले विस्तृत मानदंडों को भी उपबंधों में विनिर्दिष्ट किया जाना चाहिए ताकि इस संबंध में किसी भी अस्पष्टता अथवा गलत निर्वचन से बचा जा सके। तदनुसार खंड 6(1) से (9) के स्थान पर खंड 6(1) से (12) के अंतर्गत नए उपबंध प्रतिस्थापित किए गए हैं।

खंड 7 (मूल)

53. समिति ने नोट किया है कि विधान का उद्देश्य वनवासियों के साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय को समाप्त करने के लिए उनके व्यापक पारंपरिक अधिकारों को मान्यता प्रदान करना है। अत: इस अधिनियम के किसी उपबंध के उल्लंघन के लिए अर्थदंड और वन अधिकारों के निलंबन के दांडिक उपबंधों को समिति द्वारा अत्यंत कठोर और अनुपयुक्त माना गया है। समिति ने महसूस किया है कि ऐसे दांडिक उपबंध तथाकथित उल्लंघन के लिए वनवासियों पर कार्यवाही करने के लिए प्राधिकारियों को समर्थ बनाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें परिहार्य परेशानियां होती हैं। अत: समिति ने निर्णय लिया है कि इन उपबंधों का लोप किया जाए। तदनुसार, खंड 7 का लोप किया गया है।

नया खंड 7

54. समिति ने महसूस किया है कि ग्राम सभा किसी भी समय इस अधिनियम के अधीन ग्राम सभा के अधिकार क्षेत्र में आने वाले मामलों पर विचार करने के लिए महिलाओं के प्रतिनिधित्व के साथ केवल ग्राम सभा के सदस्यों से ही मिल कर बनी एक या उससे अधिक समितियां अथवा अन्य संस्थाएं गठित कर सकती है तथा ग्राम सभा को कोई कार्यवाही करने की सिफारिश कर सकती है बशर्ते कि ऐसी समितियों अथवा संस्थाओं की शक्तियां पूर्णत: परामर्शी प्रकृति की हों। तदनुसार विद्यमान खंड 6 के पश्चात् एक परंतुक के साथ नए खंड 7 का उपबंध किया गया है।

नया खंड 8

55. समिति ने नोट किया है कि पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा 1990 में जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार "राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ऐसे व्यक्तियों को वैकल्पिक आर्थिक आधार" उपलब्ध कराएंगे जिनका व्यवसाय नियमितीकरण के लिए अपात्र पाया गया है। गरीबों के लिए जीविका सुनिश्चित करने के लिए सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि लोगों के विस्थापन को रोका जाए। तथापि, अंतिम तारीख और प्रक्रिया की विफलता के कारण अनेक गैर-अनुसूचित जनजाति के वनाश्रित लोगों को विधि के अधीन अपात्र घोषित किया जा सकता है।

समिति ने महसूस किया है कि ऐसे सभी लोगों की पहचान ऐसे लोगों में से की जाए जिन्होंने व्यवसायिक उद्देश्यों के लिए अथवा आदिवासी भूमि पर कब्जा करके वनों में प्रवेश किया है तथा ऐसे सभी व्यक्तियों को वनों के आसपास वन-रोपण अथवा अन्य वन आधारित क्रियाकलापों में रोजगार तथा वन संसाधनों तक पहुंच के माध्यम से उसी स्थान पर पुनर्वास के लिए विचार किया जाए। अतः समिति ने महसूस किया है कि विधेयक में इस संबंध में एक उपबंध किया जाए। तदनुसार, नया खंड 7 के पश्चात एक नया खंड 8 अंतःस्थापित किया गया है।

मूल खंड 8, 9, 10, 11 और 12 को खंड 9, 10, 11, 12 और 13 के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जाना

नया खंड 14 (मूल खंड 13)

56. समिति ने यह महसूस किया है कि इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले निदेश इस विधि के उपबंधों से संगत होंगे तथा उनके परिणामस्वरूप इस अधिनियम के अधीन मान्यताप्राप्त किसी भी अधिकार को कम अथवा निराकृत नहीं किया जाएगा। अतः समिति ने उपयुक्त उपबंध बनाने का निर्णय लिया है। तदनुसार खंड 14 के अधीन परंतुक जोड़ा गया है।

खंड 15 (मूल खंड 14)

57. समिति ने महसूस किया है कि यह आवश्यक है कि यदि इस अधिनियम के उपबंधों का तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों अथवा किसी न्यायालय द्वारा जारी किसी डिक्री, विनिर्णय, पंचाट अथवा आदेश पर अध्यारोही प्रभाव होना चाहिए अथवा इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन के मामले में, इस अधिनियम के उपबंध अभिभावी होंगे। तदनुसार, मूल खंड 14 में संशोधन किया गया है तथा उसे खंड 15 के रूप में पुनर्संख्यांकित किया गया है।

खंड 16 (मूल खंड 15)

58. इस खंड पर विचार करते समय, समिति ने इस बात को ध्यान में रखा है कि इस खंड के अधीन बनाए जाने वाले नियम पूर्व प्रकाशनों के अध्यधीन हों ताकि राजपत्र में उनके अंतिम रूप से प्रकाशन से पूर्व इसमें रूचि लेने वाले तथा प्रभावित पक्षों की राय को जाना जा सके। समिति की यह राय भी है कि वह रीति, जिससे धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन वन अधिकारों का प्रयोग किया जाना है तथा उसके लिए पद्धति तथा धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन वन अधिकारों की मान्यता और सत्यापन की रीति का अवधारण करने के लिए नियमों के निर्धारण से संबंधित मामलों का लोप किया जाना चाहिए। विधेयक में समर्थकारी उपबंधों की तर्ज पर खंड 16 का मसौदा पुनः तैयार किया गया है, तदनुसार खंड 16 का संशोधन किया गया है।

59. समिति ने यह निर्णय भी लिया है कि विधेयक पूरे नाम, उद्देशियका तथा नाम में उपयुक्त रीति से पारिणामिक संशोधन किए जाएं। तदनुसार, आवश्यक संशोधन किए गए हैं।

सामान्य सिफारिश

संविधान की नौवीं अनुसूची में इसके अधिनियम के पश्चात विधेयक को सही स्थान पर रखना

60. समिति ने यह नोट किया है कि यह विधेयक हमारे समाज के कुछ सबसे कमजोर और सर्वाधिक सीमांत समुदायों और विशेषकर अनुसूचित जनजातियों के एक बड़े भाग के प्रति सदियों से हो रहे अन्याय को दूर करने का तात्कालिक उपाय है। समिति ने यह भी नोट किया है कि पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के आलोक में न्यायालयों ने बहुत सारे आदेश जारी किए हैं जिसमें भू उपाधि के विनियमन पर रोक और अधिकारों की मान्यताप्राप्ति की प्रक्रिया को पूरी होने से रोकना शामिल है। ऐसे समय में मुकदमेबाजी के आधार पर और अधिक विलंब करना अनुसूचित जनजातियों और परंपरागत ढंग से वनों में रहने वाले अन्य लोगों के साथ और अधिक अन्याय करने जैसा होगा और इससे और ज्यादा

पलायन बढ़ेगा। चूंकि इस कानून का आशय संविधान के अनुच्छेद 39(क), 39(ख) और 46 में वर्णित निदेशक सिद्धांतों के अन्तर्गत संवैधानिक आदेश और अनुच्छेद 48क के अंतर्गत राज्यों के आदेश को पूरा करना है अतएव इसे अनुच्छेद 31ख में उपलब्ध संरक्षण मिलना चाहिए। अत: समिति पुरजोर सिफारिश करती है कि इस विधेयक के अधिनियमन के पश्चात इसे संविधान की नौवीं अनुसूची में रखा जाए जिससे कि इस विधि के उपबंधों का सुचारू और त्वरित क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।

वन उत्पाद मूल्य आयोग का गठन करना

61. समिति यह भी सिफारिश करती है कि इस अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए अभिहित सरकारी या नोडल एजेंसी सभी वन उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने और वन में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक रूप से वन में रहने वालों को बिचौलियों और व्यापारियों से बचाने के लिए एक वन उत्पाद मूल्य आयोग का गठन करें।

पुनर्वास पैकेज

62. समिति यह जानकर चिंतित है कि इस अधिनियम के अधीन गैर-अनुसूचित क्षेत्रों में स्थित वन भूमि अभी भी सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण के लिए खुली हुई हैं। या तो संवैधानिक संशोधन के जरिए ऐसे सभी गैर-अनुसूचित क्षेत्रों को भी अधिग्रहण से छूट के लिए कोई आवरण दिया जाना चाहिए अथवा कम से कम भविष्य में ऐसे अधिग्रहण के प्रस्तावों अथवा राज्य द्वारा ऐसे अधिकारों में कटौती के लिए निम्नलिखित सिद्धान्तों को अपनाया जाना चाहिए:—

(एक) वृहत्त परियोजनाओं के प्रस्तावों जिसमें वन अधिकारों का अधिग्रहण शामिल है, का परियोजना की वांछनीयता और औचित्य के लिहाज से समग्र आकलन किया जाना चाहिए। ऐसी परियोजनाओं के सामाजिक आकलन की प्रक्रिया को भी बाध्यकारी बनाया जाना चाहिए जिसमें संभावित 'सार्वजनिक उद्देश्यों' की जांच और परीक्षण भी शामिल हों। किसी अन्य विकल्प के जरिए जिससे कि इस अधिनियम के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त अधिकारों में कमी अथवा कटौती न हो, की भी तलाश की जानी चाहिए।

(दो) क्षतिपूर्ति का निर्धारण करते समय चालू बाजार दरों पर प्रतिस्थापन मूल्य के साथ कम से कम पैंतीस प्रतिशत पोषण का मूल सिद्धांत अनिवार्यत: अपनाया जाना चाहिए। अन्य वन अधिकारों की कमी के लिए क्षतिपूर्ति का निर्धारण करते समय भी संबंधित सिद्धांतों को अपनाया जाना चाहिए। सुचारू और प्रभावी पुनर्वास के लिए भौगोलिक निरंतरता, सांस्कृतिक साम्यता और त्वरित स्वीकार्यता का सिद्धांत भी पुनर्वास इकाईयों और स्थलों का चुनाव और योजना बनाते हुए ध्यान में रखना चाहिए। लघुतर वन उत्पादों का संकलन, साझा संपत्ति संसाधन जैसे वन अधिकारों में कटौती नहीं की जानी चाहिए बल्कि इन्हें प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए। जीविका की हानि, अवसरों की हानि और सामान्य सुविधाएं जैसे जल निकास तक पहुंच अथवा सड़क अथवा पशुओं इत्यादि के लिए नांद आदि की क्षतिपूर्ति की जानी चाहिए। अभी घर अथवा आवास का अर्जन किया गया है तो परियोजना प्रभावित व्यक्तियों द्वारा पूर्व स्वीकृत बेहतर आवास उपलब्ध कराया जाना चाहिए। अगर वृहद परियोजनाओं के लिए वन अधिकारों का अर्जन किया गया है तो प्रत्येक अधिकार छीने गये व्यक्ति के परिवार को काम मिलने का पूर्व कानूनी समझौता भूमि के 15 प्रतिशत के बराबर फ्री शेयर की सुविधा या अन्य हकदारियां जो वांछित हैं, मिलनी चाहिए। अधिकार धारकों के बीच में से पर्याप्त प्रशिक्षित व्यक्तियों की उपलब्धता अधिकारों में कटौती की पूर्व शर्त होनी चाहिए। इसका अर्थ यह है कि प्रस्तावक द्वारा प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध करायी जानी चाहिए लेकिन केवल उन्हें जो प्रथम चरण में ही इसे स्वेच्छया स्वीकार करें। सिंचाई परियोजनाओं के मामले में क्षतिपूर्ति की पूर्व शर्त नवसिंचित भूमि की समान मात्रा में उपलब्धता होनी चाहिए। जहां तक भूमि का

संयुक्त समिति द्वारा रिपोर्ट किए गए रूप में

2005 का विधेयक संख्यांक 158बी

[दि शिड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फारेस्ट ड्वेलर्स (रिकॉगनीशन ऑफ फारेस्ट राइट्स) बिल, 2006 का हिन्दी अनुवाद]

अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) विधेयक, 2006

[अधोरेखांकित शब्द संयुक्त समिति द्वारा सुझाए गए संशोधनों को उपदर्शित करते हैं और तारक लोपों को उपदर्शित करते हैं।]

वन में रहने वाली ऐसी अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वन निवासियों के, जो ऐसे वनों में पीढ़ियों से निवास कर रहे हैं किंतु उनके अधिकारों को अभिलिखित नहीं किया जा सका है, वन अधिकारों और वन भूमि में अधिभोग को मान्यता देने और उनमें निहित करने; वन भूमि में इस प्रकार निहित वन अधिकारों को अभिलिखित करने के लिए संरचना और वन भूमि के संबंध में अधिकारों को ऐसी मान्यता देने और उन्हें निहित करने के लिए अपेक्षित साक्ष्य की प्रकृति के संबंध में उपबंध करने के लिए

विधेयक

वन में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वन निवासियों के, मान्यताप्राप्त अधिकारों में दीर्घकालीन उपयोग के लिए जिम्मेदारी और प्राधिकार जैव विविधता का संरक्षण और पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखना और वन में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वन निवासियों की जीविका तथा खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने समय वनों के संरक्षण को सुदृढ़ बनाना भी है;

और औपनिवेशिक अवधि के दौरान तथा स्वतंत्र भारत में राज्य वनों को समेकित करते समय उनकी पैतृक भूमि पर वन अधिकार और उनके निवास को पर्याप्त रूप से मान्यता नहीं दी गई थी, जिसके परिणामस्वरूप उन वन में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वन निवासियों के प्रति ऐतिहासिक अन्याय हुआ है जो वन पारिस्थितिक प्रणाली को बचाने के लिए और बनाए रखने के लिए अभिन्न अंग हैं;

और यह आवश्यक हो गया है कि वन में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों, और अन्य परंपरागत वन निवासियों जिनके अंतर्गत वे जनजातियां भी हैं जिन्हें राज्य के विकास से उत्पन्न हस्तक्षेप के कारण अपने निवास दूसरी जगह बनाने के लिए मजबूर किया गया था, की लंबे समय से चली आ रही भूमि संबंधी असुरक्षा तथा वनों में पहुंच के अधिकारों पर ध्यान दिया जाए;

भारत गणराज्य के सत्तावनवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

अध्याय 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 है।

(2) इसका विस्तार जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर है।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

परिभाषाएं।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

* * *   * * *   * * *   * * *

* * *   * * *   * * *   * * *

(क) "सामुदायिक वन संसाधन" से ग्राम की परंपरागत या रूढ़िजन्य सीमाओं के भीतर रूढ़िजन्य सामान्य वनभूमि या चरागाही समुदायों की दशा में भू-परिदृश्य का मौसमी उपयोग अभिप्रेत है, जिसके अंतर्गत आरक्षित वन, संरक्षित वन और संरक्षित ऐसे क्षेत्र की भूमि भी है जैसे अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान जिन पर समुदायों की परंपरागत पहुंच थी;

(ख) "संकटपूर्ण वन्य जीव आवास" से राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों के ऐसे क्षेत्र अभिप्रेत हैं जहां वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ मानदंडों के आधार पर मामलेवार, विनिर्दिष्ट रूप से और स्पष्ट रूप से यह स्थापित किया गया है कि ऐसे क्षेत्र वन्य जीव संरक्षण के प्रयोजनों के लिए अतिक्रमणीय रखे जाने के लिए अपेक्षित हैं जैसा केन्द्रीय सरकार द्वारा एक ऐसी विशेषज्ञ समिति से खुला परामर्श करने के पश्चात् अवधारित और अधिसूचित किया जाए। उक्त समिति में केन्द्रीय सरकार के अनुसूचित मामलों से संबंधित मंत्रालय द्वारा नियुक्त उस परिक्षेत्र से विशेषज्ञ सम्मिलित होंगे और धारा 4 की उपधारा (1) और उपधारा (2) से उद्भूत प्रक्रियात्मक अपेक्षाओं के अनुसार होगी;

(ग) "वन में रहने वाली अनुसूचित जनजाति" से अनुसूचित जनजातियों के ऐसे सदस्य या समुदाय अभिप्रेत हैं, जो मुख्यतः वनों में या वनों से लगी हुई भूमि में निवास करते हैं और जिनके अन्तर्गत ऐसी अनुसूचित जनजाति चरागाही समुदाय भी है जो जीविका की वास्तविक आवश्यकताओं के लिए वनों या वन भूमि पर आश्रित हैं;

(घ) "वन भूमि" से ** वन के रूप में लेखबद्ध या अधिसूचित किसी प्रकार की भूमि अभिप्रेत है, और इसके अन्तर्गत, *अवर्गीकृत वन, विद्यमान असीमांकित या समझे गए वन, संरक्षित वन, आरक्षित वन, अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान भी हैं;

(ङ) "वन अधिकार" से धारा 3 में निर्दिष्ट वन अधिकार अभिप्रेत हैं;

(च) "वन ग्राम" से ऐसी बस्तियां अभिप्रेत हैं जो किसी राज्य सरकार के वन विभाग द्वारा वन संक्रियाओं के लिए वनों के भीतर स्थापित की गई हैं या जो वन आरक्षण प्रक्रिया के माध्यम से वन ग्रामों में संपरिवर्तित की गई हैं और जिनके अन्तर्गत वन बस्ती ग्राम, नियत मांग धृति, सभी प्रकार की वन कृषि बस्तियां भी हैं चाहे वे ऐसे ग्रामों के लिए किसी नाम से ज्ञात हों और जिनके अंतर्गत सरकार द्वारा अनुज्ञात कृषि तथा अन्य उपयोगों के लिए भूमि भी है;

(छ) "ग्राम सभा" से ऐसी ग्राम सभा अभिप्रेत है, जो ग्राम के सभी वयस्क सदस्यों से मिलकर बनेगी ऐसे राज्य की दशा में जिसमें कोई ग्राम पंचायत नहीं है, पाड़ा, टोला और अन्य पारम्परिक ग्राम संस्थाएं और निर्वाचित ग्राम समितियां हैं जिनमें स्त्रियों की पूरी और अनिर्बंधित भागीदारी है;

स्पष्टीकरण— इस खंड के प्रयोजनों के लिए ''ग्राम सभा'' पद का खंड (त) में दी गई ''ग्राम''
1996 का 40 की परिभाषा के अनुसार अर्थ लगाया जाएगा, जो पंचायत (अनुसूचित क्षेत्र विस्तार) अधिनियम, 1996 के उपबंधों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को भी लागू होते हैं

(ज) ''आवास'' के अंतर्गत ऐसा क्षेत्र भी है जिसमें आदिम अनुसूचित जनजाति समूहों और कृषि पूर्व समुदायों और अन्य वनवासी अनुसूचित जनजातियों के परंपरागत आवास और आरक्षित वनों और संरक्षित वनों में ऐसे अन्य आवास सम्मिलित हैं;

(झ) ''लघु वन उत्पाद'' के अन्तर्गत पादप मूल के सभी गैर इमारती वनोत्पाद हैं, जिनमें बांस, झाड़ झंखाड़ ठूंठ, बैंत, तुसार, कोया, शहद, मोम, लाख, तेंदू या केंदू पत्ते, औषधीय पौधे और जड़ी बूटियां, मूल, कन्द ईंधनकाष्ठ और उसी प्रकार के उसी प्रकार के पत्थर, स्लेट और बाउलडर्स तथा जलाशयों से उत्पाद जिनमें मछली, अपतृण और इसी प्रकार के उत्पाद सहित सम्मिलित हैं;

(ञ) ''नोडल अभिकरण'' से धारा 11 में विनिर्दिष्ट नोडल अभिकरण अभिप्रेत है;

(ट) ''अधिसूचना'' से राजपत्र में प्रकाशित कोई अधिसूचना अभिप्रेत है;

(ठ) ''विहित'' से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ड) ''अनुसूचित क्षेत्र'' से संविधान के अनुच्छेद 244 के खण्ड (1) में निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्र अभिप्रेत है;

2003 का 18 (ढ) ''सतत उपयोग'' का वही अर्थ होगा जो जैव विविधता अधिनियम, 2002 में है;

(ण) ''परम्परागत वन निवासी'' से कोई सदस्य या समुदाय अभिप्रेत है जो वन भूमि या उसके निकट निवास करता है और प्राथमिक रूप से वन भूमि या वन स्रोतों पर अपनी आजीविका की आवश्यकताओं के लिए निर्भर करता है इस पद में—

(i) ऐसे समुदाय जो वन में या वन के आसपास कम से कम तीन पीढ़ियों से निवास कर रहे हों;

(ii) ऐसे समुदाय जो वन भूमि में सरकारी नीति के परिणामस्वरूप या उसकी असफलता जैसे वे सभी किसी सरकारी विभाग द्वारा बसाए गए थे या बसाए जाने के लिए प्रोत्साहित किए गए थे या वन भूमि पर नीति के परिणामस्वरूप बसाए गए हैं या अवस्थित किए गए हैं और व्यक्तियों के सभी निकास पद्धत, वृत्ति या वानिकी के लिए वन भूमि पर समनुदेशन या अन्य कार्य या उपयोग के लिए बसाए गए हैं जिनके अंतर्गत वन ग्रामों तौंग्या बन्दोबस्त और उसी प्रकार की अन्य रीति में चाहे जो भी हो इस बात पर ध्यान दिए बिना अभिलिखित किए गए हैं या नहीं;

(iii) यदि विकास परियोजनाओं, प्राकृतिक आपदाओं या अन्य परिस्थितियों के कारण ऐसे समुदाय के सदस्य या उसका या उसके कुटुम्ब को बलपूर्वक चाहे सदस्य के मूल निवास से विस्थापित किया गया हो;

1927 का 16 (iv) यदि ऐसे समुदाय के मूल निवास को भारतीय वन अधिनियम, 1878 या भारतीय
1972 का 53 वन अधिनियम, 1927 या वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अधीन वन अभ्यारण्य या
1980 का 69 राष्ट्रीय उद्यान या संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है या अन्यथा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 या अन्य विधि जो लागू हो के अधीन वन क्षेत्र समझा गया है; और

(v) यदि ऐसे समुदाय के किसी सदस्य को केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा ऐसे समुदाय के सदस्य या सदस्यों के समूह को जिसका वह सदस्य है भूमि या अन्य जीविका संसाधन उपलब्ध कराने की अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करने में असफल रहने के परिणामस्वरूप कोई वन

भूमि या जीविका के लिए वन संसाधन अधिभोग में लेने या क्रम करने के लिए विवश किया गया है।

(त) "ग्राम" से–

(i) पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 की धारा 4 के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट, इस बात को ध्यान में रखे बिना कि अंतर्वलित क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र है अथवा नहीं कोई ग्राम; या 1996 का 40

*** *** *** ***

(ii) वन ग्राम, पुरातन निवास या बस्तियां और असर्वेक्षित ग्राम चाहे वे ग्राम के रूप में अधिसूचित हों या नहीं; या

(iii) उन राज्यों की दशा में, जहां कोई पंचायतें नहीं है, पारम्परिक ग्राम, चाहे जिस नाम से ज्ञात हो, अभिप्रेत है।

(थ) "वन्य पशु" से वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची 1 से 4 में विनिर्दिष्ट पशु की कोई ऐसी प्रजातियां अभिप्रेत हैं जो प्रकृति में वन्य के रूप में पाई जाती हैं। 1972 का 53

अध्याय 2

वन अधिकार

परिभाषित वन में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वन निवासियों के वन अधिकार।

3. (1) इस अधिनियम मे प्रयोजनों के लिए, वन्य में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों के और अन्य परंपरागत वन निवासियों सभी वनभूमि पर निम्नलिखित वन अधिकार होंगे जो व्यष्टिक या सामुदायिक भूधृति या दोनों को सुरक्षित करते हैं, अर्थात् :—

(क) वन में रहने वाली अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासियों के किसी सदस्य या किन्हीं सदस्यों द्वारा निवास के लिए या स्वकृषि के लिए व्यक्तिगत या सामूहिक अधिभोग के अधीन वन भूमि को धारित करने और उसमें रहने का अधिकार;

(ख) निस्तार के रूप में सामुदायिक अधिकार चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हों, जिनके अंतर्गत तत्कालीन राजाओं के राज्यों, जमींदारी या ऐसे अन्य मध्यवर्ती शासनों में उपयोगाधीन अधिकार भी सम्मिलित हैं जो वन भूमि में होते थे के अधिकार;

(ग) लघु वन उत्पादों के स्वामित्व का अधिकार उन्हें संग्रहीत करने के लिए पहुंच, उनका उपयोग/परिवहन और व्ययन जिन्हें गांव की सीमा के भीतर या बाहर पारंपरिक रूप से संग्रहीत किया जाता रहा है;

(घ) मत्स्य और जलाशयों के अन्य उत्पाद, चारागाह (स्थापित और घुमक्कड़ दोनों) के उपयोग या उन पर हकदारी के अन्य सामुदायिक अधिकार और यायावरी या चारागाही समुदायों की पारम्परिक मौसमी संसाधनों तक पहुंच;

(ङ) आदिम जनजाति समूहों और कृषि पूर्व समुदायों के लिए बसने और बस जाने का अधिकार जिसके अंतर्गत सामुदायिक भूधृतियों भी हैं;

(च) किसी ऐसे राज्य में जहां दावे विवादित हैं, किसी भी नाम विधान के अधीन विवादित भूमि में या उस पर अधिकार;

(छ) वन भूमि पर हक के लिए किसी स्थानीय प्रधिकरण या किसी राज्य सरकार द्वारा जारी पट्टों या धृतियों या अनुदानों के संपरिवर्तन के लिए अधिकार;

(ज) वनों के सभी वन ग्रामों, पुराने आवासों, असर्वेक्षित ग्रामों के बसने का अधिकार चाहे वे राजस्व ग्रामों में **लेखबद्ध हों, अधिसूचित हों अथवा नहीं;

(झ) वन संसाधनों के सामुदायिक अधिकार और ऐसे सामुदायिक वन संसाधनों का उपयोग, संरक्षण, पुनर्सजीवित, संरक्षित, नियंत्रित या प्रबंध करने का प्राधिकार परंतु ऐसे अधिकार में सभी उत्पाद या फायदों के अधिकार सम्मिलित हैं जैसे कि इमारती लकड़ी, खनिज, पर्यावरजीव और सांस्कृतिक सेवाएं;

(ञ) ऐसे अधिकार जिनको किसी राज्य की विधि या किसी स्वशासी जिला परिषद या स्वशासी क्षेत्रीय परिषद के विधियों के अधीन मान्यता दी गई है या जिन्हें किसी राज्य की संबंधित जनजाति की किसी पारंपरिक या रूढ़िगत विधि के अधीन जनजातियों के अधिकारों के रूप में स्वीकार किया गया है;

(ट) जैव विविधता तथा पहुंच का अधिकार और वन जैव विविधता तथा सांस्कृतिक विविधता से संबंधित बौद्धिक संपदा और पारंपरिक ज्ञान है सामुदायिक अधिकार;

(ठ) वहीं पर पुनर्वास का अधिकार जिसके अंतर्गत उन मामलों में आनुकल्पिक भूमि भी है जिनमें वन में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वन निवासियों को किसी भी प्रकार की वनभूमि से पुनर्वास के उनके वैध हक दिए बिना अवैध रूप से बेदखल या विस्थापित किया गया हो;

(ड) ऐसे अन्य पारंपरिक अधिकार जिनका रूढ़िगत रूप से उपभोग यथास्थिति, वन में रहने वाली उन अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वन निवासियों द्वारा किया जा रहा है जो खंड (क) से खंड (ट)में वर्णित है किन्तु उनमें किसी प्रजाति के वन्य जीव का शिकार करने और उन्हें फंसाने या उनका शरीर का कोई भाग निकालने का परंपरागत अधिकार नहीं है।

(2) अधिकारों के निहित होने में ऐसी वन में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वन निवासियों के कुटुंबों के अधिभोगाधीन या वन विभाग द्वारा उनको पट्टे पर दी गई जमीन भी सम्मिलित है तथा वृक्षारोपण या इसी तरह के किसी अन्य प्रयोजन के लिए वन विभाग या अन्य अभिकरणों द्वारा बाद में ऐसी भूमि को ले लिया गया हो।

(3) केन्द्रीय सरकार यह संसूचित करेगी कि वन में रह रही अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वन निवासियों के भोजन, फाइबर, शिक्षा,स्वास्थ्य, संसूचना और इसी तरह की विकासशील अपेक्षाओं का उपबंध किया गया है तथा वनों या वनों से सटे क्षेत्रों में ऐसी आधारभूत और आवश्यक विकासशील सुविधाओं को उपलब्ध कराने की अपेक्षा वनभूमि से पूरी की जाएगी।

1980 का 69 (4) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 में किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार वन भूमि के लिए सरकार द्वारा व्यवस्थित निम्नलिखित सुविधाओं के लिए परिवर्तन का उपबंध करेगी जिनके अंतर्गत प्रति प्रयोजना पचहत्तर से अनधिक पेड़ों का गिराया जाना भी सम्मिलित है, अर्थात्:—

(क) स्कूल;
(ख) औषधालय या अस्पताल;
(ग) आंगनबाड़ी;
(घ) उचित कीमत की दुकान;
(ङ) विद्युत और दूरसंचार की लाइन;
(च) टैंक और नए लघु जलाशय;
(छ) पेय जल की आपूर्ति और जल पाइपलाइन;
(ज) जल या वर्षा जल संचयन संरचनाएं;
(झ) लघु सिंचाई नहरें
(ञ) अपारंपरिक ऊर्जा के स्रोत;
(ट) कुशल उन्नयन या व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र;
(ठ) सड़क; और
(ड) सामुदायिक केन्द्र:

11. समिति का प्रतिवेदन बजट सत्र, 2006 के दूसरे सप्ताह के अंतिम दिन तक प्रस्तुत किया जाना था। चूंकि समिति को साक्ष्य लेने तथा विधेयक पर विचार करने का कार्य पूरा करना था, अत: समिति ने निर्णय किया कि प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए सभा से समय बढ़ाने हेतु अनुरोध किया जाए। समिति को प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए बजट सत्र, 2006 के अंतिम दिन तक का समय दिया गया। समिति ने इच्छा व्यक्त की कि वह विधेयक के विभिन्न खंडों पर विभिन्न संगठनों, संस्थाओं के प्रतिनिधियों एवं आम जनता के विचार जानने के लिए देश के विभिन्न स्थानों का तत्स्थानिक अध्ययन दौरा करेगी। तथापि समयाभाव के कारण समिति तत्स्थानिक अध्ययन दौरा नहीं कर सकी।

12. 13 दिसम्बर, 2005 को लोक सभा में यथा पुर:स्थापित विधेयक संलग्न है *(परिशिष्ट तीन)*।

13. समिति को इस विधेयक के विभिन्न उपबंधों पर विभिन्न संस्थाओं/संगठनों/गैर-सरकारी संगठनों/विशेषज्ञों एवं व्यक्तियों आदि से टिप्पणियों/सुझावों सहित कुल 109 ज्ञापन प्राप्त हुए *(परिशिष्ट चार)*।

14. समिति ने दिनांक 3.3.2006, 9.3.2006, 10.3.2006, 23.3.2006, 24.3.2006, 17.4.2006, 18.4.2006 और 19.4.2006 को हुई अपनी बैठकों में विभिन्न संगठनों/संस्थाओं/गैर-सरकारी संगठनों/विशेषज्ञों/व्यक्तियों आदि के मौखिक साक्ष्य लिए। जिन संगठनों/संस्थाओं/गैर-सरकारी संगठनों आदि ने समिति के समक्ष मौखिक साक्ष्य दिए उनकी सूची संलग्न है *(परिशिष्ट पांच)*।

15. समिति ने 8 और 9 मई, 2006 को हुई अपनी बैठकों में समिति के सदस्यों द्वारा सुझाए गए संशोधनों के आधार पर विधेयक के उपबंधों पर खंडवार विचार किया।

16. समिति ने 19.5.2006 को हुई अपनी बैठक में समिति ने अपने प्रारूप प्रतिवेदन पर विचार किया तथा उसे स्वीकार किया और समिति की ओर से सभापति को प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया। समिति ने यह भी निश्चय किया कि (एक) समिति के समक्ष दिए गए साक्ष्य को संसद की दोनों सभाओं के पटल पर रखा जाए (दो) विभिन्न स्रोतों से प्राप्त ज्ञापनों की दो-दो प्रतियां, प्रतिवेदन के संसद में प्रस्तुत कर दिए जाने के पश्चात्, संसद सदस्यों के संदर्भ के लिए संसदीय ग्रंथालय में रखी जाएं।

17. विधेयक में प्रस्तावित मुख्य परिवर्तनों के संबंध में समिति की टिप्पणियां अनुवर्ती पैराओं में दी गई हैं।

खंड 2 (क) (परिभाषाएं)

18. खंड 2 (क) पर विचार करते हुए, समिति ने महसूस किया कि इस अधिनियम के अधीन मान्य और निहित किसी भी वन अधिकार से संबंधित किसी विवाद के बारे में निर्णय लेने की प्राधिकारी ग्राम सभा होगी, न कि कोई अन्य प्राधिकरण। तदनुसार समिति ने अध्याय चार के तहत ग्राम सभा की शक्तियों और कार्यों को पुन: परिभाषित किया और खंड 4 (7) को लोप करने का निर्णय भी लिया। परिणामस्वरूप, समिति ने महसूस किया कि खंड 4 (7) के लोप के बाद सक्षम प्राधिकारी की परिभाषा की कोई आवश्यकता नहीं है। अत: समिति खंड 2 (क) का लोप करने की सिफारिश करती है।

खंड 2 (क) — (सामुदायिक वन संसाधन की परिभाषा के संबंध में नया उपबंध)

19. समिति नोट करती है कि 3 (ञ) में प्रयुक्त "सामुदायिक वन संसाधन" पद को विधेयक में या संसद के किसी अन्य अधिनियम में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। समिति महसूस करती है कि ऐसे अधिकारों के संबंध में किसी अस्पष्टता से बचने के लिए उन संपूर्ण संसाधनों के स्पेक्ट्रम के लिए मानदंड को परिभाषित करना आवश्यक है जो सामुदायिक वन संसाधनों की परिभाषा के अंतर्गत आएंगे। अत: समिति ने निर्णय लिया कि 'सामुदायिक वन संसाधन' के संबंध में एक नई परिभाषा जोड़ी जाए। तदनुसार खंड 2 (क) के अधीन एक नई परिभाषा जोड़ी गई है।

खंड 2 (ख)—('मुख्य क्षेत्र' के स्थान पर 'संकटग्रस्त वन्य जीव आवास' की नई परिभाषा)

20. समिति महसूस करती है कि "मुख्य क्षेत्र" शब्दों का वर्तमान में वन और पर्यावरण मंत्रालय द्वारा बिना किसी सांविधिक आधार के प्रबंधन की एक संकल्पना के तौर पर उपयोग किया जा रहा है। समिति महसूस करती है कि किसी क्षेत्र को "मुख्य क्षेत्र" के तौर पर घोषित करने की प्रक्रिया में स्थल सापेक्ष खुली प्रक्रिया की आवश्यकता है जिसमें सभी हितधारकों और बहु विषयक विशेषज्ञों (विशेषकर वैज्ञानिक और पारंपरिक ज्ञानधारक) की सहभागिता हो और जो मुख्यत: स्थानीय सामुदायिक प्रतिनिधियों को शामिल करके लोकतांत्रिक तंत्रों के माध्यम से की जानी चाहिए। समिति यह भी महसूस करती है कि "मुख्य क्षेत्रों" से स्वत: पुनर्स्थापन की व्यवस्था करने के बजाए यह निर्णय लेने के लिए स्पष्ट, प्रभावी और स्वच्छ प्रक्रिया होनी चाहिए कि उचित सुरक्षा प्रदान करने के लिए ऐसा पुनर्स्थापन कब नितांत आवश्यक है और यह कैसे किया जाना है। विधेयक में "मुख्य क्षेत्र" की वर्तमान परिभाषा में इन बातों का ध्यान नहीं रखा गया है। इसलिए समिति ने निर्णय लिया कि खंड 2 (ख) के अधीन मुख्य क्षेत्र की परिभाषा का लोप कर दिया जाए और खंड 2 (ख) के अधीन "संकटग्रस्त वन्य जीव आवास" की एक नई परिभाषा उपबंधित की जाए। तदनुसार संकटग्रस्त वन्य जीव आवास की परिभाषा को खंड 2 (ख) के अधीन जोड़ा गया।

खंड 2 (ग)

21. समिति के समक्ष साक्ष्य के दौरान कई संगठनों के प्रतिनिधियों ने सूचित किया कि वन में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों की बड़ी संख्या न केवल वन में रहती हैं बल्कि वह वन भूमि से लगे क्षेत्र में भी रहती हैं जो मुख्यत: अपनी वास्तविक आजीविका आवश्यकताओं के लिए वन पर आश्रित हैं । तथापि, वन में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों की वर्तमान परिभाषा में अनुसूचित जनजातियों के वे समुदाय शामिल नहीं किए गए हैं जो वन भूमि से सटे क्षेत्रों में रहते हैं । इस प्रकार, उनके अधिकारों को मान्यता देने और अधिकारों को उनमें निहित करने के लिए अपने दावों से वंचित रह जाएंगे जिससे उनकी आजीविका को खतरा उत्पन्न हो जाएगा। समिति महसूस करती है कि 'वन में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों' की परिभाषा को ऐसी अनुसूचित जनजातियों को शामिल करने के लिए व्यापक बनाए जाने की आवश्यकता है जो वन भूमि से सटे क्षेत्र में रहती हैं ताकि आजीविका के उनके अधिकारों और अन्य अधिकारों की रक्षा की जा सके। तद्नुसार खंड 2 (ग) की परिभाषा को संशोधित किया गया है।

खंड 2 (घ)

22. समिति ने यह महसूस किया है कि वन भूमि पद अस्पष्ट है और इसे परिभाषा का हिस्सा नहीं होना चाहिए। इसलिए समिति महसूस करती है कि 'किसी वन क्षेत्र के भीतर आने वाली' शब्दों के स्थान पर 'वन के रूप में रिकार्ड या अधिसूचित की गई' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएं। तद्नुसार खण्ड में संशोधन किया गया है।

खंड 2 (छ)

23. खंड 2 (छ) पर विचार करते हुए समिति ने महसूस किया है कि पाड़ा, टोला या अन्य पारंपरिक ग्राम संस्थाओं तथा अन्य निर्वाचित ग्राम समितियों, महिलाओं की पूर्ण तथा निर्बाध भागीदारी सहित, को भी परिभाषा में जोड़ा जाए ताकि इसे और स्पष्ट बनाया जा सके। समिति ने यह भी महसूस किया है कि ग्राम सभा से संबंधित व्याख्या को जोड़कर और अधिक वर्गीकृत करने की आवश्यकता है क्योंकि यह पंचायत अनुसूचित क्षेत्र का विस्तार, अधिनियम, 1996 के प्रावधानों में सम्मिलित क्षेत्रों पर भी लागू होती है और इसे अन्य पंचायतों पर भी लागू होना चाहिए। तदनुसार खंड (2) छ: को व्याख्या सहित संशोधित किया गया है।

खंड 2 (झ)

24. लघु वनोत्पाद की परिभाषा पर विचार करते हुए समिति ने यह आवश्यक महसूस किया कि परिभाषा को और अधिक व्यापक बनाने के लिए इसके अंतर्गत स्टोन, स्लेट और बोलडर, मछली, खरपतवार और अन्य सहित जल स्रोतों से प्राप्त अन्य उत्पादों और जलावन को भी शामिल किया जाना चाहिए। तद्नुसार खंड 2 (झ) को संशोधित किया गया है।

नया उप खंड 2(ठ) (अन्य पारंपरिक रूप से वन में रहने वालों के संबंध में नई परिभाषा)

25. समिति नोट करती है कि विधेयक के उपबंधों में केवल वन में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों को मान्यता देने और उनमें निहित करना आशयित है। तथापि, समिति को साक्ष्य के दौरान सूचित किया गया कि अनुसूचित जनजातियों के अलावा बड़ी संख्या में अन्य लोग भी पीढ़ी दर पीढ़ी पारंपरिक रूप से वन में अथवा वन या वन भूमि के समीप रहते आ रहे हैं और अपनी वास्तविक आजीविका के लिए मुख्यत: वन संसाधन या वन भूमि पर निर्भर करते हैं। इन लोगों ने भी सदियों से अन्याय झेला है क्योंकि ये प्राचीन काल से वन भूमि पर रहे हैं। उनके अधिकारों को मान्यता नहीं दिए जाने पर न केवल उनकी आजीविका खतरे में पड़ जाएगी बल्कि उन्हें वन से बेदखल होना पड़ेगा। समिति यह भी नोट करती है कि इन लोगों ने भी वन में अनुसूचित जनजातियों के साथ सौहार्दपूर्ण जीवन गुजारा है। समिति यह भी नोट करती है कि कई मामलों में गैर-अनुसूचित जनजाति वर्ग के वनों में रहने वालों को सरकार द्वारा अधिक खाद्य पदार्थ का उत्पादन करने जैसी नीति को बढ़ावा देने के लिए या विकास परियोजनाओं द्वारा हुई विस्थापना के कारण पुनर्वास द्वारा वन भूमि पर बसाया गया है। समिति यह भी महसूस करती है कि अनुसूचित जनजातियों और गैर-अनुसूचित जनजातियों का वर्गीकरण स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ही किया गया है। चूंकि इस विधेयक का प्रयोजन सदियों से हुए अन्याय को मिटाना है, इसलिए वन में रह रहे गैर-अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों के अधिकारों को भी मान्यता दी जानी चाहिए और उनमें अधिकार निहित किए जाने चाहिए।

अत: समिति ने 'अन्य पारंपरिक वनवासियों' को विशिष्ट शर्तों के अधीन शामिल करने के लिए विधेयक में एक नई परिभाषा शामिल करने का निर्णय किया है। तदनुरूप उप खंड (ज) के अधीन विद्यमान खंड 2(1) के स्थान पर नई परिभाषा अंतर्स्थापित की गई है और इसके परिणामस्वरूप होने वाले परिवर्तनों को विधेयक के सभी संबंधित खंडों में शामिल कर दिया गया है।

विद्यमान खंड 2 (ण) (एक), (दो), (तीन) और (चार) 2 (त) (एक), (दो) और (तीन) के रूप में पुनर्संख्यांकित

26. इस खंड पर विचार करते हुए, समिति ने पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार) अधिनियम, 1996 की धारा 4 के खण्ड (ख) में दी गई ग्राम की परिभाषा इस अधिनियम के उद्देश्यों के लिए गैर-अधिसूचित क्षेत्रों पर भी लागू होगी, को और स्पष्ट करने के लिए "प्रश्न के अंतर्गत क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र है या नहीं इसको दृष्टिगत किए बिना" शब्द जोड़ने और मूल खण्ड 2(ण), (दो) को लोप करने की आवश्यकता है। तदनुसार पुन: संख्यांकित खण्ड 2(ट) का संशोधन किया गया है।

मूल खण्ड 2 (त) का खण्ड 2 (थ) के रूप में पुन: संख्यांकन खण्ड 3 (झ) (मूल खण्ड 3)

27. खण्ड 3 पर विचार करते हुए, समिति ने यह महसूस किया है कि इस संबंध में किसी अस्पष्टता से बचने के लिए अध्याय दो के अंतर्गत दिए जा रहे वन अधिकारों में सभी वन भूमि पर ऐसे अधिकार शामिल होंगे और ऐसे अधिकार अन्य परंपरागत रूप से वनों में रहने वाले लोगों पर भी लागू होने चाहिए। तदनुसार मूल खंड 3 में संशोधन किया गया है और इसे खण्ड 3(1) के रूप में पुन: संख्यांकित किया गया है।

खंड 3 (क)

28. खंड 3(1) के रूप में पुनर्संख्यांकित खंड 3(क) के अंत में "अथवा अन्य परंपरागत वनवासी" शब्द आनुषंगिक बदलाव के रूप में जोड़े गये हैं।

खंड 3(ख)

29. समिति नोट करती है कि खंड 3(ख) निस्तार के रूप में सामुदायिक अधिकार से केवल उन लोगों को, जो तत्कालीन राजाओं के राज्यों, जमींदारी या ऐसे अन्य मध्यवर्ती शासनों में प्रवृत्त थे, प्रतिबंधित करता है। परंतु समिति नोट करती है कि निस्तार अधिकार के स्वरूप एवं सीमा में जमींदारी या ऐसे मध्यवर्ती शासनों के दौरान व्यापक बदलाव आया है। अत: समिति ऐसे सभी सामुदायिक अधिकारों, जो वास्तविक, आजीविका जरूरतों, जो राजाओं के राज्यों, जमींदारी या ऐसे मध्यवर्ती शासनों के दौरान नहीं होती थीं लेकिन वन भूमि में होती हैं; को पूरा करते हैं, को शामिल करने के लिए निस्तार जैसे सामुदायिक अधिकारों के अर्थ का दायरा बढ़ाने की जरूरत महसूस करती है। तद्नुरूप खंड 3(1) (ख) के रूप में पुनर्संख्यांकित खंड 3(ख) में संशोधन किया गया है।

खंड 3(ग)

30. समिति नोट करती है कि इस समय पहुंच के स्वामित्व अधिकार में संग्रहण परिवहन और लघु वनोत्पाद के विक्रय के अधिकार शामिल नहीं हैं। इसके अतिरिक्त इस उपबंध में यह विनिर्दिष्ट नहीं है कि लघु वनोत्पाद में वे शामिल नहीं हो सकते थे जो पारंपरिक रूप से गांव की सीमा के अंदर या बाहर संग्रहित किए जाते रहे हैं। समिति ने महसूस किया है कि इन्हें लघु वनोत्पाद तक पहुंच के स्वामित्व अधिकारों में शामिल किया जाना चाहिए। तद्नुरूप खंड 3 (1) (ग) के रूप में पुनर्संख्यांकित खंड 3(ग) में संशोधन किया गया है।

खंड 3(घ)

31. खंड 3 (घ) पर विचार करते समय समिति ने महसूस किया है कि उपयोग या हकदारी के अन्य सामुदायिक अधिकारों में मछली एवं अन्य जलोत्पादों को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए। इस उपबंध में प्रयुक्त स्थापित और घुमक्कड़ के बीच किसी प्रकार की अस्पष्टता से बचने के लिए समिति ने महसूस किया कि 'और' शब्द के स्थान पर 'या' शब्द प्रतिस्थापित किया जाए। तद्नुरूप खंड 3(1)(घ) के रूप में पुनर्संख्यांकित खंड 3(घ) में संशोधन किया गया है।

खंड 3(1) (ज) [मूल खंड 3 (ज) एवं (झ) को मिलाकर 3 (ज) बनाया गया]

32. खंड 3 (ज) पर विचार करते समय समिति ने महसूस किया है कि इन अधिकारों को और अधिक व्यापक एवं स्पष्ट बनाने के लिए सभी वन ग्रामों, पुराने बसे हुए और असर्वेक्षित ग्रामों, चाहे वे अभिलेखित, अधिसूचित हो या नहीं, को राजस्व ग्राम में सम्मिलित करने हेतु उनके अर्थ के दायरे और अधिक बढ़ाए जाने और स्पष्ट किए जाने की आवश्यकता है। तद्नुरूप खंड 3(ज) में संशोधन किया गया है। खंड 3 (ज) में किए गए संशोधन को देखते हुए समिति ने निर्णय किया कि खंड 3 (झ) अनावश्यक हो गया है अत: इसका लोप कर दिया जाए। तद्नुरूप खंड 3(झ) का लोप कर दिया गया।

खंड 3(1) (झ) [मूल खंड 3(झ) का 3 (ञ) के रूप में पुनर्संख्यांकन]

33. समिति नोट करती है कि वर्तमान उपबंध में समुदाय सामुदायिक वन संसाधनों संबंधी अधिकार में उपयोग का अधिकार और प्राधिकार सम्मिलित नहीं है। समिति ने यह भी महसूस किया है कि वन वासियों के शोषण को रोकने के लिए उनके अधिकारों में अन्य बातों के अतिरिक्त सभी उत्पाद तथा लाभ जैसी इमारती लकड़ी सम्मिलित किए जाने की जरूरत है। खनिज पदार्थों, पर्यावरणीय तथा सांस्कृतिक सेवाएं शामिल होंगी। अत: समिति ने इस खंड में तदनुरूप संशोधन करने का निर्णय किया है। तदनुरूप खंड 3 (ञ) में संशोधन करें और इसे 3(1) (झ) के रूप में पुनर्संख्यांकित किया गया।

खंड 3(1) (ञ) - मूल खंड 3 (ट)

34. समिति ने यह महसूस किया है कि रूढ़िजन्य विधि के निर्वचन में किसी अस्पष्टता को समाप्त करने के लिए "किसी राज्य का कानून" के स्थान पर "किसी राज्य की संबंधित जनजातियों का कानून" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएं। तदनुरूप, मूलखंड 3 (ठ) में संशोधन कर इसे 3 (ट) के रूप में पुनर्संख्यांकित किया गया है।

नया खंड 3 (1) (ठ)

35. समिति यह भी महसूस करती है कि वनवासी समुदायों को शोषणकारी ताकतों के साथ-साथ औषधि-निर्माता कंपनियों जैसी संस्थाओं द्वारा आनुवांशिकीय सामग्री के उपयोग से जुड़े निर्बंधों से बचाया जाना चाहिए। समिति का विचार है कि जैविकीय विविधता अधिनियम, 2002 के अंतर्गत ऐसी सुरक्षा पर्याप्त रूप से प्रदान नहीं की गई है। अत: समिति महसूस करती है कि इस अधिनियम के उपबंधों के माध्यम से भी ऐसी सुरक्षा सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है। अत: समिति ने इस संबंध में उपयुक्त उपबंध शामिल करने का निर्णय किया। तद्नुरूप एक नया खंड 3 (1) (ठ) जोड़ा गया है।

नया खंड 3 (1) (ड)

36. इस खंड पर विचार करते समय समिति ने महसूस किया कि वनवासी समुदायों की आजीविका एवं मर्यादा के लिए विस्थापन सबसे बड़ी चुनौती है। पूरे देश में अधिकारों के निराकरण एवं अधिकांशत: बिना किसी पुनर्वासन व्यवस्था के विस्थापन एवं बेदखली की प्रक्रिया चल रही है। समिति ने महसूस किया कि ऐसे विस्थापित लोगों के अधिकारों को मान्यता देने के लिए इस विधेयक में उपबंध किया जाना चाहिए। समिति महसूस करती है कि इस प्रकार विस्थापित हुए लोगों को स्व-स्थाने पुनर्वास एवं वैकल्पिक भूमि का अधिकार होना चाहिए। अत: समिति ने इस संबंध में उपयुक्त उपबंध सम्मिलित करने का निर्णय लिया। तद्नुसार एक नये खंड 3 (1), (ड) का उपबंध किया गया है।

नया खंड 3 (2)

37. समिति ने महसूस किया है कि किसी अन्य पारंपरिक अधिकार में ऐसे जनजातीय परिवारों के अधिभोगाधीन भूमि अथवा उन्हें वन विभाग द्वारा पट्टे पर दी गई भूमि और बाद में वन विभाग अथवा अन्य अभिकरणों द्वारा वृक्षारोपण अथवा इसी प्रकार के किन्हीं अन्य प्रयोजनों से वापस ली गई भूमि का अधिकार भी शामिल किया जाना चाहिए। समिति ने इसके लिए एक नया उपबंध शामिल करने का निर्णय लिया है। तद्नुसार एक नए खंड 3 (2) का उपबंध किया गया है।

नए खंड 3 (3), 3 (4) एवं 3(5)

38. समिति ने यह भी महसूस किया कि भोजन, फाइबर, शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार और विद्यालयों, अस्पतालों, सड़कों इत्यादि जैसी सुविधाओं के विकास संबंधी आवश्यकताओं हेतु वन भूमि के अंतरण जिसमें वृक्षों को गिराना भी शामिल हो सकता है लेकिन यह प्रति परियोजना 75 वृक्ष से अधिक हो, के लिए उपबंध भी होना चाहिए। समिति ने यह महसूस किया है कि विकास परियोजनाओं के लिए वन भूमि के विपथन की अनुमति केवल तभी दी जानी चाहिए जब प्रत्येक ऐसे मामले में उस प्रयोजनार्थ एक हैक्टेयर से कम भूमि की आवश्यकता हो और विकास परियोजना को स्वीकृति देने हेतु ग्राम सभा ने सिफारिश की है। समिति ने यह भी महसूस किया कि पारंपरिक अधिकार के मामले में महिला मुखिया वाली गृहस्थियों और विधवाओं हेतु विशेष उपबंध सहित अनुसूचित जनजाति की महिला सदस्यों को समान अधिकार होंगे। समिति ने विधेयक में उपयुक्त उपबंध शामिल करने का निर्णय लिया। तद्नुरूप, नए खंडों 3 (3), 3 (4) और 3 (5) का उपबंध किया गया है।

खंड 4 (1) और (2) [मूल खंड 4 (1)]

39. इस खंड पर विचार करते समय समिति ने नोट किया कि उचित क्षतिपूर्ति के साथ पुनर्स्थापित करने के उपबंध के साथ अनंतिम आधार पर अधिकार देने के समर्थन में कोई सुरक्षोपाय नहीं है। समिति नोट करती है कि बाघ परियोजना के संदर्भ में पुनर्स्थापना की प्रक्रिया विगत 30 वर्षों में असंतोषजनक रही है। समिति यह भी नोट करती है कि राज्य सरकारों ने धन के अभाव में उचित पुनर्स्थापना और पुनर्वास करने में कठिनाई व्यक्त की है। 'कोर एरिया' की परिभाषा एक प्रशासनिक मसला है इसलिए समिति ने पहले निर्णय लिया था कि पर्याप्त सुरक्षोपाय अपनाते हुए इसके स्थान पर ''क्रिटिकल वाइल्डलाइफ हैबिटैट'' की और व्यापक परिभाषा स्थापित की जा सकती है। समिति ने महसूस किया है कि वन्य जीव संरक्षण के लिए अक्षुण्ण क्षेत्रों का सृजन करने के प्रयोजन से इस अधिनियम के अधीन ''क्रिटिकल वाइल्डलाइफ हैबिटैट'' में मान्य अधिकारों को आशोधित किया जाए तथा वन अधिकार धारकों के अधिकारों और सेटलमेंट को अक्षुण्ण रखते हुए निस्तारित किया जाए। इस प्रकार के आशोधन अधिनियम में यथाविनिर्दिष्ट मान्यता व अधिकारों को प्रदान करने की प्रक्रिया के पूरा होने जैसी शर्तों के अध्यधीन होंगे व सभी अधिकार धारकों की सहमति और क्षेत्र से परिचित निष्पक्ष पारिस्थितिकी तथा सामाजिक वैज्ञानिकों की सलाह से होंगे। अग्रिम पुनर्वास या वैकल्पिक पैकेज तैयार करने में सह-अस्तित्व के विकल्प पर पूर्ण विचार और ऐसे पैकेज के संबंध में ग्राम सभा तथा संबंधित व्यक्ति की सहमति। समिति ने यह भी महसूस किया है कि इस तरह का निपटारा तब तक नहीं होना चाहिए जब तक कि पुनर्वास स्थल पर जिस पैकेज का वायदा किया गया था उसके अनुसार सभी सुविधाएं व भूमि आवंटन उपलब्ध न कराया गया हो। यदि वे पुनर्वास से संतुष्ट नहीं हैं तो उन्हें अपने मूल आवास पर वापस जाने का अधिकार होना चाहिए। समिति ने इस संबंध में इस अधिनियम में उपयुक्त उपबंध शामिल करने का निर्णय लिया है। समिति ने यह भी महसूस किया है कि अध्याय के शीर्षक में भी संशोधन किए जाने की आवश्यकता है और यह इच्छा प्रकट की है कि इसे इस तरह से पढ़ा जाए जैसे ''मान्यता, पुनर्वास व वन संबंधी अधिकारों को प्रदान करना तथा संबंधित मामले''। तद्नुसार, मूल खंड को इसके दो परंतुकों के साथ नए खंडों 4(1) (क) व (ख) और 4(2) क से ज के दो परंतुकों सहित प्रतिस्थापित किए गए हैं।

खंड 4(3) [मूल खंड 4(2)]

40. समिति नोट करती है कि अधिकारों को मान्यता देने के लिए विधेयक में अंतिम तिथि अथात् 25 अक्तूबर, 1980 को इस तथ्य के सिवाय कि इसे स्वीकृति दी गई थी, कोई विधिक आधार नहीं है। यह वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की पारित होने की तिथि है। ऐसी अंतिम तिथि ऐसे अनेक लोगों के अधिकार छीन लेगी जिन्होंने इस अवधि के दौरान प्रवास किया, विस्थापित हुए अथवा अपने मूल स्थानों को छोड़कर अन्य स्थानों में बस गए हैं। साथ ही इससे वन में रहने वालों को अपने अधिकारों के दावे सिद्ध करना अत्यंत कठिन होगा। समिति यह भी नोट करती है कि इस अवधि के दौरान 10 लाख हैक्टेयर भूमि खान, उद्योग और विकास संबंधी गैर-वानिकी परियोजनाओं के लिए अंतरित की गई है। विद्यमान निर्धारित अंतिम तारीख से वन में रहने वाले लाखों लोग बेदखल होंगे और अपनी जीविका के लिए वन और वन भूमि पर निर्भर हैं, इन लोगों को अधिकारों से वंचित किया जाएगा। समिति ने महसूस किया कि निर्धारित अंतिम तारीख इस विधेयक की भावनाओं और उद्देश्यों के विरुद्ध जाएगी क्योंकि इसका उद्देश्य वन में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों और वन में रहने वाले अन्य लोगों के साथ सदियों से हो रहे अन्याय को समाप्त करना है। उक्त समस्याओं के समाधान के लिए समिति ने अंतिम तिथि को बदलकर 13 दिसम्बर, 2005 करने का निर्णय किया है जो कि विधेयक के लोक सभा में पुर:स्थापित किए जाने की तिथि है। अत: इसे तद्नुसार खंड 4 (2) में संशोधन किया गया है और इसे 4(3) के रूप में पुनर्संख्यांकित किया गया है।

खंड 4(4) मूल खंड 4(3)

41. समिति ने महसूस किया है कि मूल खंड 4(3) का विस्तार किया जाए ताकि मूल खंड 4(5) (दो) में उल्लिखित प्रावधानों को इसमें शामिल किया जा सके। यह भी शामिल किया जाए कि, ''प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी के अभाव में आनुवांशिक

नया खंड 4(8)

47. खंड (3) (ङ) के अंतर्गत अधिकार के दावों के संबंध में समिति का यह मत है कि परम्परागत सीमाएं अथवा उस समुदाय की सीमा के भीतर किसी भी भूमि के उपयोग का निर्णय करने और कृषि परिवर्तन करने का आंशिक एवं पूर्ण अधिकार उस समुदाय का होगा। तद्नुरूप एक नया खंड 4(8) का उपबंध किया गया है।

खंड 4(9) [मूल खंड 4(8)]

48. इस खंड पर विचार करते हुए समिति ने महसूस किया है कि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत प्रदत्त वन अधिकार प्रक्रिया संबंधी आवश्यकताओं जैसे विल्लंगमों से मुक्त होंगे, जिसके अंतर्गत वन भूमि के विचलन के लिए वर्तमान शुद्ध मूल्य और प्रतिकारात्मक वन रोपण भी सम्मिलित है "इस वर्तमान अधिनियम में विनिर्दिष्ट है, को छोड़कर" जोड़ा जाए। तद्नुरूप मूल खंड 4(8) में संशोधन किया गया है और इसे खंड 4(9) के रूप में पुनर्संख्यांकित किया गया है।

नया खंड 4(10)

49. समिति ने महसूस किया कि नया खंड 4(10) जोड़े जाने की आवश्यकता है जिससे कि वन अधिकारों में वनों में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों और पारंपरिक रूप से वनों में रहने वाले अन्य निवासियों को भूमि का अधिकार सम्मिलित किया जा सके जो यह साबित कर सकें कि राज्य के विकासात्मक हस्तक्षेप के कारण उन्हें भूमि मुआवजे के बिना अपने आवास और कृषि स्थान से हटना पड़ा था और जहां इस भूमि को जिस प्रयोजन के लिए अर्जित किया गया था, पांच वर्ष की अवधि के अंदर उसके लिए उपयोग नहीं किया गया है। तद्नुरूप नया उपखंड 4(10) जोड़ा गया है।

खंड 5

50. इस खंड पर विचार करते हुए समिति ने नोट किया कि खंड के उपबंधों में वन, वन्य जीव, जैव विविधता इत्यादि की संरक्षा और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 तथा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 इत्यादि के उपबंधों के हनन के किसी भी कार्यकलाप को रोकने के लिए वन अधिकारों के धारकों को इस खंड के उपबंधों द्वारा कतिपय उपबंध द्वारा कतिपय उत्तरदायित्व दिये गये थे। तथापि समिति ने महसूस किया है कि ये कर्तव्य ग्राम सभा और ग्राम स्तरीय संस्थाओं को सौंपे जाने चाहिए और सरकार का यह भी कर्तव्य होना चाहिए कि वह वन में रहने वालों के अधिकारों की संरक्षा करें और उनको शोषण से बचाए और विस्थापन की स्थिति में पर्याप्त मुआवजा दे। समिति ने यह भी निर्णय किया है कि जहां संविधान की अनुसूची छह प्रवृत्त है भूमि अर्जन के संबंध में इस अधिनियम पर अधिभावी होंगे। समिति ने यह भी महसूस किया कि वन में रहने वालों को सभी प्रकार के अन्वेषण, दोहन और प्राकृतिक संसाधनों से मिलने वाले लाभों से वंचित नहीं करना चाहिए और इस तरह के क्रियाकलापों के कारण होने वाले नुकसान के लिए सरकार से पर्याप्त मुआवजा मिलना चाहिए। इसके मद्देनजर समिति ने निर्णय लिया है कि विद्यमान खंड 5(ख) के स्थान पर इस संबंध में उपयुक्त उपबंध प्रतिस्थापित किए जाने चाहिए। तद्नुरूप खंड 5(1) और 5(क) से (छ) और 5(2)(3) और (4) और (5) जोड़े गए हैं।

खंड 6

51. समिति ने महसूस किया है कि ग्राम सभा को अधिकार के अवधारण और मान्यता हेतु प्राथमिक प्राधिकारी बनाया जाना चाहिए क्योंकि यह पूरी तरह से सार्वजनिक लोक और खुला मंच है जहां किसी भी निर्णय को खुलेआम किया जाता है और जिनको चुनौती दी जा सकती है। ऐसे मंच पर भ्रष्टाचार की गुंजाइश कम होती है। ग्राम सभा ऐसे लोगों को एक साथ लाती है जिन्हें वास्तविक स्थिति का सर्वाधिक ज्ञान होता है। ग्राम सभा के निर्णय से व्यथित किसी भी अधिकार धारक को ग्राम सभा के संकल्प की तारीख से 60 दिन के भीतर उपखंड स्तर की समिति को आवेदन करना

चाहिए। उपखंड स्तर की समिति 60 दिन के भीतर ऐसी अर्जी पर ग्राम सभा को परामर्शक प्रकृति की सिफारिश करेगी। ग्राम सभा उपखंड स्तर की समिति की सिफारिश पर विचार करेगी तथा 90 दिन के भीतर उस पर निर्णय लेगी। ग्राम सभा के निर्णय से व्यथित संभावित अधिकारधारी उपखंड स्तर की समिति की सिफारिश के आधार पर ग्राम सभा के निर्णय से 60 दिन के भीतर जिला स्तर की समिति को अपील कर सकता है। जिला स्तर की समिति अर्जी पर विचार करेगी तथा व्यथित व्यक्ति को सुने जाने का अवसर देने की सुरक्षा के साथ याचिका का निपटान करेगी। उपखंड स्तर की समिति तथा जिला स्तर की समिति तथा राज्य स्तर की मॉनीटरिंग समिति में कम से कम आधे सदस्य वनवासी अनुसूचित जनजातियों से होंगे, जिसके लिए समितियों में निर्वाचित प्रतिनिधियों तथा शोषित समुदायों का उपबंध होगा तथा गैर सरकारी सदस्यों में से एक-तिहाई सदस्य महिलाएं होंगी। इन समितियों की अध्यक्षता राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा की जाएगी।

52. समिति महसूस करती है कि इन समितियों द्वारा किए जाने वाले कृत्यों तथा अनुपालन किए जाने वाली पद्धतियों को अधिनियम में विनिर्दिष्ट किया जाएगा तथा केवल विहित किए जाने वाले नियमों पर ही नहीं छोड़ा जाएगा। समिति ने यह भी महसूस किया है कि साझे परंपरागत वन क्षेत्र की सभाओं को परिभाषित करने अथवा दो अथवा अधिक ग्राम सभाओं के बीच विवादों यदि कोई हो तो, को सुलझाने तथा एक विनिर्दिष्ट समयावधि के भीतर ऐसे विवादों को सुलझाने में उपखंड स्तर की समिति की भूमिका के लिए भी उपबंध किए जाने चाहिए। इस अधिनियम के अंतर्गत किसी अधिकार के दावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में स्वीकार किए जा सकने वाले विस्तृत मानदंडों को भी उपबंधों में विनिर्दिष्ट किया जाना चाहिए ताकि इस संबंध में किसी भी अस्पष्टता अथवा गलत निर्वचन से बचा जा सके। तदनुसार खंड 6(1) से (9) के स्थान पर खंड 6(1) से (12) के अंतर्गत नए उपबंध प्रतिस्थापित किए गए हैं।

खंड 7 (मूल)

53. समिति ने नोट किया है कि विधान का उद्देश्य वनवासियों के साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय को समाप्त करने के लिए उनके व्यापक पारंपरिक अधिकारों को मान्यता प्रदान करना है। अत: इस अधिनियम के किसी उपबंध के उल्लंघन के लिए अर्थदंड और वन अधिकारों के निलंबन के दांडिक उपबंधों को समिति द्वारा अत्यंत कठोर और अनुपयुक्त माना गया है। समिति ने महसूस किया है कि ऐसे दांडिक उपबंध तथाकथित उल्लंघन के लिए वनवासियों पर कार्यवाही करने के लिए प्राधिकारियों को समर्थ बनाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें परिहार्य परेशानियां होती हैं। अत: समिति ने निर्णय लिया है कि इन उपबंधों का लोप किया जाए। तदनुसार, खंड 7 का लोप किया गया है।

नया खंड 7

54. समिति ने महसूस किया है कि ग्राम सभा किसी भी समय इस अधिनियम के अधीन ग्राम सभा के अधिकार क्षेत्र में आने वाले मामलों पर विचार करने के लिए महिलाओं के प्रतिनिधित्व के साथ केवल ग्राम सभा के सदस्यों से ही मिल कर बनी एक या उससे अधिक समितियां अथवा अन्य संस्थाएं गठित कर सकती है तथा ग्राम सभा को कोई कार्यवाही करने की सिफारिश कर सकती है बशर्ते कि ऐसी समितियों अथवा संस्थाओं की शक्तियां पूर्णत: परामर्शी प्रकृति की हों। तदनुसार विद्यमान खंड 6 के पश्चात् एक परंतुक के साथ नए खंड 7 का उपबंध किया गया है।

नया खंड 8

55. समिति ने नोट किया है कि पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा 1990 में जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार "राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ऐसे व्यक्तियों को वैकल्पिक आर्थिक आधार" उपलब्ध कराएंगे जिनका व्यवसाय नियमितीकरण के लिए अपात्र पाया गया है। गरीबों के लिए जीविका सुनिश्चित करने के लिए सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि लोगों के विस्थापन को रोका जाए। तथापि, अंतिम तारीख और प्रक्रिया की विफलता के कारण अनेक गैर-अनुसूचित जनजाति के वनाश्रित लोगों को विधि के अधीन अपात्र घोषित किया जा सकता है।

समिति ने महसूस किया है कि ऐसे सभी लोगों की पहचान ऐसे लोगों में से की जाए जिन्होंने व्यवसायिक उद्देश्यों के लिए अथवा आदिवासी भूमि पर कब्जा करके वनों में प्रवेश किया है तथा ऐसे सभी व्यक्तियों को वनों के आसपास वन-रोपण अथवा अन्य वन आधारित क्रियाकलापों में रोजगार तथा वन संसाधनों तक पहुंच के माध्यम से उसी स्थान पर पुनर्वास के लिए विचार किया जाए। अत: समिति ने महसूस किया है कि विधेयक में इस संबंध में एक उपबंध किया जाए। तदनुसार, नया खंड 7 के पश्चात एक नया खंड 8 अंत:स्थापित किया गया है।

मूल खंड 8, 9, 10, 11 और 12 को खंड 9, 10, 11, 12 और 13 के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जाना

नया खंड 14 (मूल खंड 13)

56. समिति ने यह महसूस किया है कि इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले निदेश इस विधि के उपबंधों से संगत होंगे तथा उनके परिणामस्वरूप इस अधिनियम के अधीन मान्यताप्राप्त किसी भी अधिकार को कम अथवा निराकृत नहीं किया जाएगा। अत: समिति ने उपयुक्त उपबंध बनाने का निर्णय लिया है। तदनुसार खंड 14 के अधीन परंतुक जोड़ा गया है।

खंड 15 (मूल खंड 14)

57. समिति ने महसूस किया है कि यह आवश्यक है कि यदि इस अधिनियम के उपबंधों का तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों अथवा किसी न्यायालय द्वारा जारी किसी डिक्री, विनिर्णय, पंचाट अथवा आदेश पर अध्यारोही प्रभाव होना चाहिए अथवा इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन के मामले में, इस अधिनियम के उपबंध अभिभावी होंगे। तदनुसार, मूल खंड 14 में संशोधन किया गया है तथा उसे खंड 15 के रूप में पुनर्संख्यांकित किया गया है।

खंड 16 (मूल खंड 15)

58. इस खंड पर विचार करते समय, समिति ने इस बात को ध्यान में रखा है कि इस खंड के अधीन बनाए जाने वाले नियम पूर्व प्रकाशनों के अध्यधीन हों ताकि राजपत्र में उनके अंतिम रूप से प्रकाशन से पूर्व इसमें रूचि लेने वाले तथा प्रभावित पक्षों की राय को जाना जा सके। समिति की यह राय भी है कि वह रीति, जिससे धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन वन अधिकारों का प्रयोग किया जाना है तथा उसके लिए पद्धति तथा धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन वन अधिकारों की मान्यता और सत्यापन की रीति का अवधारण करने के लिए नियमों के निर्धारण से संबंधित मामलों का लोप किया जाना चाहिए। विधेयक में समर्थकारी उपबंधों की तर्ज पर खंड 16 का मसौदा पुन: तैयार किया गया है, तदनुसार खंड 16 का संशोधन किया गया है।

59. समिति ने यह निर्णय भी लिया है कि विधेयक पूरे नाम, उद्देशियका तथा नाम में उपयुक्त रीति से पारिणामिक संशोधन किए जाएं। तदनुसार, आवश्यक संशोधन किए गए हैं।

सामान्य सिफारिश

संविधान की नौवीं अनुसूची में इसके अधिनियम के पश्चात विधेयक को सही स्थान पर रखना

60. समिति ने यह नोट किया है कि यह विधेयक हमारे समाज के कुछ सबसे कमजोर और सर्वाधिक सीमांत समुदायों और विशेषकर अनुसूचित जनजातियों के एक बड़े भाग के प्रति सदियों से हो रहे अन्याय को दूर करने का तात्कालिक उपाय है। समिति ने यह भी नोट किया है कि पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के आलोक में न्यायालयों ने बहुत सारे आदेश जारी किए हैं जिसमें भू उपाधि के विनियमन पर रोक और अधिकारों की मान्यताप्राप्ति की प्रक्रिया को पूरी होने से रोकना शामिल है। ऐसे समय में मुकदमेबाजी के आधार पर और अधिक विलंब करना अनुसूचित जनजातियों और परंपरागत ढंग से वनों में रहने वाले अन्य लोगों के साथ और अधिक अन्याय करने जैसा होगा और इससे और ज्यादा

पलायन बढ़ेगा। चूंकि इस कानून का आशय संविधान के अनुच्छेद 39(क), 39(ख) और 46 में वर्णित निदेशक सिद्धांतों के अन्तर्गत संवैधानिक आदेश और अनुच्छेद 48क के अंतर्गत राज्यों के आदेश को पूरा करना है अतएव इसे अनुच्छेद 31ख में उपलब्ध संरक्षण मिलना चाहिए। अत: समिति पुरजोर सिफारिश करती है कि इस विधेयक के अधिनियमन के पश्चात इसे संविधान की नौवीं अनुसूची में रखा जाए जिससे कि इस विधि के उपबंधों का सुचारू और त्वरित क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।

वन उत्पाद मूल्य आयोग का गठन करना

61. समिति यह भी सिफारिश करती है कि इस अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए अभिहित सरकारी या नोडल एजेंसी सभी वन उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने और वन में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक रूप से वन में रहने वालों को बिचौलियों और व्यापारियों से बचाने के लिए एक वन उत्पाद मूल्य आयोग का गठन करें।

पुनर्वास पैकेज

62. समिति यह जानकर चिंतित है कि इस अधिनियम के अधीन गैर-अनुसूचित क्षेत्रों में स्थित वन भूमि अभी भी सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण के लिए खुली हुई हैं। या तो संवैधानिक संशोधन के जरिए ऐसे सभी गैर-अनुसूचित क्षेत्रों को भी अधिग्रहण से छूट के लिए कोई आवरण दिया जाना चाहिए अथवा कम से कम भविष्य में ऐसे अधिग्रहण के प्रस्तावों अथवा राज्य द्वारा ऐसे अधिकारों में कटौती के लिए निम्नलिखित सिद्धान्तों को अपनाया जाना चाहिए:—

(एक) वृहत्त परियोजनाओं के प्रस्तावों जिसमें वन अधिकारों का अधिग्रहण शामिल है, का परियोजना की वांछनीयता और औचित्य के लिहाज से समग्र आकलन किया जाना चाहिए। ऐसी परियोजनाओं के सामाजिक आकलन की प्रक्रिया को भी बाध्यकारी बनाया जाना चाहिए जिसमें संभावित 'सार्वजनिक उद्देश्यों' की जांच और परीक्षण भी शामिल हों। किसी अन्य विकल्प के जरिए जिससे कि इस अधिनियम के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त अधिकारों में कमी अथवा कटौती न हो, की भी तलाश की जानी चाहिए।

(दो) क्षतिपूर्ति का निर्धारण करते समय चालू बाजार दरों पर प्रतिस्थापन मूल्य के साथ कम से कम पैंतीस प्रतिशत पोषण का मूल सिद्धांत अनिवार्यत: अपनाया जाना चाहिए। अन्य वन अधिकारों की कमी के लिए क्षतिपूर्ति का निर्धारण करते समय भी संबंधित सिद्धांतों को अपनाया जाना चाहिए। सुचारू और प्रभावी पुनर्वास के लिए भौगोलिक निरंतरता, सांस्कृतिक साम्यता और त्वरित स्वीकार्यता का सिद्धांत भी पुनर्वास इकाईयों और स्थलों का चुनाव और योजना बनाते हुए ध्यान में रखना चाहिए। लघुतर वन उत्पादों का संकलन, साझा संपत्ति संसाधन जैसे वन अधिकारों में कटौती नहीं की जानी चाहिए बल्कि इन्हें प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए। जीविका की हानि, अवसरों की हानि और सामान्य सुविधाएं जैसे जल निकास तक पहुंच अथवा सड़क अथवा पशुओं इत्यादि के लिए नांद आदि की क्षतिपूर्ति की जानी चाहिए। अभी घर अथवा आवास का अर्जन किया गया है तो परियोजना प्रभावित व्यक्तियों द्वारा पूर्व स्वीकृत बेहतर आवास उपलब्ध कराया जाना चाहिए। अगर वृहद परियोजनाओं के लिए वन अधिकारों का अर्जन किया गया है तो प्रत्येक अधिकार छीने गये व्यक्ति के परिवार को काम मिलने का पूर्व कानूनी समझौता भूमि के 15 प्रतिशत के बराबर फ्री शेयर की सुविधा या अन्य हकदारियां जो वांछित हैं, मिलनी चाहिए। अधिकार धारकों के बीच में से पर्याप्त प्रशिक्षित व्यक्तियों की उपलब्धता अधिकारों में कटौती की पूर्व शर्त होनी चाहिए। इसका अर्थ यह है कि प्रस्तावक द्वारा प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध करायी जानी चाहिए लेकिन केवल उन्हें जो प्रथम चरण में ही इसे स्वेच्छया स्वीकार करें। सिंचाई परियोजनाओं के मामले में क्षतिपूर्ति की पूर्व शर्त नवसिंचित भूमि की समान मात्रा में उपलब्धता होनी चाहिए। जहां तक भूमि का

अनुसूचित जनजाति (वन अधिकारों की मान्यता) विधेयक, 2005

संयुक्त समिति द्वारा रिपोर्ट किए गए रूप में

2005 का विधेयक संख्यांक 158बी

[दि शिड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फारेस्ट ड्वेलर्स (रिकॉगनीशन ऑफ फारेस्ट राइट्स) बिल, 2006 का हिन्दी अनुवाद]

अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) विधेयक, 2006

[अधोरेखांकित शब्द संयुक्त समिति द्वारा सुझाए गए संशोधनों को उपदर्शित करते हैं और तारक लोपों को उपदर्शित करते हैं।]

वन में रहने वाली ऐसी अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वन निवासियों के, जो ऐसे वनों में पीढ़ियों से निवास कर रहे हैं किंतु उनके अधिकारों को अभिलिखित नहीं किया जा सका है, वन अधिकारों और वन भूमि में अधिभोग को मान्यता देने और उनमें निहित करने; वन भूमि में इस प्रकार निहित वन अधिकारों को अभिलिखित करने के लिए संरचना और वन भूमि के संबंध में अधिकारों को ऐसी मान्यता देने और उन्हें निहित करने के लिए अपेक्षित साक्ष्य की प्रकृति के संबंध में उपबंध करने के लिए

विधेयक

वन में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वन निवासियों के, मान्यताप्राप्त अधिकारों में दीर्घकालीन उपयोग के लिए जिम्मेदारी और प्राधिकार जैव विविधता का संरक्षण और पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखना और वन में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वन निवासियों की जीविका तथा खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने समय वनों के संरक्षण को सुदृढ़ बनाना भी है;

और औपनिवेशिक अवधि के दौरान तथा स्वतंत्र भारत में राज्य वनों को समेकित करते समय उनकी पैतृक भूमि पर वन अधिकार और उनके निवास को पर्याप्त रूप से मान्यता नहीं दी गई थी, जिसके परिणामस्वरूप उन वन में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वन निवासियों के प्रति ऐतिहासिक अन्याय हुआ है जो वन पारिस्थितिक प्रणाली को बचाने के लिए और बनाए रखने के लिए अभिन्न अंग हैं;

स्पष्टीकरण— इस खंड के प्रयोजनों के लिए ''ग्राम सभा'' पद का खंड (त) में दी गई ''ग्राम''
1996 का 40 की परिभाषा के अनुसार अर्थ लगाया जाएगा, जो पंचायत (अनुसूचित क्षेत्र विस्तार) अधिनियम, 1996 के उपबंधों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को भी लागू होते हैं।

(ज) ''आवास'' के अंतर्गत ऐसा क्षेत्र भी है जिसमें आदिम अनुसूचित जनजाति समूहों और कृषि पूर्व समुदायों और अन्य वनवासी अनुसूचित जनजातियों के परंपरागत आवास और आरक्षित वनों और संरक्षित वनों में ऐसे अन्य आवास सम्मिलित हैं;

(झ) ''लघु वन उत्पाद'' के अन्तर्गत पादप मूल के सभी गैर इमारती वनोत्पाद हैं, जिनमें बांस, झाड़ झंखाड़, ठूंठ, बेंत, तुसार, कोया, शहद, मोम, लाख, तेंदू या केंदू पत्ते, औषधीय पौधे और जड़ी बूटियां, मूल, कन्द ईंधनकाष्ठ और उसी प्रकार के उसी प्रकार के पत्थर, स्लेट और बाउल्डर्स तथा जलाशयों से उत्पाद जिनमें मछली, अपतृण और इसी प्रकार के उत्पाद सहित सम्मिलित हैं;

(ञ) ''नोडल अभिकरण'' से धारा 11 में विनिर्दिष्ट नोडल अभिकरण अभिप्रेत है;

(ट) ''अधिसूचना'' से राजपत्र में प्रकाशित कोई अधिसूचना अभिप्रेत है;

(ठ) ''विहित'' से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ड) ''अनुसूचित क्षेत्र'' से संविधान के अनुच्छेद 244 के खण्ड (1) में निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्र अभिप्रेत है;

2003 का 18 (ढ) ''सतत उपयोग'' का वही अर्थ होगा जो जैव विविधता अधिनियम, 2002 में है;

(ण) ''परम्परागत वन निवासी'' से कोई सदस्य या समुदाय अभिप्रेत है जो वन भूमि या उसके निकट निवास करता है और प्राथमिक रूप से वन भूमि या वन स्रोतों पर अपनी आजीविका की आवश्यकताओं के लिए निर्भर करता है इस पद में—

(i) ऐसे समुदाय जो वन में या वन के आसपास कम से कम तीन पीढ़ियों से निवास कर रहे हों;

(ii) ऐसे समुदाय जो वन भूमि में सरकारी नीति के परिणामस्वरूप या उसकी असफलता जैसे वे सभी किसी सरकारी विभाग द्वारा बसाए गए थे या बसाए जाने के लिए प्रोत्साहित किए गए थे या वन भूमि पर नीति के परिणामस्वरूप बसाए गए हैं या अवस्थित किए गए हैं और व्यक्तियों के सभी निकास पद्धति, वृत्ति या वाणिकी के लिए वन भूमि पर सम्पूरेखन या अन्य कार्य या उपयोग के लिए बसाए गए हैं जिनके अंतर्गत वन ग्रामों तौंग्या बन्दोबस्त और उसी प्रकार की अन्य रीति में चाहे जो भी हो इस बात पर ध्यान दिए बिना अभिलिखित किए गए हैं या नहीं;

(iii) यदि विकास परियोजनाओं, प्राकृतिक आपदाओं या अन्य परिस्थितियों के कारण ऐसे समुदाय के सदस्य या उसका या उसके कुटुम्ब को बलपूर्वक चाहे सदस्य के मूल निवास से विस्थापित किया गया हो;

1927 का 16 (iv) यदि ऐसे समुदाय के मूल निवास को भारतीय वन अधिनियम, 1878 या भारतीय
1972 का 53 वन अधिनियम, 1927 या वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अधीन वन अभ्यारण्य या
1980 का 69 राष्ट्रीय उद्यान या संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है या अन्यथा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 या अन्य विधि जो लागू हो के अधीन वन क्षेत्र समझा गया है; और

(v) यदि ऐसे समुदाय के किसी सदस्य को केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा ऐसे समुदाय के सदस्य या सदस्यों के समूह को जिसका वह सदस्य है भूमि या अन्य जीविका संसाधन उपलब्ध कराने की अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करने में असफल रहने के परिणामस्वरूप कोई वन

भूमि या जीविका के लिए वन संसाधन अधिभोग में लेने या क्रय करने के लिए विवश किया गया है।

(द) "ग्राम" से–

(i) पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 की धारा 4 के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट, इस बात को ध्यान में रखे बिना कि अंतर्वलित क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र है अथवा नहीं कोई ग्राम; या 1996 का 40

*** *** *** ***

(ii) वन ग्राम, पुरातन निवास या बस्तियां और असर्वेक्षित ग्राम चाहे वे ग्राम के रूप में अधिसूचित हों या नहीं; या

(iii) उन राज्यों की दशा में, जहां कोई पंचायतें नहीं है, पारम्परिक ग्राम, चाहे जिस नाम से ज्ञात हो, अभिप्रेत है।

(थ) "वन्य पशु" से वन्य जीव (संरक्षण)अधिनियम, 1972 की अनुसूची 1 से 4 में विनिर्दिष्ट पशु की कोई ऐसी प्रजातियां अभिप्रेत हैं जो प्रकृति में वन्य के रूप में पाई जाती हैं। 1972 का 53

अध्याय 2

वन अधिकार

परिभाषित वन में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वन निवासियों के वन अधिकार।

3. (1) इस अधिनियम मे प्रयोजनों के लिए, वन्य में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों के और अन्य परंपरागत वन निवासियों सभी वनभूमि पर निम्नलिखित वन अधिकार होंगे जो व्यष्टिक या सामुदायिक भूधृति या दोनों को सुरक्षित करते हैं, अर्थात् :—

(क) वन में रहने वाली अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासियों के किसी सदस्य या किन्हीं सदस्यों द्वारा निवास के लिए या स्वकृषि के लिए व्यक्तिगत या सामूहिक अधिभोग के अधीन वन भूमि को धारित करने और उसमें रहने का अधिकार;

(ख) निस्तार के रूप में सामुदायिक अधिकार चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हों, जिनके अंतर्गत तत्कालीन राजाओं के राज्यों, जमींदारी या ऐसे अन्य मध्यवर्ती शासनों में उपयोगाधीन अधिकार भी सम्मिलित हैं जो वन भूमि में होते थे के अधिकार;

(ग) लघु वन उत्पादों के स्वामित्व का अधिकार उन्हें संग्रहीत करने के लिए पहुंच, उनका उपयोग/परिवहन और व्ययन जिन्हें गांव की सीमा के भीतर या बाहर पारंपरिक रूप से संग्रहीत किया जाता रहा है;

(घ) मत्स्य और जलाशयों के अन्य उत्पाद, चारागाह (स्थापित और घुमक्कड़ दोनों) के उपयोग या उन पर हकदारी के अन्य सामुदायिक अधिकार और यायावरी या चारागाही समुदायों की पारम्परिक मौसमी संसाधनों तक पहुंच;

(ङ) आदिम जनजाति समूहों और कृषि पूर्व समुदायों के लिए बसने और बस जाने का अधिकार जिसके अंतर्गत सामुदायिक भूधृतियों भी हैं;

(च) किसी ऐसे राज्य में जहां दावे विवादित हैं, किसी भी नाम विधान के अधीन विवादित भूमि में या उस पर अधिकार;

(छ) वन भूमि पर हक के लिए किसी स्थानीय प्रधिकरण या किसी राज्य सरकार द्वारा जारी पट्टों या धृतियों या अनुदानों के संपरिवर्तन के लिए अधिकार;

(ज) वनों के सभी वन ग्रामों, पुराने आवासों, असर्वेक्षित ग्रामों के बसने का अधिकार चाहे वे राजस्व ग्रामों में **लेखबद्ध हों, अधिसूचित हों अथवा नहीं;

(झ) वन संसाधनों के सामुदायिक अधिकार और ऐसे सामुदायिक वन संसाधनों का उपयोग, संरक्षण, पुनर्सज्जीवित, संरक्षित, नियंत्रित या प्रबंध करने का प्राधिकार परंतु ऐसे अधिकार में सभी उत्पाद या फायदों के अधिकार सम्मिलित हैं जैसे कि इमारती लकड़ी, खनिज, पर्यावरणीय और सांस्कृतिक सेवाएं;

(ञ) ऐसे अधिकार जिनको किसी राज्य की विधि या किसी स्वशासी जिला परिषद या स्वशासी क्षेत्रीय परिषद के विधियों के अधीन मान्यता दी गई है या जिन्हें किसी राज्य की संबंधित जनजाति की किसी पारंपरिक या रूढ़िगत विधि के अधीन जनजातियों के अधिकारों के रूप में स्वीकार किया गया है;

(ट) जैव विविधता तथा पहुंच का अधिकार और वन जैव विविधता तथा सांस्कृतिक विविधता से संबंधित बौद्धिक संपदा और पारंपरिक ज्ञान है सामुदायिक अधिकार;

(ठ) वहीं पर पुनर्वास का अधिकार जिसके अंतर्गत उन मामलों में आनुकल्पिक भूमि भी है जिनमें वन में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वन निवासियों को किसी भी प्रकार की वनभूमि से पुनर्वास के उनके वैध हक दिए बिना अवैध रूप से बेदखल या विस्थापित किया गया हो;

(ड) ऐसे अन्य पारंपरिक अधिकार जिनका रूढ़िगत रूप से उपभोग यथास्थिति, वन में रहने वाली उन अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वन निवासियों द्वारा किया जा रहा है जो खंड (क) से खंड (ट)में वर्णित है किन्तु उनमें किसी प्रजाति के वन्य जीव का शिकार करने और उन्हें फंसाने या उनका शरीर का कोई भाग निकालने का परंपरागत अधिकार नहीं है।

(2) अधिकारों के निहित होने में ऐसी वन में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वन निवासियों के कुटुंबों के अधिभोगाधीन या वन विभाग द्वारा उनको पट्टे पर दी गई जमीन भी सम्मिलित है तथा वृक्षारोपण या इसी तरह के किसी अन्य प्रयोजन के लिए वन विभाग या अन्य अभिकरणों द्वारा बाद में ऐसी भूमि को ले लिया गया हो।

(3) केन्द्रीय सरकार यह संसूचित करेगी कि वन में रह रही अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वन निवासियों के भोजन, फाइबर, शिक्षा,स्वास्थ्य, संसूचना और इसी तरह की विकासशील अपेक्षाओं का उपबंध किया गया है तथा वनों या वनों से सटे क्षेत्रों में ऐसी आधारभूत और आवश्यक विकासशील सुविधाओं को उपलब्ध कराने की अपेक्षा वनभूमि से पूरी की जाएगी।

1980 का 69 (4) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 में किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार वन भूमि के लिए सरकार द्वारा व्यवस्थित निम्नलिखित सुविधाओं के लिए परिवर्तन का उपबंध करेगी जिनके अंतर्गत प्रति प्रयोजना पचहत्तर से अनधिक पेड़ों का गिराया जाना भी सम्मिलित है, अर्थात्:—

(क) स्कूल;
(ख) औषधालय या अस्पताल;
(ग) आंगनबाड़ी;
(घ) उचित कीमत की दुकान;
(ङ) विद्युत और दूरसंचार की लाइन;
(च) टैंक और नए लघु जलाशय;
(छ) पेय जल की आपूर्ति और जल पाइपलाइन;
(ज) जल या वर्षा जल संचयन संरचनाएं;
(झ) लघु सिंचाई नहरें
(ञ) अपारंपरिक ऊर्जा के स्रोत;
(ट) कुशल उन्नयन या व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र;
(ठ) सड़क; और
(ड) सामुदायिक केन्द्र:

परंतु वन भूमि के ऐसे परिवर्तन को तभी अनुज्ञात किया जाएगा जब यदि वह—

(i) इस उपधारा में वर्णित प्रयोजनों के लिए परिवर्तित की जाने वाली वनभूमि ऐसे प्रत्येक मामले में एक हेक्टेयर से कम नहीं है; और

(ii) ऐसी विकासशील परियोजनाओं की अनापत्ति इस शर्त के अधीन रहते हुए होगी कि उसकी सिफारिश ग्राम सभाओं द्वारा की गई हो।

(5) किसी रूढ़ि या परंपरा के होते हुए भी अनुसूचित जनजातियों और परम्परागत वन निवासियों की महिला सदस्यों को बराबर अधिकार होंगे और महिला मालिक की गृहस्थी या विधवाओं के लिए विशेष उपबंध किया जाएगा।

अध्याय 3

वन अधिकारों की मान्यता, प्रत्यावर्तन और उनका निहित होना तथा संबंधित विषय

वन में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों और अन्य परम्परागत वन निवासियों के वन अधिकारों की मान्यता और उनका निहित होना।

4. (1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी और इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए केन्द्रीय सरकार,

(क) राज्यों या राज्यों के उन क्षेत्रों में निवास कर रही वन में रहने वाली जनजातियां जहां उन्हें धारा 3 में उल्लिखित सभी वन अधिकारों के बाबत अनुसूचित जनजातियों के रूप में घोषित किया गया है;

(ख) धारा 3 में उल्लिखित सभी वन अधिकारों के बाबत अन्य पारंपरिक वन निवासी;

* * *   * * *   * * *   * * *

(2) राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के संकटपूर्ण वन्य जीव आवास में इस अधिनियम के अधीन मान्यताप्राप्त वन अधिकारों को पश्चात्‌वर्ती रूप में उपान्तरित या निर्धारित कर सकते हैं, परंतु कोई अधिकार धारक पुनर्व्यवस्थित नहीं होगा या किसी भी रीति में उनके अधिकार वन जीव संरक्षण के लिए अनतिक्रमणीय क्षेत्रों के सृजन के प्रयोजनों पर सभी मामलों में निम्नलिखित दशाओं के समाधान होने के सिवाय प्रभाव नहीं डालेंगे अर्थात्,

(क) धारा 6 में यथा विनिर्दिष्ट मान्यता और निहित अधिकारों की प्रक्रिया विचाराधीन सभी क्षेत्रों में पूरी हो;

(ख) यह वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के अधीन उनकी शक्तियों के प्रयोग में 1972 का 53
और सभी अधिकार धारकों की सहमति से तथा उस क्षेत्र से परिचित पारिस्थितिकीय और समाज विज्ञानी के परामर्श से राज्य सरकार से संबद्ध अभिकरणों द्वारा स्थापित किया गया है कि अधिकार उपस्थित धारकों के वन्य पशुओं पर क्रियाकलाप या प्रभाव अनुत्क्रमणीय नुकसानी करने के लिए पर्याप्त है और उक्त प्रजाति और उनके निवास के अस्तित्व के लिए खतरा है;

(ग) राज्य सरकार सभी अधिकार धारकों की सहमति प्राप्त करने के पश्चात उस क्षेत्र से परिचित स्वतंत्र पारिस्थितिकीय और समाज विज्ञानी के परामर्श से यह निष्कर्ष निकाल चुकी है कि अन्य युक्तियुक्त विकल्प जैसे सहअस्तित्व, जहां संकटपूर्ण वन्य जीव आवास है, मानव उपयोग संरक्षण मूल्य वैकल्पिक नहीं है या जहां व्यक्ति उपयोग पैटर्न में कुछ परिवर्तन संरक्षण मूल्य या जनितः नवीन अवस्थिति के साथ मेल खा सकता है, जहां संपूर्ण नवीन अवस्थिति ऐसे संघातों के न्यूनीकरण के लिए आवश्यक नहीं है, उपलब्ध नहीं है;

(घ) पुनर्व्यवस्था या अनुकल्पीय पैकेज तैयार और संसूचित किया गया है कि प्रभावी व्यक्तियों तथा समुदायों के लिए जीविका सुनिश्चित करने का उपबंध है और ऐसे प्रभावी व्यक्तियों की अपेक्षाओं को पूरा करता है तथा केंद्रीय सरकार की राष्ट्रीय अनुतोष और पुनर्वास नीति में दिए गए समुचित है।

(ङ) पुनर्व्यवस्था और दिए गए पैकेजों के लिए संबद्ध क्षेत्र में ग्राम सभा और संबद्ध व्यक्तियों की निःशुल्क सूचित लिखित में प्राप्त की गई;

(च) कोई पुनर्व्यवस्था तब तक नहीं होगी जब तक की पुनर्व्यवस्था अवस्थिति पर सुविधाएं और भूमि आवंटन वायदा किए गए पैकेज के अनुसार पूरी न की गई हो:

परंतु संकटपूर्ण वन्यजीव आवास जिससे अधिकार धारक वन्यजीव संरक्षण के प्रयोजनों के लिए पुनर्अवस्थित होते हैं, उन्हें पश्चातवर्ती राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार या किसी अन्य उपयोगों के लिए किसी एकक का अपवर्तन नहीं करेगी:

परंतु यह और की समुदाय का अपने मूल निवास पर अधिकार होगा यदि वह पुनर्वास से संतुष्ट नहीं है।

(3) वन भूमि और उसके निवासियों की बाबत किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में वन में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों और अन्य परम्परागत वन निवासियों को इस अधिनियम के अधीन वन अधिकारों की मान्यता देना और उनका निहित किया जाना इस शर्त के अधीन होगा कि ऐसी जनजातियों और जनजाति समुदायों या अन्य परम्परागत वन निवासियों ने 13 दिसंबर, 2005 से पहले वन अधिभोग में ले लिया था।

(4) उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त कोई अधिकार आनुवंशिक होगा किन्तु संक्रमणीय या अन्तरणीय नहीं होगा और विवाहित व्यक्तियों की दशा में पति-पत्नी दोनों के नाम में संयुक्त रूप से और यदि किसी घर का मुखिया एकल व्यक्ति है तो एकल मुखिया के नाम में रजिस्ट्रीकृत होगा तथा सीधे उत्तराधिकारी में अनुपस्थिति में उत्तराधिकार योग्य अधिकार अलग नातेदार को चला जाएगा।

(5) जैसा अन्यथा उपबन्धित है उसके सिवाय, किसी वन में रहने वाली अनुसूचित जनजाति या अन्य परम्परागत वन निवासियों का कोई सदस्य वन भूमि से तब तक बेदखल नहीं किया जाएगा या हटाया नहीं जाएगा जब तक कि मान्यता और सत्यापन प्रक्रिया पूरी नहीं की जाती है**।

(6) जहां उपधारा (1) द्वारा मान्यताप्राप्त या निहित वन अधिकार धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (क) में वर्णित भूमि के संबंध में है, वहां ऐसी भूमि इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को किसी व्यष्टि या कुटुम्ब या समुदाय के अधिभोगाधीन होगी, ऐसी भूमि वास्तविक कब्जे के अधीन क्षेत्र तक निर्बन्धित होगी;

(7) उपधारा (1) के अधीन वन में रहने वाली अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासियों में मान्यताप्राप्त और निहित वन अधिकार केवल निहित** सीमा तक प्रयोग में लाए जाएंगे।

(8) जहां समुदायों द्वारा धारा 3 के खंड (ड) के अधीन अधिकारों का दावा किया जा रहा है कि आंशिक या पूर्ण व्यवहार स्थानांतरणीय कृषि, ऐसा समुदाय किसी भूमि पर जो उस समुदाय की परंपरागत सीमा या रेंज के भीतर भूमि प्रयोग हेतु पूर्ण विनिश्चय निर्माण शक्ति रखेगा।

(9) वन अधिकार, सभी भारों और प्रक्रियात्मक अपेक्षाओं से मुक्त रूप से प्रदत्त किया जाएगा, जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अधीन अनापत्ति जिसमें इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट के सिवाय "शुद्ध वर्तमान मूल्य" के संदाय की अपेक्षा और वन भूमि में अपवर्तन के लिए प्रतिकरात्मक वन रोपण सम्मिलित हैं। 1980 का 69

(10) अधिनियम के अधीन मान्यताप्राप्त और निहित वन अधिकारों में वन में निवास करने वाले अनुसूचित जनजातियों या अन्य परंपरागत वन निवासियों के वन भूमि अधिकार सम्मिलित होंगे जो यह साबित कर सकेंगे कि वे राज्य विकास हस्तक्षेप के कारण भूमि प्रतिकर के बिना उनके रहने के

स्थान और कृषि से विस्थापित किए गए थे और जहां भूमि का उपयोग उक्त अर्जन से पांच वर्ष के भीतर उस प्रयोजन के लिए नहीं किया गया है जिसके लिए वह अर्जित की गई थी।

वन अधिकारों के धारकों के कर्तव्य और राज्य सरकार के दायित्व।

5. (1) ग्राम सभा और ग्राम स्तर की संस्थाएं उन क्षेत्रों में जहां इस अधिनियम के अधीन किन्हीं वन अधिकारों के धारक हैं निम्नलिखित के लिए सशक्त हैं,—

(क) वन्य पशु, वन और जैव विविधता का संरक्षण करना;

(ख) यह सुनिश्चित करना कि अनुलग्न जलागम क्षेत्र, जल स्रोत और अन्य पारिस्थितिक विज्ञान संवेदनशील क्षेत्र पर्याप्त रूप से संरक्षित हैं;

(ग) यह सुनिश्चित करना कि वन में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों के निवासी और अन्य परंपरागत वन निवासी किसी प्रकार की ध्वन्सात्मक प्रक्रियाओं से संरक्षित हैं जो उनकी सांस्कृतिक और वास्तविक विरासत को प्रभावित करती हैं;

(घ) यह सुनिश्चित करना कि सामुदायिक वन संसाधनों की पहुंच को विनियमित करने के लिए और किसी क्रियाकलाप को रोकना जो वन्य पशु, वन और जैव विविधता पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं और जैव विविधता का पालन करने के लिए ग्राम सभा में विनिश्चय करना;

(ङ) यह सुनिश्चित करना कि जब वन में निवास करने वाले अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी कृषि से तैयार किए गए लघु वन उत्पाद का विक्रय करना चाहते हैं जब उन्हें उनकी अपनी पसंद के व्यक्ति को विक्रय करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा किंतु सरकार उन्हें पर्याप्त और उचित न्यूनतम समर्थन कीमत की प्रस्थापना करेगी और उन्हें बिचौलियों तथा व्यापारियों से संरक्षित करने के लिए उपाय करेगी;

(2) सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि वन में रहने वाली अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी, सभी खोजों, विदोहन, प्राकृतिक स्रोतों के उपयोग से उदभूत किसी फायदे से वंचित नहीं किए जाएंगे और उन्हें वन में निवास कर रही अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वन निवासियों को ऐसे क्रियाकलाप के कारण हुई नुकसानी के लिए पर्याप्त रूप से प्रतिकर भी दिया जाए।

(3) सरकार वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वन निवासियों के वन अधिकारों को इस अधिनियम के अधीन संरक्षित करेगी और किसी ऐसे व्यक्ति को जो वन में रहने वाली अनुसूचित जनजाति का नहीं है या जो अन्य परंपरागत वन निवासी नहीं है व्यष्टिक अभिकरण, निगम या संस्था को इस अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करने से प्रतिषिद्ध करेगी और उन्हें ऐसा करने के लिए उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही करेगी।

(4) सरकार जैव विविधता के पहुंच के अधिकार और वन जैव विविधता तथा सांस्कृतिक विविधता से संबंधित बौद्धिक और पारंपरिक ज्ञान के लिए सामुदायिक अधिकार का संरक्षण करेगी।

(5) कोई वन भूमि जो इस अधिनियम के अधीन मान्यताप्राप्त अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है ग्राम सभा को पूर्व सूचना और उसकी पूर्व सहमति के बिना और प्रभावित व्यक्तियों को "भूमि के लिए कृषि योग्य भूमि" सिद्धांत के आधार पर पर्याप्त समतुल्य प्रतिकर का संदाय किए बिना तथा समुचित पुनर्वास के बिना अर्जित या परिवर्तित नहीं की जाएगी:

परंतु वे क्षेत्र जहां संविधान की छठी अनुसूची लागू होती है वहां उसके उपबंध भूमि अर्जन के संबंध में इस अधिनियम के उपबंधों के ऊपर लागू होंगे।

अध्याय 4

वन्य अधिकारों को निहित करने के लिए प्राधिकारी और प्रक्रिया

6.(1) ग्राम सभा, इस अधिनियम के अधीन उसकी अधिकारिता की स्थानीय और रूढ़िजन्य सीमाओं के भीतर वन में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वन निवासियों को दावों को प्राप्त करके, उनका ऐसी रीति में जो ऐसे अधिकारों का प्रयोग करने के लिए विहित की जाए, समेकन और सत्यापन करके तथा प्रत्येक सिफारिश किए गए दावे* के क्षेत्र का सीमाकंन करते हुए मानचित्र तैयार करके दिए जा सकने वाले वन अधिकारों को व्यष्टिक या सामुदायिक वन अधिकारों या दोनों की प्रकृति और विस्तार का अवधारण करने के लिए प्रक्रिया आरंभ करने के लिए *प्राधिकारी होगी और ग्राम सभा तब उस शर्त का संकल्प पारित करेगी तथा तत्पश्चात् उसकी एक प्रति उपखंड स्तर की समिति को अग्रेषित करेगी:

वन में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों और अन्य वन निवासियों में वन अधिकार निहित करने के लिए प्राधिकारी और उसकी प्रक्रिया।

(2) ग्राम सभा के संकल्प से व्यथित कोई सारवान संभाव्य अधिकार का धारक उपखंड स्तर की समिति को एक आवेदन करेगा और उपधारा (3) के अधीन गठित उपखंड स्तर की समिति *उस आवेदन पर विचार करेगी और सलाह की प्रकृति की सिफारिशों को साठ दिन की अवधि के भीतर ग्राम सभा को संसूचित करेगी जिसके पश्चात् ग्राम सभा विनिश्चय करेगी और विनिश्चय के अनुसार नब्बे दिन के भीतर अंतिम संकल्प पारित करेगी:

परंतु उपखंड स्तर की समिति को ऐसी प्रत्येक अर्जी ग्राम सभा द्वारा संकल्प पारित किए जाने की तारीख से साठ दिन के भीतर दी जाएगी:

***   ***   ***   ***

(3) राज्य सरकार ग्राम सभा द्वारा पारित संकल्पों की जांच करने के लिए उपखंड स्तर की समिति का गठन करेगी जो ग्राम सभा को सिफारिशें, यदि कोई हो, करेगी जो अपना अंतिम विनिश्चय करेगी तथा वन अधिकारों के अभिलेख तैयार करेगी और उन्हें अंतिम विनिश्चय के लिए जिला स्तर की समिति** को भेजेगी।

(4) ग्राम सभा के विनिश्चय से व्यथित कोई व्यक्ति उपखंड स्तर की समिति को आवेदन कर सकेगी जो उसे अपनी सिफारिशों के साथ अंतिम विनिश्चय के लिए ग्राम सभा को भेजेगी।

(5) ग्राम सभा के अंतिम विनिश्चय से व्यथित कोई व्यक्ति उपधारा (4) के अधीन ग्राम सभा के विनिश्चय की तारीख से साठ दिन के भीतर जिला स्तर की समिति को अर्जी दे सकेगा और जिला स्तर की समिति ऐसी अर्जी पर विचार करेगी और उसका निपटारा करेगी:

परन्तु ऐसी कोई अर्जी जिला स्तर की समिति को सीधे तब तक नहीं दी जाएगी जब तक की ऐसी अर्जी उपखंड स्तर की समिति को नहीं की गई हो और उसने अपनी सिफारिशों के रूप में ग्राम सभा को अपनी टिप्पणियां न भेजी हों तथा ग्राम सभा ने संकल्प के माध्यम से अपना अंतिम विनिश्चय न लिया हो:

परन्तु यह और कि ऐसी अर्जी का निपटारा व्यथित व्यक्ति के विरुद्ध तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि उसे अपना पक्ष कथन प्रस्तुत करने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो।

(6) राज्य सरकार**ग्राम सभा द्वारा तैयार किए गए वन अधिकारों के अभिलेख पर विचार करने और उनका अंतिम रूप से अनुमोदन करने के लिए जिला स्तर की समिति का गठन करेगी।

(7) वन अधिकारों से संबंधित अभिलेख पर जिला स्तर की समिति का विनिश्चय अंतिम और आबद्धकारी होगा।

(8) राज्य सरकार वन अधिकारों की मान्यता और उनके निहित होने की प्रक्रिया की मानीटरी करने के लिए और ऐसे अभिलेखों और रिपोर्टों को, जिनकी नोडल अभिकरण द्वारा मांग की जाए, ऐसे अभिकरण को प्रस्तुत करने के लिए जिला स्तर की मानीटरी समिति का गठन करेगी।

***   ***   ***   ***

(9) उपखंड स्तर की समिति, जिला स्तर की समिति और राज्य स्तर की मानीटरी समिति की संरचना निम्नलिखित रूप में होगी:—

(i) उपखंड स्तर की समिति, जिला स्तर की समिति और राज्य स्तर की मानीटरी समिति के कम से कम आधे सदस्य वन में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों से होंगे जिनमें समितियों में निर्वाचित प्रतिनिधियों और अपेक्षित समुदायों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व होगा;

(ii) इस धारा के अधीन गठित समितियों के गैर-सरकारी सदस्यों के कम से कम एक तिहाई सदस्य स्त्रियां होंगी;

(iii) समिति में संबद्ध राज्य सरकार के राजस्व, अनुसूचित जनजाति मामले और वन विभागों के समुचित स्तर के उतने अधिकारी होंगे जितने राज्य सरकार द्वारा विनिश्चित किए जाएं;

(iv) इस धारा के अधीन गठित सभी समितियों की अध्यक्षता राजस्व विभाग का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिकारियों द्वारा की जाएगी;

(v) उपखंड स्तर की समिति, जिला स्तर की समिति और राज्य स्तर की मानीटरी समिति के सदस्यों की संख्या और उनके द्वारा अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया के नियम वे होंगे जो विहित किए जाएं।

(10) उपखंड स्तर की समिति, जिला स्तर की समिति और राज्य स्तर की मानीटरी समिति के कृत्य और उनके द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन में अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया निम्नलिखित होगी:—

(क) उपखंड स्तर की समिति,:—

(i) ग्राम सभा के विनिश्चयों के विरुद्ध आवेदन प्राप्त करेगी और उन पर अपनी सिफारिशें यथाविहित प्रक्रिया के अनुसार ग्राम सभा को भेजेगी;

(ii) सम्मिलित सामुदायिक वन संसाधनों की सीमाओं के बारे में विनिश्चय करने और ऐसी सीमाओं के संबंध में उनके बीच विवादों को हल करने के लिए बहुग्राम सभा अधिवेशनों का आयोजन करेगी;

(iii) ऐसे मामलों में जहां ग्राम सभा अपने उत्तरदायित्वों को पूरा करने में असफल रहती है, ग्राम सभा के अधिवेशन बुलाएगी; और

(iv) ग्राम सभा से संसूचनाएं प्राप्त करेगी तथा संबंधित सिफारिशें, यदि कोई हों, करेगी:

परन्तु ग्राम सभा द्वारा दावों के अन्वेषण की प्रक्रिया के दौरान उपखंड स्तर की समिति यह सुनिश्चित करेगी कि जिला स्तर की समिति की ओर से अपनी अधिकारिता के क्षेत्र के सूचना का प्रसारण और क्षमता निर्माण किया जा रहा है तथा सहायक प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

(ख) जिला स्तर की समिति,—

(i) यह सुनिश्चित करेगी कि मान्यताप्राप्त अधिकारों को राजस्व अभिलेखों और वन अभिलेखों में उनके अंतिम किए जाने के तीन मास के भीतर प्रविष्टि कर दी जाती है;

(ii) अधिकारों की मान्यता की प्रक्रिया के दौरान यह सुनिश्चित करेगी कि उपखंड स्तर की समितियां और ग्राम सभाएं अपने जिलों में स्थानीय भाषाओं में और इस अधिनियम के उपबंधों तथा दावों के फाइल किए जाने के लिए अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया के बारे में परंपरागत सूचना के माध्यमों से सूचना के विस्तृत प्रसारण के लिए सभी आवश्यक समर्थन प्राप्त करती हैं;

(iii) उपखंड स्तर की समितियों, ग्राम सभाओं, सिविल सोसाइटी संगठनों के सदस्यों और प्रतिनिधियों तथा अन्य स्थानीय पदधारियों के लिए प्रशिक्षण और सूचना विषयक समर्थन का आयोजन करेगी;

(iv) यह सुनिश्चित करेगी कि विद्यमान राजस्व और वन अभिलेख, मानचित्र, अन्य अपेक्षित दस्तावेज, जब भी अपेक्षित हों, उपखंड स्तर की समितियों और ग्राम सभाओं को उपलब्ध कराई जाती है; और

(v) यह सुनिश्चित करेगी कि ग्राम सभाएं, उन क्षेत्रों के, जिन पर अधिकारों का दावा किया जाता है, मानचित्र तैयार करने के लिए, सर्वेक्षकों और कार्टोग्राफरों की, जब भी अनुरोध किया जाए, तकनीकी सहायता प्राप्त करती हैं।

(ग) राज्य स्तर की मानीटरी समिति,—

(i) यह सुनिश्चित करेगी कि इस भाग में निर्दिष्ट उपखंड स्तर की समितियों और जिला स्तर की समितियों की संरचना और कार्यकरण इस अधिनियम के अधिनियमन के छह मास के भीतर पूरे कर लिए गए हैं; और

(ii) उपखंड स्तर की समितियों और जिला स्तर की समितियों के कार्यों की सामयिक मानीटरी करेगी।

(11) सम्मिलित परम्परागत वन क्षेत्र की सीमाओं को निश्चित करने और दो या अधिक ग्राम सभाओं के बीच ऐसी सम्मिलित वन सीमाओं के प्रश्न पर विवाद का हल करने या इस अधिनियम के अधीन सम्मिलित परम्परागत वन क्षेत्र में सामुदायिक अधिकारों के अवधारण के प्रयोजन के लिए दो या अधिक ग्राम सभाएं ऐसे सम्मिलित वन क्षेत्र के लिए किए जा रहे दावों की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर या सीमाओं के अवधारण के प्रयोजन के लिए सीमाओं के ऊपर विवाद का अवधारण करने और विवादों को हल करने के लिए संयुक्त अधिवेशन बुलाएंगी:

परन्तु यदि ऐसा कोई अधिवेशन होने में असफल रहता है तो उपखंड स्तर की समिति साठ दिन की उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् तीस दिन की अवधि के भीतर ऐसे अधिवेशन का आयोजन करेगी।

(12) इस अधिनियम के अधीन किसी अधिकार के दावे के समर्थन में स्वीकार्य साक्ष्य में निम्नलिखित सम्मिलित होगा किन्तु उसी तक सीमित नहीं होगा, अर्थात्:—

(क) समुदाय और समुदाय के सदस्यों का मौखिक साक्ष्य;

(ख) संबद्ध प्राधिकारी (ग्राम सभा या समिति) द्वारा कृषि क्षेत्र, पेड़ों की आयु और इसी प्रकार की अन्य चीजों का स्थल सत्यापन;

(ग) भूमि में किए जाने वाले सुधार, जैसे बंद, रोक बांध और इस तरह के अन्य कार्य;

(घ) दस्तावेजी साक्ष्य जैसे कि प्राथमिक साक्ष्य, अपराध की रिपोर्टें, पूर्व के पट्टे, गृह कर की रसीदें और इसी प्रकार अन्य दस्तावेज;

(ङ) सरकारी या स्वतंत्र अभिलेख जैसे कि गजट, वन जांच रिपोर्टें, एन्थ्रोपोलोजिकल अध्ययन का साहित्य, सर्वेक्षण और मानचित्र;

(च) दावेदार या उसके पड़ोसियों और समुदाय के अन्य सदस्यों से शपथ पत्र;

(छ) पश्चात्‌ राज्यों, जमींदारों और इसी तरह के स्वामियों के अधीन अधिकारों और अनुज्ञात उपयोगों के सरकारी अभिलेख; और

(ज) पूर्व के अनुसंधान से दस्तावेजी साक्ष्य या प्रतिष्ठित संस्थाओं या व्यक्तियों के दस्तावेज, प्रतिष्ठित एन्थ्रोपोलोजिस्ट के प्रकाशन और भारत के एन्थ्रोपोलोजिकल सर्वेक्षण की रिपोर्टें।

ग्राम सभाओं की समितियां।

7. ग्रामसभाएं उन विषयों पर विचार करने के लिए जो इस अधिनियम के अधीन ग्राम सभा के परिक्षेत्र में आते हैं, किसी भी समय एक या अधिक समितियों या अन्य संस्थाओं का गठन कर सकेंगे जिनमें महिला प्रतिनिधि सहित ग्राम सभा के सदस्यों से मिलकर बनेंगी और ग्राम सभा को कार्यप्रणाली की सिफारिश करेंगी:

परन्तु ऐसी समितियों या संस्थाओं की शक्तियां केवल सलाह की प्रकृति की होंगी।

पुनर्वास

8. किसी भी अपात्र और प्राथमिक रूप से वन पर निर्भर करने वाले अतिक्रमणकारी को वन विभाग में या किसी वन आधारित क्रियाकलाप में नियोजन देकर पुनर्वासित किया जाएगा।

अध्याय 5

अपराध और शास्तियां

*　　*　　*　　*　　*

प्राधिकरणों और समितियों के सदस्यों या अधिकारियों द्वारा इस अधिनियम के अधीन अपराध।

9. जहां कोई प्राधिकारी या समिति या ऐसे प्राधिकारी या समिति का कोई अधिकारी या सदस्य इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए वन अधिकारों की मान्यता से संबंधित किसी नियम के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन करेगा तो वह या वे इस अधिनियम के अधीन अपराध के दोषी समझे जाएंगे और अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडित किए जाने के भागी होंगे:

परंतु इस उपधारा की कोई भी बात प्राधिकरण या समिति के किसी सदस्य या इस धारा में निर्दिष्ट विभागाध्यक्ष या किसी व्यक्ति को दंड के लिए दायी नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया है या ऐसे अपराध को करने से रोकने के लिए उसने सभी सम्यक् तत्परता बरती थी।

अपराधों का संज्ञान।

10. कोई भी न्यायालय इस अधिनियम की धारा 9 के अधीन किसी अपराध का तब तक संज्ञान नहीं करेगा जब तक कि वन में रहने वाली अनुसूचित जनजाति, किसी ग्राम सभा के संकल्प से संबंधित किसी विवाद के मामले में या किसी उच्च प्राधिकारी के विरुद्ध किसी संकल्प के माध्यम से ग्राम सभा, राज्य स्तर की मानीटरिंग समिति को साठ दिन से अन्यून की सूचना नहीं दे देती और राज्य स्तर की मानीटरिंग समिति ने ऐसे प्राधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही न की हो।

अध्याय 6

प्रकीर्ण

प्राधिकरण, आदि के सदस्यों का लोक सेवक होना।

11. अध्याय 4 में निर्दिष्ट प्राधिकारियों का प्रत्येक सदस्य और इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने वाला प्रत्येक अन्य अधिकारी भारतीय दंड संहिता की धारा 21 (1860 का 45) के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझे जाएंगे।

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण।

12. (1) इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी बात, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियां केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध नहीं होंगी।

(2) इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात से कारित या कारित होने के लिए संभाव्य किसी क्षति के लिए कोई भी वाद या अन्य विधिक कार्यवाही केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के या उसके किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी के विरुद्ध नहीं होगी।

(3) इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद या अन्य विधिक कार्यवाही अध्याय 4 में यथानिर्दिष्ट किसी प्राधिकरण, जिसके अंतर्गत उसका अध्यक्ष, उसके सदस्य, सदस्य सचिव, अधिकारी और अन्य कर्मचारी भी हैं, के विरुद्ध नहीं होगी।

13. जनजाति मामलों से संबंधित भारत सरकार का मंत्रालय या केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी या प्राधिकारी इस अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए नोडल अभिकरण होगा। नोडल अभिकरण।

14. अध्याय 4 में निर्दिष्ट प्रत्येक प्राधिकारी इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने और अपनी शक्तियों का प्रयोग करने में, ऐसे साधारण या विशेष निदेशों के अध्यधीन होगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर, लिखित में दे। केन्द्रीय सरकार की निदेश जारी करने की शक्ति।

परंतु ऐसे निदेश इस अधिनियम के उपबंधों के संगत होंगे और इस अधिनियम के अधीन मान्यताप्राप्त किसी अधिकार को कम करने या लघु करने के लिए नहीं होंगे।

15. यदि तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंध या किसी न्यायालय की किसी डिक्री, निर्णय, पंचाट या आदेश इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में है तो इस अधिनियम के उपबंध अभिभावी होंगे। अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव।

16. (1) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम, अधिसूचना द्वारा और पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन रहते हुए, बना सकेगी। नियम बनाने की शक्ति।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात्:—

(क) धारा 6 में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के कार्यान्वयन के लिए प्रक्रियात्मक ब्यौरे;

(ख) धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन दावों को प्राप्त करने, उन्हें समेकित करने और उनका सत्यापन करने तथा वन अधिकारों के प्रयोग के लिए सिफारिश किए गए प्रत्येक दावे के क्षेत्र विरेखित करते हुए मानचित्र तैयार करने की प्रक्रिया और उक्त धारा की उपधारा (2) के अधीन उपखंड समिति को याचिका करने की रीति;

(ग) धारा 6 की उपधारा (8) के अधीन उपखंड स्तर की समिति, जिला स्तर की समिति और राज्य स्तर की मानीटरी समिति के सदस्यों के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए राज्य सरकार के राजस्व, वन और जनजाति मामले के विभागों के अधिकारियों का स्तर;

(घ) धारा 6 की उपधारा (9) के अधीन उपखंड स्तर की समिति, जिला स्तर की समिति और राज्य स्तर की मानीटरी समिति की संरचना और उसके कृत्य तथा उनके कृत्यों के निर्वहन में उनके द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया;

(ङ) धारा (6) की उपधारा (9) के खंड (v) के अधीन उपखंड स्तर की समिति, जिला स्तर की समिति और राज्य स्तर की मानीटरी समिति के सदस्यों की संख्या और उक्त समितियों द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रिया;

(च) धारा 6 की उपधारा (10) के खंड (क) के उपखंड (i) के अधीन ग्राम सभा के उक्त विनिश्चयों के विरुद्ध आवेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया और ग्राम सभा को उक्त सिफारिशें भेजने की प्रक्रिया;

(छ) कोई अन्य विषय जो विहित किए जाने के लिए अपेक्षित है या विहित किया जाए।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई

परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो वह नियम ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह नियम, यथास्थिति, केवल ऐसे रूपांतरित रूप में ही प्रभावी होगा या निष्प्रभाव हो जाएगा; तथापि, ऐसे किसी परिवर्तन या निष्प्रभाव होने से उस नियम के अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

परिशिष्ट-एक

(देखिए प्रतिवेदन का पैरा सं॰ 2)

विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपने हेतु प्रस्ताव

प्रस्ताव

"कि यह विधेयक वन में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों के, जो ऐसे वनों में पीढ़ियों से निवास कर रहे हैं किन्तु जिनके अधिकारों को अभिलिखित नहीं किया जा सका है, वन अधिकारों और वन भूमि में अधिभोग को मान्यता देने और उनमें निहित करने, वन भूमि में इस प्रकार निहित वन अधिकारों को अभिलिखित करने के लिए संरचना और वन भूमि के संबंध में अधिकारों को ऐसी मान्यता देने और उन्हें निहित करने के लिए अपेक्षित साक्ष्य की प्रकृति के संबंध में है, इस सभा द्वारा 30 सदस्यीय संयुक्त समिति को सौंपा गया है जिसमें 20 सदस्य इस सदन से हैं जिनके नाम निम्नवत् हैं:—

1. श्री शिंगाडा दामोदर बारकू
2. श्री महावीर भगोरा
3. श्री सी॰के॰ चन्द्रप्पन
4. श्री वी॰ किशोर चन्द्र एस॰ देव
5. श्री गिरिधर गमांग
6. डा॰ पी॰ पी॰ कोया
7. श्री ए॰ कृष्णास्वामी
8. श्री शैलेन्द्र कुमार
9. श्री राजेश कुमार मांझी
10. श्री बाबू लाल मरांडी
11. श्री मधुसूदन मिस्त्री
12. श्री हेमलाल मुर्मू
13. श्री जुएल ओराम
14. श्री बाजू बन रियान
15. श्री नन्द कुमार साय
16. श्री बाबू राव मिडियम
17. श्री सुग्रीव सिंह
18. श्री राजेश वर्मा
19. श्री रवि प्रकाश वर्मा
20. श्री पी॰आर॰ किन्डिया

और 10 सदस्य राज्य सभा से हैं।

कि संयुक्त समिति की बैठक के लिए गणपूर्ति संयुक्त समिति के सदस्यों की कुल संख्या का एक तिहाई होगी।

कि समिति अगले सत्र के दूसरे सप्ताह के अंतिम दिन तक इस सभा को एक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी।

कि अन्य विषयों में संसदीय समितियों से संबंधित इस सभा के प्रक्रिया के नियम लोक सभा अध्यक्ष द्वारा यथाकृत परिवर्तनों और आशोधनों के साथ लागू होंगे, और

कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त संसदीय समिति में शामिल हो तथा राज्य सभा संयुक्त समिति में नियुक्त किए जाने के लिए अपने 10 सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।"

परिशिष्ट-दो

देखिए (प्रतिवेदन का पैरा 3)

राज्य सभा में विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपने हेतु प्रस्ताव

प्रस्ताव

"कि यह सभा लोक सभा की इस सिफारिश का अनुसमर्थन करती है कि सभा विधेयक के संबंध में सभाओं की संयुक्त समिति में शामिल होती है। वन में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों के, जो ऐसे वनों में पीढ़ियों से निवास कर रहे हैं किन्तु जिनके अधिकारों को अभिलिखित नहीं किया जा सका है, वन अधिकारों और वन भूमि में अधिभोग को मान्यता देने और उनमें निहित करने; वन भूमि में इस प्रकार निहित वन अधिकारों को अभिलिखित करने के लिए संरचना और वन भूमि के संबंध में अधिकारों को ऐसी मान्यता देने और उन्हें निहित करने के लिए अपेक्षित साक्ष्य की प्रकृति के संबंध में है, यह संकल्प करती है कि राज्य सभा के निम्नलिखित सदस्यों को उक्त संयुक्त समिति में कार्य करने के लिए नामनिर्दिष्ट किया जाए:—

1. श्री मूल चन्द मीणा
2. श्री रिशांग कीशिंग
3. डा. राधाकान्त नायक
4. श्रीमती वृंदा कारत
5. श्री देवदास आपटे
6. श्री वीरभद्र सिंह
7. श्री रावुला चन्द्रशेखर रेड्डी
8. श्री एन. जोती
9. श्री मंगनी लाल मंडल
10. श्री नन्द किशोर यादव

राज्य सभा की शुक्रवार 23 दिसम्बर, 2005 को हुई बैठक में उपर्युक्त प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

परिशिष्ट-तीन

(प्रतिवेदन का पैरा सं॰ बारह)

लोक सभा में यथा पुरःस्थापित
13 दिसम्बर, 2005

2005 का विधेयक संख्यांक 158

[दि शिड्यूल्ड ट्राइब्स (रिकागनीशन आफ फौरेस्ट राइट्स) बिल, 2005 का हिन्दी अनुवाद]

अनुसूचित जनजाति (वन अधिकारों की मान्यता) विधेयक, 2005

वन में रहने वाली ऐसी अनुसूचित जनजातियों के, जो ऐसे वनों में पीढ़ियों से निवास कर रहे हैं किन्तु उनके अधिकारों को अभिलिखित नहीं किया जा सका है, वन अधिकारों और वन भूमि में अधिभोग को मान्यता देने और इनमें निहित करने; वन भूमि में इस प्रकार निहित वन अधिकारों को अभिलिखित करने के लिए संरचना और वन भूमि के संबंध में अधिकारों को ऐसी मान्यता देने और उन्हें निहित करने के लिए अपेक्षित साक्ष्य की प्रकृति के संबंध में उपबंध करने के लिए

विधेयक

वन में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों के मान्यताप्राप्त अधिकारों में दीर्घकालीन उपयोग के लिए जिम्मेदारी और प्राधिकार, जैव विविधता का संरक्षण और पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखना और वन में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों की जीविका तथा खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करते समय वनों के संरक्षण को सुदृढ़ बनाना भी है;

और औपनिवेशिक अवधि के दौरान तथा स्वतंत्र भारत में राज्य वनों को समेकित करते समय उनको पैतृक भूमि पर वन अधिकार और उनके निवास को पर्याप्त रूप से मान्यता नहीं दी गई थी, जिसके परिणामस्वरूप उन वन में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों के प्रति ऐतिहासिक अन्याय हुआ है जो वन पारिस्थितिक प्रणाली को बचाने के लिए और बनाए रखने के लिए अभिन्न अंग हैं;

और यह आवश्यक हो गया है कि वन में रहने वाली अनुसूचित जनजातियां, जिनके अंतर्गत वे जनजातियां भी हैं जिन्हें राज्य के विकास से उत्पन्न हस्तक्षेप के कारण अपने निवास दूसरी जगह बनाने के लिए मजबूर किया गया था, की लंबे समय से चली आ रही भूमि संबंधी असुरक्षा तथा वनों में पहुंच के अधिकारों पर ध्यान दिया जाए।

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम अनुसूचित जनजाति (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2005 है। संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ।

(2) इसका विस्तार जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय सम्पूर्ण भारत पर है।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:- परिभाषाएं।

(क) "सक्षम प्राधिकारी" से धारा 4 की उपधारा (7) में निर्दिष्ट विवादों का निपटारा करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा नियुक्त कोई अधिकारी या प्राधिकारी अभिप्रेत है;

(ख) "मुख्य क्षेत्र" से राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों के ऐसे क्षेत्र अभिप्रेत हैं जो वन्य जीव संरक्षण के प्रयोजनों के लिए अविच्छिन्न रखे जाने अपेक्षित हैं, जिन्हें केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण और वन से संबंधित मंत्रालय द्वारा अधिसूचना द्वारा अवधारित किया जाए;

(ग) "वन में रहने वाली अनुसूचित जनजाति" से अनुसूचित जनजातियों के ऐसे सदस्य या समुदाय अभिप्रेत हैं, जो मुख्यतः वनों में निवास करते हैं और जिनके अन्तर्गत ऐसी अनुसूचित जनजाति चरागाही समुदाय भी है और जो जीविका की वास्तविक आवश्यकताओं के लिए वनों या वन भूमि पर आश्रित हैं;

(घ) "वन भूमि" से किसी वन क्षेत्र के भीतर आने वाली किसी प्रकार की भूमि अभिप्रेत है और उसके अन्तर्गत अवर्गीकृत वन, विद्यमान असीमांकित या समझे गए वन, संरक्षित वन, आरक्षित वन, अभ्यारण और राष्ट्रीय उद्यान भी हैं;

(ङ) "वन अधिकार" से धारा 3 में निर्दिष्ट वन अधिकार अभिप्रेत हैं;

(च) "वन ग्राम" से ऐसी बस्तियां अभिप्रेत हैं जो किसी राज्य सरकार के वन विभाग द्वारा वन संक्रियाओं के लिए वनों के भीतर स्थापित की गई हैं या जो वन आरक्षण प्रक्रिया के माध्यम से वन ग्रामों में संपरिवर्तित की गई हैं और जिनके अन्तर्गत वन बस्ती ग्राम, नियत मांग धृति, सभी प्रकार की वन कृषि बस्तियां भी हैं चाहे वे ऐसे ग्रामों के लिए किसी नाम से ज्ञात हों और जिनके अंतर्गत सरकार द्वारा अनुज्ञात कृषि तथा अन्य उपयोगों के लिए भूमि भी हैं;

(छ) "ग्राम सभा" से ऐसी ग्राम सभा अभिप्रेत है, जो ग्राम के सभी वयस्क सदस्यों से मिलकर बनेगी और राज्य में ग्राम पंचायत न होने की दशा में, पारम्परिक ग्राम संस्थाएं हैं;

(ज) "आवास" के अंतर्गत ऐसा क्षेत्र भी है जिसमें आदिम अनुसूचित जनजाति समूहों और कृषि पूर्व समुदायों और अन्य वनवासी अनुसूचित जनजातियों के परंपरागत आवास और आरक्षित वनों और संरक्षित वनों में ऐसे अन्य आवास सम्मिलित हैं;

(झ) "लघु वन उत्पाद" के अन्तर्गत पादप मूल के सभी गैर-इमारती वनोत्पाद हैं, जिसमें बांस, झाड़ झंखाड़ ठूंठ, बैंत, तुसार, कोया, शहद, मोम, लाख, तेंदू या केंदू पत्ते, औषधीय पौधे और जड़ी बूटियां, मूल, कन्द और उसी प्रकार के पौधे भी हैं;

(ञ) "नोडल अभिकरण" से धारा 12 में विनिर्दिष्ट नोडल अभिकरण अभिप्रेत है;

(ट) "अधिसूचना" से राजपत्र में प्रकाशित कोई अधिसूचना अभिप्रेत है;

(ठ) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ड) "अनुसूचित क्षेत्र" से संविधान के अनुच्छेद 244 के खण्ड (1) में निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्र अभिप्रेत है;

(ढ) "सतत उपयोग" का वही अर्थ होगा जो जैव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 2 के खंड (ण) में है; 2003 का 18

(ण) "ग्राम" से—

(i) पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 की धारा 4 के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट कोई ग्राम; या

(ii) अनुसूचित क्षेत्र से भिन्न, पंचायतों से संबंधित किसी राज्य विधि के ग्राम के रूप में निर्दिष्ट कोई क्षेत्र; या

(iii) वन ग्राम, पुरातन निवास या बस्तियां और असर्वेक्षित ग्राम चाहे वे ग्राम के रूप में अधिसूचित हों या नहीं; या

(iv) उन राज्यों की दशा में, जहां कोई पंचायतें नहीं हैं, पारम्परिक ग्राम, चाहे जिस नाम से ज्ञात हो,

अभिप्रेत है।

(त) "वन्य पशु" से वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची 1 से 4 में विनिर्दिष्ट पशु की कोई प्रजातियां अभिप्रेत हैं। 1996 का 40

अध्याय 2

वन अधिकार

परिभाषित वन में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों के वन अधिकार।

3. इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, वन में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों के निम्नलिखित वन अधिकार होंगे जो व्यष्टिक या सामुदायिक भूधृति या दोनों को सुरक्षित करते हैं, अर्थात्:—

(क) वन में रहने वाली अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य या किन्हीं सदस्यों द्वारा निवास के लिए या स्वकृषि के लिए व्यक्तिगत या सामूहिक अधिभोग के अधीन वन भूमि को धारित करने और उसमें रहने का अधिकार;

(ख) निस्तार के रूप में सामुदायिक अधिकार, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हों, और जो तत्कालीन राजाओं के राज्यों, जमींदारी या ऐसे अन्य मध्यवर्ती शासनों में उपयोग के अधिकार;

(ग) लघु वन उत्पादों तक पहुंच, उपयोग या निपटारे का स्वामित्व का अधिकार;

(घ) उपयोग या हकदारी के अन्य सामुदायिक अधिकार जैसे चारागाह (स्थापित और घुमक्कड़ दोनों) और यायावरी या चरागाही समुदायों की पारम्परिक मौसमी संसाधनों तक पहुंच;

(ङ) आदिम जनजाति समूहों और कृषिपूर्व समुदायों के लिए बसने और बस जाने का अधिकार जिसके अंतर्गत सामुदायिक भूधृतियां भी हैं;

(च) किसी ऐसे राज्य में जहां दावे विवादित हैं, किसी भी नाम विधान के अधीन विवादित भूमि में या उस पर अधिकार;

(छ) वन भूमि पर हक के लिए किसी स्थानीय प्राधिकरण या किसी राज्य सरकार द्वारा जारी पट्टों या धृतियों या अनुदानों के संपरिवर्तन के लिए अधिकार;

(ज) वन ग्रामों का राजस्व ग्रामों के संपरिवर्तन का अधिकार;

(झ) पुराने बसे हुए और असर्वेक्षित ग्रामों, चाहे वे अधिसूचित हों या नहीं, के बन्दोबस्त का अधिकार;

(ञ) किसी सामुदायिक वन संसाधन का जिसे वे सतत उपयोग के लिए पारम्परिक रूप से संरक्षण देते रहे हैं और संरक्षित कर रहे हैं, संरक्षा, पुनर्जनन, संरक्षण या प्रबन्ध का अधिकार;

(ट) ऐसे अधिकार जो किसी राज्य विधि या किसी स्वशासी जिला परिषद् या स्वशासी प्रादेशिक परिषद् की किन्हीं विधियों के अधीन मान्यताप्राप्त हैं या जिन्हें किसी राज्य की पारम्परिक या रूढ़िजन्य विधि के अधीन जनजातियों के अधिकारों के रूप में स्वीकार किया गया है;

(ठ) कोई अन्य पारम्परिक अधिकार जिसका वन में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों द्वारा जो खंड (क) से खंड (ट) में वर्णित नहीं है, किन्तु इसके अन्तर्गत शिकार के परम्परागत अधिकार या फंसाना या वन्य पशु की किन्हीं प्रजातियों के शरीर के किसी भाग का निष्कर्षण करना सम्मिलित नहीं है।

अध्याय 3

वन में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों के अधिकार

4. (1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी और इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए केन्द्रीय सरकार, वन में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों को, जहां वे अनुसूचित हैं, वन भूमि में और उनके बसने की बाबत वन अधिकारों को मान्यता देती है और निहित करती है जिसके अन्तर्गत लघु वन उत्पाद को ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, संगृहीत करना, उपयोग करना, न्यायोचित ठहराना या अन्तरण करना भी है: वन में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों के वन अधिकारों की मान्यता और उनका निहित होना।

परन्तु राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के मुख्य क्षेत्र में इस अधिनियम के अधीन अवधारित वन अधिकार इस अधिनियम के प्रवृत्त होने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए अनन्तिम आधार पर अनुदत्त किए जाएंगे :

परन्तु यह और कि ऐसे मुख्य क्षेत्रों में ऐसे अनन्तिम अधिकार स्थायी हो जाएंगे यदि ऐसे अधिकारों के धारकों को उक्त अवधि के भीतर सम्यक् प्रतिकार के साथ पुन: अवस्थित नहीं किया जाता है।

(2) वन भूमि और उसके निवासियों की बाबत किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में वन में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों को इस अधिनियम के अधीन वन अधिकारों की मान्यता देना और उनका निहित किया जाना इस शर्त के अधीन होगा कि ऐसी जनजातियों और जनजाति समुदायों ने 25 अक्तूबर 1980 से पहले वन अधिभोग में ले लिया था।

(3) उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त कोई अधिकार आनुवंशिक होगा किन्तु संक्रमणीय या अन्तरणीय नहीं होगा।

(4) जैसा अन्यथा उपबन्धित है उसके सिवाय, किसी वन में रहने वाली अनुसूचित जनजाति का कोई सदस्य वन भूमि से तब तक बेदखल नहीं किया जाएगा या हटाया नहीं जाएगा जब तक कि मान्यता और सत्यापन प्रक्रिया ऐसी रीति में जो विहित की जाए, पूरी नहीं की जाती है।

(5) जहां उपधारा (1) द्वारा मान्यता प्राप्त या निहित वन अधिकार धारा 3 के खंड (क) में वर्णित भूमि के संबंध में हैं, वहां—

(i) इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को किसी व्यष्टि या कुटुम्ब या समुदाय के अधिभोगाधीन ऐसी भूमि वास्तविक अधिभोग के अधीन क्षेत्र तक निर्बन्धित होगी और किसी भी दशा में किसी वन में रहने वाली अनुसूचित जनजाति के एकांगी कुटुम्ब के लिए ढाई हैक्टेयर के क्षेत्र से अधिक नहीं होगी;

(ii) हक, उस सीमा तक जहां तक दिया जाता है, विवाहित व्यक्तियों की दशा में पति पत्नी दोनों के नाम में संयुक्त रूप से और एकल सदस्य गृहस्वामी की दशा में एक व्यक्ति के नाम रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा।

(6) उपधारा (1) द्वारा वन में रहने वाली अनुसूचित जनजाति में मान्यताप्राप्त और निहित वन अधिकार—

(i) केवल निहित सीमा तक प्रयोग में लाए जाएंगे;

(ii) उसमें उन अनुलग्न वनों की सतत् उपयोगिता के साथ वनों की संरक्षा, संरक्षण और पुनर्जनन का दायित्व और प्राधिकार सम्मिलित होगा जिसमें सामुदायिक अधिकार निहित हैं।

(7) उपधारा (1) द्वारा मान्यताप्राप्त और निहित किसी ऐसे वन अधिकार की दशा में जो किसी राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा विवादित है, सक्षम प्राधिकारी किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करते समय तैयार किए गए अभिलेखों पर और किसी जनजाति को संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन कोई अनुसूचित जनजाति होने या समझे जाने की अधिसूचना करते समय साक्ष्य के साथ विचार किया जाएगा तथा तब इस विषय में कोई समुचित आदेश पारित किया जाएगा:

परन्तु यह कि किसी वन अधिकार को अनुदत्त करने से मना करने वाला कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि समुदाय के व्यथित सदस्य या सदस्यों को सुनवाई का अवसर न दे दिया गया हो।

(8) वन अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त प्रदत्त किए जाएंगे जिसके अन्तर्गत वन भूमि के विचलन के लिए वर्तमान शुद्ध मूल्य और प्रतिकरात्मक वन रोपण भी सम्मिलित है।

वन अधिकारों के धारकों के कर्तव्य।

5. इस अधिनियम के अधीन किसी वन अधिकार का धारक:—

(क) उन क्रियाकलापों के सिवाय जो ऐसे अधिकारों के अधीन अनुज्ञात हैं, किसी गैर-वानकी प्रयोजनों के लिए ऐसी किसी क्रियाकलाप में संलग्न नहीं होंगे जिससे वन्य पशु वन और जैव विविधता पर उस क्षेत्र में कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो जिसके अन्तर्गत ऐसी वन भूमि और वृक्षों को साफ करना है जो उस भूमि पर प्राकृतिक रूप से उगे हैं, जिसके अन्तर्गत पुन:वनरोपण भी है;

(ख) यह सुनिश्चित करना कि अनुलग्न जलागम क्षेत्र, जल स्रोत और अन्य पारिस्थितिक विज्ञान क्षेत्र पर्याप्त रूप से संरक्षित हैं;

(ग) यह सुनिश्चित करना कि वन में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों के निवासी किसी प्रकार की ध्वंसात्मक प्रक्रियाओं से संरक्षित हैं जो उनकी सांस्कृतिक और वास्तविक विरासत को प्रभावित करती हैं;

(घ) निम्नलिखित के किसी उपबंध के अतिक्रमण में किसी क्रियाकलाप की ग्राम सभा और वन प्राधिकारियों को सूचना दी जाती है—

(i) वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972; 1972 का 53

(ii) वन्य (संरक्षण) अधिनियम, 1980; या 1980 का 69

(iii) जैव विविधता अधिनियम, 2002; 2003 का 18

(ङ) यह सुनिश्चित करना कि सामुदायिक वन संसाधनों की पहुंच को विनियमित करने के लिए और किसी क्रियाकलाप को रोकना जो वन्य पशु वन और जैव विविधता पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं और जैव विविधता का अनुपालन करने के लिए ग्राम सभा में विनिश्चय करना।

अध्याय 4

वन अधिकारों को निहित करने के लिए प्राधिकारी और प्रक्रिया

6. (1) ग्राम सभा, इस अधिनियम के अधीन उसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर वन में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों को दावों को प्राप्त करके, उनका ऐसी रीति में जो ऐसे अधिकारों का प्रयोग करने के लिए विहित की जाए, समेकन और सत्यापन करके तथा प्रत्येक सिफारिश किए गए दावे के क्षेत्र का सीमांकन करते हुए मानचित्र तैयार करके दिए जा सकने वाले वन अधिकारों को व्यष्टिक या सामुदायिक वन अधिकारों या दोनों की प्रकृति और विस्तार का अवधारण करने के लिए प्रक्रिया आरंभ करने के लिए प्राधिकारी होगी और ग्राम सभा तब उस शर्त का संकल्प पारित करेगी तथा तत्पश्चात् उसकी एक प्रति उपखंडीय स्तर की समिति को अग्रेषित करेगी। वन में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों में वन अधिकार निहित करने के लिए प्राधिकारी और उसकी प्रक्रिया।

(2) ग्राम सभा के संकल्प से व्यथित कोई व्यक्ति उपधारा (3) के अधीन गठित उपखंड स्तर की समिति को एक अर्जी दे सकेगा और उपखंड स्तर की समिति ऐसी अर्जी पर विचार करेगी और उसका निपटारा करेगी:

परन्तु ऐसी प्रत्येक अर्जी ग्राम सभा द्वारा संकल्प पारित किए जाने की तारीख से साठ दिन के भीतर दी जाएगी:

परंतु यह और कि ऐसी अर्जी का निपटारा व्यथित व्यक्ति के विरुद्ध तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि उसे, अपना पक्षकथन प्रस्तुत करने का युक्तियुक्त अवसर नहीं दे दिया गया हो।

(3) राज्य सरकार, ग्राम सभा द्वारा पारित संकल्प की परीक्षा करने के लिए उपखंड स्तर की एक समिति का गठन करेगी और वन अधिकारों का अभिलेख तैयार करेगी तथा इसे उपखंड अधिकारी के माध्यम से जिला स्तर की समिति को अन्तिम विनिश्चय के लिए भेजेगी।

(4) उपखंड स्तर की समिति के विनिश्चय से व्यथित कोई व्यक्ति जिला स्तर की समिति को उपखंड समिति के विनिश्चय की तारीख से साठ दिन के भीतर अर्जी दे सकेगा और जिला स्तर की समिति ऐसी अर्जी पर विचार करेगी तथा निपटारा करेगी:

परन्तु कोई अर्जी जिला स्तर की समिति के समक्ष ग्राम सभा के संकल्प के विरुद्ध सीधे ही तब तक नहीं दी जाएगी जब तक उसे उपखंड स्तर की समिति के समक्ष नहीं दिया गया है और उसके द्वारा उसका विनिश्चय नहीं किया गया है:

परन्तु यह और कि ऐसी अर्जी का निपटारा व्यथित व्यक्ति के विरुद्ध तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि उसे, अपना पक्षकथन करने का युक्तियुक्त अवसर नहीं दे दिया गया हो!

(5) राज्य सरकार, उपखंड स्तर की समिति द्वारा तैयार किए गए वन अधिकारों के अभिलेख पर विचार करने और अन्तिम रूप से अनुमोदन करने के लिए जिला स्तर की समिति का गठन करेगी।

(6) जिला स्तर की समिति का वन अधिकारों के अभिलेख पर विनिश्चय अन्तिम और आबद्धकर होगा।

(7) राज्य सरकार, वन अधिकारों की मान्यता और निहित करने की प्रक्रिया को मानिटर करने के लिए और नोडल अभिकरण को ऐसी विवरणियां और रिपोर्टें जो उस अभिकरण द्वारा मांगी जाएं, प्रस्तुत करने के लिए राज्य स्तर की मानिटरिंग समिति का गठन करेगी।

(8) उपखंड स्तर की समिति, राज्य स्तर की समिति और राज्य स्तर की मानिटरी समिति राज्य सरकार के राजस्व विभाग, वन और जनजातीय मामले के विभाग के ऐसे समुचित स्तर के अधिकारियों से मिलकर बनेगी, जो विहित किए जाएं।

(9) उपखंड स्तर की समिति, जिला स्तर की समिति और राज्य स्तर की मानिटरी समिति की संरचना और कृत्य तथा उनके द्वारा अपने कृत्यों के पालन में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया वह होगी जो विहित की जाए।

अध्याय 5

अपराध और शास्तियां

शास्तियां।

7. यदि इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन प्रदत्त किसी वन अधिकार कोई धारक या कोई अन्य व्यक्ति—

(i) इस अधिनियम के किसी उपबंध का उल्लंघन या उल्लंघन का दुष्प्रेरण करेगा; या

(ii) इस अधिनियम के अधीन निहित या मान्यता प्राप्त वन अधिकार की किन्हीं शर्तों का भंग करेगा; या

(iii) वन या वन उत्पाद का निरंतर न होने वाले उपयोग में लगेगा; या

(iv) किसी वन्य पशु की हत्या करेगा या वन या जैव विविधता के किसी अन्य पहलू को नष्ट करेगा; या

(v) किसी वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए वृक्षों को काट गिराएगा,

तो वह इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का दोषी होगा और जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक हो सकेगा, दंडनीय होगा और यदि अपराध एक से अधिक बार किया जाता है तो उस व्यक्ति के जिसने अपराध दोबारा या पश्चात्वर्ती समय के लिए किया है, वन अधिकार की ऐसी अवधि के लिए जो जिला स्तर समिति, ग्राम सभा की संस्तुति पर विनिश्चित करे, मान्यता वापस ले ली जाएगी:

परन्तु इस धारा के अधीन शास्तियां इसके अतिरिक्त होंगी किन्तु तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी शास्ति के अधिरोपण के अल्पीकरण में नहीं।

प्राधिकरणों और समितियों के सदस्यों या अधिकारियों द्वारा इस अधिनियम के अधीन अपराध।

8. जहां कोई प्राधिकरण या समिति ऐसे प्राधिकारी को या समिति का कोई अधिकारी या सदस्य इस अधिनियम या उसके अधीन वन अधिकारों से संबंधित बनाए गए किन्हीं नियमों का उल्लंघन करेगा तो वह इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का दोषी माना जाएगा और अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक हो सकेगा, दंडित किए जाने का दायी होगा:

परंतु इस उपधारा की कोई भी बात प्राधिकरण या समिति के किसी सदस्य या इस धारा में निर्दिष्ट विभागाध्यक्ष या किसी व्यक्ति को दंड के लिए दायी नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया है या ऐसे अपराध को करने से रोकने के लिए उसने सभी सम्यक् तत्परता बरती थी।

अपराधों का संज्ञान।

9. कोई भी न्यायालय इस अधिनियम की धारा 8 के अधीन किसी अपराध का तब तक संज्ञान नहीं करेगा जब तक कि वन में रहने वाली अनुसूचित जनजाति, किसी ग्राम सभा के संकल्प से संबंधित किसी विवाद के मामले में या किसी उच्च प्राधिकारी के विरुद्ध किसी संकल्प के माध्यम से ग्राम सभा, राज्य मानीटरिंग समिति को साठ दिन से अन्यून की सूचना नहीं दे देती और राज्य मानीटरिंग समिति ने ऐसे प्राधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही न की हो।

अध्याय 6

प्रकीर्ण

प्राधिकरण, आदि के सदस्यों का लोक सेवक होना।

10. अध्याय 4 में निर्दिष्ट प्राधिकारियों का प्रत्येक सदस्य और इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने वाला प्रत्येक अन्य अधिकारी भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझे जाएंगे। 1860 का 45

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण।

11. (1) इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी बात, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियां केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध नहीं होंगी।

(2) इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात से कारित या कारित होने के लिए संभाव्य किसी क्षति के लिए कोई भी वाद या अन्य विधिक कार्यवाही केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के या उसके किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी के विरुद्ध नहीं होगी।

(3) इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद या अन्य विधिक कार्यवाही अध्याय 4 में यथानिर्दिष्ट किसी प्राधिकरण, जिसके अंतर्गत उसका अध्यक्ष, उसके सदस्य, सदस्य सचिव, अधिकारी और अन्य कर्मचारी भी हैं, के विरुद्ध नहीं होगी।

नोडल अभिकरण।

12. जनजाति मामलों से संबंधित भारत सरकार का मंत्रालय या केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी या प्राधिकारी इस अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए नोडल अभिकरण होगा।

केन्द्रीय सरकार की निदेश जारी करने की शक्ति।

13. अध्याय 4 में निर्दिष्ट प्रत्येक प्राधिकारी इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन कर्तव्यों का निर्वहन करने और अपनी शक्तियों का प्रयोग करने में, ऐसे साधारण या विशेष निदेशों के अध्यधीन होगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर लिखित में दे।

अधिनियम का किसी अन्य विधि का अल्पीकरण करने वाला न होना।

14. इस अधिनियम में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय, इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अतिरिक्त होंगे और न कि उनका अल्पीकरण करने वाले।

नियम बनाने की शक्ति।

15. (1) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए, अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात्:—

(क) वह रीति जिसमें वन अधिकारों का धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन प्रयोग किया जा सकेगा;

(ख) धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन वन अधिकारों की मान्यता और सत्यापन के लिए प्रक्रिया और रीति;

(ग) धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन वन अधिकारों के प्रयोग के लिए दावे प्राप्त करने, उनका समेकन और सत्यापन करने और प्रत्येक सिफारिश किए गए दावे के क्षेत्र के रेखाचित्र का नक्शा तैयार करने की प्रक्रिया और उस धारा की उपधारा (2) के अधीन उपखंड समिति को अर्जी देने की रीति;

(घ) धारा 6 की उपधारा (8) के अधीन उपखंड स्तर की समिति, जिला स्तर की समिति और राज्य स्तर की मानिटरी समिति का सदस्य नियुक्त किए जाने के लिए राज्य सरकार के राजस्व, वन और जनजातीय मामले विभाग के अधिकारियों का स्तर;

(ङ) उपखंड स्तर की समिति, जिला स्तर की समिति और राज्य स्तर की मानिटरी समिति की संरचना और कृत्य तथा धारा 6 की उपधारा (9) के अधीन उनके द्वारा उनके कृत्यों का पालन करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया;

(च) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाना है या विहित किया जा सकेगा।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई

परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो वह नियम ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह नियम यथास्थिति, केवल ऐसे उपांतरित रूप में ही प्रभावी होगा या निष्प्रभाव हो जाएगा; तथापि, ऐसे किसी परिवर्तन या निष्प्रभाव होने से उस नियम के अधीन पहले ही की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नही पड़ेगा।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

वन में रहने वाले जनजाति लोगों और वनों को एक-दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। एक-दूसरे के बिना कोई जीवित नहीं रह सकता। वन में रहने वाले जनजाति समुदायों द्वारा पारिस्थितिक संसाधनों के संरक्षण का उल्लेख प्राचीन हस्तलेखों और धर्मग्रन्थों में भी पाया गया है। किसी तरह उपनिवेशिक शासन ने इस वास्तविकता की बहतर आर्थिक लाभों और संभवत: ऐसे ठोस कारणों के लिए अनदेखी की जो उस समय विद्यमान थे। स्वतंत्रता के पश्चात् प्राकृतिक संसाधनों की संरक्षा करने के हमारे उत्साह में हम भी उपनिवेशिक विधान के साथ बने रहे और अंतर्राष्ट्रीय रूप से देश की समृद्ध परंपराओं से सीखने की बजाय संरक्षण की धारणा को अंगीकार किया है जहां संरक्षण जनजाति जीवन के स्वभाव में भी सन्निहित है। वन उत्पाद के उत्पादन के लिए बंजर भूमि और वन क्षेत्र के सृजन के लिए आरक्षण प्रक्रिया को जनजाति समुदाय के वास्तविक हितों को उन क्षेत्रों में विधायी ढांचे से अनदेखा किया गया है जहां प्राथमिक रूप से जनजाति समुदाय निवास करते हैं। जनजाति व्यक्तियों के सीधेपन और उनकी आधुनिक विनियामक ढांचे के प्रति सामान्य अज्ञानता की वजह से वे उन क्षेत्रों में संसाधनों का वास्तविक दावा करने से निवारित रहे हैं। जहां के वे रहने वाले हैं और उन पर आश्रित हैं। आधुनिक संरक्षण का दृष्टिकोण एकीकरण की बजाय उनको दूर रखने की वकालत करता है। अभी हाल ही में वन प्रबंधन क्षेत्र ने वन में रहने वाले व्यक्तियों की उपजीविका और अन्य अधिकारों को मान्यता देने का कार्य शुरू किया है और अपनी नीतिगत प्रक्रिया में यह महसूस किया गया है कि उन जनजाति समुदायों के जो प्राथमिक रूप से वन संसाधनों पर निर्भर रहते हैं। एकीकरण को उनके अभिकल्पित प्रबंधन प्रक्रियाओं में एकीकृत किया जा सकता है। इस तथ्य की भी मान्यता है कि यदि वे समुदाय उनके संरक्षण और पुनर्निर्माण के उपायों में भागीदारी करें तो वनों को सुरक्षित रखने का सर्वोत्तम अवसर होगा। जहां वे निवास करते हैं और पीढ़ियों से फलफूल रहे हैं और उनकी भूधृति की असुरक्षा और उन भूमियों से उनकी बेदखली का भय इसके सबसे बड़े कारण रहे हैं जिसकी वजह से उक्त समुदाय भावनात्मक रुप से और शारीरिक रूप से वनों और वन भूमियों से अपहरित किए गए महसूस करते हैं। अब इस ऐतिहासिक अन्याय को, इसमें और देरी किए बिना वनों को अवांछनीय तत्वों का निवास बनने से सुरक्षित रखने के लिए ठीक करने की आवश्यकता है।

2. अत: यह प्रस्ताव है कि एक ऐसी विधि अधिनियम की जाए जिसमें वन में रहने वाली जनजातियों के वन अधिकारों को मान्यता देने और उसमें निहित करने के लिए प्रक्रिया अधिकथित हो। यह विधेयक वन अधिकारों की मान्यता की प्रक्रिया की तर्कसंगत पराकाष्ठा है। पीढ़ियों से सभी प्रकार की वन भूमि पर वन में रहने वाली अनुसूचित जनजतियों द्वारा भोगे गए वन अधिकारों की मान्यता जिसके अंतर्गत वन आधारित संसाधनों से आहार और भोगाधिकार के लिए वन भूमि सम्मिलित है, जिस पर प्रस्तावित विधान आधारित है।

3. विधेयक, अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित विषयों के लिए उपबंध करता है अर्थात:—

(i) यह उन समृद्ध संरक्षण भावनाओं को पुन:स्थापित करता है और उनका उपयोग करता है कि जनजाति समुदायों ने पारंपरिक रूप से न टिक सकने वाली या विध्वंसकारी पद्धतियों के किसी रूप के विरुद्ध अपनी भावना दर्शित की है और सावधानियां बरती है;

(ii) यह वन में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों के वन अधिकारों की मान्यता और उनमें निहित करने के लिए साधारण प्रक्रिया अधिकथित करता है जिससे ये अधिकार जो वन में रहने वाले जनजाति समुदायों में निहित हो चुके हैं कार्यपालक तंत्र की सामान्य अभिलेखन प्रणाली में सुधारवादी उपायों के माध्यम से विधिक रूप से प्रवर्तनीय हो सकें;

(iii) यह वन के किसी और अधिक्रमण को रोकने के लिए पर्याप्त रक्षोपायों का उपबंध करता है और वन अधिकारों की मान्यता और उनके निहित होने की प्रक्रिया में प्रारंभिक स्तर की देशी संस्थाओं को सम्मिलित करने की ईप्सा करता है।

(iv) यह उन समुदायों को जिनके जीवित रहने का अधिकार वन के अधिकारों पर निर्भर है, एक लंबे समय से चली आ रही एक सुरक्षित और असंक्राम्य अधिकार देने की आवश्यकता की पूर्ति करता है तथा उसके द्वारा संपूर्ण पारिस्थितिक प्रणाली के साथ सहजीवी संबंध के साथ पीढ़ियों से वनों में रह रही अनुसूचित जनजातियों को स्थायी अंश देकर सपूर्ण संरक्षण क्षेत्र को मजबूत बनाता है।

4. विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए है।

नई दिल्ली; — पी.आर. किन्डिया

5 दिसंबर, 2005

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक के खंड 2 के उपखंड (क) में वन अधिकारों से संबंधित विवादों का निपटारा करने के लिए किसी अधिकारी या प्राधिकारी की सक्षम प्राधिकारी के रूप में नियुक्ति के लिए उपबंध है। विधेयक के खंड 6 के उपखंड (3) में अन्य बातों के साथ राज्य सरकार द्वारा उपखंड स्तर की समिति के गठन के लिए उपबंध है। खंड 6 के उपखंड (5) में राज्य सरकार द्वारा जिला स्तर की समिति के गठन के लिए उपबंध है। खंड 6 के उपखंड (7) में राज्य सरकार द्वारा राज्य स्तर की मानिटरी समिति के गठन के लिए उपबंध है। उपरोक्त प्राधिकारियों और समितियों में सरकारी अधिकारी होंगे। बैठकें आदि करने के मद्दे व्यय नगण्य होगा और उनका आकलन करना संभव नहीं है। इसके अतिरिक्त किसी प्रकार का अन्य आवर्ती या अनावर्ती व्यय नहीं होगा।

प्रत्यायोजित विधान के बारे में ज्ञापन

विधेयक का खंड 15 प्रस्तावित विधान के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा बनाने के लिए केन्द्रीय सरकार को सशक्त करता है। उस खंड के उपखंड (2) में वे विषय वर्णित हैं जिनकी बाबत उक्त खंड के अधीन नियम बनाए जा सकेंगे। ये विषय अन्य बातों के साथ-साथ, उस रीति से जिसमें धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन वन अधिकारों का प्रयोग किया जा सकेगा। धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन वन अधिकारों की मान्यता और उनके सत्यापन की प्रक्रिया तथा रीति से दावों को प्राप्त करने, उनको समेकित करने और सत्यापित करने की प्रक्रिया तथा धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन वन अधिकारों के प्रयोग के लिए सिफारिश किए गए प्रत्येक दावे के क्षेत्र के परिसीमन का मानचित्र तैयार करने और धारा 6 की उपधारा (2) के अधीन उपखंड स्तर की समिति को अर्जी देने की रीति से, धारा 6 की उपधारा (8) के अधीन उपखंड स्तर की समिति, जिला स्तर की समिति और राज्य स्तर की मानिटरिंग समिति के सदस्यों के रूप में नियुक्त किए जाने वाले राज्य सरकार के राजस्व, वन और जनजाति मामलों के विभागों के अधिकारियों के स्तर और उपखंड स्तर की समिति, जिला स्तर की समिति और राज्य स्तर की मानिटरिंग समिति के गठन और कृत्यों तथा धारा 6 की उपधारा (9) के अधीन अपने कर्तव्यों के निर्वहन में उनके द्वारा अपनायी जाने वाली प्रक्रिया से संबंधित है। खंड 15 के उपखंड (3) में यह उपबंध है कि नियमों का संसद् के समक्ष रखा जाना अपेक्षित है।

2. पूर्वोक्त विषय प्रक्रिया या प्रशासनिक ब्यौरों के विषयों से संबंधित हैं और स्वयं विधेयक में उनके लिए उपबंध करना व्यौहार्य नहीं है। अत: विधायी शक्ति का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है।

लोक सभा

वन में रहने वाली ऐसी अनुसूचित जनजातियों के, जो ऐसे वनों में पीढ़ियों से निवास
कर रहे हैं किन्तु उनके अधिकारों को अभिलिखित नहीं किया जा सका है,
वन अधिकारों और वन भूमि में अधिभोग को मान्यता देने और उनमें
निहित करने; वन भूमि में इस प्रकार निहित वन अधिकारों
को अभिलिखित करने के लिए संरचना और वन भूमि
के संबंध में अधिकारों को ऐसी मान्यता देने
और उन्हें निहित करने के लिए अपेक्षित
साक्ष्य की प्रकृति के संबंध में उपबंध
करने के लिए
विधेयक

(श्री पी० आर० किन्डिया, जनजातीय कार्यमंत्री)

एम जी आई पी एम आर एन ओ - 4254(53)-14-07-2006

परिशिष्ट-चार

(देखिए प्रतिवेदन का पैरा 13)

संघों/संगठनों/व्यक्तियों आदि जिनसे संयुक्त समिति द्वारा ज्ञापन प्राप्त हुए हैं, की सूची

ज्ञापन सं॰	पतों सहित संघों के नाम
1	2
1.	श्री पी॰ विवेकानंदन, सेवा सस्टेनेबल - एग्रीकल्चर एंड एनवायरनमेंट वालन्ट्री एक्शन, 45 टीपीएम नगर, विराटीपट्टू, मदुरै - 625010 तमिलनाडु
2.	श्री महावीर भगोरा, संसद सदस्य
3.	जंगल जमीन जन आंदोलन 23, शांति नगर, अकर काम्प्लैक्स, रूपसागर रोड, यूनिवर्सिटी रोड, उदयपुर
4.	सुश्री नंदिनी सुन्दर, प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली स्कूल आफ इकॉनामिक्स, दिल्ली-07
5.	श्री अम्बरीश राय, लोक संघर्ष मोर्चा, सी-49, मंगलम अपार्टमेंट, शालीमार गार्डन, एक्स॰ दो, साहिबाबाद, जिला गाजियाबाद, पिन - 201005
6.	सुश्री माधुरी, जन संघर्ष मोर्चा (मध्य प्रदेश - छत्तीसगढ़) संयोजक: श्रमिक आदिवासी संगठन, कोठी बाजार, बोहरा मस्जिद के निकट, बेतूल (मप्र) नर्मदा बचाओ आंदोलन, जैन रोड, मंडलेश्वर (मप्र)
7.	सुश्री स्मिता गुप्ता, मानव विकास संस्थान, एनआईडीएम भवन (तीसरा तल) आईपी एस्टेट, महात्मा गांधी मार्ग, दिल्ली-02
8.	श्री सूनू तारापोरेवाला, इंडिया हाउस नं॰ 2, फ्लैट-14, अगस्त क्रांति मार्ग, मुम्बई-400036

1	2
9.	श्री विधुधेन्द्र प्रताप दास, पूर्व विधायक, अध्यक्ष, उड़ीसा कृषक महासंघ, प्लाट सं॰ 585, साहिलगागर, भुवनेश्वर-7, उड़ीसा
10.	अंतरा, बी-135, सैनिकपुरी, सिकन्दराबाद-500094 आंध्र प्रदेश
11.	श्री माया रामास्वामी, नेचर, आर्टिस्ट एंड इलस्ट्रेटर #574, शक्ति निलय, 15वां मेन, पद्मनाभ नगर, बंगलोर-560060
12.	श्री एस.आर. शंकरन, भा.प्र.से. (से.नि.) 114, सफायर (पूर्व सचिव, भारत सरकार, ग्रामीण विकास), अमृता हिल, पंजागनिट्टा, हैदराबाद - 500082
13.	श्री के.आर. सेथना, भारतीय वन्य जीव बोर्ड के पूर्व सदस्य, एलिकोडीजी एस्टेट, अटहूर, पी.ओ. 577111
14.	श्री शंकर गोपाल कृष्णन, सचिव, कैम्पेन फार सर्वाइवल एंड डिगनिटी, द्वारा - श्रुति, क्यू, 1, हौज खास एन्क्लेव, नई दिल्ली
15.	श्री के.एम. चिनप्पा/प्रवीण भार्गव, वाइल्डलाइफ फर्स्ट, 26वां ए मैन, चौथा टी ब्लाक, जया नगर, बंगलौर-560041
16.	श्री शिबा संवर, नेशनल फोरम आफ फारेस्ट पीपुल एंड फारेस्ट वर्कर्स, नार्थ बंगाल रीजनल कमेटी, गौबाथन बाजार, कालिम्पोंग
17.	श्री अम्बरीश राय/प्रतिभा शिन्दे, राजराष्ट्र भवन, जिला नन्दुरबार (महाराष्ट्र)-425413 सी-49 मंगलम अपार्टमेंट, शालीमार गार्डन एक्स. साहिबाबाद (उप्र) लोक संघर्ष मोर्चा

1	2
18.	श्री सी. आर. विजय, डाक्टर्स क्वार्टर्स, श्री रामकृष्ण हास्पीटल, 395 सरोजिनी नायडू रोड, कोयम्बटूर, तमिलनाडु-641044
19.	डा॰ अर्चना प्रसाद, रीडर, सेंटर फार जवाहरलाल नेहरू स्टडीज, जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली
20.	जंगल अधिकार संघर्ष समिति, द्वारा ब्रायन लोबो, बामनपाड़ा, मल्याण, दहानु रोड, थाना जिला, महाराष्ट्र
21.	अखिलेश मंगल, बंगलौर
22.	अयान खान, द्वारा अलताफ खान, बी-125 बाग दिलखुशा, भोपाल (मप्र)
23.	श्री फिरोज एम॰ पटेल, सदस्य, कंजरवेशन सेल, विदर्भ आर्थिक विकास परिषद्, नागपुर
24.	श्री एस. फौजी, पारिस्थितिकीविज्ञ, आर-2, सौंदर्य अपार्टमेंट, नन्दवनम, त्रिवेन्द्रम
25.	एक्शन रिसर्च इन कम्युनिटी, हैल्थ एंड डेवलपमेंट (एआरसीएच), ई-702, साम्राज्य कम्पलीटेड, निकट फतेहगंज, वडोदरा 390002, गुजरात
26.	श्री विनय कुमार, पुत्र विष्णु गायकवाड़, मकान सं॰ 1-1215 गुल्लाबाउडी, वी वी एच स्कूल के पीछे, निकट एवान-ए-शालनी रोड, गुलबर्गा, कर्नाटक

1	2
27.	नार्थ बंगाल फारेस्ट मजदूर यूनियन कालचीनी, जलपाइगुड़ी जिला, पश्चिम बंगाल
28.	नवजीवन बहुउद्देशीय संस्था, बहाली, अहमदनगर
29.	श्री प्रेम खसवास, अध्यक्ष, हिमालयन फारेस्ट विलेजर्स ऑर्गेनाइजेशन, केन्द्रीय समिति, गोरूबाथन, दार्जिलिंग
30.	श्री जे. के. मोहंती, अपर सचिव, मध्य प्रदेश सरकार, अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
31.	श्री कल्लीवलावल आर., श्री श्रीश सगरीथाला, डा० मेघना कृषदास, द्वारा ग्रोइंग वाइल्ड, कर्नाटक
32.	श्री सुबीर शर्मा, संस्थापक और महासचिव, आदिवासी सुधार एवं कल्याण समिति, जिला पश्चिम सिंहभूम झारखंड, भारत-833213
33.	आदिवासी क्रांति संगठन, लोकंठपुर, पो० बड़ासुआहलो, जिला ढेंकनाल उड़ीसा, पिन-759039
34.	श्री प्रकाश श्रीवास्तव, ई-3, पंजाबी बाग, भोपाल (म.प्र.) 462023
35.	श्री कृष्ण कुमार शर्मा, सचिव, श्री यात्रा सेवा समिति, 26/1, निकट डाकघर, अहिरपुर, राजा मंडी, आगरा-282002
36.	श्री पी.के. सेन, निदेशक, टाइगर एंड वाइल्डलाइफ डिवीजन, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ-इंडिया, 172, बी, लोधी एस्टेट, नई दिल्ली-110003

1	2
37.	सुश्री रश्मि पुरोहित, अवैतनिक अध्यक्ष, राबड़ी समाज कर्मचारी उत्कर्ष मण्डल, सौराष्ट्र, गुजरात
38.	आदिवासी मुक्ति संगठन, पो० सेंधवा, जिला बदवानी, मध्य प्रदेश, पिन-541666
39.	सुश्री नेहा वर्मा, भारतीय वन सेवा (पी) एफ-4, न्यू होस्टल, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून
40.	श्री प्रदीप डी. प्रभु, वरिष्ठ अध्येयता, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, राजेन्द्रनगर, हैदराबाद-500030, आंध्र प्रदेश
41.	श्री जेवियर एम, निदेशक, राजपीपला लीगल एड सोसायटी, पोइचा रोड, ऑयल मिल कम्पाउंड, राजपीपला-394145
42.	श्री सल्लुबेन खैर/अमीरभाई वसावा, आदिवासी महासभा (एएमएस), द्वारा बिहेवियरल साइंस सेंटर, सेंट जेवियर्स कालेज कैम्पस, नरवंगपुर, अहमदाबाद, गुजरात
43.	श्री अशोक चौधरी, नेशनल फोरम आफ फारेस्ट पीपुल एंड फारेस्ट वर्कर्स, बी-137, प्रथम तल, दयानन्द कॉलोनी, लाजपत नगर-चार, नई दिल्ली-110024
44.	अखिल भारतीय वनवासी ग्रामीण मजदूर महासंघ, (भारतीय मजदूर संघ की औद्योगिक इकाई) 44/26, दक्षिण तात्याटोपे नगर, भोपाल-462003
45.	प्रकृति मित्र संघ, 76, प्रथम तल, बजाया बाजार, अलवर (राजस्थान)
46.	श्री रामकृष्ण चौधरी सर, श्रीरामपुर, पुसाड, महाराष्ट्र

1	2
47.	श्री सुकांति नायक, अध्यक्ष, आदिवासी जल जंगल जानी जाना सुरक्षा महासंघ, उत्तर उड़ीसा, पो. करंजिया, जिला मयूरभंज, उड़ीसा
48.	श्री रवि सिंह, महासचिव एवं सीईओ, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ इंडिया, 172-बी, लोधी एस्टेट, नई दिल्ली-110003
49.	श्री ए. किशन, भा० वन सेवा उप वन संरक्षक, प्रधान मुख्य वन संरक्षक का कार्यालय, आबिड्स, एम.जे. मार्केट हैदराबाद-500001
50.	श्री बीर सिंह महतो, संसद सदस्य, 16, महादेव रोड, नई दिल्ली
51.	श्री सुनील कुमार महतो, संसद सदस्य 215, नार्थ एवेन्यू, नई दिल्ली
52.	डा० जितेन्द्र चतुर्वेदी मुख्य कार्यकारी, डेवलपमेंट एसोसिएशन फार ह्यूमन एडवांसमेंट, स्टैंडर्ड मांटेसरी स्कूल, निकट लोकलरीति प्रेस, जोशिया पुरा, बहराइच
53.	श्री गोपी मांझी, संयोजक, उड़ीसा चैप्टर, कैम्पेन फार सर्वाइवल एंड डिग्निटी 488/एफ, नेपल्ली, भुवनेश्वर, उड़ीसा
54.	सुश्री प्रनीत गोतेती, बंगलौर
55.	श्री के० बुची राम रेड्डी, आईएफएस (से.नि.) 3-9-58/सी, शारदानगर, रामनाथपुर, हैदराबाद

1	2
56.	श्री कृष्ण नारायण, वाइल्डलाइफ कन्जर्वनिस्ट, 36, रामालय, सुब्बारामा चेट्टी रोड, बसवनागुडी
57.	श्री जैकब पुंडिल एवं अन्य सं० 79, रामचन्द्रन स्ट्रीट, वासुदेवन नगर, जाफर खानपेट, चेन्नई-600083
58.	श्री दाइगुआंग अध्यक्ष, बराक वैली हिल ट्राइब्स यूनियन, मुख्यालय, हमारखालिन, कचार (असम)-788106
59.	लायर्स एनवायरनमेंटल अवेयरनेस फोरम केरल हाई कोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन, हाई कोर्ट, एर्नाकुलम, कोचीन
60.	श्री यशवंत जे. नायक एवं अन्य आसरा, सोसायटी फार चाइल्ड वेलफेयर, पोंडा, गोवा
61.	श्री अशोक बी.आर., बंगलौर
62.	श्री देवदार परवतभाई बी. और फारमर रघुभाई के. फ्री लीगल एड एंड एडवाइजरी ऑफिस
63.	श्री परेश बतरा, ढेंकनाल, उड़ीसा
64.	श्री छेतुभाई देवनभाई, बोदरा जिला, नर्मदा, गुजरात
65.	श्री बीर सिंह महतो एवं अन्य, संसद सदस्य
66.	रांची एसोसिएशन, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, पोर्ट ब्लेयर
67.	श्री अमित वर्मा, भारतीय वन सेवा (पी), एफ-3, न्यू हॉस्टल, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून

1	2
68.	श्री के. हावलासेलो, महासचिव ह्यूमन राइट्स नेटवर्क आफ इंडिजेनस ट्राइबल पीपुल्स (एचआर-एनआईटी), नार्थ इस्ट चैप्टर, मुख्यालय, आइजल (ट्वीलक्यूअल), मिजोरम-796001
69.	श्री मनसुख भाई डी. वसावा, संसद सदस्य, 55, नार्थ एवेन्यू, नई दिल्ली
70.	झारखंड उलगुलन मंच, झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन, ग्राम सभा मंच, झारखंड, भारत जन आंदोलन, झारखंड, झारखंड
71.	श्री के. शशिधर एस-367, 7वां भारत नगर दो, विश्वनिदान पी. ऑ., बंगलौर-560091
72.	श्री लालसिंह पारगी सचिव, एकलव्य संगठन, 8, मंगलदीप फ्लैट्स, निकट परीक्षित पुल, गांधी आश्रम पीओ, अहमदाबाद-380027
73.	श्री आर. प्रभु, संसद सदस्य, एबी-14, पंडारा रोड, नई दिल्ली
74.	श्री गौतम बंदोपाध्याय, राष्ट्रीय समन्वयक, पीपुल्स अलायन्स फार लीवलीहुड राइट्स, छत्तीसगढ़
75.	श्री लक्ष्मण मिसल, आदिवासी जंगल जनजीवन आंदोलन, खानवेल खोमारपाड़ा, दादरा एवं नगर हवेली
76.	श्री पंकज कुमार, अधिवक्ता, भारतीय उच्चतम न्यायालय, एच-197, कालाबाड़ी मार्ग, नई दिल्ली

1	2
77.	सुश्री जी. विजयलक्ष्मी, सचिव, सेंटर फार एन्वायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, 3-41-8, श्री वेंकट्स कृष्ण निलायम, साईनगर कॉलोनी, एम.आर. पेट्स त्तुई-533401, ईस्ट गोदावरी जिला, आंध्र प्रदेश
78.	डा० शांतिभूषण नन्दी, 94/2, कलील कुंडु लेन, हावड़ा-711101
79.	श्री मोलोय बरुआ, अध्यक्ष, अर्ली बर्डस, 26, सूरजमुखी, पीओ सिल्पुखुरी, गुवाहाटी-781003
80.	श्री विष्णुकांत, जनजाति हितरक्ष प्रमुख, एबी, वनवासी कल्याण आश्रम, न्यू कालोनी, जयपुर-302001
81.	श्री मनमोहन सिंह बट्टी, विधायक, मध्य प्रदेश विधान सभा, 128, अमरवाड़ा, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश
82.	श्री अनिल गर, कोहली बाजार, बेतूल, द्वारा सतपुरा लैण्ड सर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर
83.	श्री प्रदीप सूर, बी सी भर रोड़, पो० चन्दननगर, जिला हुगली, पश्चिम बंगाल-712136
84.	श्रीकाकुलम आदिवासी सामाख्या, श्री मुटका मिछाराव, श्यामनुगुडा (ग्राम), पुलीपुट्टी (पंचायती), सीतमपेटा (मंडल), श्रीकाकुलम (जिला) और अन्य
85.	श्री आशिष कोठारी, द्वारा कल्पवृक्ष अपार्टमेंट 5, श्री दत्त कृरूप, 908 डेकन् जिमखाना, पुणे-410004

1	2
86.	श्री मनु जायसवाल एवं अन्य, भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलोर-560012
87.	श्री चंगन कुमार बेतल, असिस्टेंट टीचर, जॉयनगर उच्च विद्यालय, ग्राम झनपधारा पो० चम्पी, थाना महिषादल, जिला पूर्व मेदिनीपुर
88.	डा० मोहम्मद मुख्तार आलम, अध्यक्ष, लेबर लीग फाउंडेशन, 62 ए, लक्ष्मीबाई एन्क्लेव, अशोक विहार फेज-तीन, दिल्ली
89.	प्रधानाध्यापक, डान बास्को स्कूल, लेडरीमबाई, जैनलिया हिल्स, मेघालय-793160
90.	डा० वी.के. बहुगुणा, आईएफएस, प्रबंध निदेशक, त्रिपुरा फारेस्ट डेवलपमेंट एंड प्लांटेशन कारपोरेशन लि०, राजभवन के निकट, पो० अभयनगर, अगरतला
91.	आल इंडिया डेमोक्रेटिक वूमैन्स एसोसिएशन, 121, वी.बी.पी. हाऊस, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001
92.	कम्पेन फार सरवाइवल एंड डिग्निटी एंड अदर आर्गेनाइजेशन
93.	श्री खेमराज देसाई, अध्यक्ष, अखिल भारतीय राबड़ी राव्य समाज सेवा संस्थान ट्रस्ट, पोस्ट कोरा, तहसील प्रीनमल, जालोर, राजस्थान
94.	श्री के. वर्धा राजन, महासचिव, अखिल भारतीय किसान सभा, 4 अशोक रोड, नई दिल्ली-110001
95.	सुश्री मधु सरीन, 48, सेक्टर 4, चंडीगढ़-160001

1	2
96.	मध्य प्रदेश आदिवासी एकता महासंघ, 13बी, पद्मनाभ नगर, भोपाल (म.प्र.)
97.	एक्शन रिसर्च इन कम्युनिटी हेल्थ एंड डेवलपमेंट (एआरसीएच), ई 702, साम्राज्य काम्पलैक्स, निकट फतेहगंज पो॰, फतेहगंज, वडोदरा-390002, गुजरात
98.	श्री बी॰ डी॰ शर्मा, पूर्व आयुक्त, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति
99.	श्री प्रदीप प्रभु, वरिष्ठ अध्येयता, ग्रामीण विकास राष्ट्रीय संस्थान, हैदराबाद
100.	श्री एम.एस. सेलवाराज, महासचिव, विवासाइगल, थोजीलालारगल मुनेत्र संगम, 13/341, कासिम वायल, गुडालुर, नीलगिरी जिला, तमिलनाडु-620212
101.	श्री भीम सिंह शंकरभाई वसावा, यूसेनल, जिला सूरत, गुजरात, (एवं विभिन्न व्यक्तियों से प्राप्त अन्य 451 समरूप ज्ञापन) द्वारा लोक संघर्ष मार्चा
102.	श्री दिलीप सिंह भूरिया, पूर्व संसद सदस्य, 25/30 भूमि तल, पश्चिमी पटेल नगर, नई दिल्ली-110008
103.	श्री चंडी प्रसाद भट्ट, सर्वोदय केन्द्र, गोपेश्वर, उत्तरांचल-246401
104.	श्री के.वी. पुलोस, अध्यक्ष नीलगिरी जिला पंचायत एवं जिला योजना प्रकोष्ठ, उधगमंडलम, नीलगिरी जिला-643001
105.	डा॰ सागरी आर. रामदास, श्री मधुसूदन, श्री के॰ पांडु डोरा, अंतरा, सिकंदराबाद, 'आंध्र प्रदेश
106.	अखिल भारतीय कृषक कामगार यूनियन, 4 अशोक रोड, नई दिल्ली

1	2
107.	श्री वाल्मिक थापर, श्री एम.के. जिवराजका, रणथम्भौर फाउंडेशन, दिल्ली
108.	श्री संजय उपाध्याय अधिवक्ता, भारतीय उच्चतम न्यायालय नोएडा
109.	नेशनल फोरम आफ फारेस्ट पीपुल एंड फारेस्ट वर्कर्स, लाजपत नगर, दिल्ली

परिशिष्ट-पांच

(प्रतिवेदन का पैरा 14 देखें)

संयुक्त समिति के समक्ष मौखिक साक्ष्य देने वाले साक्षियों की सूची

क्रम संख्या	संघ/संगठन/व्यक्ति आदि का नाम	साक्ष्य लिये जाने की तारीख	ज्ञापन संख्या
1	2	3	4
1.	प्रो॰ नंदिनी सुन्दर समाजशास्त्र विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय नई दिल्ली	3.3.2006	04
2.	सुश्री स्मिता गुप्ता वरिष्ठ अध्येता मानव विकास संस्थान नई दिल्ली	3.3.2006	07
3.	श्री लाल सिंह परागी सचिव एकलव्य संगठन अहमदाबाद गुजरात	3.3.2006	72
4.	नेशनल कैम्पेन फॉर सरवाईवल एण्ड डिगनिटी द्वारा श्रुती क्यू-1, हौजखास एनक्लेव नई दिल्ली	3.3.2006	14
5.	जन जंगल जमीन आंदोलन राजस्थान	9.3.2006	03
6.	भारत जन आंदोलन झारखण्ड	9.3.2006	-
7.	डा॰ अर्चना प्रसाद रीडर जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय दिल्ली	9.3.2006	19
8.	पीपुल एलायन्स फॉर लाइवलीहुड राईट्स छत्तीसगढ़	10.3.2006	-
9.	लोक संघर्ष मोर्चा मध्य प्रदेश	10.3.2006	05
10.	सुश्री सुनीता नारायण निदेशक विज्ञान एवं पर्यावरण केन्द्र 41, तुगलकाबाद इंस्टीट्यूशनल एरिया नई दिल्ली-110 062	10.3.2006	-

1	2	3	4
11.	श्री एस॰आर॰ शंकरन, भा॰प्र॰से॰ (सेवानिवृत्त) पूर्व सचिव ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली	10.3.2006	12
12.	डा॰ एम.के. रंजीत सिंह पूर्व अपर सचिव पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार	23.3.2006	-
13.	जन संघर्ष मोर्चा मध्य प्रदेश	23.3.2006	-
14.	श्री प्रदीप प्रभु वरिष्ठ अध्येता राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद	23.3.2006	40
15.	श्री बी॰डी॰ शर्मा, भा॰प्र॰से॰ (सेवानिवृत्त)	24.3.2006	98
16.	ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमेन्स एसोसिएशन 121, वी॰बी॰पी॰ हाऊस, रफी मार्ग नई दिल्ली	24.3.2006	91
17.	सुश्री मधु सरीन चंडीगढ़	24.3.2006	95
18.	आदिवासी अधिकार मंच (मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़)	24.3.2006	—
19.	ऑल इंडिया किसान सभा 4, अशोका रोड नई दिल्ली	24.3.2006	—
20.	एक्सन रिसर्च इन कॉम्युनिटी हैल्थ एण्ड डेवलपमेंट (एआरसीएच), गुजरात	24.3.2006	25
21.	नेशनल फोरम ऑफ फारेस्ट पीपुल एण्ड फारेस्ट वर्कर्स, नॉर्थ बंगाल रीजनल कमिटी, कलिंपोग	17.4.2006	109
22.	श्री संजय उपाध्याय, अधिवक्ता भारत का उच्चतम न्यायालय	17.4.2006	108
23.	श्री सी॰आर॰ बिजॉय कोयम्बटूर	17.4.2006	18
24.	श्री आशीष कोठारी द्वारा कल्पवृक्ष पुणे	17.4.2006	85
25.	सेवा सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एण्ड इनवायरमेंट वॉलेंट्री एक्सन मदुरई	18.4.2006	01

1	2	3	4
26.	श्री समर सिंह, भा०प्र०से० (सेवानिवृत्त)	18.4.2006	
27.	श्री डी०एस० प्रसाद, आन्ध्र प्रदेश	19.4.2006	
28.	श्री बी० नरसिंह राव	19.4.2006	
29.	श्री के० कृथना राव	19.4.2006	
30.	श्रीमती भूदेवी	19.4.2006	
31.	श्री के० लक्ष्मण राव	19.4.2006	
32.	श्री शंकर रेड्डी, आन्ध्र प्रदेश	19.4.2006	
33.	श्री बाला राजु, आन्ध्र प्रदेश	19.4.2006	
34.	श्री एन० सन्यासी राव, आन्ध्र प्रदेश	19.4.2006	
35.	श्रीमती सागरी राम दास निदेशक एएनटीएचआरए (एनजीओ)	19.4.2006	10
36.	श्री एन० मधुसूदन निदेशक याक्षी (एनजीओ) सिकन्दराबाद आन्ध्र प्रदेश	19.4.2006	10
37.	श्री के० पाण्डु डोरा डी० भीमावरम गाँव ईस्ट गोदावरी जिला आन्ध्र प्रदेश	19.4.2006	10
38.	ऑल इंडिया एग्रीकल्चर वर्क्स यूनियन	19.4.2006	106
39.	आदिवासी महासभा, गुजरात	19.4.2006	42
40.	श्री वाल्मिक थापर रणथम्भौर फाउंडेशन नई दिल्ली	19.4.2006	107
41.	श्री एम० के० जीवाराजका सदस्य सचिव, केन्द्रीय अधिकार प्राप्त समिति	19.4.2006	
42.	श्री कोशी बेबी नीलगीरस् तमिलनाडु	19.4.2006	
43.	श्री के०वी० पौलोस सभापति, नीलगीरी डिस्ट्रिक्ट पंचायत एवं डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग सेल नीलगीरी जिला	19.4.2006	104
44.	श्री पी० एक० अब्दुल करीम नीलगीरी तमिलनाडु	19.4.2006	

परिशिष्ट-छह

अनुसूचित जनजाति (वन अधिकारों की मान्यता) विधेयक, 2005 संबंधी संयुक्त समिति की पहली बैठक का कार्यवाही सारांश

एक

पहली बैठक

समिति की बैठक 16 जनवरी, 2006 को 1500 बजे से 1645 बजे तक समिति कमरा सं॰ 63, संसद भवन, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री वी॰ किशोर चन्द्र एस॰ देव — सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री महावीर भगोरा
3. श्री सी॰ के॰ चन्द्रप्पन
4. श्री गिरिधर गमांग
5. डा॰ पी॰ पी॰ कोया
6. श्री ए॰ कृष्णास्वामी
7. श्री शैलेन्द्र कुमार
8. श्री राजेश कुमार मांझी
9. श्री बाबू लाल मरांडी
10. श्री मधुसूदन मिस्त्री
11. श्री हेमलाल मुर्मू
12. श्री बाजू बन रियान
13. श्रीमती पी॰ सतीदेवी
14. श्री राजेश वर्मा
15. श्री रवि प्रकाश वर्मा
16. श्री पी॰आर॰ किन्डिया

राज्य सभा

17. श्री मूल चन्द मीणा
18. डा॰ राधाकान्त नायक
19. श्रीमती वृंदा कारत
20. श्री देवदास आपटे
21. श्री वीरभद्र सिंह
22. श्री एन॰ जोती
23. श्री मंगनी लाल मंडल
24. श्री नन्द किशोर यादव

सचिवालय

श्री आर॰सी॰ आहूजा	-	संयुक्त सचिव
श्री आर॰के॰ बजाज	-	उप सचिव
श्री जे॰वी॰जी॰ रेड्डी	-	अवर सचिव

जनजातीय कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधि

सुश्री मीना गुप्ता	-	सचिव
श्री राजीव कुमार	-	संयुक्त सचिव
सुश्री रुचिरा पन्त	-	संयुक्त सचिव
श्री पी॰के॰ वर्मा	-	उप सचिव

विधि और न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग) के प्रतिनिधि

श्रीमती शारदा जैन	-	उप विधायी काउंसेल

2. सर्वप्रथम, सभापति ने संयुक्त समिति के सदस्यों का समिति की बैठक में स्वागत किया और विधेयक के विभिन्न उपबंधों की ओर उनका ध्यान दिलाया तथा समिति के समक्ष कार्य के महत्व और आवश्यकता का उल्लेख किया।

3. तत्पश्चात्, जनजातीय कार्य मंत्री तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी॰ आर॰ किन्डिया) ने इस विधेयक और प्रस्तावित कानून को लाने की आवश्यकता के बारे में बताया।

4. तदुपरान्त, जनजातीय कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने विधेयक के विभिन्न उपबंधों के संबंध में समिति के समक्ष एक संक्षिप्त दृश्य प्रस्तुतीकरण दिया।

(तत्पश्चात्, साक्षी चले गए)

5. इसके बाद, समिति ने कार्यविधि, चर्चा हेतु केन्द्र बिंदुओं और कार्य को पूरा करने हेतु समय-सीमा के बारे में विचार किया। समिति ने यह टिप्पणी की कि यह विधेयक एक संवेदनशील मुद्दे से संबंधित है और इस संबंध में व्यापक अध्ययन की आवश्यकता है।

6. इस विधेयक की विषय-सूची के व्यापक प्रचार के लिए समिति ने विधेयक की विषय-वस्तु में दिलचस्पी लेने वाले लोगों और विशेषज्ञों/संगठनों/संस्थाओं और गैर-सरकारी संगठनों से ज्ञापन आमंत्रित करने हेतु सभी राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों के अंग्रेजी और हिन्दी संस्करणों में प्रेस विज्ञप्ति जारी करने का निर्णय लिया। समिति ने आकाशवाणी और दूरदर्शन के माध्यम से प्रेस विज्ञप्ति की विषय-वस्तु का व्यापक प्रचार करने की इच्छा भी व्यक्त की। एक सदस्य (श्री मधुसूदन मिस्त्री) ने यह भी सुझाव दिया कि देश की जनता के व्यापक वर्ग से सुझाव प्राप्त करने के उद्देश्य से विधेयक का कुछ क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद कराया जाए। समिति ने यह भी निर्णय लिया कि सभी राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों से समिति के विचारार्थ विधेयक के उपबंधों पर अपने विचार/सुझाव देने का अनुरोध किया जाए।

7. सभापति ने यह भी कहा कि जो सदस्य अपने लिखित विचार/सुझाव देने के इच्छुक हैं, अपने विचार/सुझाव दे सकते हैं। समिति ने यह भी महसूस किया कि विधेयक की विषय-वस्तु में इच्छुक विभिन्न संगठनों, संस्थाओं और सामान्य जनता के विचार प्राप्त करने हेतु देश के विभिन्न भागों, जहां वन जनजातीय क्षेत्र हैं, का तत्स्थानिक अध्ययन दौरा करने के लिए दो अथवा तीन अध्ययन दल गठित करने की आवश्यकता है।

8. समिति ने अपनी आगामी बैठकों में अन्य संबंधित मंत्रालयों अर्थात् पर्यावरण और वन मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के प्रतिनिधियों के विचार सुनने का भी निर्णय लिया।

9. समिति की इस बैठक की कार्यवाही का शब्दशः रिकार्ड रखा गया।

तत्पश्चात्, समिति की बैठक स्थगित हुई।

अनुसूचित जनजाति (वन अधिकारों की मान्यता) विधेयक, 2005 संबंधी संयुक्त संसदीय समिति ज्ञापन/सुझाव आमंत्रित करती है।

प्रेस विज्ञप्ति

लोक सभा में 13 दिसम्बर, 2005 को यथा पुरःस्थापित अनुसूचित जनजाति (वन अधिकारों की मान्यता) विधेयक, 2005 की जांच करने और संसद में प्रस्तुत करने हेतु श्री वी. किशोर चन्द्र एस. देव, संसद सदस्य की अध्यक्षता वाली संयुक्त संसदीय समिति को सौंपा गया है। लोक सभा में यथा पुरःस्थापित विधयेक का पाठ 'समितियों के पास विधेयक' शीर्षक अन्तर्गत वेबसाइट http://www.parliamentofindia.nic.in पर और भारत के राजपत्र असाधारण भाग-दो खंड 2, दिनांक 13 दिसम्बर, 2005 में उपलब्ध है। विधेयक की प्रति सहायक निदेशक (सीओएसएल), कमरा सं. 80, द्वितीय तल, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 से अनुरोध करने पर भी प्राप्त की जा सकती है।

अनुसूचित जनजाति (वन अधिकारों की मान्यता) विधेयक, 2005 में अन्य बातों के साथ-साथ वन में रहने वाली ऐसी अनुसूचित जनजातियों के, जो ऐसे वनों में पीढ़ियों से निवास कर रहे हैं किन्तु उनके अधिकारों को अभिलिखित नहीं किया जा सका है, वन अधिकारों और वन भूमि में अधिभोग की मान्यता देने और उनमें निहित करने; वन भूमि में इस प्रकार निहित वन अधिकारों को अभिलिखित करने के लिए संरचना और वन भूमि के संबंध में अधिकारों की ऐसी मान्यता देने और उन्हें निहित करने के लिए अपेक्षित साक्ष्य की प्रकृति के संबंध में उपबंध है।

इस विधेयक पर गहन परामर्श करने के उद्देश्य से समिति ने 16 जनवरी, 2006 को हुई अपनी बैठक में आम जनता और विधेयक की विषय वस्तु में रुचि रखने वाले विशेषज्ञों/संगठनों/संघों और गैर-सरकारी संगठनों से विधेयक के बारे में ज्ञापन/सुझाव आमंत्रित करने का निर्णय किया।

जो व्यक्ति इस संबंध में लिखित ज्ञापन/सुझाव देना चाहते हैं वे उनकी दो प्रतियां, अंग्रेजी या हिन्दी में इस विज्ञापन के प्रकाशन की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर श्री आर के बजाज, उप सचिव, लोक सभा सचिवालय, कमरा सं॰ 108, तृतीय तल, संसद भवन, नई दिल्ली-110001, फैक्स सं॰ 23010756, ई-मेल bajajrk@sansad.nic.in को भेजें।

ज्ञापन भेजने के अलावा जो व्यक्ति समिति के समक्ष मौखिक साक्ष्य देना चाहते हैं, उनसे अनुरोध है कि वे लिखित ज्ञापन/सुझाव भेजते समय समिति के विचारार्थ इस आशय की सूचना दें।

समिति को भेजे गए ज्ञापन/सुझाव समिति के रिकार्ड के भाग होंगे और उन्हें पूर्णतः गोपनीय समझा जाएगा और किसी को परिचालित नहीं किया जाएगा, क्योंकि ऐसा करना समिति के विशेषाधिकार का उल्लंघन होगा।

नई दिल्ली:

दिनांक:

अनुसूचित जनजाति (वनाधिकार की मान्यता) विधेयक, 2005 संबंधी संयुक्त समिति की दूसरी बैठक का कार्यवाही सारांश

दो

दूसरी बैठक

समिति की बैठक 27 जनवरी, 2006 को समिति कमरा सं॰ 62, संसद भवन, नई दिल्ली में 1100 बजे से 1425 बजे तक हुई।

उपस्थित

श्री वी॰ किशोर चन्द्र एस॰ देव — सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री महावीर भगोरा
3. डा॰ पी॰पी॰ कोया
4. श्री शैलेन्द्र कुमार
5. श्री राजेश कुमार मांझी
6. श्री बाबू लाल मरांडी
7. श्री मधुसूदन मिस्त्री
8. श्री बाजू बन रियान
9. श्री नन्द कुमार साय
10. श्री सुग्रीव सिंह
11. श्री रवि प्रकाश वर्मा
12. श्री पी॰आर॰ किन्डिया

राज्य सभा

13. श्री मूल चन्द मीणा
14. श्री रिशांग किशिंग
15. श्रीमती वृंदा कारत
16. श्री वीरभद्र सिंह
17. श्री एन॰ जोती
18. श्री मंगनी लाल मंडल

सचिवालय

श्री आर॰ सी॰ आहूजा	-	संयुक्त सचिव
श्री आर॰के॰ बजाज	-	उप सचिव
श्री जे॰वी॰जी॰ रेड्डी	-	अवर सचिव

पर्यावरण और वन मंत्रालय के प्रतिनिधि

डा॰ प्रदीप्तो घोष	-	सचिव
श्री जे॰सी॰ काला	-	महानिदेशक, वन
श्री जगदीश किश्वां	-	महानिरीक्षक, वन

जनजातीय कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधि

श्री राजीव कुमार	-	संयुक्त सचिव
श्री पी॰के॰ वर्मा	-	उप सचिव

विधि और न्याय मंत्रालय के प्रतिनिधि

(विधायी विभाग)

डा॰ संजय सिंह	-	संयुक्त सचिव और विधायी सलाहकार

2. सर्वप्रथम सभापति महोदय ने अनुसूचित जनजाति (वनाधिकार की मान्यता) विधेयक, 2005 संबंधी संयुक्त समिति के सदस्यों का स्वागत किया।

3. समिति द्वारा पर्यावरण और वन मंत्रालय के प्रतिनिधियों के विचार सुनने से पूर्व सभापति महोदय ने लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के अधीन लोक सभा अध्यक्ष के निदेशों के निदेश 58 में अंतर्विष्ट उपबंधों की ओर उनका ध्यान आकृष्ट किया।

4. तत्पश्चात्, समिति ने उसे सौंपे गए विधेयक पर पर्यावरण और वन मंत्रालय के प्रतिनिधियों के विचार सुने। समिति ने इच्छा व्यक्त की जिन प्रश्नों का उत्तर इस समय उनके पास नहीं है, उनसे संबंधित जानकारी पर्यावरण और वन मंत्रालय समिति को लिखित रूप में भेज दे। समिति यह भी चाहती थी कि पर्यावरण और वन मंत्रालय वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अधीन जारी किए गए विभिन्न मार्गनिर्देशों/परिपत्रों/निदेशों की प्रति समिति को भेजे।

5. तत्पश्चात् समिति ने प्रस्तावित विधेयक पर (एक) पंचायती राज (दो) ग्रामीण विकास (भूमि संसाधन विभाग) और (तीन) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालयों के प्रतिनिधियों से विचार सुनने के लिए अपनी अगली बैठक 7.2.2006 को करने का निर्णय किया।

6. कार्यवाही का शब्दश: रिकार्ड रखा गया।

तत्पश्चात समिति की बैठक स्थगित हुई।

अनुसूचित जनजाति (वनाधिकार की मान्यता) विधेयक, 2005 संबंधी संयुक्त समिति की तीसरी बैठक का कार्यवाही सारांश

तीन

तीसरी बैठक

समिति की बैठक 7 फरवरी, 2006 को 1100 बजे से 1400 बजे तक समिति कक्ष 'ई', संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री वी॰ किशोर चन्द्र एस॰ देव — सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री महावीर भगोरा
3. श्री सी॰के॰ चन्द्रप्पन
4. श्री गिरिधर गमांग
5. श्री ए॰ कृष्णास्वामी
6. श्री मधुसूदन मिस्त्री
7. श्री हेमलाल मुर्मू
8. श्री बाजू बन रियान
9. श्री राजेश वर्मा
10. श्री रवि प्रकाश वर्मा
11. श्री पी॰ आर॰ किन्डिया

राज्य सभा

12. श्रीमती वृंदा कारत
13. श्री देवदास आपटे
14. श्री वीरभद्र सिंह
15. श्री रावुला चन्द्रशेखर रेड्डी
16. श्री एन॰ जोती
17. श्री मंगनी लाल मंडल

सचिवालय

श्री आर॰ सी॰ आहूजा - संयुक्त सचिव

श्री जे॰वी॰जी॰ रेड्डी - अवर सचिव

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के प्रतिनिधि

श्रीमती सरिता प्रसाद - सचिव

श्री सेवा राम - संयुक्त सचिव

ग्रामीण विकास मंत्रालय (भूमि संसाधन विभाग) के प्रतिनिधि

डा॰ (श्रीमती) रेणुका विश्वनाथन	-	सचिव
श्री एल॰ रिंजाह	-	अपर सचिव

पंचायती राज मंत्रालय के प्रतिनिधि

श्री एम॰ के॰ खन्ना	-	अपर सचिव
श्रीमती अदिति मेहता	-	संयुक्त सचिव

जनजातीय कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधि

श्री राजीव कुमार	-	संयुक्त सचिव
श्री पी॰ के॰ वर्मा	-	उप सचिव

विधि और न्याय मंत्रालय के प्रतिनिधि

श्री नम्बूदरी	-	संयुक्त सचिव

2. शुरू में, सभापति ने अनुसूचित जनजाति (वनाधिकार की मान्यता) विधेयक, 2005 संबंधी संयुक्त समिति के सदस्यों का स्वागत किया।

3. सभापति ने पहले सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के प्रतिनिधियों को इस विधेयक के उपबंधों पर अपना विचार व्यक्त करने के लिए आमंत्रित किया और उनका ध्यान अध्यक्ष के निदेशों के निदेश 58 के उपबंधों की तरफ आकृष्ट किया।

4. इसके बाद सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने संदर्भाधीन विधेयक के उपबंधों पर अपने विचार व्यक्त किए। विचार-विमर्श के दौरान निम्नलिखित महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई:—

(एक) वनों में रहने वाले अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों संबंधी आकलन,

(दो) जनजातियों के मानवाधिकारों का उल्लंघन और वन विभाग के अधिकारियों द्वारा उनका शोषण,

(तीन) वनों में रहने वाली जनजातियों से संबंधित आंकड़े और इस प्रकार के पीड़ितों को क्षतिपूर्ति एवं उनके पुनर्वास हेतु योजनाएं,

(चार) वनों में रह रहे अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के सशक्तिकरण हेतु कल्याण योजनाएं,

(पांच) जनजातियों को बेदखल करने के बाद उनके अधिकारों के मुद्दों पर ध्यान देने हेतु विधेयक को विधान के रूप में प्रवर्तित करने के उपरांत मंत्रालय की सहायक योजनाएं,

(छह) वनों के गैर-आदिवासियों को विधेयक के अंतर्गत लाने की संभावना।

5. समिति ने इच्छा व्यक्त की कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय उनकी सूचना के लिए उपर्युक्त बिन्दुओं को समाहित करते हुए एक विस्तृत नोट प्रस्तुत कर सकता है।

(इसके बाद साक्षी चले गए)

6. कार्यवाही का शब्दशः रिकार्ड रखा गया।

7. इसके बाद समिति ने विधेयक के दायरे से अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्गों और गैर- आदिवासी समुदायों को बाहर रखने के आधार के संबंध में स्पष्टीकरण पूछने हेतु जनजातीय कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की। मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने स्पष्ट किया कि विधिक/सांविधिक और अन्य ऐतिहासिक और वनों में अनुसूचित जाति जनसंख्या की बहुलता के कारणों से अनुसूचित जाति और अन्य समुदायों के बीच अंतर करने की आवश्यकता है। तथापि, वनों में रहने वाले गैर- जनजातियों के अधिकारों के संबंध में मंत्रालय ने आश्वासन दिया कि अपने विचारों को अंतिम रूप देकर उन्हें समिति के समक्ष प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

8. कार्यवाही का शब्दशः रिकार्ड रखा गया।

9. इसके बाद, समिति ने ग्रामीण विकास मंत्रालय (भूमि संसाधन विभाग) के प्रतिनिधियों को चर्चा के लिए आमंत्रित किया। चर्चा के अंतर्गत निम्नलिखित महत्वपूर्ण मुद्दे सम्मिलित थे:—

(एक) उचित सर्वेक्षण और जनजातियों के भूमि अधिकारों का रिकार्ड रखना,

(दो) सर्वेक्षण में कर्मचारियों और राज्य सरकार को सहायता में कमी,

(तीन) क्षतिपूर्ति के रूप में वनारोपण,

(चार) जनजातीय क्षेत्रों में ग्रामीण रोजगार/स्वरोजगार से संबंधित योजनाएं,

(पांच) उद्योग के विकास के हित और वनों से विस्थापित जनजातियों की सुरक्षा में एकरूपता बनाने के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 और वन अधिनियम 1927 में संशोधन की आवश्यकता,

(छह) जनजातीय क्षेत्रों की उपयोजनाओं के लिए बजटीय आवंटन में वृद्धि करना क्योंकि इन योजनाओं के अंतर्गत सृजित सुविधाओं का उपयोग वन के गैर-आदिवासी भी करते हैं।

(इसके बाद साक्षी चले गए)

10. कार्यवाही का शब्दश: रिकार्ड रखा गया।

11. इसके बाद पंचायती राज मंत्रालय के प्रतिनिधियों को बुलाया गया। समिति ने निम्नलिखित महत्वपूर्ण मुद्दों पर पंचायती राज मंत्रालय के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की:—

(एक) वन के आसपास रहने वाली अनुसूचित जनजातियों को सम्मिलित करने हेतु और उचित पहचान और उनके अधिकारों को विहित करने हेतु विधेयक के पूरे नाम एवं प्रस्तावना में आवश्यक परिवर्तन,

(दो) प्रारंभ खंड, मुख्य क्षेत्रों की परिभाषा, वनों में स्थित गांवों और वन अधिकारों की मान्यता एवं अधिकारों को प्रदान करने हेतु एक नियत तिथि में संशोधन,

(तीन) अनुसूचित जनजाति (वनाधिकारों की मान्यता) विधेयक, 2005 के संदर्भ में पीईएसए का महत्व,

(चार) अधिकारों को निहित करने के मामले में ग्राम सभा और उप मंडलीय एवं जिला स्तरीय समितियों और राज्य स्तरीय निगरानी समितियों द्वारा एक समिति के गठन के संबंध में संशोधन।

12. इसके बाद पंचायती राज मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने विधेयक के विभिन्न उपबंधों में संशोधन का सुझाव देते हुए दृश्य-श्रव्य माध्यम से प्रस्तुतीकरण किया।

(इसके बाद साक्षी चले गए)

13. कार्यवाही का शब्दश: रिकार्ड रखा गया।

14. इसके बाद, सभापति ने समिति के सदस्यों का ध्यान समिति के विचारार्थ विषय की तरफ आकृष्ट किया जिसके अंतर्गत समिति से अपेक्षा की जाती है कि वह अपना प्रतिवेदन बजट सत्र 2006 के दूसरे सप्ताह के अंतिम दिन अर्थात 24 फरवरी, 2006 तक प्रस्तुत करें। इस पर समिति ने महसूस किया कि उसने विधेयक के विभिन्न उपबंधों पर भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों द्वारा सूचना देने का प्रारंभिक कार्य पूरा कर लिया है। समिति को अभी भी विधेयक के विभिन्न उपबंधों पर जनता से ज्ञापन के रूप में और राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त सुझावों/विचारों पर अभी भी विचार करना है। समिति इस विषय पर विशेषज्ञों से विचार सुनकर उनसे लाभान्वित होना चाहती है। इसके अतिरिक्त समिति ने विधेयक के उपबंधों पर विभिन्न संगठनों, संघों, गैर-सरकारी संगठनों और आम जनता के विचार जानने के लिए देश के विभिन्न भागों का तत्स्थानिक अध्ययन दौरा करने की भी इच्छा व्यक्त की। समिति ने महसूस किया कि उसके लिए विधेयक पर खण्डवार विचार करना और इस कार्य को पूरा करने के बाद ही प्रतिवेदन को अंतिम रूप देना उपयुक्त होगा। चूंकि ये कार्य निर्धारित समय के अंतर्गत पूरे नहीं किए जा सकते इसलिए समिति ने अपने प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने हेतु मानसून सत्र 2006 के दूसरे सप्ताह के अंतिम दिन तक समय बढ़ाने का निर्णय लिया।

तदनुसार समिति ने सभापति को अधिकृत किया कि वे अध्यक्ष महोदय को इससे अवगत करायें और प्रतिवेदन को सभा में बजट सत्र 2006 के दौरान प्रस्तुत करने हेतु समय बढ़ाने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

तत्पश्चात्, समिति की बैठक स्थगित हुई।

अनुसूचित जनजाति (वन अधिकारों की मान्यता) विधेयक, 2005 संबंधी संयुक्त समिति की चौथी बैठक का कार्यवाही सारांश।

चार

चौथी बैठक

समिति की बैठक 3 मार्च, 2006 को 1500 बजे से 1630 बजे तक समिति कक्ष 'बी', भूमि तल, संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री वी॰ किशोर चन्द्र एस॰ देव — सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री महावीर भगोरा
3. श्री सी॰ के॰ चन्द्रप्पन
4. डा॰ पी॰पी॰ कोया
5. श्री मधुसूदन मिस्त्री
6. श्री बाबूराव मिडियम
7. श्री सुग्रीव सिंह
8. श्री रवि प्रकाश वर्मा

राज्य सभा

9. श्री रिशांग कीशिंग
10. डा॰ राधाकांत नायक
11. श्रीमती वृन्दा कारत
12. श्री देवदास आपटे
13. श्री रावुला चन्द्रशेखर रेड्डी

सचिवालय

श्री आर॰ सी॰ आहूजा - संयुक्त सचिव

श्री आर॰ के॰ बजाज - उप सचिव

श्री जे॰वी॰जी॰ रेड्डी - अवर सचिव

जनजातीय कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधि

श्री राजीव कुमार - संयुक्त सचिव

विधि और न्याय मंत्रालय के प्रतिनिधि
(विधायी विभाग)

श्री टी॰के॰ विश्वनाथन - सचिव

श्री एन॰के॰ नम्बूदरी - संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शदाता

2. सर्वप्रथम, अनुसूचित जनजाति (वन अधिकारों की मान्यता) विधेयक, 2005 संबंधी संयुक्त समिति के सभापति ने समिति के सदस्यों का स्वागत किया।

तत्पश्चात्, दिल्ली विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग की प्रोफेसर नंदिनी सुन्दर को समिति के सम्मुख साक्ष्य देने के लिए बुलाया। सभापति ने उन्हें निदेश 58 के उपबंधों के बारे में बताया जिसके अधीन समिति के सम्मुख दिए गए साक्ष्य को सार्वजनिक माना जा सकता है और इसे संसद सदस्यों को उपलब्ध कराया जा सकता है।

तत्पश्चात् समिति ने विधेयक के विभिन्न उपबंधों जो निम्नलिखित हैं के संबंध में प्रो॰ नंदिनी सुंदर के विचार/सुझाव सुने —

(एक) विधेयक के विस्तार के अंदर गैर-जनजातीय वन निवासियों को शामिल करना

(दो) ग्राम सभा की भूमिका, शक्तियां और गठन

(तीन) राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के मुख्य क्षेत्र से लोगों की पुनर्स्थापना

(चार) साक्ष्य के नियम

(पांच) जनजातीय भूमि का हस्तांतरण

(छह) ढाई एकड़ भूमि की अधिकतम सीमा

(तत्पश्चात् साक्षी चले गए)

कार्यवाही का शब्दश: रिकार्ड रखा गया।

3. तत्पश्चात् सभापति ने इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, दिल्ली की सीनियर फेलो सुश्री स्मिता गुप्ता को विधेयक के उपबंधों पर अपना विचार व्यक्त करने के लिए आमंत्रित किया और उन्हें अध्यक्ष के निदेशों के निदेश 58 के उपबंधों के बारे में बताया।

तत्पश्चात् समिति ने निम्नलिखित मुद्दों पर साक्षी के विचार/सुझाव सुने:—

(एक) कट ऑफ तिथि का मुद्दा

(दो) राष्ट्रीय उद्यानों और वन्य जीव अभयारण्यों में रहने वाले लोगों के अधिकारों से जुड़े मुद्दे

(तीन) ढाई एकड़ भूमि की अधिकतम सीमा

(चार) स्कूलों, हैंडपंपों आदि जैसी आधारभूत संरचना का विकास

(पांच) निस्तार अधिकार

(छह) अपराध और शास्तियां

(सात) वन्य भूमि पर अतिक्रमण

(तत्पश्चात् साक्षी चले गए)

कार्यवाही का शब्दश: रिकार्ड रखा गया।

4. तत्पश्चात् एकलव्य संगठन, अहमदाबाद के प्रतिनिधि (श्री लाल सिंह परागी) को बुलाया गया। सभापति ने अध्यक्ष के निदेशों के निदेश 58 के उपबंधों की ओर उनका ध्यान दिलाया।

तत्पश्चात् समिति ने साक्षी के विचार/सुझाव सुने, जिसमें निम्नलिखित बिन्दु शामिल थे:

(एक) सरकारी परियोजना क्षेत्रों से हटाए गए लोगों को उनकी भूमि वापस दिलाना

(दो) कट ऑफ तिथि

(तीन) ढाई हेक्टेयर जमीन की अधिकतम सीमा को समाप्त करना

(चार) विधेयक के विस्तार में गैर-अनुसूचित जनजाति लोगों को शामिल करना

(तत्पश्चात् साक्षी चले गए)

कार्यवाही का शब्दश: रिकार्ड रखा गया।

तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई।

अनुसूचित जनजाति (वन अधिकारों की मान्यता) विधेयक, 2005 संबंधी संयुक्त समिति की पांचवीं बैठक का कार्यवाही सारांश

पांच

पांचवीं बैठक

समिति की बैठक 9 मार्च, 2006 को 1500 बजे से 1715 बजे तक समिति कक्ष 'ए', भूमि तल, संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव — सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री महावीर भगोरा
3. श्री गिरिधर गमांग
4. श्री पी०पी० कोया
5. श्री शैलेन्द्र कुमार
6. श्री बाबूलाल मरांडी
7. श्री मधुसूदन मिस्त्री
8. श्री बाजू बन रियान
9. श्री बाबूराव मिडियम

राज्य सभा

10. श्री रिशांग कीशिंग
11. श्री देवदास आपटे
12. श्री वीरभद्र सिंह
13. श्री रावुला चन्द्रशेखर रेड्डी
14. श्री एन० जोती

सचिवालय

श्री आर०सी० आहूजा — संयुक्त सचिव

श्री आर०के० बजाज — उप सचिव

श्री जे०वी०जी० रेड्डी — अवर सचिव

श्री के० जेना — अवर सचिव

जनजातीय कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधि

श्री राजीव कुमार — संयुक्त सचिव

विधि और न्याय मंत्रालय के प्रतिनिधि
(विधायी विभाग)

श्री एन॰के॰ नम्बूदरी — **संयुक्त सचिव और विधायी सलाहकार**

2. सर्वप्रथम, माननीय सभापति, अनुसूचित जनजाति (वन अधिकारों की मान्यता) विधेयक, 2005 संबंधी संयुक्त समिति ने समिति के सदस्यों का स्वागत किया।

3. तत्पश्चात्, राष्ट्रीय उत्तरजीविता और मान अभियान (नेशनल कैम्पेन फार सरवाइवल एण्ड डिग्निटी) के प्रतिनिधियों को बुलाया गया। इसमें निम्नलिखित प्रतिनिधि उपस्थित थे:

(एक) श्री गोपाल कृष्णन, राष्ट्रीय सचिव

(दो) श्री एफ॰ जेवियर मंजूरन, गुजरात राज्य संघ

(तीन) सुश्री तिरुपति पारेख, गुजरात राज्य संघ

(चार) श्री कुंदन कुमार, उड़ीसा राज्य संघ

(पांच) श्री गोपीनाथ मांझी, उड़ीसा राज्य संघ

(छह) सुश्री ताप्ती मरै, उड़ीसा राज्य संघ

तत्पश्चात् माननीय सभापति ने उन्हें अध्यक्ष के निदेशों के निदेश 58 के उपबंधों के बारे में बताया। तत्पश्चात् समिति ने निम्नलिखित बिन्दुओं पर उनके विचार/सुझाव सुने:

(एक) अधिकारों की मान्यता और सत्यापन

(दो) विधेयक के संदर्भ में ग्राम की परिभाषा

(तीन) भूमि अधिकारों के संबंध में राज्य सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकारियों के मध्य विवाद

(चार) ग्राम सभा की भूमिका और सिविल सोसायटी वन विभाग और पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों से मिलकर बनी समितियों की संरचना

(पांच) महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अस्थायी अधिकार

(छह) कट ऑफ तिथि

(सात) विभिन्न राज्य कानूनों के अंतर्गत मान्य अधिकार

(आठ) प्रस्तावित अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन के मामले में शास्तियां लगाना

(नौ) गैर-अनुसूचित जनजाति के लोगों का मुद्दा

(दस) खनन, उद्योग और बांधों आदि के लिए वन भूमि के अन्यत्र उपयोग के कारण लोगों का विस्थापन और उनका पुनःस्थापन, साथ ही पहले से विस्थापित लोगों का स्थापन

(ग्यारह) उड़ीसा में भूमि का सर्वेक्षण और स्थापन

(बारह) सामुदायिक वन्य संसाधनों की रक्षा, पुनःसृजन और संरक्षण

(तेरह) झूम खेती

(चौदह) मध्य प्रदेश में राज्य वन भूमि में भूमि के विलय के परिणामस्वरूप लोगों को हटाना

(तत्पश्चात् साक्षी चले गए)

कार्यवाही का शब्दशः रिकार्ड रखा गया।

4. तत्पश्चात् जंगल जमीन जन आन्दोलन, राजस्थान के प्रतिनिधियों को बुलाया गया। इनमें निम्नलिखित उपस्थित थे:

(एक) श्री रमेश नंदवाना

(दो) श्री राघव दत्त व्यास

(तीन) श्री भंवर सिंह चन्दाना

(चार) श्री मांगीलाल गुज्जर

(पांच) श्री लाडू राम

(छह) श्री अर्जुन लाल

(सात) श्री नानादास

(आठ) श्री मेघराज

(नौ) श्री जवान लाल

(दस) सुश्री चारूमित्रा नेहरू

तत्पश्चात् माननीय सभापति ने इन प्रतिनिधियों का ध्यान अध्यक्ष के निदेशों के निदेश 58 के उपबंधों की ओर आकृष्ट किया। इसके बाद समिति ने निम्नलिखित बिन्दुओं पर उनके विचार/सुझाव सुने:--

(एक) राजस्थान राज्य में सीमांत क्षेत्र विकास एजेन्सी में रहने वाले लोगों को शामिल करना

(दो) गैर अनुसूचित जनजाति के लोगों तक अधिकारों का विस्तार

(तीन) ग्राम सभा की शक्तियां

(चार) कट ऑफ तिथि

(पांच) सरकार द्वारा बांधों के निर्माण आदि के कारण लोगों का विस्थापन

(छह) अधिकारों के स्थापना और राष्ट्रीय पार्कों और अभयारण्यों के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में स्थापन के मुद्दे

(तत्पश्चात् साक्षी चले गए)

कार्यवाही का शब्दश: रिकार्ड रखा गया।

5. तत्पश्चात् भारत जन आंदोलन, झारखंड के प्रतिनिधि (श्री जार्ज मोनीपल्ली) को बुलाया गया। माननीय सभापति ने उन्हें अध्यक्ष के निदेशों के निदेश 58 के उपबंधों का विवरण दिया। तत्पश्चात् समिति ने निम्नलिखित बिन्दुओं पर उनके विचार/सुझाव सुने:—

(एक) कट ऑफ तिथि

(दो) निर्णायक निकाय के रूप में ग्राम सभा की भूमिका और शक्तियां

(तीन) वन लगाने के कारण वन विभाग द्वारा लोगों का विस्थापन

(चार) वन भूमि की परिभाषा

(पांच) 2.5 हेक्टेयर भूमि की अधिकतम सीमा

(तत्पश्चात् साक्षी चले गए)

कार्यवाही का शब्दश: रिकार्ड रखा गया।

6. तत्पश्चात् जामिया मिलिया इस्लामिया की रीडर डा॰ अर्चना प्रसाद को बुलाया गया। माननीय सभापति ने उन्हें अध्यक्ष के निदेशों के निदेश 58 के उपबंधों का विवरण दिया। तत्पश्चात् समिति ने निम्नलिखित बिन्दुओं पर उनके विचार/सुझाव सुने:—

(एक) विभिन्न स्तरों नामत: ग्राम सभा स्तर, राज्य स्तर, उप मंडल और जिला स्तर पर प्रणाली का विकेन्द्रीकरण

(दो) पारिस्थितिकी और सामाजिक समता के मुद्दे

(तीन) कट ऑफ तिथि

(चार) महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अस्थायी अधिकारों को शामिल करना

(पांच) विधेयक के क्षेत्र के भीतर वन में रहने वाले गैर-अनुसूचित जनजाति के लोगों को शामिल करना

(छह) झूम खेती

(सात) 2.5 हेक्टेयर भूमि की अधिकतम सीमा और विस्तार अधिकार

(आठ) वन और झब्बेदार क्षेत्रों का पुन: विकास

(तत्पश्चात् साक्षी चले गए)

कार्यवाही का शब्दश: रिकार्ड रखा गया।

तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई।

अनुसूचित जनजाति (वन अधिकारों की मान्यता) विधेयक, 2005 संबंधी संयुक्त समिति की छठी बैठक का कार्यवाही सारांश

छः

छठी बैठक

समिति की बैठक 10 मार्च, 2006 को 1500 बजे से 1615 बजे तक समिति कमरा सं॰ '63', संसद भवन, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री वी॰ किशोर चन्द्र एस॰ देव - सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री शिंगाडा दामोदर बारकू
3. श्री महावीर भगोरा
4. श्री गिरिधर गमांग
5. डा॰ पी॰पी॰ कोया
6. श्री ए॰ कृष्णास्वामी
7. श्री शैलेन्द्र कुमार
8. श्री बाजू बन रियान
9. श्री बाबूराव मिडियम

राज्य सभा

10. श्री रिशांग कीशिंग
11. श्रीमती वृन्दा कारत
12. श्री देवदास आपटे
13. श्री रावुला चन्द्रशेखर रेड्डी

सचिवालय

1. श्री आर॰सी॰ आहूजा — संयुक्त सचिव
2. श्री आर॰के॰ बजाज — उप सचिव
3. श्री जे॰वी॰जी॰ रेड्डी — अवर सचिव
4. श्री के॰ जेना — अवर सचिव

जनजातीय कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधि

श्री राजीव कुमार — संयुक्त सचिव

विधि और न्याय मंत्रालय के प्रतिनिधि
(विधायी विभाग)

श्री एन॰ के॰ नम्बूदरी - संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शदाता

2. प्रारंभ में, अनुसूचित जनजाति (वन अधिकारों की मान्यता) विधेयक, 2005 संबंधी संयुक्त समिति के सभापति ने समिति के सदस्यों का स्वागत किया।

3. इसके बाद 'पीपल्स एलायन्स फार लिवलिहुड राइट्स, छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधि श्री गौतम बन्द्योपाध्याय को बुलाया गया। सभापति ने उन्हें अध्यक्ष के निदेशों के निदेश 58 के उपबंधों को स्पष्ट किया। इसके बाद, समिति ने विधेयकों के विभिन्न उपबंधों पर उनके विचार/सुझाव सुने जो निम्न प्रकार हैं:—

(एक) कट ऑफ तिथि

(दो) संरक्षित क्षेत्रों में स्थापन

(तीन) भूमि की अधिकतम सीमा 2.5 हेक्टेयर

(चार) सत्यापन, अभिनिर्धारण की प्रक्रिया और संघर्ष निवारण आदि में ग्राम सभा की भूमिका

(पांच) ग्राम सभा को सुदृढ़ बनाने में पीईएसए की भूमिका

(छह) गैर-जनजातीय और औद्योगिक प्रयोग से जनजातीय भूमि की संरक्षा

(सात) सार्वजनिक संपत्ति यथा नदी बेसिन आदि

(आठ) कृषि योग्य भूमि का दुरुपयोग और उसका पर्यावरणीय प्रभाव

(इसके बाद साक्षी चले गए)

कार्यवाही का शब्दश: रिकार्ड रखा गया।

4. इसके बाद, सेन्टर फॉर साइन्स एण्ड एन्वायरनमेंट दिल्ली की सुश्री सुनीता नारायण को बुलाया गया। सभापति ने उन्हें 'अध्यक्ष के निदेशों' के निदेश 58 के उपबंधों से अवगत कराया। इसके बाद समिति ने निम्नलिखित बिन्दुओं पर उनके विचार/सुझाव सुने:—

(एक) अनुसूचित जनजाति (वन अधिकारों की मान्यता) विधेयक, 2005 और वन्य जीव अधिनियम के कुछ उपबंधों में परस्पर विरोध

(दो) बाघ अभयारण्य और संरक्षित क्षेत्रों और अभयारण्य के कोर क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाली भूमि का क्षेत्रफल

(तीन) अभयारण्यों और राष्ट्रीय पार्कों के कोर क्षेत्रों में लोगों के अधिकार

(चार) प्रस्तावित विधान के अंतर्गत अपराध एवं शास्तियां

(पांच) वन परिसंपत्तियों का औसतन उपयोग

(छह) पशुओं को चराने के अधिकारों की रक्षा

(इसके बाद साक्षी चले गए)

कार्यवाही का शब्दश: रिकार्ड रखा गया।

5. इसके बाद, श्री एस॰आर॰ शंकरन् आईएएस (सेवानिवृत्त) को बुलाया गया। सभापति ने उन्हें अध्यक्ष के निदेशों के निदेश 58 के उपबंधों से अवगत कराया। इसके बाद समिति ने विधेयक के विभिन्न उपबंधों जो निम्नवत हैं, पर उनके विचार/सुझाव सुने:—

(एक) विधेयक के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत वनों में निवास करने वाली गैर-जनजातीय आबादी को सम्मिलित करने का मुद्दा

(दो) राष्ट्रीय पार्कों और अभयारण्यों के कोर क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों के अधिकार

(तीन) कट ऑफ तिथि

(चार) विधेयक की धारा 4(7) का विलोपन

(पांच) वन अधिकारों के सत्यापन की प्रक्रिया

(छह) अपराधों और शास्तियों से संबंधित खंड

(सात) 'अधिनियम किसी अन्य विधि का अल्पीकरण नहीं है' से संबंधित खंड 14

(आठ) विधेयक के संदर्भ में ग्राम सभा की भूमिका

(इसके बाद साक्षी चले गए)

कार्यवाही का शब्दश: रिकार्ड रखा गया।

6. इसके बाद लोक संघर्ष मोर्चा, मध्य प्रदेश के प्रतिनिधियों को बुलाया गया । निम्नलिखित प्रतिनिधि उपस्थित थे:

श्री अम्बरीश राय
श्री प्रतिभा शिन्दे
श्री विपिन शुक्ला
श्रीमती सुमन वसावा
श्री यमुना पदावी
श्रीमती कथा वसावे
श्री दयाराम पवारा
श्री रामदास तादवी
श्री भजनंगाबाई वसावा
श्री यशादा वसावा

सभापति ने उन्हें अध्यक्ष के निदेशों के निदेश 58 के उपबंधों से अवगत कराया। इसके बाद समिति ने निम्नलिखित मुद्दों पर उनके विचार/सुझाव सुने—

(एक) कट ऑफ तिथि

(दो) अपराधों और शास्तियों से संबंधित धारा 7 का विलोपन

(तीन) गैर-जनजातीय आबादी से संबंधित मुद्दे

(चार) बेदखल किए गए लोगों को हटाना और उनके अन्यत्र बसाने के मुद्दे

(पांच) भूमि की अधिकतम सीमा 2.5 हेक्टेयर

(छह) संयुक्त वन प्रबंधन समितियों और ग्राम सभा की भूमिका

(इसके बाद साक्षी चले गए)

कार्यवाही का शब्दश: रिकार्ड रखा गया।

तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई।

अनुसूचित जनजाति (वन अधिकारों की मान्यता) विधेयक, 2005 संबंधी संयुक्त समिति की सातवीं बैठक का कार्यवाही सारांश

सात

सातवीं बैठक

समिति की बैठक 23 मार्च, 2006 को 1500 बजे से 1720 बजे तक समिति कक्ष 'बी', संसद भवन, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव — सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री महावीर भगोरा
3. श्री गिरिधर गमांग
4. डा० पी०पी० कोया
5. श्री बाजू बन रियान
6. डा० बाबू राव मिडियम

राज्य सभा

7. श्री मूल चन्द मीणा
8. श्री रिशांग कीशिंग
9. डा० राधाकान्त नायक
10. श्रीमती वृंदा कारत
11. श्री मंगनी लाल मंडल
12. श्री नन्द किशोर यादव

सचिवालय

1. श्री आर०सी० आहूजा — संयुक्त सचिव
2. श्री आर०के० बजाज — उप सचिव
3. श्री के० जेना — अवर सचिव
4. श्री जे०वी०जी० रेड्डी — अवर सचिव

जनजातीय कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधि

श्री राजीव कुमार — संयुक्त सचिव

विधि और न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग) के प्रतिनिधि

श्री एन० के० नम्बूदरी — संयुक्त सचिव एवं विधि परामर्शदाता

2. सर्वप्रथम, अनुसूचित जनजाति (वन अधिकारों की मान्यता) विधेयक, 2005 संबंधी संयुक्त समिति के सभापति महोदय ने समिति के सदस्यों का स्वागत किया।

3. तत्पश्चात्, डा० रंजीत सिंह को समिति के समक्ष साक्ष्य देने के लिए बुलाया गया। सभापति महोदय ने उन्हें लोक सभा अध्यक्ष के निदेशों के निदेश 58 के प्रावधानों के बारे में उन्हें बताया। फिर समिति ने विधेयक के विभिन्न उपबंधों के बारे में उनके विचार/सुझाव सुने जो इस प्रकार थे:—

(एक) प्रस्तावित विधान के दायरे में गैर-जनजातीय समुदायों को सम्मिलित करना

(दो) झूम खेती

(तीन) अंतिम तिथि

(चार) राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों से संबंधित मुद्दे

(पांच) विधेयक में प्रस्तावित अपराध और शास्तियां

(तत्पश्चात साक्षी चले गए)

कार्यवाही का शब्दश: रिकार्ड रखा गया।

4. तत्पश्चात जन संघर्ष मोर्चा के प्रतिनिधियों को बुलाया गया। निम्नलिखित प्रतिनिधि उपस्थित थे:—

सुश्री माधुरी
श्री अनुराग मोदी
श्री फगराम
श्री मंगल सिंह

सभापति ने उन्हें अध्यक्ष के निदेशों के निदेश 58 के प्रावधानों के बारे में बताया। इसके बाद समिति ने विधेयक के विभिन्न उपबंधों के संबंध में उनके विचार/सुझाव सुने:—

(एक) प्रस्तावित विधान के दायरे में गैर-अनुसूचित जनजाति पारम्परिक वन निवासी समुदायों को शामिल करना

(दो) निस्तार अधिकार

(तीन) राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों में गैर-आदिवासी वन निवासियों का मुद्दा

(चार) अंतिम तिथि

(पांच) अवैध खनन और अन्य विकासात्मक परियोजनाओं के कारण वनों का विनाश

(छह) 2.5 हेक्टेयर भूमि अधिकतम सीमा

(सात) अधिकारों को मान्यता प्रदान करने में ग्राम सभा को अधिकार संपन्न बनाना

(आठ) वन विभाग के अधिकारियों द्वारा वन निवासियों पर अत्याचार

(तत्पश्चात साक्षी चले गए)

कार्यवाही का शब्दश: रिकार्ड रखा गया।

5. तत्पश्चात् जंगल अधिकार संघर्ष समिति के प्रतिनिधियों को बुलाया गया। निम्नलिखित प्रतिनिधि उपस्थित थे:—

श्री ब्रायन लोबो

श्रीमती इन्दियावी तुलपुले

श्री रामाकान्त पाटील

सभापति ने उन्हें अध्यक्ष के निदेशों के निदेश 58 के प्रावधानों के बारे में बताया। तत्पश्चात् समिति ने निम्नलिखित मुद्दों पर उनके विचार/सुझाव सुने:—

(एक) विधेयक के संदर्भ में गांव की परिभाषा में संशोधन की आवश्यकता

(दो) ग्राम सभा की भूमिका

(तीन) वन अधिकारियों द्वारा उपबंधों के उल्लंघन के लिए शास्तियां

(चार) विस्थापित हुए लोगों का पुनर्वास

(पांच) गैर-जनजाति वन निवासियों के अधिकारियों को मान्यता

(छह) आखिरी तारीख

(सात) राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों से संबंधित मुद्दे

(तत्पश्चात् साक्षी चले गए)

कार्यवाही का शब्दशः रिकार्ड रखा गया।

6. तत्पश्चात् राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, हैदराबाद के वरिष्ठ फेलो श्री प्रदीप प्रभु को बुलाया गया। सभापति ने उन्हें अध्यक्ष के निदेशों के निदेश 58 के प्रावधानों के बारे में बताया। इसके बाद समिति ने विधेयक के विभिन्न उपबंधों के संबंध में उनके विचार/सुझाव सुने जो इस प्रकार थे:—

(एक) प्रस्तावित विधान में साक्ष्य की प्रकृति स्पष्ट किए जाने की आवश्यकता

(दो) भूमि अधिग्रहण करने संबंधी राज्यों के अधिकार

(तीन) स्वस्थाने पुनर्वास

(चार) जनता के कब्जे में भूमिगत खनिजों से संबंधित अधिकार

(तत्पश्चात् साक्षी चले गए)

कार्यवाही का शब्दशः रिकार्ड रखा गया।

तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई।

अनुसूचित जनजाति (वन अधिकारों की मान्यता) विधेयक, 2005 संबंधी संयुक्त समिति की आठवीं बैठक का कार्यवाही सारांश

आठ

आठवीं बैठक

समिति की बैठक 24 मार्च, 2006 को 1500 बजे से 1700 बजे तक समिति कमरा सं॰ 53, संसद भवन, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री वी॰ किशोर चन्द्र एस॰ देव — सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री महावीर भगोरा
3. श्री गिरिधर गमांग
4. डा॰ पी॰पी॰ कोया
5. श्री बाजू बन रियान
6. डा॰ बाबू राव मिडियम

राज्य सभा

7. श्री मूल चन्द मीणा
8. श्री रिशांग कीशिंग
9. श्रीमती वृंदा कारत
10. श्री मंगनी लाल मंडल
11. श्री नन्द किशोर यादव

सचिवालय

1. श्री आर॰के॰ बजाज — उप सचिव
2. श्री के॰ जेना — अवर सचिव
3. श्री जे॰वी॰जी॰ रेड्डी — अवर सचिव

जनजातीय कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधि

श्री पी॰के॰ वर्मा — उप सचिव

विधि और न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग) के प्रतिनिधि

श्री आर॰एस॰ शुक्ला — उप विधि परामर्शदाता

2. सर्वप्रथम, अनुसूचित जनजाति (वन अधिकारों की मान्यता) विधेयक, 2005 संबंधी संयुक्त समिति के सभापति महोदय ने समिति के सदस्यों का स्वागत किया।

3. तत्पश्चात्, श्री बी०डी० शर्मा को समिति के समक्ष साक्ष्य देने के लिए बुलाया गया। सभापति महोदय ने उन्हें लोक सभा अध्यक्ष के निदेशों के निदेश 58 के उपबंधों के बारे में बताया। उसके बाद समिति ने विधेयक के निम्नलिखित उपबंधों के बारे में उनके विचार/सुझाव सुने:—

(एक) वनों में रहने वाले समुदायों के साथ सदियों से हो रहे अन्याय

(दो) विधेयक के दायरे में वनों में रहने वाले गैर-अनुसूचित जनजातियों को लाना

(तीन) झूम कृषि

(चार) ग्राम सभा की भूमिका

(पांच) विधेयक के संदर्भ में राज्यपाल एवं जनजातीय सलाहकार परिषद के अधिकार

(तत्पश्चात साक्षी चले गए)

कार्यवाही का शब्दशः रिकार्ड रखा गया।

4. उसके बाद आल इंडिया डेमोक्रेटिक वूमन्स एसोसिएशन के निम्नलिखित प्रतिनिधियों को बुलाया गया।

सुश्री सुधा सुन्दरम
सुश्री कीर्ति सिंह

सभापति महोदय ने उन्हें लोक सभा अध्यक्ष के निदेशों के निदेश 58 के उपबंधों के बारे में बताया। तत्पश्चात् समिति ने विधेयक से संबंधित निम्नलिखित बिन्दुओं के बारे में उनके विचार/सुझाव सुने:—

(एक) पति एवं पत्नी दोनों के नाम संयुक्त अधिकारों की मान्यता

(दो) अंतिम तिथि

(तीन) विधेयक के दायरे में वन में रहने वाली गैर-अनुसूचित जनजातियों को लाना

(चार) राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभयारण्यों के प्रमुख क्षेत्रों में अनंतिम अधिकारों से जुड़े मुद्दे

(पांच) बेदखली के कारण विस्थापित हुए लोगों को पर्याप्त क्षतिपूर्ति

(छह) ग्राम सभा द्वारा पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास कराए जाने की प्रक्रिया

(सात) वनों में रहने वाली महिलाओं के हितों की रक्षा

(आठ) लघु वनोत्पाद के संग्रहण के दौरान वन रक्षकों द्वारा महिलाओं पर अत्याचार

(नौ) वन प्रबंधन में राज्य की भूमिका एवं दायित्व

(दस) जल की उपलब्धता, निःशुल्क शिक्षा, अस्पताल, सड़क आदि जैसी अवसंरचनात्मक आवश्यकता

(ग्यारह) प्राधिकारियों के लिए उपबंध एवं अधिकारों के निस्तारण की प्रक्रिया

(बारह) भूमि अधिकारों के सत्यापन में ग्राम सभा के अधिकार

(तेरह) उप खंड/जिला/राज्य स्तरीय समितियों में महिलाओं का पर्याप्त प्रतिनिधित्व

(तत्पश्चात साक्षी चले गए)

कार्यवाही का शब्दशः रिकार्ड रखा गया।

5. तत्पश्चात् सुश्री मधु सरीन को बुलाया गया। सभापति महोदय ने उन्हें लोक सभा अध्यक्ष के निदेशों के निदेश 58 के उपबंधों के बारे में बताया। उसके बाद समिति ने विधेयक के निम्नलिखित उपबंधों के बारे में उनके विचार/सुझाव सुने:—

(एक) विधेयक के दायरे में वन में रहने वाले गैर-अनुसूचित जनजातियों को लाना

(दो) विस्थापित/बेदखल लोगों के अधिकारों को मान्यता

(तीन) मुख्य क्षेत्रों से संबंधित मुद्दे

(चार) पति एवं पत्नी दोनों के नाम संयुक्त अधिकार

(पांच) सामुदायिक अधिकार, साझा संपत्ति अधिकार एवं लघु वनोत्पाद पर अधिकार

(छह) स्वस्थाने पुनर्वास

(सात) झूम कृषि

(आठ) इस विधेयक के संदर्भ में पीईएसए की भूमिका

(नौ) 2.5 हेक्टेयर भूमि की अधिकतम सीमा

(दस) साक्ष्य का स्वरूप

(तत्पश्चात् साक्षी चले गए)

कार्यवाही का शब्दशः रिकार्ड रखा गया।

6. उसके बाद अखिल भारतीय कृषि सभा के निम्नलिखित प्रतिनिधियों को बुलाया गया:—

श्री धुलीचन्द
श्री राजेन्द्र सिंह मुंडा
श्री संजय पराते

सभापति महोदय ने उन्हें लोक सभा अध्यक्ष के निदेशों के निदेश 58 के उपबंधों के बारे में बताया। उसके बाद समिति ने निम्नलिखित बिन्दुओं पर उनके विचार/सुझाव सुने:—

(एक) विधेयक के दायरे में गैर-अनुसूचित जनजाति समुदायों को लाना

(दो) अंतिम तिथि

(तीन) जनजातीय क्षेत्र में भूमि, मृदा की गुणवत्ता, सिंचाई सुविधाएं तथा विद्यमान भू-वैज्ञानिक एवं अन्य स्थितियों को ध्यान में रखते हुए भूमि की अधिकतम सीमा का निर्धारण

(चार) राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभयारण्यों में रहने वाली वन में रहने वाले लोगों को स्थायी अधिकार

(पांच) विद्युत, शिक्षा एवं सड़क आदि जैसी अवसंरचनात्मक सुविधाएं

(छह) झूम कृषि

(सात) विकासात्मक परियोजनाओं के कारण वन में रहने वाले लोगों का विस्थापन

(तत्पश्चात् साक्षी चले गए)

कार्यवाही का शब्दशः रिकार्ड रखा गया।

7. उसके बाद आदिवासी अधिकार मंच (मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़) के निम्नलिखित प्रतिनिधियों को बुलाया गया:—

श्री बी॰ एस॰ धाकड़
श्री बुधसेन सिंह
श्री जसविन्दर सिंह
श्री सुखरंजन उसेन्दी

सभापति महोदय ने उन्हें लोक सभा अध्यक्ष के निदेशों के निदेश 58 के उपबंधों के बारे में बताया। उसके बाद समिति ने विधेयक के निम्नलिखित उपबंधों के बारे में उनके विचार/सुझाव सुने:—

(एक) अंतिम तिथि

(दो) 2.5 हेक्टेयर भूमि की अधिकतम सीमा

(तीन) उपखंड जिला एवं राज्य स्तरीय समितियों के गठन से जुड़े मुद्दे

(चार) ग्राम सभा की भूमिका

(तत्पश्चात् साक्षी चले गए)

कार्यवाही का शब्दश: रिकार्ड रखा गया।

8. उसके बाद एक्शन रिसर्च इन कम्युनिटी हेल्थ एवं डेवलपमेंट (आर्क), गुजरात के निम्नलिखित प्रतिनिधियों को बुलाया गया:—

श्री अम्बरीश मेहता
श्री राजेश मिश्रा

सभापति महोदय ने उन्हें लोक सभा अध्यक्ष के निदेशों के निदेश 58 के उपबंधों के बारे में बताया। उसके बाद समिति ने निम्नलिखित बिन्दुओं पर उनके विचार/सुझाव सुने:—

(एक) वनोत्पाद से संबंधित अधिकार एवं वन प्रबंधन

(दो) जिला स्तरीय एवं अन्य समितियों की भूमिका

(तीन) अनुमति देने के संबंध में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की भूमिका

(चार) ग्राम सभा की भूमिका

(पांच) जनजातीय कार्य मंत्रालय एवं राजस्व विभाग द्वारा विधेयक के उपबंधों को स्पष्ट करने के बारे में प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाने की आवश्यकता।

(तत्पश्चात साक्षी चले गए)

कार्यवाही का शब्दश: रिकार्ड रखा गया।

तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई।

अनुसूचित जनजाति (वन अधिकारों की मान्यता) विधेयक, 2005 संबंधी संयुक्त समिति की नौवीं बैठक का कार्यवाही सारांश

नौ

नौवीं बैठक

समिति की बैठक 17 अप्रैल, 2006 को 1500 बजे से 1640 बजे तक समिति कमरा सं॰ 074, संसद ग्रंथालय भवन, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री वी॰ किशोर चन्द्र एस॰ देव — सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री महावीर भगोरा
3. श्री सी॰के॰ चन्द्रप्पन
4. डा. पी॰पी॰ कोया
5. श्री शैलेन्द्र कुमार
6. श्री राजेश कुमार मांझी
7. श्री बाबू लाल मरांडी
8. श्री बाजू बन रियान
9. डा॰ बाबू राव मिडियम
10. श्री सुग्रीव सिंह
11. श्री राजेश वर्मा

राज्य सभा

12. श्री रावुला चन्द्रशेखर रेड्डी
13. श्री मंगनी लाल मंडल

सचिवालय

1. श्री आर॰के॰ बजाज — उप सचिव
2. श्री के॰ जेना — अवर सचिव
3. श्री जे॰वी॰जी॰ रेड्डी — अवर सचिव

जनजातीय कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधि

श्री पी॰के॰ वर्मा — उप सचिव

विधि एवं न्याय मंत्रालय के प्रतिनिधि
(विधायी विभाग)

श्री एन॰के॰ नम्बूदरी — संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शदाता

श्री आर॰एस॰ शुक्ला — उप विधायी परामर्शदाता

2. सर्वप्रथम, अनुसूचित जनजाति (वन अधिकारों की मान्यता) विधेयक, 2005 संबंधी संयुक्त समिति के सभापति ने समिति के सदस्यों का स्वागत किया।

3. तत्पश्चात्, भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ता, श्री संजय उपाध्याय को बुलाया गया। सभापति ने लोक सभा अध्यक्ष के निदेशों के निदेश 58 की तरफ उनका ध्यान आकृष्ट किया। तत्पश्चात्, समिति ने उनके विचारों और सुझावों को सुना जिसमें उन्होंने इस गलत अवधारणा को नकारा किया:—

(एक) इस विधेयक का उद्देश्य जंगल की भूमि जनजातीय समुदायों के सुपुर्द करना है।

(दो) विधेयक जंगलों को नष्ट करने को प्रोत्साहित करता है।

(तीन) प्रत्येक जनजातीय परिवार को देने के लिए प्रस्तावित ढाई एकड़ भूमि जंगल की भूमि के अंतर्गत कुल क्षेत्र से अधिक हो जाएगी।

(चार) यह विधेयक वन्य जीव अधिनियम और वन संरक्षण अधिनियम का विरोधाभासी है।

(पांच) इस विधेयक में पूर्वोत्तर राज्यों की विशेष परिस्थितियों का ध्यान नहीं रखा गया है।

(छह) निहित पंचायत निकायों द्वारा मान्यता प्रक्रिया में फेरबदल कर दिया जाएगा।

(सात) विधेयक से राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य नष्ट हो जाएंगे।

उन्होंने इसके साथ-साथ नियम बनाने की जरूरत तथा उपमंडल स्तर और जिला स्तर की समितियों में विभिन्न भागीदारों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने पर बल दिया।

तत्पश्चात् साक्षी साक्ष्य देकर चला गया।

कार्यवाही का शब्दश: रिकार्ड रखा गया।

4. तत्पश्चात्, श्री सी॰आर॰ विजय को बुलाया गया। सभापति ने लोक सभा अध्यक्ष के निदेशों के निदेश 58 की तरफ उनका ध्यान आकृष्ट किया। तत्पश्चात् समिति ने निम्नलिखित मुद्दों के संबंध में उनके विचार/सुझाव सुने:—

(एक) विधेयक के संदर्भ में ग्राम की परिभाषा;

(दो) वन अधिकार निहित करने और अनुसूचित जनजाति के अतिरिक्त वन में रहने वाले लोगों को इसमें शामिल करने की जरूरत से संबंधित धारा 6(1);

(तीन) ग्राम सभा, उपमंडल स्तरीय समिति और जिला स्तरीय समिति की भूमिका और जिम्मेदारियां;

(चार) प्रस्तावित विधेयक के अधीन अपराध और शास्तियां;

(पांच) अंतिम तारीख;

(छह) संरक्षित क्षेत्रों का विस्तार और वन्य जीवन, राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य से जुड़े मुद्दे।

तत्पश्चात् साक्षी साक्ष्य देकर चला गया।

कार्यवाही का शब्दश: रिकार्ड रखा गया है।

5. तत्पश्चात्, जनजातीय कार्यों में लगे गैर-सरकारी संगठन कल्पवृक्ष के प्रतिनिधि (श्री आशीष कोठारी) को बुलाया गया। सभापति ने लोक सभा अध्यक्ष के निदेशों के निदेश 58 की तरफ उनका ध्यान आकृष्ट किया। तत्पश्चात् समिति ने निम्नलिखित मुद्दों के संबंध में उसके विचार/सुझाव सुने:—

(एक) स्थानीय समुदायों के वन और प्राकृतिक संसाधन अधिकारों को मान्यता देने की जरूरत;

(दो) जनजातीय लोगों की समस्याओं के स्थान विशिष्ट समाधान की जरूरत;

(तीन) यायावर समुदायों के अधिकारों को शामिल करना/मान्यता देना;

(चार) मुख्य क्षेत्रों की परिभाषा से संबंधित धारा 2(ख);

(पांच) राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य के संरक्षित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के अनंतिम अधिकार;

(छह) वैज्ञानिकों के एक स्वतंत्र निकाय द्वारा मुख्य क्षेत्रों अथवा महत्वपूर्ण वन्य जीव प्राकृतिक आवास की पहचान करना;

(सात) सामुदायिक वन संसाधनों से संबंधित धारा 3(ज);

(आठ) अंतिम तिथि;

(नौ) निस्तार और वन उपज का अधिकार;

(दस) प्रस्तावित विधेयक में अनिवार्य जन सुनवाई और वन में रहने वाले समुदाय से संबंधित भूमि पर विकास परियोजनाओं के मामले में स्थानीय समुदाय की सहमति से जुड़े खंड का प्रावधान;

(ग्यारह) उपमंडलीय समितियों, जिला स्तरीय समितियों और राज्य स्तरीय निगरानी समितियों की संरचना;

(बारह) विधेयक के अधीन शास्तियां लगाने के लिए अतिलंघन अथवा उल्लंघन के स्वरूप को विनिर्दिष्ट करना/परिभाषित करने की जरूरत।

तत्पश्चात् साक्षी साक्ष्य देकर चला गया।

कार्यवाही का शब्दशः रिकार्ड रखा गया।

6. तत्पश्चात्, नेशनल फोरम ऑफ फोरेस्ट पिपुल एंड फोरेस्ट वर्कर्स के प्रतिनिधियों को बुलाया गया। निम्नलिखित प्रतिनिधि उपस्थित हुए:—

1. श्रीमती ममता दास
2. श्री मुन्नी लाल
3. श्री शिबा सनवर
4. श्री अशोक चौधरी
5. श्री संजय बसु मलिक
6. श्री परशुराम नेताम
7. श्री देवनीत नंदी

तत्पश्चात्, सभापति ने लोक सभा अध्यक्ष के निदेशों के निदेश 58 की तरफ उनका ध्यान आकृष्ट किया। तत्पश्चात्, समिति ने निम्नलिखित मुद्दों के संबंध में उनके विचार/सुझाव सुने:—

(एक) वन में रहने वाले समुदायों के साथ किया गया ऐतिहासिक अन्याय;

(दो) विधेयक की परिधि में अनुसूचित जनजातियों के अतिरिक्त वन में रहने वाले लोगों को शामिल करने की आवश्यकता;

(तीन) अंतिम तिथि;

(चार) सामूहिक अधिकारों को मान्यता देने के उपबंध;

(पांच) ढाई एकड़ भूमि की निर्धारित उच्चतम सीमा;

(छह) मुख्य क्षेत्रों से संबंधित मामले;

(सात) प्रस्तावित विधेयक के अंतर्गत प्राधिकरणों और समितियों के सदस्यों अथवा अधिकारियों द्वारा किए जाने वाले अपराध।

तत्पश्चात्, साक्षी साक्ष्य देकर चले गये।

कार्यवाही का शब्दश: रिकार्ड रखा गया।

7. तत्पश्चात्, सभापति ने विधेयक पर विचार करने के विभिन्न चरणों से संबंधित निर्धारित कार्यक्रम पढ़कर सुनाया। सभापति ने सदस्यों को इस बात से भी अवगत कराया कि निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार वे 28 अप्रैल, 2006 तक विधेयक के विभिन्न उपबंधों में संशोधन हेतु अपने नोटिस दे सकते हैं।

तत्पश्चात्, समिति की बैठक स्थगित हुई।

अनुसूचित जनजाति (वन अधिकारों की मान्यता) विधेयक, 2005 संबंधी संयुक्त समिति की दसवीं बैठक का कार्यवाही सारांश

दस

दसवीं बैठक

समिति की बैठक 18 अप्रैल, 2006 को 1500 बजे से 1630 बजे तक समिति कमरा सं. 074, संसद ग्रंथालय भवन, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री वी॰ किशोर चन्द्र एस॰ देव — सभापति

सदस्य

2. श्री महावीर भगोरा
3. श्री सी॰के॰ चन्द्रप्पन
4. श्री गिरिधर गमांग
5. डा. पी॰पी॰ कोया
6. श्री शैलेन्द्र कुमार
7. श्री राजेश कुमार मांझी
8. श्री मधुसूदन मिस्त्री
9. श्री जुएल ओराम
10. श्री बाजू बन रियान
11. डा॰ बाबू राव मिडियम
12. श्री रवि प्रकाश वर्मा

सचिवालय

1. श्री आर॰सी॰ आहूजा — संयुक्त सचिव
2. श्री आर॰के॰ बजाज — उप सचिव
3. श्री के॰ जेना — अवर सचिव
4. श्री जे॰वी॰जी॰ रेड्डी — अवर सचिव

जनजातीय कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधि

श्री पी॰के॰ वर्मा — उप सचिव

विधि और न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग) के प्रतिनिधि

श्री एन॰ के॰ नम्बूदिरी — संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शदाता

श्री आर॰ एस॰ शुक्ला — उप विधायी परामर्शदाता

2. सर्वप्रथम, माननीय सभापति, अनुसूचित जनजाति (वन अधिकारों की मान्यता) विधेयक, 2005 संबंधी संयुक्त समिति ने समिति के सदस्यों का स्वागत किया।

3. तत्पश्चात् श्री समर सिंह, आईएएस (सेवानिवृत्त) को बुलाया गया। सभापति महोदय ने अध्यक्ष के निदेशों के निदेश 58 के उपबंधों के बारे में उन्हें अवगत कराया। तत्पश्चात् समिति ने निम्नलिखित मुद्दों पर उनके विचार/सुझाव सुने:

(एक) विधेयक का वैधानिक और सांविधानिक औचित्य

(दो) प्रस्तावित विधान की तुलना में वन और वन्य जीव संबंधी विद्यमान केन्द्रीय कानूनों के मध्य सम्भावित विरोधाभास

(तीन) वनों में रहने वाली अनुसूचित जातियों और अन्य उपेक्षित वर्ग के लोगों के मुद्दे

(चार) वन्य भूमि पर अतिक्रमण से संबंधित मुद्दे

(पांच) राष्ट्रीय पार्कों और अभयारण्यों से संबंधित मुद्दे

(छह) नाभिकीय परिवार और उद्देशिका में 'सृजन हेतु' और 'मान्यताप्राप्त अधिकारों' जैसे शब्दों की परिभाषा करने की आवश्यकता

(सात) सामुदायिक अधिकार और सामुदायिक वन संसाधन

(आठ) ग्राम सभा, उप मंडल स्तरीय और जिला स्तरीय समितियों की भूमिका

(नौ) शास्ति की प्रकृति, मात्रा और श्रेणीकरण

(दस) इन योजनाओं की पहचान करने और क्रियान्वित करने में सरकारी तंत्र की सभी एजेन्सियों के एकीकृत दृष्टिकोण की आवश्यकता

तत्पश्चात् साक्षी चले गए।

कार्यवाही का शब्दशः रिकार्ड रखा गया।

4. तत्पश्चात् सेवा (सस्टेनेबल — एग्रीकल्चर एंड एन्वायरनमेंट वालंटरी एक्शन, मदुरै) के प्रतिनिधियों को बुलाया गया। इनमें निम्नलिखित प्रतिनिधि उपस्थित थे:—

श्री पदमा कुमार
श्री एस. मुथैया
श्री आर. मुथैया
श्री हन्वंत सिंह
श्री बाबूलाल रैका
श्री हरि राम रैका
श्री भोपाल राम रैका

सभापति महोदय ने उन्हें अध्यक्ष के निदेशों के निदेश 58 के उपबंधों के बारे में बताया। तत्पश्चात् समिति ने निम्नलिखित बिन्दुओं पर उनके विचार/सुझाव सुने:—

(एक) पशुचारकों और उनकी जीविका से संबंधित मुद्दे,

(दो) यायावर जनजातियों के प्रथागत अधिकार,

(तीन) चराई अधिकार, और

(चार) वनों के निवासियों पर वन अधिकारियों द्वारा अत्याचार।

तत्पश्चात् साक्षी चले गए।

कार्यवाही का शब्दशः रिकार्ड रखा गया।

5. तत्पश्चात् सभापति महोदय ने विधेयक पर विचार करने के विभिन्न चरणों पर समिति के सदस्यों का ध्यान आकृष्ट किया और सदस्यों को अवगत कराया कि संशोधनों के नोटिस भेजने की अंतिम तिथि 28 अप्रैल, 2006 थी और उनसे यथाशीघ्र नोटिस भेजने का अनुरोध किया।

तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई।

अनुसूचित जनजातीय (वन अधिकारों की मान्यता) विधेयक, 2005 संबंधी संयुक्त समिति की ग्यारहवीं बैठक का कार्यवाही सारांश

ग्यारह

ग्यारहवीं बैठक

समिति की बैठक 19 अप्रैल, 2006 को 1500 बजे से 1800 बजे तक समिति कक्ष सं. 074, संसद ग्रंथालय भवन, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री वी. किशोर चन्द्र एस. देव — सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री महावीर भगोरा
3. डा० पी०पी० कोया
4. श्री शैलेन्द्र कुमार
5. श्री राजेश कुमार मांझी
6. श्री बाजू बन रियान
7. श्री जुएल ओराम
8. डा० बाबू राव मिडियम
9. श्री रवि प्रकाश वर्मा

राज्य सभा

10. डा० राधाकांत नायक
11. श्री मंगनी लाल मंडल

सचिवालय

1. श्री आर०सी० आहूजा — संयुक्त सचिव
2. श्री आर०के० बजाज — उप सचिव
3. श्री के० जेना — अवर सचिव
4. श्री जे०वी०जी० रेड्डी — अवर सचिव

जनजातीय कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधि

श्री पी०के० वर्मा — उप सचिव

विधि और न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग) के प्रतिनिधि
(विधायी विभाग)

1. श्री एन॰ के॰ नम्बूदरी — संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शदाता

2. श्री आर॰ एस॰ शुक्ला — उप विधायी परामर्शदाता

2. सर्वप्रथम, अनुसूचित जनजाति (वन अधिकारों की मान्यता) विधेयक, 2005 संबंधी संयुक्त समिति के सभापति महोदय ने बैठक में संयुक्त समिति के सदस्यों का स्वागत किया।

3. सर्वप्रथम, रणथंबौर फाउण्डेशन के प्रतिनिधि (श्री वाल्मिकी थापर) तथा केन्द्रीय अधिकार प्राप्त समिति के सदस्य एम.के. जिवारजका को बुलाया गया। सभापति महोदय ने लोक सभा अध्यक्ष के निदेशों के निदेश 58 के बारे में उन्हें बताया। तत्पश्चात् समिति ने निम्नलिखित विषयों पर उनके विचार/सुझाव सुनेः—

(एक) राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य से संबंधित मुद्दे;

(दो) वन में रहने वाले गैर-अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को इस विधेयक के दायरे में लाना;

(तीन) वन भूमि पर भूमि अधिकार एवं लघु वनोत्पाद पर अधिकार;

(चार) भूमि की अधिकतम सीमा 2.5 हेक्टेयर;

(पांच) सरकारी स्वामित्व वाले वन एवं निजी स्वामित्व वाले वन के बीच अंतर किए जाने की जरूरत;

(छह) संयुक्त वन प्रबंधन के अंतर्गत नियत भूमि;

(सात) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा 1990 में जारी दिशानिर्देश में विसंगतियां; और

(आठ) पुनर्वास आयोग गठित किए जाने की आवश्यकता।

तत्पश्चात् साक्षी चले गए।

कार्यवाही का शब्दशः रिकार्ड रखा गया।

4. उसके बाद, अखिल भारतीय किसान कामगार संघ के प्रतिनिधियों को बुलाया गया जिसमें निम्नलिखित अधिकारी उपस्थित हुएः—

कामरेड सुनीत चोपड़ा, संयुक्त सचिव, एआईएडब्ल्यूयू

कामरेड कुमार सिरालकर, सदस्य, केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति, एआईएडब्ल्यूयू

सभामति महोदय ने उन्हें लोक सभा अध्यक्ष के निदेशों के निदेश 58 के उपबंधों के बारे में बताया। उसके बाद समिति ने निम्नलिखित विषयों पर इनके विचार/सुझाव सुनेः—

(एक) राज्यों में अनुसूचित जनजातियों को मान्यता दिए जाने से संबंधित कई विसंगतियां;

(दो) प्रस्तावित अंतिम तिथि;

(तीन) उपयुक्त भूमि अभिलेख एवं भूमि सर्वेक्षण;

(चार) भूमि की अधिकतम सीमा 2.5 हैक्टेयर;

(पांच) ग्राम पंचायत, स्वायत्त जिला परिषद के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले वन क्षेत्रों में सामुदायिक संपत्ति अधिकार;

(छह) लघु कृषि उत्पाद से संबंधित मुद्दे;

(सात) आदिवासी लोगों को शोषण से सुरक्षा; और

(आठ) व्यापक वन अधिनियम बनाने की आवश्यकता।

तत्पश्चात् साक्षी चले गए।

कार्यवाही का शब्दशः रिकार्ड रखा गया।

5. इसके बाद, गैर-सरकारी संगठन अंथरा, सिकंदराबाद के प्रतिनिधियों को बुलाया गया। इस प्रतिनिधिमंडल में निम्नलिखित प्रतिनिधि उपस्थित थे:—

श्री सागरी आर. रामदास—निदेशक

श्री एन. मधुसूदन

श्री के. पांडु डोरा

सभापति ने इन्हें अध्यक्ष के निदेशों के निदेश 58 के उपबंधों के बारे में बताया। इसके बाद, समिति ने निम्नलिखित बिन्दुओं पर इनके विचार/सुझाव सुने:—

(एक) आदिवासी समुदायों को परिवर्ती कृषि अधिकार;

(दो) चारागाह (स्थापित और घुमक्कड़ दोनों) अधिकार;

(तीन) चारागाही समुदाय के अधिकारों को मान्यता;

(चार) अंतिम तिथि;

(पांच) सुरक्षित क्षेत्रों से संबंधित मुद्दे;

(छह) ग्राम सभा का सशक्तिकरण;

(सात) अपराध और शास्तियां; और

(आठ) आंध्र प्रदेश राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन और समुदाय वन प्रबंधन।

तत्पश्चात् साक्षी चले गए।

कार्यवाही का शब्दशः रिकार्ड रखा गया।

6. इसके बाद, आंध्र प्रदेश के कई गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों को बुलाया गया। इस प्रतिनिधिमंडल में निम्नलिखित उपस्थित थे:—

श्री एन. सन्यासी राव — निदेशक, एआरटी (एनजीओ)
श्री के. कृष्णा राव
श्री डी.एस. प्रसाद
श्रीमती पी. भूदेवी
श्री नरसिंह राव
श्री सन्हर रेड्डी

सभापति ने उन्हें अध्यक्ष के निदेशों के निदेश 58 के उपबंधों से अवगत कराया। तत्पश्चात, समिति ने निम्नलिखित बिंदुओं पर उनके विचार/सुझाव सुने:—

(एक) अंतिम तारीख;

(दो) भूमि की अधिकतम सीमा 2.5 हैक्टेयर;

(तीन) जनजातीय लोगों के पास लिखित भू अभिलेखों, साक्ष्य और ग्राम सभा की शक्तियों का अभाव;

(चार) आरक्षित और अनारक्षित वन;

(पांच) असर्वेक्षित ग्रामों की पहचान किए जाने की आवश्यकता;

(छह) विधेयक में साक्ष्य की प्रकृति को विनिर्दिष्ट करने की आवश्यकता;

(सात) विधेयक में वन में रहने वाले गैर-जनजातीय लोगों को भी शामिल करना; और

(आठ) सामुदायिक अधिकार।

तत्पश्चात् साक्षी चले गए।

कार्यवाही का शब्दशः रिकार्ड रखा गया।

7. तत्पश्चात् तमिलनाडु के नीलगिरी जिले के निम्नलिखित व्यक्ति समिति के सम्मुख उपस्थित हुए:—

श्री वी॰ के॰ पुलोस, चेयरमैन, जिला पंचायत, नीलगिरी

श्री कोशी बेबी

श्री पी॰ एच॰ अब्दुल करीम

श्री के॰ बाला मुरूगन

सभापति ने उन्हें अध्यक्ष के निदेशों के निदेश 58 के उपबंधों की जानकारी दी। तत्पश्चात् समिति ने निम्नलिखित बिंदुओं पर उनके विचार/सुझाव सुने:—

(एक) नीलगिरी के गुडालूर क्षेत्र के जनजातियों जो गुडालूर जैनिअम एस्टाटेट (एबोलिशन एंड कन्वर्जन इन्टू राधतवारी) एक्ट, 1989 द्वारा विशिष्ट रूप से अधिशासित होते हैं, से संबंधित मुद्दे;

(दो) बागवानी और कृषि भूमि को एकतरफा और मनमाने ढंग से वन भूमि घोषित किया जाना; और

(तीन) वन विभाग द्वारा जनजातिय व्यक्तियों से भूमि खाली कराया जाना।

तत्पश्चात् साक्षी चले गए।

कार्यवाही का शब्दशः रिकार्ड रखा गया।

8. तत्पश्चात् आदिवासी महासभा, गुजरात के प्रतिनिधियों को बुलाया गया। निम्नलिखित व्यक्ति उपस्थित थे:—

श्री गोवा राठौड़
श्री दातुभाई वासवा

सभापति ने उन्हें अध्यक्ष के निदेशों के निदेश 58 के उपबंधों से अवगत कराया। तत्पश्चात् समिति ने निम्नलिखित बिंदुओं पर उनके विचार/सुझाव सुने:—

(एक) अधिकारों की मान्यता हेतु ग्राह्य साक्ष्य;

(दो) ग्राम सभा का सशक्तिकरण;

(तीन) अंतिम तारीख; और

(चार) गैर-जनजातीय वन समुदाय के अधिकारों को निर्धारित करना।

तत्पश्चात् साक्षी चले गए।

कार्यवाही का शब्दशः रिकार्ड रखा गया।

तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई।

अनुसूचित जनजाति (वन अधिकारों की मान्यता) विधेयक, 2005 संबंधी संयुक्त समिति की बारहवीं बैठक का कार्यवाही सारांश

बारह

बारहवीं बैठक

समिति की बैठक 8 मई, 2006 को 1100 बजे से 2030 बजे तक समिति कक्ष 'सी', संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री वी॰ किशोर चन्द्र एस॰ देव — सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री सी॰के॰ चन्द्रप्पन
3. श्री गिरिधर गमांग
4. श्री शैलेन्द्र कुमार
5. श्री जुएल ओराम
6 श्री बाजू बन रियान
7. डा॰ बाबू राव मिडियम

राज्य सभा

8. श्री रिशांग किशिंग
9. डा॰ राधाकांत नायक
10. श्रीमती बृंदा कारत
11. श्री देवदास आपटे
12. श्री मंगनी लाल मंडल

सचिवालय

1. श्री आर॰ सी॰ आहूजा — संयुक्त सचिव
2. श्री आर॰के॰ बजाज — उप सचिव
3. श्री के॰ जेना — अवर सचिव
4. श्री जे॰वी॰जी॰ रेड्डी — अवर सचिव

जनजातीय कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधि

श्री राजीव कुमार — संयुक्त सचिव

श्री पी॰के॰ वर्मा — उप सचिव

विधि और न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग) के प्रतिनिधि

श्री एन॰के॰ नम्बूदरी — संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शदाता

2. प्रारंभ में, सभापति ने संयुक्त समिति के सदस्यों और अधिकारियों का स्वागत किया। सभापति ने समिति को सूचित किया कि समिति के सदस्यों द्वारा दी गई संशोधनों की सूचनाओं की 7 सूचियां और ऐसे सदस्यों द्वारा, जो समिति के सदस्य नहीं हैं, नियम 301 के अंतर्गत दी गई संशोधनों की सूचनाओं की 2 सूचियां परिचालित कर दी गई हैं। सभापति ने सदस्यों को यह भी बताया कि इन सभी संशोधनों को एक समेकित सूची के रूप में सदस्यों को परिचालित कर दिया गया है, जिसमें सभी 9 सूचियां सम्मिलित हैं।

3. तदन्तर, समिति ने, समिति के सदस्यों द्वारा दी गई संशोधनों की सूचना और नियम 301 के अधीन प्राप्त संशोधनों की सूचनाओं को ध्यान में रख कर विधेयक पर खंडवार विचार किया ताकि वह इस पर अपने मत तैयार कर सकें और निष्कर्षों तक पहुंच सकें। बैठक में उपस्थित सदस्यों ने अपने संशोधन पेश किए।

4. सर्वप्रथम समिति ने खंड 3 पर विचार किया और निम्नलिखित संशोधनों को स्वीकार किया:—

(एक) खंड 3, पृष्ठ 3, पंक्ति 33-34

"अनुसूचित जनजातियों के" शब्दों के पश्चात्

"और सभी वन भूमियों पर रहने वाले पारंपरिक वनवासी" जोड़ें।

(दो) खंड 3 (क), पृष्ठ 3, पंक्ति 36

"अनुसूचित जनजाति" के पश्चात्

"या अन्य पारंपरिक वनवासियों" जोड़ें।

(तीन) (क) 3 (ख), पृष्ठ 4, पंक्ति 4

"उपयोग" के स्थान पर

"और उपयोग में हैं, सहित" प्रतिस्थापित करें।

(ख) खंड 3 (ख), पृष्ठ 4, पंक्ति 3

"शासनों" शब्द के पश्चात्

"जो किसी वन भूमि में आते हैं" जोड़ें।

(चार) खंड 3(ग), पृष्ठ 4, पंक्ति 5, 6

विद्यमान खंड के स्थान पर

"लघु वन उत्पादों, तक पहुंच, उपयोग या परिवहन और निपटारे का स्वामित्व का अधिकार जिन्हें परम्परागत रूप से ग्राम की सीमाओं के भीतर या बाहर एकत्र किया गया है।" प्रतिस्थापित करें।

(पांच) खंड 3(घ), पृष्ठ 4, पंक्ति 7, 8

(क) "जैसे" शब्दों के पश्चात्

"जल निकायों के मत्स्य और अन्य उत्पाद" अंतःस्थापित करें।

(ख) "(स्थापित और घुमक्कड़ दोनों)" के स्थान पर

"(स्थापित अथवा घुमक्कड़ दोनों)" प्रतिस्थापित करें।

(छह) खंड 3(ज). पृष्ठ 4, पंक्ति 17

विद्यमान खंड के स्थान पर

"सभी वन ग्रामों, पुराने बसे हुए और असर्वेक्षित ग्रामों चाहे वे राजस्व ग्रामों में अभिलिखित हों अधिसूचित हों या न हों, के बंदोबस्त और संपरिवर्तन का अधिकार" प्रतिस्थापित करें।

(सात) खंड 3, पृष्ठ 4, पंक्ति 20-22

खंड 3(झ) का लोप करें।

(आठ) खंड 3 (ञ) पृष्ठ 4 पंक्ति 20-22

विद्यमान खंड 3 (ञ) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित करें-

"किसी सामुदायिक वन संसाधन के उपयोग, संरक्षा, पुनर्जनन, संरक्षण, नियंत्रण या प्रबंधन का सामुदायिक अधिकार एवं प्राधिकार परंतु यह कि ऐसे अधिकार में सभी उत्पादों का अधिकार एवं लाभ जैसे इमारती लकड़ी, गौण और मुख्य खनिज तथा पर्यावरणीय और सांस्कृतिक सेवाएं सम्मिलित हैं।"

(नौ) खंड 3 (ट) पृष्ठ 4, पंक्ति 25

"किसी राज्य" के पश्चात् "के संबंधित जनजातियों" अंत:स्थापित करें।

(दस) खंड 3 (ट) के पश्चात् निम्नलिखित नया खंड जोड़ें-

"3 (ड) जैव विविधता तक पहुंच का अधिकार और वन जैव विविधता तथा सांस्कृतिक विविधता से संबंधित बौद्धिक संपदा और पारंपरिक ज्ञान का सामुदायिक अधिकार"

(ग्यारह) खंड 3(ठ), पृष्ठ 4 पंक्ति 27-28

"अनुसूचित जनजातियों" के पश्चात्

"या यथास्थिति अन्य पारंपरिक वनवासी" अंत:स्थापित करें।

(बारह) खंड 3 (ठ) के पश्चात् निम्नलिखित नए खंड 3(ठ) (ड), 3(2) 3(3), 3(4) एवं 3(5) जोड़ें-

"3(ढ) ऐसे मामलों में वैकल्पिक भूमि सहित स्वस्थानिक पुनर्वास का अधिकार जहां अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पारंपरिक वनवासियों को अपने पुनर्वास का विधिक हक प्राप्त किए बिना किसी भी प्रकार की वन भूमि से अवैध रूप से बेदखल और/या विस्थापित किया गया है।"

खंड 3 पृष्ठ 4 पंक्ति 30 के पश्चात् नया उपखंड 3(1), (2), (3), (4) और (5) जोड़ें

"(2) वन में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों को अधिकार निहित करने में जनजातीय परिवारों द्वारा अधिभोगाधीन या वन विभाग द्वारा उन्हें पट्टे पर दी गई भूमि और बाद में वन विभाग या अन्य अभिकरणों द्वारा वृक्षारोपण अथवा तद्नुरूप प्रयोजनों आदि के लिए वापस ली गई भूमि शामिल है।

(3) केन्द्र सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि वन में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक रूप से वन में रहने वाले समुदायों की भोजन, फाइबर, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं संचार जैसी विकासात्मक आवश्कताओं को पूरा करने के लिए उपबंध किया जाए और वन या वन के सीमावर्ती क्षेत्रों में ऐसी बुनियादी और आवश्यक विकासात्मक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए वन भूमि से भूमि आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपबंध किया जाए।

(4) वन संरक्षण अधिनियम, 1980 में अंतर्विष्ट होने के बावजूद भी केन्द्र सरकार निम्नलिखित सुविधाओं जिनमें प्रति परियोजना 75 से अनधिक वृक्ष गिराये जा सकते हैं, के लिए वन भूमि के अपयोजन के लिए उपबंध करेगा, नामत:

(क) विद्यालय

(ख) चिकित्सालय/अस्पताल

(ग) आंगनवाड़ी

(घ) उचित मूल्य की दुकानें

(ङ) विद्युत एवं संचार लाइनें

(च) तालाब एवं अन्य छोटे जल स्रोत

(छ) पेयजल आपूर्ति/जल पाइपलाइनें

(ज) जल/वर्षा जल संचयन, संरचनायें

(झ) छोटी सिंचाई नहरें

(ञ) ऊर्जा के अपारंपरिक स्रोत

(ट) दक्षता उन्नयन/व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र

(ठ) सड़कें; और

(ड) सामुदायिक केन्द्र

परंतु यह कि वनों के ऐसे उपयोजन के अनुमोदन निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति करने के अध्यधीन दिया जाएगा:-

(एक) उपर्युक्त विशिष्ट विकासात्मक निर्माण कार्यों के लिए अपयोजित की जाने वाली भूमि प्रत्येक मामले में एक हेक्टेयर से अन्यून होनी चाहिए।

(दो) ऐसी विकासात्मक परियोजनाओं की स्वीकृति इस शर्त के अध्यधीन दी जाएगी कि उनकी सिफारिश ग्राम सभा द्वारा की जाए।

(5) किसी भी रूढ़ि या उपयोग के होने के बावजूद अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वनवासियों के महिला सदस्यों को महिला प्रधान परिवारों एवं विधवाओं के लिए विशेष उपबंधों के साथ समान अधिकार विहित होंगे।

5. तत्पश्चात्, समिति ने खंड (4) पर विचार शुरू किया तथा निम्नलिखित संशोधनों को स्वीकार किया:-

(एक) पृष्ठ 4, पंक्ति 32

अध्याय 3 के अंतर्गत शीर्षक "वन में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों के अधिकार" के स्थान पर "वन अधिकारों की मान्यता देने, पुनर्स्थापना और निहित करने तथा संबंधित विषय" प्रतिस्थापित करें।

(दो) (क) खण्ड 4(1), पृष्ठ 4 पंक्ति 39-40 एवं पृष्ठ 5 पंक्ति 1 विद्यमान खंड 4(1) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित करें-

"तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, और इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा—

(क) उन राज्यों के वनों में रहने वाली उन अनुसूचित जनजातियों को जिन्हें धारा 3 में उल्लिखित वन अधिकारों के संदर्भ में अनुसूचित जनजाति घोषित किया जाता है;

(ख) धारा 3 में उल्लिखित सभी वन अधिकारों के संबंध में अन्य पारंपरिक वनवासियों को, वनाधिकार की मान्यता देती है एवं उनमें निहित करती है।

(तीन) खंड 4(1), पृष्ठ 4 के पश्चात्
निम्नलिखित नया खंड जोड़ें-

"राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के संकटापन्न वन्यजीव आवास में इस अधिनियम के अधीन मान्य वनाधिकारों का बाद में आशोधन या पुनर्स्थापन किया जाए परंतु यह कि वन्य जीव संरक्षण के लिए अविछिन्न क्षेत्रों के सृजन के प्रयोजन के लिए किसी भी वन अधिकार धारक का पुनर्स्थापन नहीं किया जाएगा या उनके अधिकारों पर किसी भी रूप में प्रभाव नहीं डाला जाएगा सिवाय इस मामले के जिसमें कि निम्नलिखित शर्तों का समाधान होता है:—

(क) जैसाकि धारा 6 में दिया गया है विचाराधीन सभी क्षेत्रों के अधीन मान्यता की प्रक्रिया और अधिकारों को निहित करना पूर्ण है।

(ख) वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार की संबंधित एजेंसियों द्वारा यह स्थापित किया गया है और अधिकार धारकों और इस क्षेत्र से अभ्यस्त स्वतंत्र पारिस्थितिकीय और समाज विज्ञानियों के परामर्श से अधिकार धारकों के क्रियालापों या उपस्थिति से वन्य जीवों को अपरिहार्य नुकसान और उक्त प्रजातियों के अस्तित्व तथा उनके आवास को खतरा पैदा करने के लिए पर्याप्त है;

(ग) राज्य सरकार सभी अधिकार धारकों की सहमति लेकर एवं इस क्षेत्र से परिचित स्वतंत्र परिस्थितिकीय और सामाजिक वैज्ञानिकों से परामर्श करके इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि अन्य उपयुक्त विकल्प, जैसे कि सह अस्तित्व, जहां संकटापन्न वन्यजीव आवास में भी मानव उपयोग संरक्षण मूल्यों के साथ बेमेल नहीं हैं, या जहां संसाधन उपयोग विधि में कुछ परिवर्तन करके उन्हें संरक्षण मूल्यों के अनुरूप बना सकते हैं, जहां ऐसे प्रभावों को कम करने के लिए पूर्ण पुनर्स्थापन आवश्यक नहीं होता, उपलब्ध नहीं है;

(घ) एक पुनर्वास या विकल्पों का पैकेज तैयार और संसूचित किया गया है कि जिसमें प्रभावित लोगों एवं समुदायों के लिए सुरक्षित आजीविका तथा केन्द्र सरकार की राष्ट्रीय राहत पुनर्वास नीति में उल्लिखित अपेक्षाओं को पूरा करने का उपबंध किया गया है।

(ङ) पुरस्थापन और दिए गए पैकेज के संबंध में संबंधित क्षेत्र में ग्राम सभाओं और संबंधित परिवारों की निर्बाध पूर्व संसूचित सहमति लिखित में प्राप्त कर ली गई है;

(च) जब तक पुनर्स्थापन के स्थान पर सुविधाएं और भूमि का आबंटन वचनबद्ध पैकेज के अनुसार पूरा नहीं हो जाता तब तक कोई पुनः अवस्थापन नहीं किया जाएगा;

परंतु यह कि उस संकटापन्न वन्यजीव आवास को जहां से वन्यजीव संरक्षण के प्रयोजन से अधिकार धारकों को इस प्रकार पुनर्स्थापित किया जाता है, उसे राज्य या केन्द्र सरकार या अन्य संस्थापनाओं द्वारा किसी अन्य उपयोग के लिए उपयोजित नहीं किया जाएगा:

परंतु यह भी कि समुदाय को, यदि वह पुनर्वास से संतुष्ट नहीं है, अपने मौलिक आवास का अधिकार होगा।"

(चार) खंड 4(2), पृष्ठ-5 पंक्ति

"अनुसूचित जनजातियों" के पश्चात्

"अन्य पारंपरिक वनवासियों को" अंत:स्थापित करें।

(पांच) खंड 4(2), पृष्ठ-5, पंक्ति-8

"जनजातीय समुदायों" के पश्चात्

"अथवा अन्य पारंपरिक वनवासियों" अंत:स्थापित करें।

(छह) खंड 4(2) पृष्ठ-5, पंक्ति-8

"25 अक्तूबर, 1980" के स्थान पर

"13 दिसम्बर, 2005" प्रतिस्थापित करें।

(सात) खण्ड 4(3), पृष्ठ 5

विद्यमान खंड 4(3) के स्थान पर

"उप-धारा (ठ) द्वारा प्रदत्त कोई अधिकार अनुवांशिक होगा, संक्रमणीय या अंतरणीय नहीं होगा और विवाहित व्यक्तियों के मामले में यह दोनों, पति पत्नी के नाम पर संयुक्त रूप से तथा एकल व्यक्ति के परिवार का मुखिया होने के मामले में एकल प्रमुख के नाम पर पंजीकृत होगा एवं प्रत्यक्ष वारिस के महीने की स्थिति में अनुवांशिक अधिकार निकटतम परिजन को अंतरित हो जाएंगे।" प्रतिस्थापित करें।

(आठ) खण्ड 4(4), पृष्ठ 5, पंक्ति 12

"अनुसूचित जनजाति" शब्दों के बाद

"या अन्य पारंपरिक रूप से वन में निवास करने वाले" शब्दों को अंत:स्थापित करें।

(नौ) खण्ड 4(4), पृष्ठ 4, पंक्ति

"ऐसी रीति जो विहित की जाए" शब्दों का लोप करें।

(दस) खंड 4(5) (1) के स्थान पर प्रतिस्थापित करें

"जहां उप धारा (1) द्वारा मान्यता प्राप्त एवं निहित वन अधिकार धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (क) में उल्लिखित भूमि के संबंध

में ऐसी भूमि इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख को किसी व्यक्ति या परिवार या समुदाय के अधिभोग) में होगी और वास्तविक अधिभोगाधीन क्षेत्र तक सीमित होगी।"

(ग्यारह) खंड 4(5)(दो), पंक्ति 22-24

खंड 4(5)(ii) का लोप करें।

(बारह) खंड 4(6), पंक्ति 26

"अनुसूचित जनजाति" शब्दों के पश्चात् प्रतिस्थापित करें "या अन्य परंपरागत वन निवासियों"

(तेरह) खंड 4(6)(i) पृष्ठ 5 पंक्ति 28

खंड 4(6) में "जाएंगे" शब्द के पश्चात् खंड 4(6)(1) जोड़ें

(चौदह) खंड 4(6)(ii) पृष्ठ 5 पंक्ति 28-30

धारा 4(6)(ii) का लोप करें।

(पन्द्रह) खंड 4(7), पृष्ठ 5, पंक्ति 31-36

खंड 4(7) का परन्तुक सहित लोप करें।

(सोलह) खंड 4(7) के बाद

नया खंड जोड़ें—

"जहां उन समुदायों द्वारा धारा 3 खंड (ङ) के अधीन अधिकारों का दावा किया जा रहा है जो अंशतः या पूर्णतः परिवर्ती कृषि करते हैं, तो ऐसे समुदायों को उस समुदाय की परम्परागत सीमाओं या विस्तार के भीतर आने वाली किसी भूमि पर भूमि का उपयोग के संबंध में निर्णय करने की पूरी शक्ति होगी।"

(सत्रह) खंड 4(8) पंक्ति 40-42

विद्यमान खंड के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित करें—

"वन्य अधिकार सभी विल्लगमों तथा प्रक्रिया संबंधी अपेक्षाओं से मुक्त प्रदत्त किए जाएंगे जिनमें प्रस्तुत अधिनियम में विनिर्दिष्ट शर्तों को छोड़कर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अंतर्गत अनापत्ति, वन भूमि के विचलन के लिए वर्तमान शुद्ध मूल्य का भुगतान तथा प्रतिकारात्मक वनरोपण की अपेक्षाएं भी सम्मिलित हैं।

(अठारह) खंड 4(8) के बाद

नया उपखंड जोड़ें-

"कि मान्यता प्राप्त और निहित वन अधिकारों के अंतर्गत वन में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों और परम्परागत रूप से वन में रहने वाले अन्य लोग सम्मिलित होंगे जो यह सिद्ध कर सके कि राज्य द्वारा विकासगत हस्तक्षेप के कारण अपने निवास एवं कृषि से, बिना कोई क्षतिपूर्ति दिए विस्थापित किए गए हैं, और जहां भूमि का प्रयोग अधिग्रहण के पांच वर्ष के भीतर उस उद्देश्य के लिए नहीं किया गया जिसके लिए उसका अधिग्रहण किया गया था।"

6. तत्पश्चात, समिति ने खंड 5 पर विचार शुरू किया और निम्नलिखित संशोधनों को स्वीकार किया:-

(एक) खंड 5, पृष्ठ 6, पंक्ति 1-20

विद्यमान खंड 5 के स्थान पर 5(1)(क) से (छ) तथा 5(2), 5(3), 5(4) और 5(5) प्रतिस्थापित करें।

"5. (1) ग्राम सभा और ग्राम स्तरीय संस्थाओं को उन क्षेत्रों में जहां इस अधिनियम के अधीन किन्हीं वन अधिकारों के धारक हैं, निम्नलिखित के लिए शक्तियां प्राप्त होंगी:

(क) वन्य पशु, वन और जैव विविधता का संरक्षण;

(ख) यह सुनिश्चित करना कि अनुलग्न जलागम क्षेत्र, जलस्रोत और अन्य संवेदनशील पारिस्थितिक विज्ञान क्षेत्र पर्याप्त रूप से संरक्षित हैं;

(ग) यह सुनिश्चित करना कि वन में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों और परम्परागत रूप से वन में रहने वाले अन्य लोगों के आवास किसी प्रकार की ध्वंसात्मक प्रक्रियाओं से संरक्षित हैं जो उनकी सांस्कृतिक और वास्तविक विरासत को प्रभावित करती हैं;

(घ) यह सुनिश्चित करना कि सामुदायिक वन संसाधनों तक पहुंच को विनियमित करने और ऐसे क्रियाकलाप को रोकने, जो वन्य पशु, वन और जैव विविधता पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं, हेतु ग्राम सभा में किए गए निर्णयों का अनुपालन हो;

(ङ) यह सुनिश्चित करना कि जब पारंपरिक रूप से वन में रहने वाली अनुसूचित जनजातियां और परम्परागत रूप से वन में रहने वाले अन्य लोग उपजाई गई लघु वनोत्पाद को बेचना चाहते हैं तो वे अपने पसंद के किसी भी व्यक्ति को बेचने की अनुमति मिल सके किन्तु सरकार उन्हें पर्याप्त और उचित न्यूनतम समर्थन मूल्य पेशकश करेगी और उन्हें बिचौलियों तथा व्यापारियों से संरक्षण देने हेतु कदम उठाएगी;

(2) सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि वन में रहने वाली अनुसूचित जनजातियां और परम्परागत रूप से वन में रहने वाले अन्य लोगों को सभी गवेषणों, दोहन और प्राकृतिक स्त्रोतों से होने वाले लाभों के उपयोग से वंचित नहीं किया जाएगा और ऐसे क्रियाकलापों से हुई किसी भी क्षति के लिए वन में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों और परम्परागत रूप से वन में रहने वाले अन्य लोगों को पर्याप्त रूप से मुआवजा देगी।

(3) सरकार इस अधिनियम के अंतर्गत वन में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों और परम्परागत रूप से वन में रहने वालों के वनाधिकारों का संरक्षण करेगी और किसी व्यक्ति, अभिकरण, निगम या संस्थान जो वन में रहने वाली अनुसूचित जनजाति से संबंधित नहीं है और जो परम्परागत रूप से वन में रहने वाला नहीं है, को उक्त उपबंधों का उल्लंघन करने से प्रतिबंधित करेगी और उनके द्वारा इस प्रकार की कार्रवाई करने पर उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई करेगी।

(4) सरकार ऐसे अधिकार जो जैव विविधता तक पहुंच का अधिकार तथा वन जैव विविधता तक सांस्कृतिक विविधता से संबंधित बौद्धिक संपदा का सामुदायिक अधिकार पारंपरिक ज्ञान है उसकी संरक्षा करेगी।

(5) कोई वन भूमि जो इस अधिनियम के अंतर्गत ग्राम सभा और प्रभावित व्यक्तियों को सूचित किए बिना मुफ्त और पूर्व अनुमति से कृषि योग्य भूमि के लिए भूमि के सिद्धांत पर समान मुआवजे और उचित पुनर्वास के अधिकार को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती है, का अधिग्रहण या अंतरण नहीं किया जाएगा।

परंतु यह कि जहां उन क्षेत्रों में संविधान की छठी अनुसूची लागू है, भूमि अर्जन के संबंध में इसके उपबंध इस अधिनियम पर अभिभावी होंगे।

7. तत्पश्चात् समिति ने खण्ड 6 पर विचार किया और निम्नलिखित संशोधनों को स्वीकार किया:

(एक) खंड 6(1), पृष्ठ 6, पंक्ति 32-39

विद्यमान उपखंड के स्थान पर

प्रतिस्थापित करें-"ग्राम सभा व्यष्टि या समुदाय वन अधिकारों या दोनों आरक्षित और संरक्षित वनों सहित जहां आवश्यक हो, की प्रकृति और विस्तार, जो इस अधिनियम के अधीन इसके अधिकार क्षेत्र की स्थानीय और रूढ़िगत सीमाओं के भीतर वन निवासी अनुसूचित जातियों को दिए जाएं, का ऐसी रीति से जो ऐसे अधिकारों के प्रयोग के लिए विहित की जाए, दावे प्राप्त कर, उनका समेकन और सत्यापन कर तथा प्रत्येक संस्तुत दावे के क्षेत्र को संरक्षित करने वाला नक्शा तैयार कर अधिनिश्चय करने की प्राधिकारी होगी और ग्राम सभा तब इस आशय का संकल्प पारित करेगी और तत्पश्चात उसकी एक प्रति उप मण्डल स्तर समिति को अग्रेषित करेगी।"

(दो) खंड 6(2), पंक्ति 32-34

विद्यमान उपखंड के स्थान पर

प्रतिस्थापित करें-"कोई भी सक्षम अधिकारधारक जो ग्राम सभा के किसी प्रस्ताव से व्यथित है वह उपधारा (3) के अंतर्गत गठित सब डिवीजन स्तरीय समिति को आवेदन दे सकता है और सब डिवीजनल स्तरीय समिति ऐसे आवेदन पर विचार करेगी और 60 दिन की

अवधि के अंदर परामर्शदात्री स्वरूप की अपनी सिफारिशें ग्राम सभा को करेगी जिसके बाद ग्राम सभा निर्णय लेगी और निर्णय के अनुरूप नब्बे दिनों के अंदर अंतिम संकल्प पारित करेगी;

परंतु उप-खंड स्तर की समिति को प्रत्येक ऐसा आवेदन ग्राम सभा द्वारा संकल्प पारित किए जाने की तिथि से साठ दिनों के अंदर दिया जाएगा।"

(तीन) विद्यमान उपखंड 6(3), (4), (5), (6), (7), (8), और (9), के स्थान पर

प्रतिस्थापित करें-

(3) राज्य सरकार, ग्राम सभा के संकल्प के अनुसार वन अधिकारों का अभिलेख ऐसे उपांतरों, जो ग्राम सभा के संकल्प द्वारा व्यथित व्यक्तियों की अर्जी के निपटारा के परिणामस्वरूप उभरे हों, के साथ तैयार करने के लिए उप खंड स्तर की एक समिति का गठन करेगी और अभिलेख को उप खंड अधिकारी के माध्यम से जिला स्तर की समिति को भेजेगी।

(4) ग्राम सभा के विनिश्चय से व्यथित कोई व्यक्ति उप-खंड स्तर की समिति को आवेदन कर सकेगा जो अपनी सिफारिशों को अंतिम निर्णय के लिए ग्राम सभा को भेजेगी।

(5) ग्राम सभा के विनिश्चय से व्यथित कोई व्यक्ति उप-खंड स्तर की समिति को आवेदन कर सकेगा जो अपनी सिफारिशों के अंतिम निर्णय के लिए ग्राम सभा को भेजेगी। ग्राम सभा के अंतिम विनिश्चय की तिथि से 60 दिनों के अंदर जिला स्तर की समिति के समक्ष अर्जी दे सकेगा तथा जिला स्तर की समिति ऐसी अर्जी पर विचार करेगी और उसका निपटारा करेगी।

परन्तु यह कि जिला स्तर समिति के समक्ष कोई अर्जी सीधे ही तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि उसे उपखंड स्तर की समिति के समक्ष नहीं दिया गया है और ग्राम सभा को संस्तुति के रूप में उसके द्वारा उस पर टिप्पणी नहीं की गई है और ग्राम सभा ने संकल्प द्वारा उस पर अंतिम निर्णय न ले लिया गया हो;

परन्तु यह और कि व्यथित व्यक्ति के विरुद्ध किसी अर्जी का निपटारा तक नहीं किया जाएगा जब तक कि उसे अपना पक्ष प्रस्तुत करने का युक्तियुक्त अवसर नहीं दे दिया गया हो;

(6) राज्य सरकार ग्राम सभा द्वारा तैयार किए गए वन अधिकार के अभिलेखों पर विचार करेगी और उन्हें अंतिम रूप से अनुमोदित करेगी

(7) वन अधिकार के अभिलेखों पर जिलास्तरीय समिति का निर्णय अंतिम और बाध्यकर होगा।

(8) राज्य सरकार वन अधिकारों को मान्यता तथा विहित करने की प्रक्रिया को मानीटर करने के लिए और नोडल अभिकरण को ऐसे अभिलेख व प्रतिवेदन, जो उस अभिकरण द्वारा मांगे जाएं, प्रस्तुत करने के लिए एक राज्य स्तर की मानीटरी समिति गठित करेगी।

(9) उपखंड स्तरीय समिति, जिला स्तरीय समिति और राज्य स्तरीय समिति की संरचना निम्नवत् होगी:-

(एक) उपखंड स्तरीय समिति, जिला स्तरीय समिति और राज्य स्तरीय समिति में, निर्वाचित प्रतिनिधियों और सुविधाविहीन समुदायों के पर्याप्त समावेश के प्रावधान के साथ कुल सदस्यों में से न्यूनतम आधे सदस्य वन में निवास करने वाले अनुसूचित जनजाति होंगे।

(दो) गैर सरकारी सदस्यों में से न्यूनतम एक तिहाई सदस्य महिलायें होंगी।

(तीन) समिति में संबंधित राज्य सरकार के राजस्व, जनजातीय कार्य और वन विभागों के ऐसे समुचित स्तर के अधिकारी होंगे, जो विहित किए जाएं।

(चार) इस धारा के अधीन गठित सभी समितियों की अध्यक्षता राजस्व विभाग के सरकारी प्रतिनिधियों द्वारा की जाएगी।

(पांच) उपखंड स्तरीय समिति, जिला स्तरीय समिति और राज्य स्तरीय निगरानी समिति के सदस्यों की संख्या और उनके द्वारा अनुपालन किए जाने वाले प्रक्रिया के नियम वही होंगे जो विहित किए जाएं।

(चार) खंड 6(9) के पश्चात,

जोड़ें नया उपखंड 6(10), 6(11), 6(12)

(10) उपखंड स्तर की समिति, जिला स्तर की समिति और राज्य स्तर की निगरानी समिति के कृत्य तथा अपने कृत्यों के पालन में उनके द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया निम्नलिखित होगी:-

(क) उपखंड स्तर की समिति

(i) ग्राम सभा के विनिश्चयों के विरुद्ध आवेदन प्राप्त करेगी और जैसी प्रक्रिया विहित की जाए उसके अनुसार उन पर अपनी संस्तुतियां सभा को भेजेगी;

(ii) वन संसाधनों के साझीदार समुदायों की सीमाओं के निर्धारण तथा उनके बीच सीमा संबंधी विवादों के निपटारे के लिए बहु ग्राम सभा बैठकों के आयोजन की सुविधा प्रदान करना;

(iii) वैसे मामले में जहां ग्राम सभा अपनी जिम्मेदारियों को वहन करने में विफल रहती है ग्राम सभा की बैठक बुलाना;

(iv) ग्राम सभा से संसूचना प्राप्त करना तथा तत्संबंधी, यदि कोई हो, अनुशंसा करना।

बशर्ते कि ग्राम सभा द्वारा दावों की जांच की प्रक्रिया के दौरान जिला स्तरीय समिति की ओर से उपमंडलीय स्तरीय समिति अपने अधिकार क्षेत्र में सूचना प्रसार, क्षमता का विकास एवं प्रशिक्षण संबंधी मदद करना सुनिश्चित करे।

(ख) जिला स्तरीय समिति:-

(i) यह सुनिश्चित करेगी कि मान्यता प्राप्त अधिकारों की प्रविष्टि निपटारे के तीन माह के अंदर राजस्व तथा वन संबंधी दस्तावेजों में की जाए।

(ii) अधिकारों को मान्यता प्रदान करने की प्रक्रिया के दौरान यह सुनिश्चित करेगी कि उनके जिले में उपमंडल-स्तरीय समिति तथा ग्राम सभाओं को स्थानीय भाषाओं में तथा परंपरागत संचार स्रोतों से इस अधिनियम के प्रावधानों तथा दावे करने की प्रक्रिया के बारे में विस्तृत सूचना प्रसार हेतु सभी आवश्यक मदद मिलती है।

(iii) उपमंडल-स्तरीय समितियों, ग्राम सभाओं, असैनिक सामाजिक संगठनों के सदस्यों, प्रतिनिधियों तथा अन्य स्थानीय हिस्सेदारों के लिए प्रशिक्षण आयोजित करना तथा उनकी क्षमता में विकास हेतु मदद देगी।

(iv) यह सुनिश्चित करेगी कि आवश्यकतानुसार अनुमंडल-स्तरीय समितियों तथा ग्राम सभाओं को मौजूदा राजस्व तथा वन संबंधी अभिलेख, नक्शे तथा अन्य आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराए जाएं।

(v) यह सुनिश्चित करेगी कि अनुरोध करने पर ग्राम सभाओं को दावा किए गए अधिकार से संबंधित क्षेत्र का नक्शा तैयार करने हेतु सर्वेक्षक/कार्टोग्राफर उपलब्ध कराए जाएं।

(ग) राज्य स्तर की मानीटरी समिति:-

(एक) यह सुनिश्चित करेगी कि इस धारा में उल्लिखित उपखंड स्तर की समितियों और जिला स्तर की समितियों के गठन और कृत्य शुरू करने का कार्य इस अधिनियम के प्रवर्तन के छह माह के भीतर पूरा हो जाए।

(दो) उप खंड स्तर की समितियों और जिला स्तर की समितियों के कार्यनिष्पादन की आवधिक निगरानी सुनिश्चित करेगी।

(11) किसी साझा रूढ़िगत वन क्षेत्र की सीमाओं को परिभाषित करने के अभिप्राय से अथवा दो या दो से अधिक ग्राम सभाओं के बीच इस तरह से साझा वन सीमाओं से संबंधित प्रश्नों के विवाद अथवा इस अधिनियम के अधीन किसी साझा रूढ़िगत वन क्षेत्र में विनिश्चित सामुदायिक अधिकारों के समाधान के लिए, दो या दो से अधिक ग्राम सभाएं ऐसे साझा वन क्षेत्र के किए गए दावे अथवा इसकी सीमाओं से संबंधित विवाद प्रकट होने, के साठ दिन के अंदर सीमाओं के निर्धारण के अभिप्राय अथवा........विवाद के समाधान के लिए संयुक्त रूप से बैठक करेगी:

परंतु यह कि यदि इस तरह की बैठक नहीं होती है तो उप-मंडल स्तर की समिति उक्त साठ दिनों की अवधि की समाप्ति के पश्चात तीस दिन के अंदर इस तरह की बैठक बुलाएगी।

(12) "इस अधिनियम के अंतर्गत किसी दावे के समर्थन में ग्राह्य साक्ष्य में निम्नवत शामिल होगा परंतु यह इससे सीमित नहीं होगा।

क. समुदाय और समुदाय के सदस्यों का मौखिक साक्ष्य

ख. जोत, क्षेत्र, वृक्षों की आयु की संबंधित प्राधिकारी (ग्राम सभा अथवा समिति) द्वारा तत्स्थानिक सत्यापन

ग. भूमि में किए गए सुधार जैसे बांध, चैक बांध इत्यादि बनाना

घ. प्रारंभिक अपराध प्रतिवेदन, पूर्व पट्टा/पट्टा आवास कर भुगतान की रसीद इत्यादि जैसे दस्तावेजी साक्ष्य

ङ. राजपत्र, वन जांच प्रतिवेदन, मानवशास्त्रीय अध्ययन या साहित्य, सर्वेक्षण और मानचित्र जैसे सरकारी या स्वतंत्र अभिलेख

च. दावेदार और/अथवा उसके पड़ोसी और अन्य समुदाय सदस्यों के शपथ पत्र

छ. रियासतों अथवा जमीदारों अथवा इसी प्रकार के प्राधिकारियों द्वारा उपयोग के अधिकार और अनुमति संबंधी अधिकारिक अभिलेख और

ज. प्रख्यात मानवशास्त्री/भारतीय मानवशास्त्र सर्वेक्षण के प्रतिवेदनों/प्रकाशनों सहित किसी प्रख्यात संस्थान/व्यक्ति द्वारा पूर्व में किया गया कोई अनुसंधान अथवा तैयार किया गया कोई दस्तावेज।

8. तत्पश्चात् समिति ने खंड 7 पर विचार किया और महसूस किया कि शास्तियों के संबंध में उपबंध को निरस्त किया जाए। अत: समिति ने पृष्ठ 7 और 8 पर खंड 7 का लोप करने का निर्णय लिया।

9. तत्पश्चात्, समिति ने महसूस किया कि ग्राम सभा की समितियों को अधिकार देने की आवश्यकता है और वह अपात्र तथा मूल रूप से वनाश्रित अतिक्रमणकर्त्ताओं के बारे में भी चिन्तित थी। तत्पश्चात्, समिति ने निम्नवत् नया खंड इस प्रकार जोड़ने का निर्णय लिया:-

(एक) खंड 15 के पश्चात नये खंड 16 और 17 जोड़ें-

ग्राम सभा किसी भी समय इस अधिनियम के अधीन ग्राम सभा के कार्य क्षेत्र में आने वाले मामलों पर विचार करने के लिए एक या अधिक समितियों या अन्य संस्थाओं, जिनमें महिलाओं के प्रतिनिधित्व सहित केवल उसी ग्राम सभा के सदस्य होंगे, का गठन कर सकेगी:

परंतु यह कि ऐसी समितियों या संस्थाओं की शक्तियां पूर्णत: सलाहकार प्रवृत्ति की होंगी।

किसी भी अपात्र और मूल रूप से वनाश्रित अतिक्रमणकारी को वनरोपण या किसी अन्य वन आधारित गतिविधि में रोजगार द्वारा स्वस्थाने पुनर्वास का प्रस्ताव किया जाएगा।

10. तत्पश्चात् समिति ने खंड 13 पर विचार किया और महसूस किया कि इस खंड के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी निदेश अधिनियम के उपबंधों के संगत होने चाहिए और इस अधिनियम के अंतर्गत इसके द्वारा अधिकारों में कमी अथवा इसे निरस्त नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए समिति ने निम्नलिखित नया परंतुक जोड़ने का निर्णय किया:-

(एक) खंड 13, पृष्ठ 9, पंक्ति 4-6

खंड 13 के पश्चात नया परंतुक जोड़ें-

''परंतु यह कि ऐसे निदेश इस अधिनियम के उपबंधों से संगत होंगे और इस अधिनियम के अधीन मान्यता प्राप्त किसी भी अधिकार को कम या इसका निराकरण नहीं करेंगे।''

11. उसके बाद समिति ने खंड 14 पर विचार किया और उसे निम्नलिखित रूप से प्रतिस्थापित किया:-

(एक) खंड 14, पृष्ठ 9, पंक्ति 4-6 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित करें-

''यदि तत्समय प्रवृत्त किसी न्यायालय की कोई अन्य विधि, या कोई डिक्री, निर्णय, पंचाट या आदेश या इस अधिनियम के उपबंधों का उल्लघंन करने वाली विधि हो, तो इस अधिनियम के उपबंध अभिभावी होंगे।''

12. तत्पश्चात, समिति ने खंड 15 पर विचार किया और निम्नलिखित संशोधन स्वीकार किए-

(एक) खंड 15(1), पृष्ठ 9, पंक्ति 7

शब्द ''अधिसूचना'' के पश्चात ''और पूर्ववर्ती प्रकाशन के अध्यधीन'' स्थापित करें।

(दो) खंड 15(2)क, पृष्ठ 9

उपखंड 15(2)क का लोप करें

(तीन) पृष्ठ 9, पंक्ति 14-15

खंड 15(2)ख के स्थान पर

"इस अधिनियम की धारा 6 में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के निर्वहन हेतु प्रक्रिया संबंधी विवरण" प्रतिस्थापित करें।

(चार) पृष्ठ 9, पंक्ति 24

खंड 15(2) (ङ) के पश्चात जोड़ें

"(ङ) उपखंड स्तर की समिति जिला स्तर की समिति और राज्य स्तर की मानीटरी समिति के सदस्यों की संख्या और उक्त समितियों द्वारा उनके कृत्यों का पालन करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया धारा 6 की उपधारा (9) के खंड (पांच) के अधीन प्रक्रिया के अनुरूप होगी।"

(च) धारा 10 के खंड (क) के उपखंड (एक) के अधीन ग्राम सभा के विनिश्चयों के विरुद्ध आवेदन प्राप्त करने और ग्राम सभा को उक्त सिफारिशें भेजने की प्रक्रिया।"

13. तत्पश्चात समिति की बैठक विधेयक पर आगे खंडवार विचार करने के लिए 9 मई, 2006 को पूर्वाहन 11.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित हुई।

अनुसूचित जनजाति (वन अधिकारों की मान्यता) विधेयक, 2005 संबंधी संयुक्त समिति की तेरहवीं बैठक का कार्यवाही सारांश

तेरह

तेरहवीं बैठक

समिति की बैठक 9 मई, 2006 को 11.00 बजे से 14.00 बजे तक समिति कमरा संख्या '62', संसद भवन, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री वी किशोर चन्द्र एस॰ देव — सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री सी॰ के॰ चन्द्रप्पन
3. श्री गिरिधर गमांग
4. श्री शैलेन्द्र कुमार
5. श्री जुएल ओराम
6. श्री बाजू बन रियान
7. डा॰ बाबू राव मिडियम
8. श्री रवि प्रकाश वर्मा

राज्य सभा

9. श्री रिशांग किशिंग
10. डा॰ राधाकान्त नायक
11. श्रीमती वृंदा कारत
12. श्री देवदास आपटे
13. श्री मंगनी लाल मंडल

सचिवालय

1. श्री आर॰ सी॰ आहुजा — संयुक्त सचिव
2. श्री आर॰ के॰ बजाज — उप सचिव
3. श्री के॰ जेना — अवर सचिव
4. श्री जे॰ वी॰ जी॰ रेड्डी — अवर सचिव

जनजातीय कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधि

श्री राजीव कुमार — संयुक्त सचिव

श्री पी॰ के॰ वर्मा — उप सचिव

विधि एवं न्याय मंत्रालय के प्रतिनिधि
(विधायी विभाग)

श्री एन० के० नम्बूदरी - संयुक्त सचिव एवं विधायी परामर्शदाता

अनुसूचित जनजाति (वन अधिकारों की मान्यता) विधेयक, 2005 संबंधी संयुक्त समिति के सभापति महोदय ने सर्वप्रथम समिति के सदस्यों का स्वागत किया। तत्पश्चात समिति ने इस विधेयक के उपबंधों पर खंडवार विचारण पुन: शुरू किया।

2. इसके बाद समिति ने खंड 2 को विचारार्थ लिया और निम्नलिखित संशोधनों को स्वीकार किया:—

(एक) खंड 2 (क) पृष्ठ 2, पंक्तियां 15-18

खंड 2 (क) का लोप करें।

(दो) खंड 2 (ख) पृष्ठ 2, पंक्तियां 19-22

खंड 2 (ख) का लोप करें।

3. तत्पश्चात समिति ने "सामुदायिक वन संसाधन" की परिभाषा की आवश्यकता पर विचार किया। तदनुसार, समिति ने सामुदायिक वन संसाधन की नई परिभाषा को निम्नवत् जोड़ने का निर्णय लिया:—

"2(क) सामुदायिक वन संसाधन से गांव की पारंपरिक अथवा रूढ़िजन्य सीमा के अंदर रूढ़िजन्य सामान्य वन भूमि अथवा आरक्षित वन, संरक्षित वन और संरक्षित क्षेत्र जैसे अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान सहित चारागाही समुदाय के मामले में भू-दृश्य के मौसमी उपयोग, जहां समुदाय की पारंपरिक पहुंच थी, से अभिप्रेत है।"

4. इसके बाद, समिति ने "मुख्य क्षेत्रों" की संकल्पना पर विचार किया। समिति की राय थी कि इस शब्द को वैज्ञानिक या वस्तुनिष्ट आधार पर परिभाषित नहीं किया गया है। इसलिए सरकार को यह शक्ति है कि वह किन्हीं भी ऐसे क्षेत्रों को मुख्य क्षेत्र घोषित कर सकती है जिनसे लोगों को सामूहिक रूप से बाहर निकाला जा सकता है। इन समस्याओं को समाप्त करने के लिए, समिति ने महसूस किया कि "मुख्य क्षेत्र" शब्द और इसकी परिभाषा को किसी क्षेत्र को वन्य जीव संरक्षण के प्रयोजनों के लिए अनतिक्रमणीय घोषित करने हेतु नई परिभाषा "संकटग्रस्त वन्य जीव आवास" शब्द और उसकी परिभाषा द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए। अत: समिति ने "संकटग्रस्त वन्य जीव आवास" की नई परिभाषा को धारा 2 (ख) के रूप में निम्नवत् जोड़ने का निर्णय किया: —

(ख) "संकटग्रस्त वन्य जीव आवास से राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के ऐसे क्षेत्र से अभिप्रेत है जहां मामला विशिष्ट रूप से वैज्ञानिक और निष्पक्ष मानदंड के आधार पर स्पष्ट रूप से सरकार द्वारा एक विशेषज्ञ समिति के परामर्श से यह निर्धारित और अधिसूचित किया गया हो कि ऐसे क्षेत्रों को वन्य जीव संरक्षण के प्रयोजनों के लिए अनतिक्रमणीय रखना अपेक्षित है और इसमें केन्द्रीय सरकार मंत्रालय के जनजातीय मामले के स्थानीय कार्य देख रहे और स्थानीय रूप से नियुक्त विशेषज्ञ भी शामिल होंगे और इसकी प्रक्रियात्मक आवश्यकताएं धारा 4 की उपधारा (1) और (2) के अनुरूप पूरी की जाएंगी"

5. समिति ने खंड (2) में निम्नलिखित संशोधनों को भी स्वीकार किया:—

(एक) खंड 2 (ग), पृष्ठ 2, पंक्ति 23

"वन में रहने वाली" शब्दों के बाद

"या वन भूमि के सीमावर्ती क्षेत्रों में" शब्दों को *अंत:स्थापित* करें।

(दो) (क) खंड 2 (घ) पृष्ठ 2, पंक्ति 27

"किसी वन क्षेत्र के अंतर्गत" शब्द के स्थान पर

"वन रूप में अभिलिखित अथवा अधिसूचित" प्रतिस्थापित करें।

(ख) खंड 2 (ङ), पृष्ठ 2 पंक्ति 28

"अवर्गीकृत" शब्द के पश्चात "अवर्गीय" *अंत:स्थापित* करें।

(तीन) (क) खंड 2 (छ) पृष्ठ 2, पंक्ति 39

"पंचायत" शब्द के स्थान पर

"पाड़ा, टोला और अन्य" अंत:स्थापित करें।

(ख) "संस्थान" शब्द के पश्चात

"महिलाओं के पूर्ण और प्रतिबंधित प्रतिनिधित्व के साथ निर्वाचित ग्रामीण समितिया" शब्द जोड़ें।

व्याख्या: इस खंड के प्रयोजन से ग्राम सभा शब्द का खंड (ण) में "ग्राम" के संबंध में दी गई परिभाषा के अनुरूप माना जाएगा जो पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 के उपबंधों के अंतर्गत शामिल क्षेत्रों के लिए भी हैं।

(चार) खंड 2 (झ) पृष्ठ 3, पंक्ति 6

"के अंतर्गत" शब्द के बाद

"ईंधन और इसी प्रकार की लकड़ी, मछली, खर-पतवार जैसे जलचर सहित पत्थर, स्लेट, बोल्डर जैसे उत्पाद सहित जल स्रोतों के अन्य उत्पाद" अंत:स्थापित करें।

(पांच) खंड 2 (ढ़) पृष्ठ 3, पंक्ति 12 के पश्चात

अन्य पारंपरिक रूप से वनों में रहने वालों की परिभाषा से संबंधित नया खंड 2 (ण) जोड़ें।

(ण) "अन्य पारंपरिक रूप से वनों में रहने वालों" से वनों में वास करने वाली अनुसूचित जनजातियां, जो वन में रह रही हैं या वन भूमि के सीमावर्ती क्षेत्रों में रह रही हों और मुख्य तौर पर वास्तविक आजीविका की आवश्यकताओं के लिए वन भूमि या वन संसाधनों पर निर्भर है, के इतर कोई समुदाय अभिप्रेत है;" और इस शब्द में निम्नलिखित सम्मिलित है:

(एक) ऐसे समुदाय वे होंगें जो कम से कम तीन पीढ़ियों से वनों में या वन के पार्श्ववर्ती क्षेत्रों में रह रहें हैं; और

(दो) यदि ऐसे समुदाय के सदस्य या उसके परिवार को विकास परियोजनाओं, प्राकृतिक आपदाओं या अन्य परिस्थितियों के कारण उनके मूल आवास से बलात् विस्थापित कर दिया गया हो;

(तीन) यदि ऐसे किसी समुदाय के मूल आवास को भारतीय वन अधिनियम, 1927 या वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अधीन वन/अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान या संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया गया हो या अन्यथा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 या अन्य प्रयोज्य विधियों के अधीन वन क्षेत्र घोषित कर दिया गया हो;

(चार) यदि ऐसे समुदाय के सदस्य या सदस्यों के समूह को जिससे वह संबंधित है, को भूमि अथवा आजीविका के अन्य संसाधन उपलब्ध कराने हेतु प्रदत्त अपनी वचनबद्धता को पूरा कर पाने में केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार की असफलता के कारण ऐसे समुदाय के सदस्य को बलात् कोई वन भूमि या वन संसाधनों को आजीविका के लिए अधिभोग करने या खरीदने के लिए बाध्य होना पड़ा हो।

(पांच) (क) पृष्ठ 3, पंक्ति 20

"अधिनियम 1996" के पश्चात "इस तथ्य के बावजूद कि सन्निहित क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र है या नहीं" जोड़ें।

(ख) पृष्ठ 3, पंक्ति 22-23

(दो) का लोप करें

6. निम्नलिखित संशोधन भी स्वीकार किए गए:—

अधिनियमन सूत्र

पृष्ठ 2, पंक्ति 6

"छप्पनवें" के लिए "सत्तावनवें" प्रतिस्थापित करें।

संक्षिप्त नाम

खंड 1, पंक्तियां 10-11

"अनुसूचित जनजाति (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2005" के स्थान पर "अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006" प्रतिस्थापित करें।

7. विधेयक का पूरा नाम और उद्देशिका को भी अन्य पारंपरिक रूप से वनों में रहने वालों के वन अधिकारों को मान्यता देने और इन अधिकारों को उनमें निहित करने का उपबंध करने के लिए संशोधित किया गया।

8. समिति ने सरकार से यह भी सिफारिश करने का निर्णय किया कि वह विधेयक, जब कभी अधिनियमित हों, के उपबंधों को संविधान की नौवीं अनुसूची में रखने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए।

9. सदस्यों से प्राप्त ऐसे संशोधन जिन पर समिति द्वारा विचार किया गया परन्तु स्वीकार नहीं किया गया या जो सदस्यों द्वारा वापस ले लिए गए वे अनुबंध में दिए गए हैं।

10. तत्पश्चात् समिति द्वारा स्वीकृत संशोधनों के मद्देनजर समिति ने विधायी परामर्शदाता को विभिन्न खंडों के पाठ को रुपान्तरित करने और विधेयक में मौजूद प्रत्यक्ष गलतियों को सुधारने और शाब्दिक और पारिणामिक प्रकृति के संशोधनों, जहां कहीं आवश्यक हों, को इसमें शामिल करने के लिए प्राधिकृत किया।

11. तत्पश्चात् समिति ने अपने प्रारूप प्रतिवेदन पर विचार करने और उसे स्वीकार करने के लिए 17 मई, 2006 को 1500 बजे पुनः समवेत होने का निर्णय लिया।

तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई।

अनुसूचित जनजाति (वन अधिकारों की मान्यता) विधेयक, 2005 संबंधी संयुक्त समिति के चौदहवीं बैठक का कार्यवाही सारांश

चौदह

चौदहवीं बैठक

समिति की बैठक 19 मई, 2006 को 9.00 बजे से 10.30 बजे तक समिति कमरा सं॰ 139, संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री वी॰ किशोर चन्द्र एस॰ देव - सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री शिंगाड़ा दामोदर बारकू
3. श्री महावीर भगोरा
4. श्री सी॰ के॰ चन्द्रप्पन
5. श्री गिरिधर गमांग
6. डा॰ पी॰पी॰ कोया
7. श्री शैलेन्द्र कुमार
8. श्री मधुसूदन मिस्त्री
9. श्री हेमलाल मुर्मू
10. डा॰ बाबू राव मिडियम
11. श्री सुग्रीव सिंह
12. श्री राजेश वर्मा

राज्य सभा

13. डा॰ राधाकान्त नायक
14. श्रीमती वृन्दा कारत
15. श्री रावुला चन्द्रशेखर रेड्डी

सचिवालय

1. श्री आर॰सी॰ आहूजा — संयुक्त सचिव
2. श्री आर॰के॰ बजाज — उप सचिव
3. श्री के॰ जेना — अवर सचिव

जनजातीय कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधि

श्री पी॰के॰ वर्मा — उप सचिव

विधि और न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग) के प्रतिनिधि

श्री एन॰के॰ नम्बूदरी — संयुक्त सचिव तथा विधायी सलाहकार

श्री के॰ श्रीनिवास — सहायक विधायी सलाहकार

2. प्रारंभ में माननीय सभापति ने अनुसूचित जनजाति (वन अधिकारों की मान्यता) विधेयक, 2005 संबंधी संयुक्त समिति की बैठक में सदस्यों का स्वागत किया।

3. इसके बाद समिति ने प्रारूप प्रतिवेदन और तथ्यगत प्रकृति के लघु रूपांतरणों सहित यथा संशोधित विधेयक पर विचार किया और स्वीकार किया।

4. तदन्तर सभापति ने विमत कार्यवाही सारांश पर समिति के सदस्यों का ध्यान अध्यक्ष के निदेश के निदेश 87 में अन्तर्निहित उपबंधों की तरफ आकृष्ट किया और घोषणा की कि विमत कार्यवाही सारांश, यदि कोई हो, लोक सभा सचिवालय को 19 मई, 2006 को 17.00 बजे तक भेजा जा सकता है।

5. समिति ने सभापति को, और उनकी अनुपस्थिति में श्री जुएल ओराम, संसद सदस्य को प्रतिवेदन प्रस्तुत करने और साक्ष्य के अभिलेख को सभा पटल पर रखने हेतु प्राधिकृत किया।

6. समिति ने श्रीमती वृन्दा कारत, संसद सदस्य को, और उनकी अनुपस्थिति में श्री राधाकान्त नायक संसद सदस्य को प्रतिवेदन प्रस्तुत करने और साक्ष्य के अभिलेख राज्य सभा के पटल पर रखने हेतु प्राधिकृत किया।

7. समिति ने निश्चय किया कि ज्ञापनों की दो प्रतियां, जिनमें समिति द्वारा विधेयक के उपबंधों पर प्राप्त टिप्पणियां/सुझाव समाविष्ट हैं, प्रतिवेदन के प्रस्तुत किए जाने के बाद संसद ग्रंथालय में संसद सदस्यों के संदर्भ हेतु रखी जायें।

8. तत्पश्चात् समिति ने विधि और न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग) के विधायी सलाहकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय के अधिकारियों, विभिन्न संगठनों/संघों/व्यक्तियों/गैर-सरकारी संगठनों/विशेषज्ञों आदि द्वारा दिए गए सहयोग एवं सहायता के लिए उनकी प्रशंसा की।

9. समिति ने समिति के कार्य को सुगम बनाने हेतु कठिन श्रम करने एवं मूल्यवान सहयोग देने के लिए लोक सभा सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों की प्रशंसा की।

10. उपर्युक्त अधिकारियों को धन्यवाद देने में स्वयं को समिति से संबद्ध करते हुए सभापति ने समिति के सदस्यों को भी सौहार्दपूर्ण माहौल में समिति की कार्यवाही चलाने में पूर्ण सहयोग देने के लिए धन्यवाद किया।

11. समिति के सदस्यों ने सभापति (श्री वी॰ किशोर चन्द्र एस॰ देव) का अत्यंत कुशलता एवं निष्पक्षता से संचालन करने और विचार-विमर्श में पथ प्रदर्शन करने के लिए धन्यवाद किया।

तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई।

अनुसूचित जनजातियां (वन अधिकारों की मान्यता) विधेयक, 2005 संबंधी संयुक्त समिति

समिति के सदस्यों से प्राप्त संशोधनों की सूची जिन पर समिति द्वारा 8 और 9 मई, 2006 को हुई बैठकों में विचार किया गया और जिन्हें स्वीकार नहीं किया गया।

(देखिए कार्यवाही सारांश का पैरा 10)

क्रम सं॰	सदस्य का नाम और संशोधन का पाठ	खण्ड सं॰
1.	**श्री राधाकांत नायक**	
	(एक) पृष्ठ 3, पंक्ति 37 'सदस्यों' शब्द के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ें—	3(क)
	"अथवा अन्य अधिकारधारक जैसाकि स्वप्रबंधन के सिद्धांतों के अनुसार इस अधिनियम के अंतर्गत विनिर्दिष्ट है"	
2.	**श्रीमती वृंदा कारत** **डा॰ बाबू राव मिडियम** **श्री बाजू बन रियान**	
	पृष्ठ 4, पंक्ति 2-4 विद्यमान खंड 3(ख) के स्थान पर "जीविका की वास्तविक आवश्यकताओं के लिए मध्यवर्ती व्यवस्थाओं सहित सामुदायिक अधिकार, निस्तार अथवा जो भी अभिनाम हो" प्रतिस्थापित करें।	3(ख)
3.	**श्री सी.के. चन्द्रप्पन**	
	(एक) पृष्ठ 4, पंक्ति 7, "उपयोग" से पूर्व "सामूहिक स्व:विनियामक" शब्द अंत:स्थापित करें।	3(घ)
	(दो) पृष्ठ 4, पंक्ति 8, — "समुदायों की" शब्द के पश्चात् "परिभाषित वन भूमि में" शब्द जोड़ें।	
4.	**श्री सी.के. चन्द्रप्पन**	
	पृष्ठ 4, खंड 3ङ के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित करें "आदिम जनजाति समूहों और कृषि पूर्व समुदायों के किसी भी वन भूमि में अपने पारंपरिक आवास की भूमि के उपयोग पर सामुदायिक भूधृति और विनिश्चय करने का अधिकार।"	3(ङ)
5.	**श्री राधाकांत नायक**	
	पृष्ठ 4, पंक्ति 10, — "आदिम" के स्थान पर "संकटापन्न" प्रतिस्थापित करें।	3(ङ)
6.	**श्री सी.के. चन्द्रप्पन**	
	(एक) पृष्ठ 4, पंक्ति 13, — "विवादित" शब्द के पश्चात् "वन" अंत:स्थापित करें।	3(च)
	(दो) पृष्ठ 4, पंक्ति 12, — "दावे" शब्द से पहले "ऐसी भूमि पर" अंत:स्थापित करें।	

क्रम सं०	सदस्य का नाम और संशोधन का पाठ	खण्ड सं०
7.	**श्री राधाकांत नायक** पृष्ठ 4, पंक्ति 14-15, — "राज्य सरकार" शब्द से पहले "विगत या वर्तमान" अंत:स्थापित करें।	3(ख)
8.	**डा० पी.पी. कोया** पृष्ठ 5, पंक्ति 10, — "आनुवांशिक" शब्द से पहले "साम्यता, रूढ़िजन्य विधियों और पारंपरिक व्यवहारों के मूल सिद्धांतों के अनुसार" शब्द अंत:स्थापित करें।	4(3)
9.	**श्री सी.के. चन्द्रप्पन** पृष्ठ 5 में, उपखण्ड 4(i) के पश्चात्, निम्नलिखित नया उपखण्ड 4(ii) जोड़ें— 4(3)(ii) दी गई सीमा तक व्यक्तिगत और/या सामुदायिक हक और लघु वन उत्पाद पर अधिकार तथा वन भूमि पर अन्य अधिकारों को विवाहित व्यक्तियों की दशा में पति-पत्नी दोनों के नाम पर संयुक्त रूप से और एकल व्यक्ति के परिवार का मुखिया होने की दशा में अकेले व्यक्ति के नाम पर रजिस्ट्रीकृत और दर्ज किए जाएंगे।	
10.	**श्री राधाकांत नायक** पृष्ठ 5, पंक्ति 12-15, — विद्यमान खंड 4(4) के स्थान पर, "सिवाय कि जैसा अन्यथा उपबंधित है, किसी वन में रहने वाली अनुसूचित जनजाति के किसी भी सदस्य को, उसका/उनकी सूचित सम्मति एवं सहमति के बिना, उसके अधिभोगाधीन वन भूमि से बेदखल नहीं किया जायेगा या हटाया नहीं जाएगा। किसी भी प्रकार का पुनर्स्थापन उसके/उसकी पसंद तथा परिवार के विकल्प के अनुरूप होगा एवं यह संबंधित जनजाति के महिला एवं पुरुष, दोनों सदस्यों की अनुमति से तय किया जाएगा। पुनर्स्थापन की स्थिति में, उन्हें अन्य निर्माण आदानों एवं दक्षता प्रशिक्षण, जहां आवश्यक होगा, के अतिरिक्त समान गुणवत्ता वाली भूमि तथा मूल रूप से अधिभोगित भूमि के भू-पटल या उप भू-पटल के नीचे खनिज, यदि कोई हो तो, की उपयुक्त कीमत, जो सभी प्रकार के विलंगमों से मुक्त हो एवं उनकी वर्तमान जरूरतों एवं भावी विकास के लिए उपयुक्त हो, उपलब्ध कराई जाएंगी" प्रतिस्थापित करें।	4(4)
11.	**श्री सी. के. चंद्रप्पन** पृष्ठ 5, पंक्ति 15, उपखंड 4(4) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक जोड़ें — "परंतु यह कि उक्त प्रक्रिया के पूरा हो जाने के पश्चात् वन पर आश्रित कोई व्यक्ति जिसकी उपजीविका को अधिकार के रूप में मान्यता नहीं दी गई है, उसे स्वस्थानिक पुनर्वास प्रदान किया जाएगा, जैसे संबंधित राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी पर पूर्णकालिक रोजगार, और उसे तब तक उसकी उपजीविका से बेदखल नहीं किया जाएगा जब तक कि उसे ऐसा रोजगार उपलब्ध करा दिया जाए या यदि वह उक्त प्रस्ताव से इंकार कर दे।"	4(4)
12.	**श्री राधाकांत नायक** पृष्ठ 5, पंक्ति 20-21, — "किसी वन में रहने वाली अनुसूचित जनजाति के प्रति एकांगी कुटुम्ब के लिए ढाई हेक्टेयर के क्षेत्र से अधिक नहीं होगी" के स्थान पर "संबंधित राज्य में भूमि सुधार अधिनियम, 1960 के अधीन परिनियत राज्य की भूमि की अधिकतम सीमा के समान, जो कि अधिक है।" प्रतिस्थापित करें।	4(5)(एक)

क्रम सं०	सदस्य का नाम और संशोधन का पाठ	खण्ड सं०
13.	श्री राधाकांत नायक	
	पृष्ठ 5, पंक्ति 42, उपधारा 4(8) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा 4(क) जोड़ें —	नई धारा 4(क)
	"जहां उप धारा (एक) के अधीन मान्य एवं निहित किए गए वन अधिकार इस अधिनियम में उल्लिखित भूमि से संबंधित हैं, वहां उस सीमा तक जहां तक स्वामित्व दिया गया है, यथास्थिति विवाहित व्यक्तियों की दशा में पति-पत्नी दोनों के नाम में संयुक्त रूप से, और एकल सदस्य गृह स्वामी की दशा में एकल प्रमुख पुरुष या महिला के नाम में या संबंधित अनुसूचित जनजातियों की रूढ़िजन्य विधि के अनुसार रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा।"	
14.	श्री शिंगाड़ा दामोदर बारकू श्री सी.के. चन्द्रप्पन श्री शैलेन्द्र कुमार श्री राधाकान्त नायक	
	पृष्ठ सं० 8, पंक्ति 9-10, खंड 8, —	8
	"एक हजार रुपये" शब्दों के स्थान पर "पांच हजार रुपये तथा छ: महीने का कारावास" प्रतिस्थापित करें।	
15.	श्रीमती वृन्दा कारत डा० बाबू राव मीडियम श्री बाबू बन रियान	
	पृष्ठ 8, पंक्ति 9-10, —	8
	"अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और जुर्माने से जो एक हजार रुपये तक हो सकेगा" के स्थान पर "दांडिक अभियोजन, अनुशासनिक कार्यवाही और जुर्माने, जो एक लाख रुपये तक हो सकेगा" प्रतिस्थापित करें।	
16.	श्री सी.के. चन्द्रप्पन	
	पृष्ठ 8, पंक्ति 11-15, खंड 8 के परंतुक के लिए निम्नवत् प्रतिस्थापित करें —	8
	"यदि राज्यस्तरीय निगरानी समिति का स्वत: अथवा उपखंड स्तर की समिति, जिलास्तर की समिति अथवा जिला समाहर्त्ता के विरुद्ध यथास्थिति प्राप्त किसी शिकायत पर यह विचार है कि उक्त समिति और/अथवा अधिकारी संगत धाराओं अर्थात् 6(2), 6(3) 6(4) और 6(5) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट समय-सीमा के अंतर्गत अपने कृत्यों का किसी औचित्यपूर्ण कारण के बिना निर्वहन नहीं करने के दोषी हैं वह उक्त समिति के प्रत्येक सदस्य के विरुद्ध इसमें उल्लिखित संगत उपधाराओं में विनिर्दिष्ट कृत्यों को पूरा किए जाने तक दो पचास रुपये प्रतिदिन का दंड लगायेगा जब तक कि ऐसे दंड की समग्र धनराशि पच्चीस हजार रुपये से अनधिक हो और राज्यस्तरीय निगरानी समिति का विनिश्चय आबद्धकारी होगा। परंतु यह कि उपखंड स्तर की समिति, जिला स्तर की समिति अथवा जिला समाहर्त्ता को यथास्थिति उनके विरुद्ध कोई दंड अधिरोपित करने से पूर्व उनका पक्ष जानने के लिए औचित्यपूर्ण अवसर दिया जाएगा। परंतु यह भी कि यह सिद्ध करना दोषियों पर होगा कि उन्होंने औचित्यपूर्ण और कुशलतापूर्वक कृत्यों का निर्वहन किया है।	
17.	श्री राधाकान्त नायक	
	पृष्ठ 9, पंक्ति 7	15 (1)
	"इस अधिनियम" शब्दों के पश्चात्	
	"सिवाय जहां ये नेहरू के पंचशील जो इस अधिनियम का आधार है के पांच सिद्धांत साधारणतर कानून, कमतर प्रशासन और इस प्रथा एवं परंपरा के लिए सम्मान आदि की भावना का उल्लंघन करते हैं" जोड़ें	

क्रम सं०	सदस्य का नाम और संशोधन का पाठ	खण्ड सं०
18.	श्री सी०के० चन्द्रप्पन पृष्ठ 9, पंक्ति 14-15, परंतुक 15 2(ख) के स्थान पर निम्नवत अंत:स्थापित करें— "(क) धारा 6 में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के निर्वहन हेतु प्रक्रिया संबंधी विवरण"	15 (2) (ख)
19.	श्री खगेन दास (नियम 301 के अधीन) पृष्ठ 9 उपखंड 15 (2) (घ) का लोप करें।	15 (2) (घ)
20.	श्री सी०के० चन्द्रप्पन पृष्ठ 9, पंक्ति 22, उपखंड 15 (2) (घ) 'वन' शब्द का लोप करें।	15 (2) (घ)
21.	श्री खगेन दास (नियम 301 के अधीन) पृष्ठ 9, उपखंड 15 (2) (ङ) का लोप करें।	15 (2) (घ)
22.	श्री सी०के० चन्द्रप्पन पृष्ठ 9, पंक्ति 24-26, उपखंड 15(2) (ङ) के स्थान पर निम्नवत् प्रतिस्थापित करें— "धारा 6 की उपधारा (9) के अधीन उपखंड स्तर की समिति, जिला स्तर की समिति और राज्य स्तर की मानीटरिंग समिति द्वारा उनके कृत्यों का पालन करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया।"	15 (2) (ङ)
23.	श्री खगेन दास (नियम 301 के अधीन) पृष्ठ 9, पंक्ति 38, खंड 15 के पश्चात् नई उपधारा 16 निम्नवत जोड़ें— 16(1) इस अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नियम बनाएं। (2) विशेष रूप से, पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना निम्नलिखित सभी विषयों या किसी विषय के लिए ऐसे नियमों में उपबंध होगा:— (क) धारा 6 की उपधारा (8) के अंतर्गत उपखंड स्तर की समिति, राज्य स्तर की समिति और राज्य स्तर की मानिटरी समिति के सदस्यों के रूप में नियुक्ति हेतु राज्य सरकार के विभाग के अधिकारी का स्तर। (ख) धारा 6 की उपधारा (9) के अधीन उपखंड स्तर की समिति, जिला स्तर की समिति और राज्य स्तर की मानिटरी समिति की संरचना और कृत्य तथा उनके द्वारा अपने कृत्यों के पालन में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया। (ग) अपेक्षित अथवा विहित कोई अन्य विषय। पेश न किए गए संशोधनों की सूची	नया खंड जोड़ें

क्रम सं॰	सदस्य का नाम और संशोधन का पाठ	खण्ड सं॰
24.	**श्री सिंगाड़ा दामोदर आरभू**	
	पृष्ठ 5, पंक्ति 42 के पश्चात् नई उपधारा 4(9) जोड़ा जाये —	नई उपधारा 4(9)
	"इस अधिनियम के अंतर्गत मान्यताप्राप्त अधिकार ग्राम सभा और व्यक्तिगत अधिकार रखने वालों की पूर्व सहमति लिए बगैर अर्जित नहीं किया जाना चाहिए परंतु यह कि पुनर्वास नीति के अनुसार अग्रिम रूप से दी जाने वाली पुनर्वास सुविधा सुनिश्चित किए बगैर ऐसा कोई अभ्यर्जन नहीं किया जाएगा।"	
25.	**श्री राजेश वर्मा**	
	पृष्ठ 6, पंक्ति ., के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए—	5
	"इस अधिनियम के अधीन वन अधिकारधारकों का कोई समुदाय और/या ग्राम सभा को यह सुनिश्चित करने का प्राधिकार होगा कि पहचान किए गए अधिकारों का प्रयोग संरक्षण के उत्तरदायित्व, सतत् प्रयोग के संरक्षण और उन समीपवर्ती वनों जिनमें समुदाय अधिकार निहित हैं, के पुनर्सृजन के साथ जोड़ा गया है, और ऐसे प्राधिकार में अधिकारों का प्रयोग करने के लिए नियम और विनियम बनाने तथा लागू करने की शक्ति भी शामिल है।"	
26.	**श्री राजेश वर्मा**	
	पृष्ठ 6, पंक्ति 4 में, "वन्य पशु" के स्थान पर "वन्य जीव" प्रतिस्थापित करें	5 (क)
27.	**श्री सी॰के॰ चन्द्रप्पन**	
(एक)	पृष्ठ 6, पंक्ति 2 से 6	5 (क)
	उपखंड 5 क के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित करें—	
	"ग्राम सभा ऐसे नियम और विनियम बनाएगी जिनमें निम्नलिखित विषय आएंगें"	
(दो)		
	पृष्ठ 6	
	उपखंड 5 क के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड जोड़ें—	
	"(एक) यह सुनिश्चित करना कि वन अधिकार धारक ऐसी किसी क्रियाकलाप में लिप्त नहीं होंगे जिसके वन्य जीवन, वनों या जैव-विविधता, जिनमें परवर्ती कृषि चक्र के एक भाग के रूप में जब अपेक्षित हो उसके सिवाय, वन भूमि को साफ करना या प्राकृतिक वृक्षों को गिराना भी शामिल है, पर भारी या अपरिहार्य प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है;	
	(दो) यह सुनिश्चित करना कि समीपवर्ती प्रवाह क्षेत्र, जल स्रोत और अन्य पारिस्थितिकीय संवदेनशील क्षेत्र पर्याप्त रूप से संरक्षित है;	
	(तीन) यह सुनिश्चित करना कि वन आश्रित व्यक्तियों और विशेषकर अनुसूचित जनजातियों का आवास ऐसी किसी भी प्रकार की विध्वंसात्मक प्रक्रियाओं से जिससे उनकी संस्कृति और प्राकृतिक विरासत प्रभावित होती हो सुरक्षित है।"	

क्रम सं०	सदस्य का नाम और संशोधन का पाठ	खण्ड सं०
28.	श्री राधाकांत नायक	
	पृष्ठ 6, पंक्ति 5-6	5 (क)
	''पड़ता हो'' शब्दों के पश्चात्	
	''जिसके अंतर्गत ऐसी वन भूमि और वृक्षों को साफ करना है जो उस भूमि पर प्राकृतिक रूप से उगे हैं, जिसके अंतर्गत पुन:वनारोपण भी है'' शब्दों का लोप करें।	
29.	श्री राजेश वर्मा	
	पृष्ठ 6 पंक्ति 7 में ''यह सुनिश्चित करना'' के पश्चात् ''कि ऐसे युक्तियुक्त प्रयास किए जाएं ताकि''	5 (ख)
	अंत:स्थापित करें।	
30.	श्री सी०के० चन्द्रप्पन	
	पृष्ठ 6,	5 (ख)
	उप-खण्ड 5 (ख) का लोप करें	
31.	श्री राजेश वर्मा	
	पृष्ठ 6 पंक्ति 9 में ''यह सुनिश्चित करना'' के पश्चात् ''कि ऐसे युक्तियुक्त प्रयास किए जाएं ताकि''	5 (ग)
	अंत:स्थापित करें।	
32.	श्री सी०के० चन्द्रप्पन	
	पृष्ठ 6, उपखंड 5 (ग) का लोप करें	5 (ग)
33.	श्री राधाकांत नायक	
	पृष्ठ 6, पंक्ति 11 में	5 (ग)
	''प्राकृतिक विरासत'' शब्दों के पश्चात्'' जिसमें वृहत्त स्तर की विकासीय परियोजनाएं सम्मिलित हैं'' जोड़ें	
34.	डा० पी०पी० कोया	
	पृष्ठ 6, पंक्ति 13 में	5 (घ)
	''और वन प्राधिकारियों'' शब्दों का लोप करें।	
35.	श्री राजेश वर्मा	
	पृष्ठ 6, पंक्ति 12 में ''क्रियाकलाप'' के बाद ''जो उनकी जानकारी में आते हैं''	5 (घ)
	शब्द अंत:स्थापित करें।	
36.	श्री सी०के० चन्द्रप्पन	5 (घ)
(एक)	पृष्ठ 6, पंक्ति 12 और 13 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित करें—	
	''के किसी भी उपबंध के अतिक्रमण के किसी भी क्रियाकलाप के बारे में ग्राम सभा और संबंधित प्राधिकारियों को सूचित करना वन अधिकार धारक का कर्त्तव्य होगा।''	

क्रम सं०	सदस्य का नाम और संशोधन का पाठ	खण्ड सं०

(दो) पृष्ठ 6, पंक्ति 17 से 20 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित करें —

"वन अधिकार धारक यह सुनिश्चित करने का सभी यथोचित प्रयास करेगा कि—ग्राम सभा द्वारा धारा 5 (क) के अधीन अपनी शक्तियों के प्रयोग में लिए/किए गए निर्णयों का अनुपालन किया जाता है।"

37. श्री राधाकांत नायक

पृष्ठ 6, पंक्ति 12.13 — 5 (घ)

धारा 5 (घ) की पंक्ति 12-13 के स्थान पर —

"निम्नलिखित के किसी उपबंध के अतिक्रमण में वाणिज्यिक, राजकीय तथा निजी उद्यमों द्वारा किए जा रहे किसी क्रियाकलाप के बारे में वन प्राधिकारियों को सूचना देने के लिए ग्राम सभा से लिखित सहमति प्राप्त करें" प्रतिस्थापित करें।

38. श्री शिंगाड़ा दामोदर बारकू

पृष्ठ सं० 6 खंड 5 के उपखंड (ङ) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक जोड़ें — 5 (ङ)

"परंतु राज्य सरकार और केन्द्र सरकार उसके अनुपालन के लिए ग्राम सभा को सभी संभव सहायता और सहयोग देगी।"

39. श्री रवि वर्मा

पृष्ठ 6, पंक्ति 20 के बाद निम्नलिखित जोड़ें — 5 (ङ)

"(ङ) बशर्ते कि राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार ऐसे अनुपालन के लिए ग्राम सभा को सभी संभव सहायता और सहयोग प्रदान करे।"

40. डा० पी०पी० कोया

पृष्ठ 7, पंक्ति 19 — 6 (7)

"राज्य स्तर" शब्दों के पश्चात् —

"जिला स्तर, सब डिवीजनल स्तर, ग्राम स्तर और ग्राम सभा स्तर" अंत:स्थापित करें।

41. श्री राजेश वर्मा

पृष्ठ 7 में पंक्ति 18 में शब्द "विवरणियां" के लिए "अभिलेख" — 6 (7)

प्रतिस्थापित करें।

42. श्री सी०के० चन्द्रप्पन

पृष्ठ 7, पंक्ति 17 से 20 के स्थान पर — 6 (7)

निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए—

"राज्य सरकार उपखंड स्तर की समितियों और जिला स्तर की समितियों का समय पर गठन और वन अधिकारों को मान्यता तथा विहित करने की प्रक्रिया को मानीटर करने के लिए और नोडल अभिकरण को ऐसे अभिलेख व प्रतिवेदन, जो उस अभिकरण द्वारा मांगे जाएं प्रस्तुत करने के लिए एक राज्य स्तर की मानीटरिंग समिति गठित करेगी।"

43. श्री शिंगाड़ा दामोदर बारकू

पृष्ठ 7 पंक्ति 22 में — 6 (8)

"राजस्व विभाग" के पश्चात् "वन" शब्द का लोप करें।

क्रम सं॰	सदस्य का नाम और संशोधन का पाठ	खण्ड सं॰
44.	श्री खगेन दास (नियम 301)	
	पृष्ठ 7 पंक्ति 22 में	6(8)
	"जनजातीय मामले" के पूर्व" और शब्द का लोप करें।	
	"जनजातीय मामले" के पश्चात् "विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण" शब्द अंत:स्थापित करें।	
45.	श्री सी॰के॰ चन्द्रप्पन श्री राजेश वर्मा श्री राधाकान्त नायक श्री शिंगाड़ा दामोदर बारकू	
	पृष्ठ 7, पंक्ति 21 से 23 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए—	6(8)
	"उपखंड स्तर की समिति, जिला स्तर की समिति में राज्य सरकार के राजस्व विभाग और जनजातीय मामले विभाग से ऐसे समुचित स्तर का जो विहित किया जाए एक-एक अधिकारी तथा साथ ही जनजातीय और क्षेत्र में अन्य वन आश्रित लोगों के मुद्दों से परिचित सिविल सोसाइटी का प्रतिनिधित्व करने वाला एक प्रतिष्ठित अकादमिक तथा उस स्तर पर पंचायती राज संस्था के दो प्रतिनिधि, जिनमें कम से कम एक महिला होनी चाहिए, शामिल होंगे;	
	राज्य स्तर की मानीटरिंग समिति में राज्य सरकार के राजस्व विभाग और जनजातीय मामले विभाग से ऐसे समुचित स्तर का, जो विहित किया जाए, एक-एक अधिकारी तथा साथ ही वनों और वन समुदायों के मामलों के कम से कम तीन विशेषज्ञ होंगे;	
	जनजातीय कल्याण विभाग या ऐसा कोई विभाग विद्यमान न होने के मामले में समाज कल्याण विभाग का समुचित स्तर का अधिकारी उपखंड और जिला स्तर की समितियों का सचिव होगा और राजस्व विभाग का समुचित स्तर का एक अधिकारी सभापति होगा;	
	राज्य स्तर की मानीटरी समिति की अध्यक्षता जनजातीय विभाग या समाज कल्याण विभाग यथास्थिति का एक अधिकारी करेगा और राजस्व विभाग का एक अधिकारी सचिव होगा।"	
46.	श्री राधाकान्त नायक श्री शिंगाड़ा दामोदर बारकू श्री सी॰के॰ चन्द्रप्पन श्री शैलेन्द्र कुमार श्री राजेश वर्मा श्री खगेन दास (नियम 301 के अधीन सूचना)	
	पृष्ठ 7 पंक्ति 33 से 40 और पृष्ठ 8 पंक्ति 1-3	
	धारा 7 की उपधारा (तीन), (चार) और (पांच) का लोप करें।	(7)
47.	श्री राजेश वर्मा	
	पृष्ठ 8 में पंक्ति 2-3 में "की ऐसी अवधि के लिए जो जिला स्तर समिति, ग्राम सभा की संस्तुति पर विनिश्चित करें मान्यता वापस ले ली जाएगी" शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द प्रतिस्थापित करें–	
	"को तीन महीने से अनधिक अवधि के लिए और जैसा ग्राम सभा विनिश्चत करें निलंबित किया जायेगा।"	

क्रम सं०	सदस्य का नाम और संशोधन का पाठ	खण्ड सं०
48.	**श्री सी०के० चन्द्रप्पन**	
	पृष्ठ 7, पंक्ति 39-40 और पृष्ठ 8, पंक्ति 1-5 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित करें-	
	"तो वह इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का दोषी होगा और ग्राम सभा द्वारा दंडित किया जा सकेगा, जिसे उक्त अपराध हेतु शास्ति का विनिश्चिय करने का प्राधिकार प्राप्त होगा।	
	अपराधकर्ता द्वारा ग्राम सभा के प्राधिकार को स्वीकार करने से इंकार करने की स्थिति में ग्राम सभा संबंधित प्राधिकारियों को सूचित करेगी जो ग्राम सभा के शास्ति निर्णय को विनिश्चित समय-सीमा के अंतर्गत प्रवृत्त करने हेतु आबद्ध होंगे।"	
49.	**श्री राधाकान्त नायक**	
	धारा 7(v) के अंतर्गत पृष्ठ 7 में पंक्ति 39-40 तथा पृष्ठ 8 में पंक्ति 1-5 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित करें—	(v)
	"तो वह इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का दोषी होगा और ग्राम सभा द्वारा जिसे उक्त समुदाय के रूढ़िगत नियम के अनुसार उक्त अपराध के लिए शास्ति का विनिश्चत करने का अधिकार होगा, उसके विरुद्व शास्ति अधिरोपित की जाएगी।	
50.	**श्री खगेन दास (नियम 301 के अधीन सूचना)**	
	खंड 7 के पश्चात् नया उपखंड जोड़ें:—	7 (क) नया उप खंड
	"अनुसूचित जाति से इतर जो भी इस अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करता है या षडयंत्र करता है या उल्लंघन का प्रयास करता है या उत्प्रेरित करता है, समर्थन करता है, सलाह देता है या जानबूझ कर उल्लंघन को बढ़ावा देता है या इस अधिनियम के उद्देश्य को विफल करने का प्रयास करता है तो वह दो वर्ष के कारावास और 10,000 रुपये की शास्ति से दंडित किया जाएगा"	
51.	**श्री सी०के० चन्द्रप्पन**	
	पृष्ठ 9, पंक्ति 6 के पश्चात् एक नया खंड 14 क अंत:स्थापित करें—	14क
	"14 (क) इस अधिनियम के उपबंध किसी मामले और विशेषकर किसी वन अधिकारों, निर्धारण, मान्यता, संकल्प अथवा जिसकी शक्तियां किसी स्वायत्तशासी जिला परिषद, अन्य निकाय, संविधान की छटी अनुसूची अथवा अनुच्छेद 371(क) अथवा 371(घ) अथवा समरूप अन्य किसी संवैधानिक उपबंध अथवा अरूणाचल प्रदेश और मणिपुर राज्यों के कानून पर लागू नहीं होगी।	
52.	**श्री खगेन दास (नियम 301 के अधीन)**	
	पृष्ठ 9	15(1)
	उपखंड 15 (1) का लोप करें।	

MGIP:MRND—893LS—20-07-2006.